वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2015-16

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (कैट–II)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची – 834 031

सीआईएन : यू 14292 जेएच 1975जीओआई 001223

Website : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित क्रिया-कलापों में
वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना

मिशन

भारत तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में प्रमुख परामर्शदाता के
रूप में कोयला गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में
संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

जाँच के लिए सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा मुख्यालय में रखा रहेगा या कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहेगा।

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	2015–2016 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	13.06.2016 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	41 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	7
6.	उपलब्धि एक नजर में	15
7.	वित्तीय सांख्यिकी एवं पर्यवेक्षण	16
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	21
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	112
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	118
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	125
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट	131
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	134
14.	समझौता संलेख 2015–16	137
15.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	145
16.	कैशफ्लो विवरण के साथ लेखे पर टिप्पणी	151
17.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	184

निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन

श्री वी.के.सिन्हा

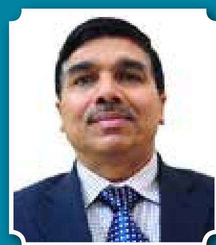

श्री बी.एन. शुक्ला

श्री बिनय दयाल

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री डी.एन.प्रसाद

श्री एन. कुमार

स्वतंत्र निदेशक

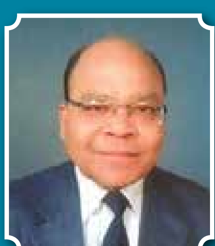

श्री राकेश कुमार मित्तल

डा. देबाशीष गुप्ता

श्री राजेन्दर प्रसाद

स्थाई आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार

वर्ष 2015–2016 के दौरान प्रबंधन

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)
श्री अमल कुमार देबनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (31.12.2015 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी) (08.01.2014 से)
श्री बी.एन.शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (01.10.2015 से)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (01.12.2015 से)
श्री शेखर सरन	:	निदेशक (तकनीकी) (31.12.2015 तक)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी) (30.09.2015 तक)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी) (30.11.2015 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (29.12.2012 से)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री राकेश कुमार मित्तल	:	निदेशक (01.11.2013 से)
श्री राजेन्दर प्रसाद	:	निदेशक (17.11.2015 से)
डा. देबाशीष गुप्ता	:	निदेशक (17.11.2015 से)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	(18.02.2016 से)
श्री पी. लाजर	:	(01.04.2011 से 17.02.2016 तक)

13.06.2016 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक :

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री बी.एन.शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक

श्री राकेश कुमार मित्तल	:	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजेन्दर प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी) कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2016 से)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	कम्पनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
1, न्यू अनन्तपुर, राँची–834002

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि०,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031, झारखण्ड, भारत
CIN : U14292 JH1975 GOI001223
वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

1

41 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

संदर्भ सं. : सीएमपीडीआईएल/सीएस/एजीएम–41/2016/4808(बी) दिनांक : 13.06.2016

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी की 41 वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031 में 27 जून, 2016, दिन सोमवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जाएगीः

क. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2016 के अनुसार अंकेक्षित तुलन–पत्र, इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के साथ–साथ सांविधिक रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक–मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना।
2. श्री एन.कुमार (डीआईएन–02624808) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री वी.के.सिन्हा (डीआईएन–06793778) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

ह0/–
(अभिषेक मुँधड़ा)
कंपनी सचिव

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी या एवजियों को नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी (प्रॉक्सी) फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के निबंधित कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में तथा 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के संकल्प (डिटरमिनेशन) के अनुसार निदेशक मंडल को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत निर्धारित करता है।

प्रतिः

सभी शेयर धारक,

कम्पनी के सभी निदेशकगण ,

अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,

मनोनीत एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष,

कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक तथा

कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. श्री एन. कुमार, (डीन: 02624808) सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

श्री नागेन्द्र कुमार (58) ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया। श्री नागेन्द्र कुमार ने कनीय कार्यकारी प्रशिक्षु (जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी) के रूप में वर्ष 1980 में सीसीएल में ज्वाइन किया। सीसीएल में कार्यरत रहते हुए प्रथम 20 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर तथा 7 वर्ष परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किया इसके बाद 2001 में इनका स्थानांतरण इसी पद पर ईसीएल में कर दिया गया और वर्ष 2004 में महाप्रबंधक तथा 2007 में मुख्य महाप्रबंधक का पद संभाला। श्री कुमार ने अपने कैरियर का अधिकांश समय कठिन भूमिगत और खुली खदानों के पुनर्जीवन में बिताया और इन्हें लगभग सभी प्रकार के भूमिगत और खुली खदान खान में मेकनाइजेशन के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। वे सक्रिय रूप से लांगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा में झांझर एरिया मैरिंग वर्ल्ड स्टेंडर्ड में कंटीन्यूअस माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का शौक है। उन्होंने दिनांक 01.02.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है। इसके अलावा वे कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा के अध्यक्ष होने के साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड और सीएमपीडीआई में निदेशक का पद संभाला रहे हैं। इसके अलावा वे बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए हैं। वे 20.02.2012 से सीएमपीडीआई में सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं।

2. श्री वी. के. सिन्हा, (डीन : 06793778) पूर्णकालिक निदेशक

श्री विनोद कुमार सिन्हा (58), निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी,) सीएमपीडीआई भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (1978) में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार संभाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने परियोजना पदाधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेस्टर्न झरिया एरिया, महुदा के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया तथा 2008–09 से ईस्टर्न झरिया एरिया, सुदामडीह, बीसीसीएल के महाप्रबंधक के रूप में रहे। वे मुनिडीह में एमएल 4 पावर्ड सपोर्ट रिकमिसंड करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य में सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंध (बिक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण के तहत कोल आफर तथा आवंटन में सुधार तथा नियमितीकरण के कार्य में काफी योगदान दिया है। ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के अंतिम उपयोग में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेक होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है। अपने प्रोफेशनल कार्य से इन्होंने चीन, तुर्की और स्विटजरलैंड का भी दौरा किया है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे। तथा समय पर विभिन्न करारों को निष्पादन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है। वे 08.01.2014 के तत्काल प्रभाव से निदेशक (तकनीकी), (अनुसंधान विकास एवं प्रौद्योगिकी) सीएमपीडीआई हैं।

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का कथन

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 41वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप–रेखा:

भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाली संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।आपकी कंपनी कोयले के गवेषणा, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को भी गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित इसी प्रकार सेवाएँ भी दे रहा है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा का निर्माण कर सीएमपीडीआई ने अपने कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढाया है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल (दक्ष) श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी, जो आगामी 5–6 वर्षों तक रही। कुल मिलाकर, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य तथा इसके परिणामस्वरूप देश

के अंदर तथा विदेशी खनन क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण मुख्यतः 2000 के बाद विशेषज्ञों के निर्गमन में और वृद्धि हो गई। तथापि, कुछ हद तक आईएसओ के समावेश एवं कम्प्यूटराइजेशन के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग तथा खास कर, कोयला गुण निर्धारण, पर्यावरण सुविधा से संबंधित उपकरणों में की गई वृद्धि के बावजूद कंपनी अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के संपूर्ण उन्नयन तथा दक्षता को उत्कृष्ट स्तर तक लाने में कुछ पीछे रह गई।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिसमें भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय तौर पर ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर इसकी क्षमता में वृद्धि पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। धीरे–धीरे सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरणों के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में एक कोल बेड मिथेन प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की उस जगह गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है जहाँ 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित कुल ड्रिलिंग क्षमता 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उतरी तथा हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल, श्रमशक्ति में वृद्धि आदि जैसे कदम उठाकर इसने वर्ष 2015–16 के दौरान 4.08 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। इस तरह निर्धारित क्षमता से आगे बढ़ गई। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 9.94 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि से ड्रिलिंग कमुलेटिव एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 19 प्रतिशत से अधिक थी। कुल मिलाकर कंपनी की निबल बिक्री वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई तथा अब 2015–16 में बढ़कर यह 759.27 करोड़ रूपए हो गई है। तथापि, कोयला ब्लॉकों में कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं से निपटने में अधिकतम प्रयास करने के बावजूद तथा वन क्षेत्र में प्रोजेक्टाइजेशन के लिए अपेक्षित पर्याप्त संख्या में बोरहोलों में विस्तृत गवेषण करने के लिए राज्य वन पदाधिकारियों/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण सीएमपीडीआई द्वारा आउटसोर्सिंग का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के लिए इन्ट्रीन्सिक/नेट प्रेजेंट वैल्यू की गणना करने में अपनी सेवाएँ देकर डिअलैकेटेड कोयला ब्लॉकों को रिअलॉकेशन/निविदा में भी योगदान दिया। एमओआईएल, एचसीएल हुट्टी गोल्ड माइन आदि जैसी धात्विक खनन कंपनियों के लिए खनन के मामले में सेवाएँ दीं। फिर भी, विगत के वर्षों में किए गए सभी प्रयास कंपनी के उच्च स्तर एवं निचले स्तरपर सही ढंग से दिखलाई नहीं पड़ती, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशीलता पर पुनरावलोकन करने की जरूरत है।

इसमें सीएमपीडीआई के लिए कोयला क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश हेतु भावी बाजार परिदृश्य के गहन अध्ययन शामिल है। इस विचार को ध्यान में रखकर, आईसीडब्ल्यूए की सहायता से कंपनी के प्राइसिंग मेकानिज्म का अध्ययन किया जा रहा है तथा कोयला क्षेत्र के अलावा खनन एवं सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्रों में विविधिकरण, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के जरिए बिक्री बढ़ाने सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा को बढ़ाने के लिए संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसके समानान्तर भविष्य में संपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र के हित के लिए विविधिकरण से कंपनी की विशिष्टताओं को अक्षुण्ण रखना होगा।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने कर के पहले 42.54 करोड़ रू. लाभ के साथ–साथ 759.27 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.15 के अनुसार 178.06 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2016 के अनुसार 214.98 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर उपार्जन 1315 रू. से बढ़कर 1496 रू. हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

जैसा कि ऊपर दिया गया है, आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान की गई 8.28 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2015–16 में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 9.94 लाख मी. ड्रिलिंग की है। वर्ष 16–17 के लिए कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 11 लाख मीटर कर दिया गया है । इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है। सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। वर्ष 2015–16 में वार्षिक सीमा 4.00 लाख मीटर तक पुनः बढ़ा दी गयी है। वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक 6 दौर की राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा तथा 9 दौर की ई–टेंडरिंग की जा चुकी है तथा 65 ब्लॉकों में 24.44 मीटर के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 129 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 495 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 430 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 103 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 116 मी.ट. क्षमता वृद्धिवाली 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। 12वीं योजना के दौरान 31 मार्च, 2016 तक लगभग 147 एमटीवाई क्षमता वृद्धिवाली शेष 56 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 96 एमटीवाई अतिरिक्त क्षमता वाली 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, देष में सर्वाधिक क्षमता वाली खान गेवरा ओसी, एक्सपैंशन (70.0एमटीवाई) की योजना बनाई गई जिसे मार्च, 2016 में कोल इंडिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

5. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

सीएमपीडीआई की अधिकतर प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर दिया गया है। परिष्कृत आयातित उपकरणों से रासायनिक तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को सुसज्जित कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। सीएमपीडीआई, मुख्यालयः क्षेत्रीय संस्थान–1 तथा क्षेत्रीय संस्थान–4, क्षेत्रीय संस्थान–5, क्षेत्रीय संस्थान–7 की पर्यावरण प्रयोगशाला को आधुनिकतम उपकरणों को लगाकर सशक्त किया गया है। क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में प्रयोगशालाओं की पर्यावरण स्वीकृति के लिए अपेक्षित सभी परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित किया जा चुका है। क्षेत्रीय संस्थान–1 तथा क्षेत्रीय संस्थान–7 की प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है।

प्रयोगशाला की जाँच तथा कैलिब्रेशन के लिए नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड एनएबीएल द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 के पर्यावरण प्रयोगशाला का सर्विलांस मूल्यांकन किया गया। प्रमाणीकरण निकाय द्वारा आरआई, 4 नागपुर तथा आरआई–5, बिलासपुर के लिए ओएचएएसएस 18001 प्रबंधन प्रणाली का अंकेक्षण किया गया।

6. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 48

प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में बहाली एवं स्थानांतरण के जरिए पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से 193 कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को मँगाया गया है तथा श्रमशक्ति को और बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू–उपयोग/ वनस्पति आच्छादन:

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर से (कोयला+ओबी) कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 87 खुली खान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की जा चुकी है। 6 कोयला क्षेत्रों यानि कर्णपूरा, ईस्ट बोकारो, सिंगरौली, कोरबा तथा बंदेर में वनस्पति आच्छादन मैपिंग की गईं।

8. कोल वाशरी की स्थापना में सहायता:

15 नई कोयला वाशरियों की स्थापना में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को तकनीकी सहायता दी गई। निविदा प्रक्रिया की गति तेज करने तथा रिकार्ड समय में एल–1 बिडर की पहचान के लिए ई–टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई है। इन 15 वाशरियों में से 6 वाशरियों के लिए ई–टेंडर मोड पर निविदा दस्तावेज सफलतापूर्वक जारी किया जा चुका है।

9. पर्यावरणिक सेवा:

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा के तहत 16 फार्म–1 तथा 50 ईएमपी तैयार की गई है। आसनसोल, धनबाद , नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर, तालचर, ईब घाटी तथा राँची स्थित 11 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 467 परियोजनाओं/संस्थानों की पर्यावरणिक मॉनिटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार सीमएपीडीआई द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान 37 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से और अधिक कड़ी शर्तों की संभावना पर विचार करते हुए हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं के लिए लगातार क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। विवेच्य वर्ष के दौरान क्वालिटी कॉसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना के लिए (ईआईए/ईएमपी) परामर्शदाता संगठन के रूप में इसी एमपीडीआई की पुनःमान्यता (रिएक्रीडीशन) दी गई।

10. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन के व्यावसायिक विकास को आसान बनाने के लिए सीएमपीडीआई ने अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

ओएनजीसी तथा सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो ब्लॉकों झरिया तथा रानीगंज नार्थ में सीबीएम के विकास के लिए किए जा रहे कार्यो का अनुसरण कर रहा है तथा प्रशासनिक तथा संविदात्मक एवं परिचालानात्मक जैसे अन्य मुद्दों पर कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता दे रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में सीएमएम के विकास की गति को और तेज करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयलाधारक क्षेत्रों से कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को नॉमिनल

आधार पर सीबीएम के गवेषण एवं दोहन का अधिकार दे दिया है, जिसके लिए कोयले के खनन लीज देने का उनके पास अधिकार है। कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र में सीएमएम के विकास के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु ''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम संभावना का मूल्यांकन'' के लिए अध्ययन शरू किया जा चुका है।

सीएमपीडीआई प्रोमोशनल गवेषण के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए'' भारतीय कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में कोल बेड मिथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन का मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। 3 बलॉकों (सुभद्रा वेस्ट ब्लॉक, डोलेसरा ब्लॉक तथा ब्राह्मण बिल ब्लॉक) के लिए सीबीएम गैस इन प्लेस पर मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।

वीएएम के प्रशमन एवं उपयोग के लिए सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एनसीईएफ के तहत परियोजना शुरू की जानी है तथा सीआईएल आरएंडडी निधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सीबीएम विकास की वर्तमान नीति के पूर्णतः अनुरूप भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है। 21 मार्च, 2016 को दूसरी आईएनसी बैठक आयोजित की गई जहाँ लोक उपक्रमों द्वारा यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए संभावित कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान की गई।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय तथा सीआईएल बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत वित्त प्रदत अनुसंधान कार्यों को समन्वित करने वाली नोडल एजेंसी है। विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान के आरएंडडी कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआई अपने सुसज्जित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोल बेड मिथेन सहित कोयला गवेषण, कोल माइन मिथेन (सीएमएम), शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है।

विगत 41 वर्षों से इनमें से कई परियोजनाओं से भरपूर लाभ मिला है, जिसके के परिणामस्वरूप संगठन में सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुधार हुआ है, जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं का उद्योग पर सीधे प्रभाव पड़ा है, कुछ अन्य हैं, जिनसे चालू खानें तथा भावी खनन पर्यावरण परियोजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खनन योजना, डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ और सशक्त हुई है। खासकर, भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए विकसित डिजाइन टूल्स अब भूमिगत कोल पिलर डिजाइन, रूफ कैविटी का विश्लेषण, भू–तल धँसान का पूर्वानुमान, भिन्न–भिन्न शैल (रॉक) स्थितिओं के अनकुलतम विस्फोटन डिजाइन, खुली खदान का ढाल स्थायित्व आदि जैसे अनेक प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए अब उपलब्ध है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ पूरी की गई। पूरी की गई परियोजनाएँ निम्नलिखित से संबंधित है : 1. खुली खदानों में वायुवाहित धूल की मॉडेलिंग, 27 भूमिगत खानों में आग लगने की स्थिति में एक्सपैन्शन फोम एजेंट का प्रयोगकर क्वीक सेटिंग स्टोपिंग का निर्माण, 3– ऊर्जा में बदलने (जीएचजी 2 ई) के लिए कोयला खानों तथा कोयला बेडों से ग्रीन हाऊस गैस की प्राप्ति 4– भूमिगत खान मशीनों के ट्रेलिंग केबल के लिए रबर कम्पाऊंड एवं मरम्मत तकनीक का विकास 5– भूमि सुधार के लिए फॉरवर्ड कॉस्ट मॉडेलिंग सक्षम डायनेमिक जीआईएस का विकास 6–बहुस्रोतीय विद्युत आपूर्ति अनुकूल बनाने तथा नियंत्रित करने के लिए माइक्रोग्रीड प्रणाली डिजाइन कर विकास तथा प्रदर्शन। सीएमपीडीआई अधिक–से–अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर 29 एसएंडटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

भूमिगत खान में आग लगने की स्थिति में एक्सपैन्शन फोम एजेंट का प्रयोग कर क्विक सेटिंग स्टोपिंग के निर्माण पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत एनआईटी, राउरकेला; कोल इंडिया लिमिटेड तथा मेसर्स ट्रान्स मार्केटिंग, कोलकाता द्वारा विकसित नया कम्पाउन्ड ''ब्लॉकेज–52'' की सहायता से एमसीएल की ओरिएण्ट खान–3 तथा हीरा खंड बुन्दिया खान में स्टॉपिंग का निर्माण किया जा रहा है। यह पाया गया कि तैयारी कार्य

सहित स्टोपिंग बनाने में अधिक–से–अधिक 72 श्रम घंटा लगेगा। एक पाली में, इस नए कम्पाउन्ड से एक स्टोपिंग सहज ढंग से तैयार की जा सकती है। वायुप्रवाह, विस्फोटन तथा अन्य खनन स्थितियों के कारण इन स्टोपिंग के दीर्घकालीन स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव की लगातार मानिटरिंग की गई तथा यह भूमिगत खान में आर्द्रता तथा जल रिसाव के प्रति पूर्णतः प्रतिराधी है। इस नए विकसित कम्पाउन्ड से एक स्टोपिंग के निर्माण पर कुल लागत लगभग 1,20,000/–रू. मात्र थी।

12. ई–प्राप्ति तथासंविदा प्रबंधन :

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों जैसे एसईसीएल सीएस तथा बीसीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों जैसे कुसमुण्डा तथा बरौद (एसईसीएल), दुग्दा (बीसीसीएल तथा कारों एवं कोनार में बीओएम/टर्न की आधार पर वाशरियों के निर्माण से संबंधित निविदाओं के लिए निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप देने हेतु आपकी कंपनी को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। यह अधिकार इलेक्ट्रानिक मोड के जरिए निविदा को अंतिम रूप देने हेतु माड्यूल के डिजाइन के लिए था। सिस्टम पर उपलब्ध वर्तमान माड्यूल में बीओएम या टर्न की आधार पर कोयला वाशरियों की ई–टेंडरिंग का प्रावधान ही नहीं है। बिडरों द्वारा उद्धृत शील्ड परसेंटेज के आधार पर ढाँचागत फार्मेट में सूचना/जानकारी तथा कैश आउटफ्लो प्राप्त करने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा विशेष ढंग से तकनीकी पारामीटरशीट (टीपीएस) तथा बिल ऑफ क्वालिटी (बीओक्यू) तैयार किया गया। यहाँ पर उल्लेख करना प्रासांगिक है कि पहली बार सीएमपीडीआई द्वारा इलेक्ट्रानिक मेडिया के जरिए इस प्रकार की निविदा विकसित की गई है। संबंधित कंपनियों के विचार–विमर्श के बाद इस निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया तथा उनकी ओर से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया गया।

सीआईएल पोर्टल पर अपलोड की जा रही निविदाओं के लिए ऑन लाइन रीसिट, आटोरिफंड तथा अग्रधन जमा के समायोजन हेतु सीएमपीडीआई ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। नया मॉडेल से कागजी कार्य कम करने, मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम करने तथा सफल बिडरों को जल्द–से–जल्द ईएमडी वापस करने में मदद मिलेगी।

13. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सीएसआर इन्टरवेन्शन के सुविचारित बास्केट के जरिए अपने आस–पास के समुदायों के साथ–साथ व्यापक समाज के साथ मजबूत संबंध बनाया है। सीएसआर तथा सस्टेनिब्लिटी के तहत सीएमपीडीआई द्वारा सतत विकास पर बल दिया जा रहा है तथा इसे व्यवहार में भी लाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों में विद्यालय/गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, विद्यालय जाने वाले गरीब एवं जरूरतमन्द बच्चों को शैक्षणिक सहायता, के सी राय मेमोरियल चैरिटिबुल अस्पताल, राँची को वित्तीय सहायता, कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण, गाँवों आदि में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा संस्थापन द्वारा पेय जल का प्रावधान आदि शामिल है।

14. प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा :

सीएमपीडीआई प्रबंधन प्रणाली का सृजन तथा प्रलेखन सुविधा प्रदान कर, प्रशिक्षण एवं अंकेक्षण सहायता देकर, कार्यान्वयन, प्रमाणीकरण सहायता तथा प्रमाणोत्तर सहायता आदि प्रदान कर कोयला उद्योग के लिए उपयोगी सभी प्रबंधन मानक के लिए सहायता सेवा उपलब्ध करता है।

आज की तिथि तक कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों की 105 ईकाइयों के पास अंतर्राष्ट्रीय मानक जेसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 27001, आईएसओ 17025 तथा एसए 8000, प्रमाण–पत्र उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी वाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस इंटीग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) हेतु दो अनुषंगी कंपनियोंः एमसीएल तथा एनसीएल को प्रमाणित किया गया तथा कंपनी वाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली हेतु ईकाईवार प्रमाणन से परिवर्तन के लिए तीन अन्य अनुषंगी

कंपनियोंः बीसीसीएल, सीसीएल तथा ईसीएल को सहायता एवं मार्ग–दर्शन दिया जा रहा है। प्रलेखन का कार्य पूरा कर लिया गया तथा संबंधित अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दस्तावेज जारी कर दिया।

आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी होने के नाते, सीएमपीडीआई ने सितम्बर, 2014 में अपने मुख्यालय में सूचना सुरक्षा प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आईएसओ 27001 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया। वर्ष 2015–16 में इसके तीन क्षेत्रीय संस्थानों को भी यह प्रमाण–पत्र दिया गया।

कोलकाता स्थित सीआईएल मुख्यालय के लिए सीएमपीडीआई ने आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) तथा आईएसओ 50001 के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी कार्य शुरू कर दिया। वर्श 2015–16 के दौरान प्रलेखन तथा प्रारंभिक ऊर्जा समीक्षा पूरी कर ली गई। सीएमपीडीआई भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001 के लिए सर्विलांस ऑडिट के दौरान कोयला मंत्रालय को भी सहायता देता है।

15. कोल इंडिया से बाहर की कम्पनियों को सहायता :

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 13 संगठनों को 18 परामर्शी सेवाएँ दी गई। जिन कंपनियों/संगठनों को परामर्शी सेवाएँ दी गई, उनमें कुछ प्रमुख कंपनियाँ टाटा स्टील, एमओआईएल लिमिटेड, एनएमडीसी, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड निगम आदि हैं। वर्तमान में सेल, एमओआईएल, टाटा स्टील, आईडीसीओ, एनटीपीसी, ओड़िसा कोल एंड पावर लिमिटेड, गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, एमपीपावर कारपोरेशन लिमिटेड, यूसीआईएस, एनएमडीसीआई जैसे 15 संगठनों के लिए 19 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 28 संगठनों के 39.37 करोड़ रूपए मूल्य के 33 बाहरी परामर्शी कार्य हाथ में है। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किए सर्वाधिक मूल्य का कार्य है।

16. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ:

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली के तहत निम्नलिखित ऑन लाइन मॉडेल विकसित किए गए :

- अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण अनुरोध मॉडल
- मेंटर–मेंटी मॉडेल
- के–माइनिंग (नालेज माइनिंग) मॉड्यूल
- कर्मचारी सुझाव माड्यूल

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ऑन लाइन बैंक कार्ड रेट सिस्टम भी विकसित किया गया। यह ऑन लाइन सिस्टम कोल इंडिया लिमिटेड की संवीक्षा के लिए जमा पर अपने कोटेड ब्याज दर अपलोड करने में बैंकों को सहायता देगी। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सतर्कता क्लियरेंस/मॉनिटरिंग प्रणाली भी विकसित की गई है। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम के तहत वार्षिक संपत्ति विवरण का विस्तार कर्मचारियों तक किया गया है।

पारदर्शिता लाने के लिए 6 नवम्बर, 2015 से सीएमपीडीआई में प्रायोगिक आधार पर एनआईसी द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म ''ई–आफिस'' द्वारा फाइल ट्रैकिंग तथा डिस्पैच सिस्टम कार्य करने लगा है, जिसका उद्घाटन श्री अनिल राजदान, पूर्व सचिव (ऊर्जा) भारत सरकार द्वारा किया गया।

17. मान्यता एवं पुरस्कार

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान तथा इसकी प्रासंगिकता को पहचाना तथा वर्ष 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइज (डीईपी के) के दिशा–निर्देश के प्रावधान के अनुरूप इसे मिनी रत्न कंपनी (कैटे–।।) से नवाजा। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ

कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को अधिक स्वायत्तता तथा अधिक अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (सीआईएल तथा सीएमपीडीआई के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआई का आकर्षक उपलब्धि प्रतिबिम्बित होता है। सीएमपीडीआई ने कोलकाता में 1 नवम्बर, 2015 को आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस, 2015 के अवसर पर वर्ष 2014–15 के लिए कॉरपोरेट अवार्ड प्राप्त किया है। सीएमपीडीआई ने सभी केंद्रीय उपक्रमों में वर्ष 2014–15 के लिए 1.002 का सर्वोतम रेटिंग (डीपीई द्वारा प्रदत्त) तथा ''ऊर्जा, विद्युत उत्पादन तथा संचरण'' सिन्डिकेट में सर्वोतम एमओयू रेटिंग भी प्राप्त किया है।

18. निगमित शासन :

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश की शर्तों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों को सीएमपीडीआई द्वारा पूरा किया गया है। कारपोरेट गवर्नेंस पर एक पृथक धारा तथा कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों से प्राप्त कॉर्पोरेट गवनेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा आफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों के हार्दिक सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भविष्य में कार्य के प्रति समर्पण के लिए दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर शेयर होल्डरों के समर्पित प्रतिबद्धता एवं कार्य निष्पादन से चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों तथा विक्रेताओं (बेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह0/
(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची
दिनांक : 27.06.2016

कार्य–निष्पादन : एक नजर में

	विवरण	इकाई	2015–16	2014–15	2013–14
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	करोड़ रू. में	759.27	726.72	647.43
2	कर पूर्व लाभ	करोड़ रू. में	42.54	39.33	34.60
3	कर पश्चात् लाभ	करोड़ रू. में	28.48	25.04	19.57
4	धारित लाभ	करोड़ रू. में	28.48	25.04	19.57
5	नेट ब्लॉक	करोड़ रू. में	99.99	80.83	72.11
6	नेट वर्थ	करोड़ रू. में	214.98	178.06	155.88
7	चालू परिसंपत्तियाँ	करोड़ रू. में	688.23	688.82	629.85
8	चालू देयताएँ	करोड़ रू. में	550.27	505.81	491.13
9	कार्यशील पूंजी [(7) - (8)]	करोड़ रू. में	137.96	183.01	138.72
10	नियोजित पूंजी	करोड़ रू. में	237.95	263.84	210.83
11	सकल मार्जिन	करोड़ रू. में	50.66	49.90	44.09
12	कर्मचारियों की संख्या	नंबर	3626	3634	3135
13	नियोजित रिटर्न पूंजी	करोड़ रू. में	17.88	14.91	16.41
14	प्रति शेयर अर्जन	रू. में	1496.00	1315.00	1028.00

निबल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष – संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय

ग्रास मार्जिन = नेट प्राफिट + मूल्य ह्रास + ब्याज + पीपी समायोजन + कर व्यय

नियोजित पूंजी = नेट ब्लॉक + कार्यशील पूंजी

संवाहित मूल्य = ग्रास मार्जिन – नियोजित पूंजी का 10%

टिप्पणी : वर्तमान अवधि के साथ कम्परेबुल बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यकता हो, गत वर्ष के आंकड़े को पुनर्व्यवस्थित/री–ग्रुप/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय सांख्यिकी

	31.3.16 के अनुसार		31.3.15 के अनुसार		31.3.14 के अनुसार	
निधि के स्रोत						
इक्विटि एवं देयताएँ						
षेयर होल्डर का निधि						
ए) शेयर पूंजी	19.04		19.04		19.04	
बी) आरक्षित एवं अधिशेष	195.94		159.02		136.84	
		214.98		178.06		155.88
गैर चालू देयताएँ						
ए) दीर्घकालीन उधारी	-		-		-	
बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	-		-		-	
सी) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	-		-		-	
डी) दीर्घकालीन प्रावधान	195.92		225.74		183.51	
		195.92		225.74		183.51
चालू देयताएँ						
ए) अल्पकालीन उधारी	-		-		-	
बी) पेषागत देय	0.99		0.77		0.52	
सी) अन्य चालू देयताएँ	236.72		195.63		268.27	
डी) अल्पकालीन प्रावधान	312.56		309.41		222.34	
		550.27		505.81		491.13
कुल		961.17		909.61		830.52
निधि के उपयोग						
गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
ए) अचल परिसंपत्ति						
प) टेंजिबुल परिसंपत्ति–सकल ब्लॉक	225.21		195.92		181.6	
घटाकर : मूल्य ह्रास इम्पेयरमेंट एवं प्रावधान	128.07		119.62		109.49	
नेट कैरिंग मूल्य		97.14		76.30		72.11
पपद्ध इनटेंजिबुल परिसंपत्ति– सकल ब्लॉक	7.84		7.55		2.21	
घटाकर : मूल्य ह्रास, इम्पेयरमेंट एवं प्रावधान	4.99		3.02		2.21	
Net Carrying Value		2.85		4.53		-
घटाकर : मूल्य ह्रास इम्पेयरमेंट एवं प्रावधान						
iii) चालू पूंजीगत कार्य		61.44		29.44		24.93
iv) विकासाधीन इनटेंजिबल परिसंपत्तियाँ		-		-		-
बी) गैर चालू निवेश		-		-		-
सी) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		100.47		106.43		101.59
डी) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		11.02		4.07		2.02
ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ		0.02		0.02		0.02
चालू परिसंपत्तियाँ						
ए) चालू निवेश	-		-		-	

बी) वस्तु–सूची	7.41		6.10		5.77	
सी) पेशागत प्राप्ति	248.24		236.36		198.34	
डी) नकद एवं नकद तुल्यमान	124.30		85.92		109.18	
ई) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	308.23		360.39		316.51	
एफ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	0.05		0.05		0.05	
		688.23		688.82		629.85
कुल		961.17		909.61		830.52

	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आँकड़ें	31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आँकड़ें	31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आँकड़ें
आय			
कोयले की बिक्री			
घटाकर :– एक्साइज डयूटी			
अन्य लेवी			
परिचालन से राजस्व	759.27	726.72	647.43
अन्य आय	5.08	5.48	5.01
कुल राजस्व	764.35	732.20	652.44
व्यय			
खपत की गई सामग्री	21.92	21.43	19.99
फिनिस्ड गुडस वर्क इन प्रोग्रेस तथा स्टॉक इन ट्रेड के इनभेंट्रिज में परिवर्तन	-	-	-
कर्मचारी लाभ पर व्यय	412.4	402.73	378.04
बिजली एवं इंधन	3.55	2.97	3.11
सीएसआर व्यय	2.01	1.68	1.82
मरम्मती	19.9	15.22	14.25
संविदात्मक व्यय	205.09	191.09	152.27
वित्तिय लागत	0.24	0.24	0.17
मूल्य ह्रास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट	12.66	10.32	9.83
प्रावधान	¼0.11½	¼0.07½	¼0.19½
बट्टे खाते डाला गया	-	-	-
ओवर बर्डेन रिमुवल समायोजन	-	-	-
अन्य व्यय	48.93	47.25	39.06
कुल व्यय	726.59	692.86	618.35
अपवादात्मक एवं असाधरण मद एवं कर पूर्व लाभ/हानि	37.76	39.34	34.09
अवधिपूर्व समायोजन {शुल्क/ (आय)}	¼4.78½	0.01	¼0.51½
अपवादात्मक मद			
असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ/ (हानि)	42.54	39.33	34.60
असाधरण मद {शुल्क/ (आय)}	-	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	42.54	39.33	34.60
घटाकर :– कर व्यय			
–चालू वर्ष	8.10	19.13	19.15
–आस्थगित कर	5.96	¼4.84½	¼6.05½
– पूर्व वर्ष	-	-	1.93
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	28.48	25.04	19.57
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1000/– प्रति शेयर के फेस वैल्यू) (में)			
(1) बेसिक (रू. में)	1496.00	1315.00	1028.00
(2) डायल्यूटेड (रू. में)	1496.00	1315.00	1028.00

व्यय विश्लेषण सारांश 2015–16

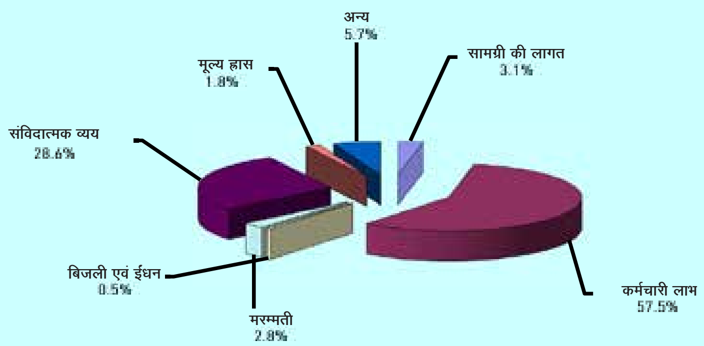

बिक्री विवरण (यूनिटवाईज) 2015–16

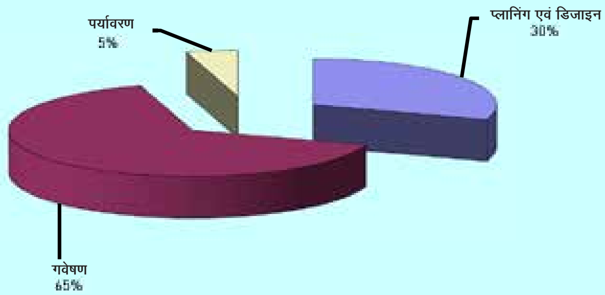

व्यय विवरण (यूनिट वाइज) 2015–16

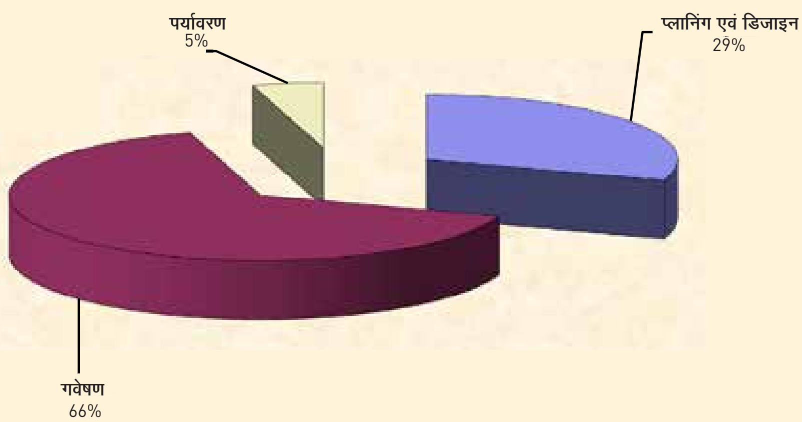

ग्रास मार्जिन (करोड़ रू. में)

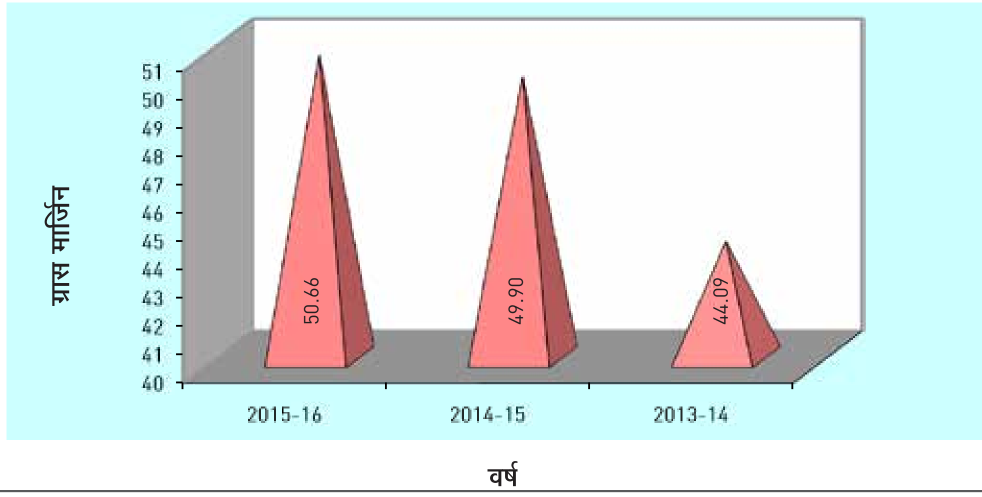

नियोजित पूँजी (करोड़ रू. में)

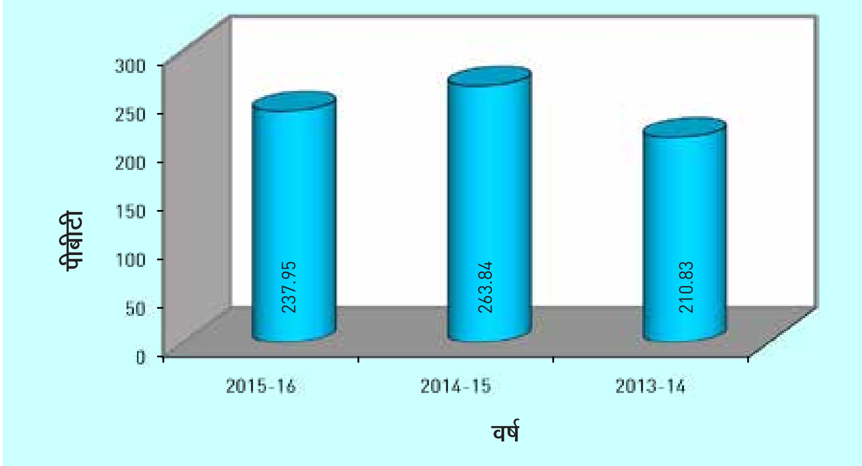

नियोजित पूँजी पर रिटर्न (करोड़ रू. में)

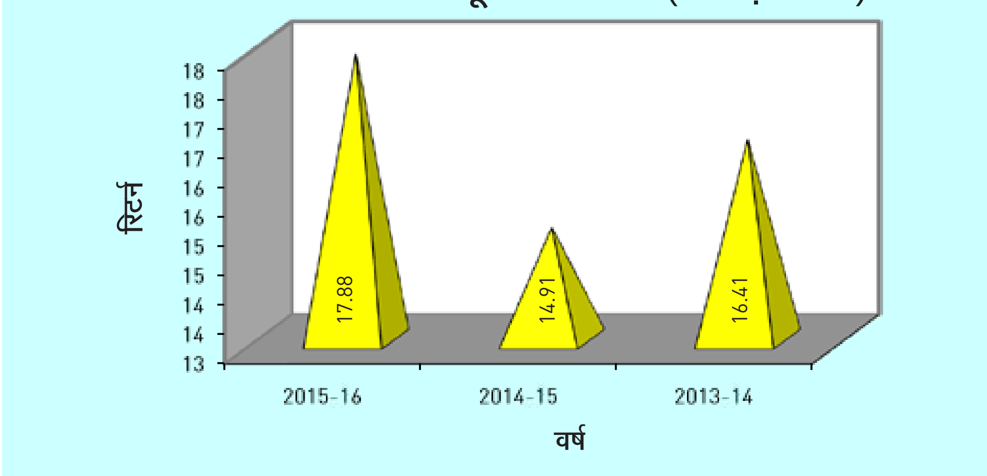

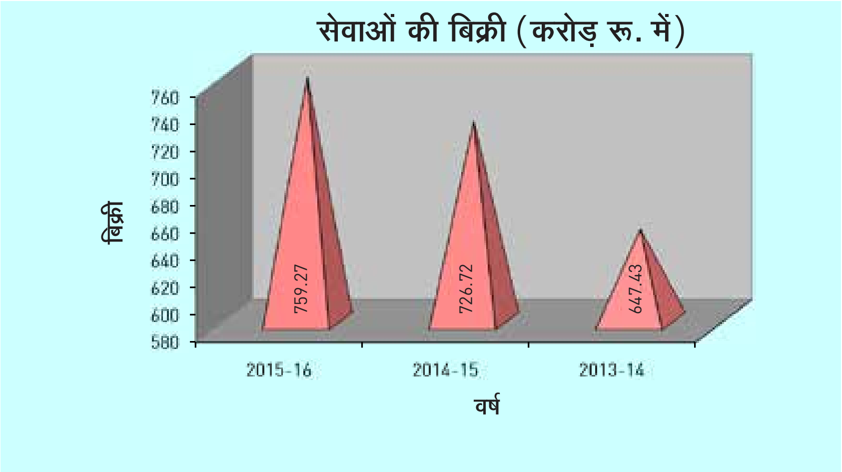
सेवाओं की बिक्री (करोड़ रू. में)
बिक्री
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
759.27
726.72
647.43
2015-16
2014-15
2013-14
वर्ष

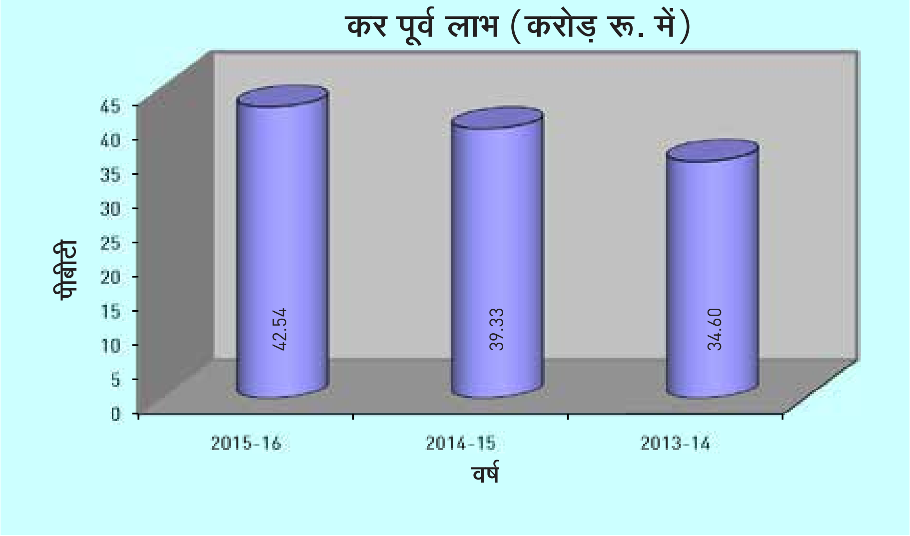
कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)
पीबीटी
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42.54
39.33
34.60
2015-16
2014-15
2013-14
वर्ष

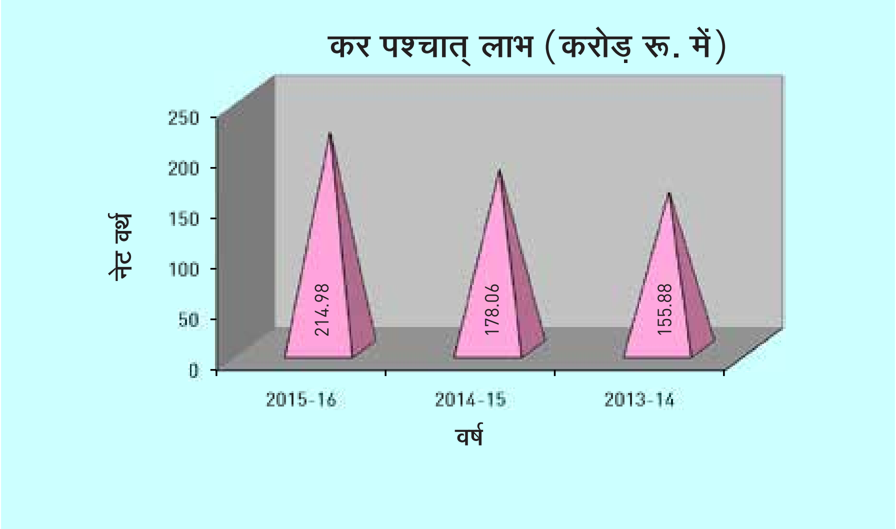
कर पश्चात् लाभ (करोड़ रू. में)
नेट वर्थ
250
200
150
100
50
0
214.98
178.06
155.88
2015-16
2014-15
2013-14
वर्ष

निदेशक–मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक,

सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 41 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन:

आपकी मिनी रत्न (कैट–।।) (कंपनी) गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी । सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे. सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल अल्यूमिनियम कं. लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि., दामोदर वैली कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, महान कोल लिमिटेड, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लि. आदि जैसे गैर सीआईएल ग्राहकों एवं कोल इंडिया, (मु) एनईसी को मुख्यतः सीएमपीडीआई, मुख्यालय के जरिए परामर्शी सेवाएँ दी जा रही है। इन परामर्शी सेवाओं के अलावे, सीएमपीडीआई कोयला मंत्रलाय द्वारा दिए गए विशेषीकृत कार्यों को भी करता है।

वर्त्तमान में स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, टाटा स्टील, उड़ीसा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईडीसीओ), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, उड़ीसा, माइनिंग कारपोरेशन, उड़ीसा, पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनीरल डेवलपमेंट कारपोरेशन आदि जैसे 16 संगठनों के 26 आउटसाइड सीआईएल कंसलटेंसी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 28 संगठनों से 39.37 करोड़ रू. की लागत वाली 33 बाहरी परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा अब तक प्राप्त किए गए सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ:

- **भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग:**

  कोल बेड मीथेन संसाधनों का जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण एवं पहचान, हाई रिजोल्यूशन शैलो सिस्मिक सर्वेक्षण, मल्टी–प्रोब जियोफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए स्व–थाने कोयले के भंडार का मूल्यांकन करने तथा जियो इंजीनियरिंग एवं विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक डाटा बनाने के आलोक में क्षेत्रीय रूप से गवेषित खनिखंडों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन:**

  भूमिगत और खुली खदान खानों, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक ईकाइयाँ

तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत अभियांत्रिकी ड्राईंग की तैयारी

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशील्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआई, अपने बल पर खनन–परिष्करण, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

  प्रयोगशाला सेवाएँ :

  सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशालाएँ, संस्तर का भौतिक–यांत्रिक बल, पेट्रोग्राफिक, कोयले की वायु, जल, धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), कोल कोर सैम्पल, खान गैसों का गुणवत्ता विश्लेषण उपलब्ध करा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, इसका कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए मॉनीटरिंग और घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, संपूर्ण कोल इंडिया के खानों के लिए लैंड यूज मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ❖ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ❖ नियंत्रित विस्फोटन
  - ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ❖ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ❖ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 25.04 करोड़ रूपए (आस्थगित कर के बाद) निबल लाभ अर्जित किया है।

(करोड रू. में)

विवरण	31.3.16 को समाप्त वर्ष (करोड रू. में)	31.3.15 को समाप्त वर्ष (करोड रू. में)
बिक्री	759.27	726.72
घटाकरः कुल निबल व्यय	721.51	687.38
पीपी समायोजन एवं कर के पहले लाभ	37.76	39.34
घटाकरः पूर्व अवधि (पीपी) समायोजन	4.78	0.01
[डेबिट (+) / क्रेडिट(–)]		
कर के पहले लाभ	42.54	39.33
आयकर के लिए प्रावधान :		
घटाकर : चालू अवधि के लिए	8.10	19.13
जोड़कर : आस्थगित कर के लिए	5.96	(–) 4.84
घटाकर : पूर्व के वर्ष के लिए	0.00	
कर के बाद निबल लाभ	**28.48**	**25.04**

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के प्रबंधन का कार्यनिष्पादन और आऊटलुक सहित महत्व के विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार–विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 सीएमपीडीआई का विजन :

अर्थ रिसोर्स सेक्टर तथा संबंधित प्रोफेशनल गतिविधि में वैश्विक बाजार का लीडर होना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का मिशन :

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)।

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधन को पर्याप्त रूप से मोबलाइज करने तथा वेस्टेज को रोकने, संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रतिपादन।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और माइन क्लोजर प्लान के फार्मूलेशन को शुरू करना।
7. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरर्णिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मानचित्रण, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में वृद्धि।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों का परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा– यह सीएमपीडीआई का कोर फंक्शन है और शुरूआत से ही है, जो खनिज डिपोजिट(खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

(ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– सीएमपीडीआई के शुरूआत से ही अन्य कोर फक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण

एवं संचालन, परिष्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का सूत्रीकरण और / अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

(ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि 2011 से प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खानों भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों तक के अंतराल पर की जाती है।

(घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँः 1997 से यह क्रिएशन, डक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएचओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यारणिक प्रबंधन प्रणाली), ओएएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकाउन्टेबिलिटि प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है।

(ङ.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इस सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

(च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ : सुदूर संवेदन, खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक आदि की मॉंप सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास :

अप्रैल 2016 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक घटती आर्थिक आउटलुक दर्शाता है, जो अत्यधिक नराकात्मक जोखिमों से घिरा हुआ, सघन एवं विस्तृतवादी ठोस नीतियों पर प्रीमियम बढ़ाने वाला, वर्तमान विकास का संरक्षक तथा संभावित आउटपुट को गति देने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार यद्धपि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है तब भी कई देशों की अपेक्षाएँ कमजोर हो चुकी है तथा डाउनसाइड जोखिम बढ़ती जा रही है। विकास प्रोस्पेक्ट्स पूरे देश में भिन्न–भिन्न है तथा कई देशों ने वर्तमान बफर्स तथा मूलभूत सुविधाओं तथा पालिसी फ्रमवर्क पर प्रदत्त आघातों के प्रति अधिक लचिलापन दिखलाया है। रिपोर्ट के अनुसार सामान्यतः वर्तमान घटती आउटलूक तथा नकारात्मक (डाउन साइड) संभावनाएँ पर तत्काल प्रत्युत्तर की आवश्यकता पड़ती है। उभरती हुई बाजारू अर्थव्यवस्थाओं को निगमित क्षेत्र की संवेदनशीलता के साथ–साथ अस्थिर पूंजी प्रवाह तथा विनिमय दर दबाव का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि देशों के विस्तार के पार तक आधारभूत निवेश की आवश्यकता है। वर्ष 2015–16 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्लोबल मैक्रोइकॉनिक लैंडस्केप वर्तमान

में दुरूह एवं अनिश्चित ढंग से चल रहा है जिसे कमजोर वर्ल्ड आउटपुट विकास कहा जा सकता है। निम्नलिखित के कारण इसका समाधान और बदतर हो गया है।(1) इनमें से कच्चे (क्रुड) तेल के मूल्य में कमी जो सबसे अधिक स्पष्ट है, के कारण कई वस्तुओं के मूल्य में कमी (2) अव्यवस्थित वित्तीय बाजार (इक्विटी मार्केट जैसा) तथा अस्थिर विनिमय दर। ये स्थितियाँ वैश्विक निवेशकों के अत्यंत जोखिम न लेने वाला (विमुखता) व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, खासकर, अत्यधिक दबाव में वस्तु निर्यात अर्थव्यवस्था में अधिक जोखिम न लेना। इन अनिश्चित परिस्थितियों में भी भारत की विकास गाथा घरेलू खपत के बल पर सकारात्मक बनी रहीं तथा देश ने 2014–15 के जैसा ही 2015–16 में भी धीमी आर्थिक विकास गति दर्ज की है। सर्वेक्षणों ने यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 2016–17 अर्थव्यवस्था 7.0 से 7.75 प्रतिशत के बीच रहेगी तथा यह बढ़कर दो वर्ष में 8 प्रतिशत भी हो सकती है। यह कहा गया था कि वर्ष 2014–15 में 7.20 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के बाद वर्ष 2015–16 में अर्थव्यवस्था में 7.6 प्रतिशत तक विस्तार हुआ, जो विश्व में सबसे तेज है। सर्वेक्षण ने घरेलू मोर्चे पर दो अनुकूल कारकों को दर्शाया जैसे वेतन पुनरीक्षण के कारण बढ़े हुए व्यय जो खपत में वृद्धि करेगा तथा सामान्य मानसून, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मची हुई खलबली ने निर्यात के आउटलुक को बदतर कर दिया तथा तेल के मूल्य में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई क्योंकि जोखिम नकारात्मक थी। वर्ष 2015–16 के दौरान निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि जोखिम नकारात्मक थी। वर्ष 2015–16 के दौरान निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद उद्योग जगत के अन्य इन क्षेत्रों यानि बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा सम्बद्ध उपयोग, खनन उत्खनन तथा निर्माण क्रिया–कलापों की वृद्धि में कमी दिखी।

भारत में खनन एक बड़ा आर्थिक कार्य है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा के क्षेत्र में देश की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियाँ कोयले का उपयोग करती है। 12 वीं योजना के लिए कोयला एवं लिग्नाइट पर कार्यकारी दल ने 2021–22 तक कोयले की माँग एवं घरेलू उपलब्धता के बीच का अंतर बढ़कर 273 एमटी होने का अनुमान लगाया था। सरकार ने आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना बनाई है। कुल मिलाकर सरकार का अन्य दबाव वाला क्षेत्र आधारभूत संरचना का सृजन करना है, जिससे सीमेंट तथा इस्पात उद्योग द्वारा माँग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार बिजली, सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्र में विकास से कोयले की माँग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद सरकार की विकास योजना के अनुरूप 2019–20 तक 908 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एक रोड मैप तैयार किया है।

वर्ष 2016–17 के लिए सीएमपीडीआई का विस्तृत ड्रिलिंग का लक्ष्य वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त 9.94 लाख मीटर से बढ़ाकर 11.0 लाख मीटर कर दिया गया है। कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति तथा वन क्लियरेंस के अभाव के कारण ड्रिलिंग में उत्पन्न होने वाली रूकावट को ध्यान में रखकर कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य थोड़ा बढ़ाकर 10 प्रतिषत कर दिया है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया द्वारा 908 मि.ट. कोयला उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कई रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

फिर भी, भविष्य में उत्पादन में वृद्धि तथा निरंतरता के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नियमित आधार पर गवेषण एवं प्लानिंग सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए भी सही है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य कोयला उत्पादक कंपनियों द्वारा सीएमपीडीआई की विशेषज्ञता की माँग रहती रही है। घरेलू आपूर्ति द्वारा कोयले की माँग पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों, मुख्यतः सीआईएल की प्रगति से सीएमपीडीआई की सेवाओं में वृद्धि होगी। सीएमपीडीआई धात्विक खनन के क्षेत्र में एमओआईएल, एचसीएल तथा हुट्टी स्वर्ण खान

को परामर्शी सेवा दे रहा है।

इसके बाद, कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), शेल गैस आदि जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आधारित कोयला के वैकल्पिक स्रोत अपनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों द्वारा किया जा रहा प्रयास सीएमपीडीआई के लिए परामर्शी कार्य का स्रोत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता हुआ क्षेत्र भी सीएमपीडीआई के लिए अतिरिक्त मौका देता है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा।

कोयला मंत्रालय द्वारा सीएमपीडीआई की परामर्शी कार्य की माँग बढ़ती रही है। सीएमपीडीआई कैप्टिव ब्लॉकों के आवंटन में कोयला मंत्रालय को सहायता दे रहा है। इसने नीलामी एवं आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा चिह्नित कोयला ब्लॉकों के लिए माइन डोजियर तैयार किया है। सीएमपीडीआई ने चिह्नित कोयला ब्लॉकों के लिए, जहाँ प्रयोग करने योग्य है, फ्लोर प्राइस, रिजर्व प्राइस, अनफ्रोन्ट पेमेंट आदि का आकलन भी किया है।

तथापि, कंपनी द्वारा कई वर्षों से किए जा रहे प्रयास इसके ऊपरी एवं निचले स्तर पर प्रतिविम्बित नहीं हुए। इसलिए सीएमपीडीआई की व्यावसायिक गति पर पुनरावलोकन करना जरूरी है। इससे बड़े कोयला क्षेत्र में भावी बाजार परिदृश्य तथा अन्य क्षेत्रों के दूसरे क्रिया–कलापों में संभावित अवसरों का पर्याप्त व्यापक अध्ययन शामिल है। कुल मिलाकर, यद्धपि देश में कोयला ईंधन की प्रमुखता बनी रहने तथा कम–से–कम आगामी 8–10 वर्षों तक स्थानीय लोगों के लिए सस्ता एवं प्रचूर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला वास्तविक विकल्प बने रहने की संभावना है, तथापि लम्बे समय–सीमा तक भारत की थर्मल कोल तथा कोयले की माँग में कमी पर शंका होने लगी है। सीआईएल तथा एसईसीएल द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि के कारण वर्ष 2015–16 में थर्मल कोल के आयात में आई गिरावट से इस विचार की पुष्टि होती है। तथापि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव डाल सकती है। वातावरण से कार्बन डाक्सायड को हटाने के लिए विद्युत उत्पादन तथा वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन सहित कार्बन सिंक मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के अलावा 2005 की तुलना में 2030 तक 33–35 प्रतिशत उत्सर्जन घनत्व कम करने के लिए भारत के 2020 के बाद ''जलवायु कार्य योजना'' में यह वादा किया गया है। वर्ष 2016–17 के बजट में स्वच्छ ऊर्जा सेस को 200 रू. प्रति टन से बढ़ाकर 400 रू. प्रति टन कर दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआई के बिजनेस डोमेन में गतिशीलता लाने के लिए उत्पादन में और वृद्धि तथा खासकर, 2 डी सिसमिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली के जरिए गवेषण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जरूरी हो वहाँ वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति उपयोग का वैज्ञानिक पुनर्गठन एवं अधिकारियों की बहाली, कोयला के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनिज, खनन तथा संबद्ध इंजीनियरिंग के सेक्टर में नए क्षेत्रों में प्रवेश, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) में मात्रात्मक वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एंड इन्वेटरी सिस्टम सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मानिटरिंग स्थापित करना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना आदि सुनिश्चित करेगा। इसके साथ–साथ कंपनी की प्राइसिंग मेकानिज्म पर कोल इंडिया से इतर की कंपनियों को सेवा देने हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के लिए पुनरावलोकन की जरूरत है, जो आईसीडब्ल्यूए की सहायता से पहले से ही किया जा रहा है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति:

सीएमपीडीआई के बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के साथ सीएमपीडीआई ने खनिज, खनन ओर संबद्ध सेक्टर में उपर्युक्त के अनुसार

अपने निगमित उद्देश्य और विजन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ और बिजनेस प्लान अपना रहा है :

1. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण ।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. बढ़ी हुई संचालन क्षमता तथा कार्य की गुणवत्ता ।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. कोयला उद्योग को सतत् प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति को बढ़ाना।
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
10. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य (शक्ति)

- सीएमपीडीआई वास्तव में अपने प्रकार का एक बहु–अनुशासनिक संगठन होने के कारण एक ही छत के नीचे खनन से पूर्व, खनन परिचालन के दौरान, और खनन परिचालन के बाद सभी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- यह नीति के तहत स्थापित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को डोर–स्टेप सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है।
- इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कोलफील्डस के अनुसार/खान के अनुसार मजबूत डाटा बेस है।
- इसके पास 1300 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- आधारभूत सुविधाओं, 70 मीटप्रव की निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 खनन गवेषण परियोजना रिपोर्ट से अधिक की प्लानिंग, 1300 से अधिक समेकित कोल गवेषण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है।
- 8 राज्यों में फैले जियोग्राफिकल स्प्रेड वाले कोयला गवेषण प्रयोगशाला सुविधाएँ, बेसलाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि के लिए व्यापक आधारभूत संरचना है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग में कुशल एवं योग्य कार्मियों की कमी।
- कंपनी छोड़ने का दर अधिक होना (नव–नियुक्त कर्मी को प्रशिक्षित होने के बाद कंपनी छोड़ना)

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ :

अवसर

- कोयले की माँग कम–से–कम 8 से 10 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई की सेवाओं की संभावना बनी रहेगी।
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित

विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- 12वीं योजना बाद क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि की अनुपस्थिति (कमी) तथा वर्तमान विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता की पुष्टि।
- बोरहाल डेनसिटि की अपेक्षित संख्या सहित वेधन परिचालन के लिए वन–स्वीकृति प्राप्त करने में अनपेक्षित विलंब।
- वन क्षेत्र में गवेषण में प्रतिबंध से एक्पैंशन प्रोग्राम में समस्या हो सकती है।
- विभिन्न राज्यों में कमजोर कानून एवं व्यवस्था से बाधा।
- कोयले क्षेत्र को और खोलने से अन्य घरेलू अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले से बाजारू प्रतियोगिता।
- कंपनी में वर्तमान में हाई एज प्रोफाइल से भविष्य में क्षति
- भविष्य में लाँगर टाइम हॉरिजन से कोयले की माँग में सस्टीनांस (पुष्टि) तथा थर्मल कोल के लिए भारत की घटती कोयले की माँग से कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती है।

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क + लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालाँकि कंपनी के टॉप तथा बॉटम लाइन तथा अन्य बिजनेस डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए मूल्य नीति की समीक्षा की जा रही है।

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा आवश्यक से, सभी संभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर परामर्शी सेवाएँ प्रदान की जाती है। हालाँकि सीएमपीडीआई महत्ता और नीति गत मूल्य पर पूरा ध्यान देते हुए कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों का कार्य शुरू करने जहाँ कहीं बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किया जा सके, के प्रति वचनबद्ध है।

1.3.11 दृष्टि एवं तैयारी :

12 वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के साथ–साथ सीएमपीडीआई की गवेषण क्रिया–कलाप 11वीं योजना अवधि के दौरान उत्साहवर्द्धक रहा है। विभागीय वेधन और आउटसोर्सिंग के जरिए 10वीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान 10 लाख मीटर कुल वेधन तथा 11वीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान लगभग 19.41 लाख मीटर वेधन की तुलना में 12वीं योजना अवधि (2012–16) के प्रथम चार वर्षों के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 30.82 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई 2007–08 से 2015–16 के दौरान वर्ष 2006–07 के दौरान 2.07 लाख मीटर की उपलब्धि से 19 प्रतिशत अधिक सीएजीआर है। विभागीय वेधन का आधुनिकीकरण, मेकेनिकल और हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलों के न्यू हाईयर केपेसिटि का इंडक्शन (शुरूआत)ए उच्चतर उत्पादकता वाला उच्च कार्यनिशपादन का प्रयोग, नवीनतम मड प्रौद्योगिकी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी पाट–पूर्जे और श्रमशक्ति का प्रभावपूर्ण व्यवस्था आदि सीएमपीडीआई की वेधन क्षमता बढ़ाने का मूल मंत्र है।

वर्ष 2016–17 के लक्ष्य में कोयला मंत्रालय द्वारा 11 लाख मीटर कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते वेधन के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला ब्लॉकों के आऊटसोर्सिंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल के लिए प्रति वर्ष 1 लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग के प्रस्ताव के लिए

6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ एक दीर्घकालीन एमओयू सीएमपीडीआई ने किया है। 2015–16 में 4.00 लाख मीटर की वार्षिक सीमा तय की गई है। वर्ष 2007–08 (2015–16 तक) 6 दौर का राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा एवं ई–टेंडरिंग का दौर किया गया तथा 24.44 लाख मीटर सहित 65 ब्लॉक के लिए कार्यादेश सोंपा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वन क्षेत्र में वेधन के लिए स्वीकृति नहीं मिलने तथा विपरीत कानून एवं व्यवस्था के कारण वेधन में अवरोध/रूकावट को सीएमपीडीआई, सीआईएल और एमओसी द्वारा एमओईएफ तथा संबंधित राज्यों के साथ मिलकर दूर किया जा रहा है।

12वीं योजना के लिए कुल 129 परियोजनाओं की पहचान की गई जिससे लगभग 495 मी. ट.प्र.व. की क्षमता में वृद्धि हुई। 103 परियोजनाओं के लिए लगभग 430 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 147 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त क्षमता की 56 परियोजना रिपोर्ट 31 मार्च, 2016 तक तैयार की जा चुकी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 96 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त क्षमता की 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

गेवरा ओसी एक्सपेंशन (70.0 मि.ट.प्र.व.), जो देश की सबसे अधिक क्षमता वाली खान है, के लिए परियोजना रिपोर्ट की प्लानिंग वर्ष के दौरान की गई और जिसे मार्च, 2016 में कोल इंडिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। फिर भी, 2019–20 तक 908 मी.ट. कोयला उत्पादन के कोल इंडिया के कार्यक्रम के संबंध में सीएमपीडीआई विभिन्न रिपोर्ट की तैयारी के लिए कार्यक्रम के अनुसार तैयार है।

सीएमपीडीआई में अधिकांश प्रयोगशालाओं की क्षमता को उन्नत किया गया है। क्षेत्रीय संस्थान–1 और क्षेत्रीय संस्थान–7 के पर्यावरण प्रयोगशालाओं का अपग्रेडेशन जारी है। लेबोरेटरी (एनएबीएल) टेस्टिंग एवं कोलिब्रेशन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 के पर्यावरण प्रयोगशाला का सर्वेलांस एसेसमेंट किया गया। क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए ओएचएसएएस 18001 प्रबंधन प्रणाली हेतु अंकेक्षण सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा किया गया तथा प्रोविजिनल सर्टिफिकेट जारी किया गया।

पर्यावरणिक सेवाओं के भावी जरूरतों और एमओईएफ से अधिक स्ट्रिजेंट स्टीपूलेशंस की संभावना पर विचार करते हुए सीएमपीडीआई द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं की जरूरत निरंतरता के आधार पर होगी। विवेच्य वर्ष के दौरान क्वालिटि काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) कंसल्टिंग आर्गेनाइजेशन के लिए सीएमपीडीआई को पुनः मान्यता मिली है।

संबंधित अभियांत्रिकी सेवाओं के साथ–साथ गवेषण, प्लानिंग और डिजाइन में श्रम–शक्ति की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है। 2015–16 के दौरान भर्ती तथा स्थानान्तरण के जरिए 48 प्रबंधन प्रशिक्षु को सीएमपीडीआई में पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार अन्य अनुषांगियों से स्थानांतरित 193 गैर–अधिकारी श्रमशक्ति को सीएमपीडीआई में लाया गया है और श्रम शक्ति में अतिरिक्त वृद्धि की प्रक्रिया जारी है।

5 मिलियन घन मीटर से अधिक उत्पादन वाली कोल इंडिया की सभी खुली खदान कोयला खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए 2008 से ही प्रत्येक वर्ष सेटेलाइट सर्वेलॉस की शुरूआत की गई। तीन वर्षों के अंतराल में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन करने वाली कोल इंडिया की खुली खदान कोयला खान की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग भी शुरू की गई। सीएमपीडीआई खान अग्नि मानचित्रण, वनाच्छादन मानचित्रण आदि जैसे अन्य सेवाएँ भी दे रहा है और जियोमेटिक्स कें क्षेत्र में अतिरिक्त सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है।

15 नई कोयला वाशरियों की स्थापना में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। टेंडरिंग प्रक्रिया की गति तेज करने के लिए ई–टेंडरिंग मोड को अपनाया गया और रिकार्ड टाइम में एल–1 बिडर की पहचान की गई। इन 15 नई वाशरियों में से 6 वाशरियों के लिए ई–टेंडर मोड पर निविदा दस्तावेज सफलतापूर्वक जारी किया गया। भविष्य में अतिरिक्त वाशरियों की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए सीएमपीडीआई द्वारा सक्रिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएमपीडीआई कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीएमपीडीआई ओएनजीसी कोल इंडिया के कंसोरटियम को आवंटित दो ब्लॉक मुख्यतः झरिया और रानीगंज नार्थ में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए कोल इंडिया की ओर से विचार किए गए क्रिया–कलापों का अनुसरण कर रहा है, तथा संविदात्मक, परिचालन आदि जैसे अन्य मामलों एवं प्रशासनिक मामलों को शुरू करने में कोल इंडिया के सहायता दे रहा है। कोल इंडिया के क्षेत्रों के भीतर कोल माइन मीथेन (सीएनएन) के व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोयला वाले क्षेत्रों जिसका कि खनन लीज अधिकार में है, के लिए नामांकन के आधार पर कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों के गवेषण एवं दोहन का अधिकार दिया है। कोल इंडिया के क्षेत्रों में सीएमएम के विकास की संभावना का विस्तार देने के लिए '' कोल इंडिया के कमांड क्षेत्र में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन'' का कार्य शुरू किया जा चुका है।

सीएमपीडीआई प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होल के जरिए '' भारतीय कोलफील्ड्स/लिग्नाइट फील्ड्स का कोल बेड मीथेन गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। एनसीईएफ के तहत शुरू किए जाने वाले तथा सीएसआईआरओ के साथ वीएएम के मिटिगेशन एवं उपयोग के लिए एक परियोजना के लिए कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है। परियोजना का कार्य सरकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर ही शुरू किया जाएगा। सीबीएम के विकास की वर्तमान नीति के आधार पर भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है। द्वितीय आईएमसी की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2016 को हुई, जिसमें पीएसयू द्वारा यूसीजी के व्यावसायिक विकास हेतु कोल एवं लिग्नाइट में संभावित खनिखंडों की पहचान की गई।

पिछले कुछ वर्षों में परिचालन में सुधार, सुरक्षित खनन परिस्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण संरक्षण के कारण इन परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाओं से महत्वपूर्ण लाभ साल भर में मिलना शुरू हो गया है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे तौर पर सुनिश्चित (ठोस) प्रभाव डालती है, कुछ परियोजनाएँ आपरेटिंग माइन एवं भावी खनन परियोजनाओं दोनों द्वारा माइन प्लानिंग, डिजाइन और तकनीकी सेवाओं पर प्रभाव डालती है। डिजाइन किए गए टूल्स को भारतीय खनन परिस्थिति के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, जो विभिन्न रॉक कंडीशन्स, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटि आदि के लिए आप्टीमम ब्लास्ट डिजाइन, सतह धँसान पूर्वानुमान, रूफ केवेबिलिटि का विश्लेषण, भूमिगत कोल पिलर डिजाइन जैसे विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 6 एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजनाएँ पूरी की गई। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई अधिक–से–अधिक अनुसंधान और शैक्षणिक संगठनों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों के सहयोग से 29 एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन है। इसके समानान्तर कोल इंडिया भी आरएंडडी क्रिया–कलाप को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दे रहा है।

सीएमपीडीआई प्रबंधन प्रणाली के सृजन तथा डोक्यूमेंटेशन में फिसिलिटेट कर प्रशिक्षण एवं

अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता, पोस्ट सर्टिफिकेशन सपोर्ट आदि प्रदान कर कोयला उद्योग के लिए प्रयोज्य सभी प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए परामर्शी सेवाएँ मुहैया कराता है। आईएसओ 9001 प्रमाणन कंपनी होने के कारण सीएमपीडीआई अपने मुख्यालय में सितम्बर, 2014 में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्ति करने में भी समर्थ हुआ। वर्ष 2015–16 के दौरान यह प्रमाणन सीएमपीडीआई के तीन क्षेत्रीय संस्थानों को भी मिला। सीएमपीडीआई विभिन्न प्रमाणनों से संबंधित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के लिए यह आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) एवं आईएसओ 50001 (ईएनएमएस)के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी कार्य शुरू किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान डाक्यूमेंटेशन और प्रारंभिक ऊर्जा संवीक्षा पूरी की गई। सीएमपीडीआई भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001 के लिए सर्वेलांस अंकेक्षण के दौरान कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को भी सहयोग कर रहा है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया से बाहर के 13 संगठनों के लिए 18 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहकों/संगठनों, जिन्हें परामर्शी कार्य दिए/पूरे किए गए वे हैं– टाटा स्टील, एमओआईएल लि., एनएमडीसी, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.। वर्तमान में 15 संगठनों के लिए 19 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है वे संगठन हैं– सेल, एमओआईएल, टाटा स्टील, आईडीसीओ, एनटीपीस, उड़ीसा कोल एंड पावर लि, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लि, एमपी पावर जेनरेटिंग कंपनी लि., यूसिल, एनएमडीसी आदि।

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 28 संगठनों से 39.37 करोड़ रू. के 33 बाह्य परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा अब तक प्राप्त किए गए सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है। इसके अलावे, सीएमपीडीआई बाह्य परामर्शी सेवाओं से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने की रणनीति बना रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ एक प्रमुख क्षेत्र जहाँ सीएमपीडीआई कोल इंडिया और इसकी अनुशंगी कंपनियों को सेवाएँ दे रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली के तहत अधिकारियों के लिए स्थानांतरण अनुरोध, मेटोर–मेंटी, के–माइनिंग तथा कर्मचारियों के सुझाव पर ऑन–लाइन मॉड्यूल का विकास किया गया। कोल इंडिया के लिए ऑनलाइन बैंक कार्ड रेट सिस्टम का भी विकास किया गया। यह ऑन लाइन सिस्टम कोल इंडिया लि. के स्क्रूटनी के लिए डिपॉजिट हेतु बैंको को उनके कोटेड इंटरेस्ट रेट को अपलोड करने में सुविधा प्रदान करता है। कोल इंडिया के लिए सतर्कता स्वीकृति/मॉनीटरिंग प्रणाली का भी विकास किया गया। लोकपाल ओर लोकायुक्त अधिनियम के तहत वार्षिक प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम को कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई और अधिक अधिकारियों को लगाकर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर यहाँ तक कि बाहरी विशेषज्ञों को लगाकर अपनी क्षमता में वृद्धि की प्लानिंग कर रहा है।

ऑफिस को पेपर–विहीन और तीव्र करने के लिए, एनआईसी द्वारा विकसित डिजीटल प्लेटफार्म 'ई–ऑफिस' के जरिए पार्दर्शिता लाने के लिए फाइल ट्रेकिंग और प्रेषण आदि कार्य 6 नवम्बर, 2015 से पायलट आधार पर सीएमपीडीआई में कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के टॉप एवं बॉटम लाइन को बढ़ाने की आवश्यकता के आलोक में मामले को पूरी तरह देखने तथा उपायों के लिए सुझाव हेतु एक कमिटि का गठन किया गया है। आईसीडब्ल्यूए बिजनेस डानेमिक्स के मामले का पता करने के लिए सीएमपीडीआई के प्राईसिंग पॉलिसी को पुनः देखने में भी लगा हुआ है।

1.3.12 सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू :

सीएमपीडीआई फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय कार्य के लिए कोल

इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू करता है। उपलब्धियाँ 1–5 के स्केल पर ग्रेडिड की जाती है। एक्सीलेंट को 1.0 से 1.5 और खराब को 4.51 से 5.0 तक ग्रेडिगं किया जाता है। 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई को एक्सीलेंट (1.002) ग्रेड दिया गया है। यह रेटिंग सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोतम तथा इसके सिंडिकेट में सर्वोत्तम दिया गया है।

1.3.13 जोखिम एवं चिन्ताएँ :

- बोरहोल की सघनता में वृद्धि के वन क्षेत्र में लिए अनुमोदन प्राप्त करने तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में 12वीं योजना के लिए विस्तृत गवेषण क्षमता की पुष्टि में बाधा प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से विस्तार कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू–प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- कंपनी में वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल भविष्य में हानिकारक हो सकता है।
- कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के सदस्य तथा इसके प्रमुख सहित जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन सीएमपीडीआई में किया गया है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार रहता है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- अनुभवी कर्मियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की–कन्ट्रेाल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, मजदूरी तथा लाभ को अपने कर्मचारियेां को देता है और यह कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार फिक्स किया जाता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलबध कराता है। इसके अतिरिक्त कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को रिपोर्ट के संबंधित भाग में शामिल किया गया है।

1.3.16 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार विमर्श :

कंपनी की कुल आय में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय, एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्राप्त कुल आय 759.27 करोड़ रूपए हुआ जो गत वर्ष की 726.72 करोड़ रू. की तुलना में 4.48 प्रतिशत अधिक है।

कुल व्यय 721.51 करोड़ रूपए है। [(–) 4.78 करोड़ रू. में अवधिपूर्व समायोजन को छोड़कर]

इसमें मुख्यतः कर्मचारी लाभ, बिजली एवं ईंधन, कल्याण खर्च, संविदात्मक व्यय, मरमम्त, वित्तीय लागत, मूल्यह्यस एवं प्रावधान आदि शामिल है।

संशोधनानुसार, आईटी अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसरण में गणना किए गए चालू कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय अथवा क्रेडिट शामिल है। आईटी एक्ट के अनुसरण में भत्ता और छूट के लिए आकलित कर देयता पर आधारित चालू कर के लिए प्रावधान को माना गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताओं को टाइमिंग डिफरेंसेस के लिए फ्यूचर टैक्स कांसीक्यूएनसेस एट्रीब्यूटेबल हेतु माना गया है। तुलन पत्र की तिथि तक टैक्स रेट और टैक्स रेगुलेशन एनेक्टेट का उपयोग कर मापा जाता है। रेट में परिवर्तन के वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय विवरण में टैक्स रेट में परिवर्तन के कारण प्रभाव को माना गया है। कैरी फोरवर्ड लॉस के संबंध में अस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्ति के विरूद्ध उपलब्ध पर्याप्त भावी कर योग्य आय की वर्चुअल सर्टेनिटि तक माना गया है।

गत वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 39.33 करोड़ रू. की तुलना में 42.54 करोड़ रू. है और 3 .21 करोड़ रू. की वृद्धि हुई है। कर पश्चात् लाभ गत वर्ष की 25.04 करोड़ रू. की तुलना में 3.44 करोड़ रू. की वृद्धि के साथ 28.48 करोड़ रू. है।

1.4.0 सीएमपीडीआई की वित्तीय पर्यवलोकन :

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी को 28.48 करोड़ रू. का निबल लाभ (आस्थगित कर के बाद) हुआ है। विगत तीन वर्षो का कार्यकारी परिणाम का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदण्ड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
		2013–14	2014–15	2015–16
1.	कर के पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)	34.60	39.33	42.54
2.	कर के बाद लाभ (करोड़ रू. में)	19.57	25.04	28.48
3.	निबल मूल्य (करोड़ रू. में)	155.88	178.06	214.98
4.	निबल मूल्य पर निबल लाभ (प्रतिशत)	12.55	14.06	13.25
5.	टर्न ओवर (करोड़ रू. में)	652.44	726.72	759.27
6.	टर्न ओवर पर कर के पूर्व लाभ (प्रतिशत में)	5.30	5.42	5.60

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

कंपनी सचिव द्वारा और सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिमार्क (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण किए गए निवेश अथवा दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी का प्रदत्त शेयर केपिटल 50 करोड़ रू. के अधिकृत पूँजी की तुलना में 19.04 करोड़ रूपये है। पूंजीगत भंडार 18.17 करोड़ रू., सामान्य भंडार में 5.77 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 172.00 करोड़ रू. तथा शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 195.94 करोड़ रू. की निधि है गैर–चालू देयता 195.92 करोड़ रूपए तथा चालू देयताएँ 550.27 करोड़ रू. है।

कंपनी की अपनी निबल अचल परिसंपत्ति 97.14 करोड, रू., आस्थगित कर परिसंपत्ति 100.47 करोड़ रू., दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम 11.02 करोड़ रू., अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति 688.33 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व एवं अन्य आय 764.35 करोड़ रू. तथा बैठक के बाद सभी व्यय एवं कर के बाद निबल लाभ 28.48 करोड़ रू. है। प्रतिशेयर (प्रतिशेयर फेस वैल्यू 1000.00) रू. 1496 है।

1.4.4 राशि यदि, कोई हो जिसे किसी भंडार में लाए जाने का उद्देश्य

किसी भी रिजर्व में लाने के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।

1.4.5 राशि, यदि हो, जिसे डिविडेंड के रूप में देने की अनुशंसा की गई हो

कंपनी के शेयर होल्डरों को डिविडेंड के रूप मे देने के लिए किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है। कंपनी का परिसंचालन तथा सेवाओं का प्रावधान लागत जोड़ सेवा शुल्क के आधार पर दिया जाता है। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू सेवा प्रदाता के रूप में दिया जाता है। नीतिगत मामलों में कोल इंडिया अर्थात् शेयर होल्डर कोई डिविडेंड की माँग नहीं कर सकता।

1.4.6 31.03.2016 के बाद मैटेरियल परिवर्त्तन

मैटेरियल में और वचनबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कुछ नहीं पता लगा है, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5.0 निगमित शासनः

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्य निष्पादन की मानिटरिंग की पद्धति की एक सेट है।

निगमित शासन का उद्देश्य सभी कंस्टीच्यूएंट के बीच ट्रस्ट और कंफीडेस का वातावरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के लोगों जैसे अन्य स्टेक होल्डरों के हित की रक्षा करना तथा शेयर होल्डरों के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना तथा बढ़ाना है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसनीयता, कंफीन्डेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन दैनंदिन कार्य व्यवहार के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक–मंडल :

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक शुल्क आदि दिए जाते हैं।

(क) निदेशक–मंडल का आकार :

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम से कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीन निदेशक या गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

(ख) निदेशक–मंडल का कोटिवार गठन (कम्पोजिशन):

31 मार्च, 2016 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में नौ (9) निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक सहित चार (4) पूर्णकालिक निर्देशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा तीन (3) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कंपनी के बोर्ड में केवल तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा शेष दो (2) स्वत्ंत्र निदेशकों अभी नियुक्त किए जाने हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2016 के अनुसार निदेशक–मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. **पूर्णकालिक निदेशक**

(क) **अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

1. श्री शेखर सरन

(ख) **कार्यकारी निदेशक**

2. श्री वी.के.सिन्हा
3. श्री बी.एन.शुक्ला
4. श्री विनय दयाल

II. **सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री नागेन्द्र कुमार
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

III. **गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री राकेश कुमार मित्तल
2. श्री राजेन्दर प्रसाद
3. डा. देबाशीष गुप्ता

(ग) निदेशक मंडल की संख्या और बैठक की तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के सम्पूर्ण कार्यों की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आठ (8) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	दिनांक	दिन	स्थान
1.	22.5.2015	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
2.	30.07.2015	वृहस्पतिवार	नई दिल्ली
3.	11.09.2015	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
4.	29.10.2015	वृहस्पतिवार	नई दिल्ली
5.	18.11.2015	बुधवार	नई दिल्ली
6.	30.12.2015	बुधवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
7.	02.02.2016	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
8.	18.03.2016	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची

(घ)(i) निदेशक–मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड मिटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
	कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री अमल कुमार देबनाथ	6	6	हाँ
2.	श्री डी.के.घोष	5	5	हाँ
3.	श्री आर.के.चोपड़ा	3	3	हाँ
4.	श्री शेखर सरन	8	6	हाँ
5.	श्री वी.के.सिन्हा	8	8	हाँ
6.	श्री बी.एन.शुक्ला	5	5	एन/ए
7.	श्री विनय दयाल	3	3	एन/ए
	अशंकालिक सरकारी निदेशक			
8.	श्री डी.एन.प्रसाद	8	4	नहीं
9.	श्री नागेन्द्र कुमार	8	6	हाँ

क्र. सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड मिटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
		अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक		
10.	श्री राकेश कुमार मित्तल	8	8	हाँ
11.	श्री राजेन्दर प्रसाद	3	3	एन/ए
12.	डा. देबाषीश गुप्ता	3	3	एन/ए

श्री डी.एन.प्रसाद, श्री राजेन्दर प्रसाद्, डा. देबाशीष गुप्ता, श्री वी.के.सिन्हा तथा श्री एन.कुमार, सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के सदस्य हैं। श्री आर.के.मित्तल सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं।

(घ)(ii) रूचि का प्रकटीकण

क्र. सं.	निदेशक	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक एवं सचिव
	कार्यकारी निदेशक		
1.	श्री शेखर सरन	–	–
2.	श्री वी.के.सिन्हा	–	–
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	निदेशक
4.	श्री विनय दयाल	–	–
	अशंकालिक सरकारी निदेशक		
6.	श्री डी.एन.प्रसाद	सिंगरैनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड	सरकारी नामित निदेशक
7.	श्री नागेन्द्र कुमार	1. कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा 2. कोल इंडिया लिमिटेड 3. बीसीसीएल 4. राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लि. (आरसीई,सीआईएल, गेल एवं एफसीआईएल का संयुक्त उद्यम)	अध्यक्ष निदेशक अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) शेयर होल्डर

(ङ) बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कम्पनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजट।
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सावधिक समीक्षा।
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक–मंडल की रिपोर्ट इत्यादि।
- अंकेक्षण समिति और सतत् विकास कमेटि की बैठक का कार्यवृत।
- बड़ी संवीदा/करार का अवार्ड।
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण।
- श्रमशक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना।

(च) निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री शेखर सरन (55): सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलासने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की। उसके बाद दिसम्बर 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस

हिन्दी यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू) से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट से सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेश्न में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजरलैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पर धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ ओर मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि कोल इंडिया में निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है। वे 01.01.2016 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक है।

श्री विनोद कुमार सिन्हा (58): निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) सीएमपीडीआई, भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (1978) में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार सम्हाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने परियोजना पदाधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेर्स्टन झरिया एरिया, महुदा के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया तथा 2008–09 से ईर्स्टन झरिया एरिया, सुदामडीह, बीसीसीएल के महाप्रबंधक के रूप में रहे। वे मुनिडीह में एमएल 4 पावर्ड सपोर्ट रिकमिसंड करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य में सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंधक (विक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण नीति के तहत कोल आफर तथा आवंटन में सुधार तथा नियमितीकरण, ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के अंतिम उपयोग में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेक होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है। अपने प्रोफेशनल कार्य से इन्होंने चीन, तुर्की और स्विटजरलैंड का भी दौरान किया है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे तथा समय पर विभिन्न करारों को निष्पादन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है।

वे 08.01.2014 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं।

श्री बी.एन. शुक्ला (55): आईआईटी, बीएचयू से 1982 में ग्रेजुएशन किए हैं तथा 1989 में भारतीय खनिविद्यापीठ, धनबाद से खुली खदान खनन में एम.टेक. की डिग्री हासिल की है। बी.टेक और एम.टेक में वे सिल्वर मेडल प्राप्त है तथा लोकप्रिय छात्र नेता रहे हैं।

उन्होंने 1982 में एसईसीएल ज्वाइन किया। वहाँ पर वे 1983 में डिपिलरिंग के लिए एसडीएल तथा चेन कनवेयर के प्रयोग में इंस्ट्रूमेंटल (सहायक) रहें। उन्होंने जमुना खुली खदान खान में कास्ट ब्लास्टिंग का प्रयोग किया तथा ओबी वेंचेज के साथ वर्टिकल फेसेज मर्ज्ड के कारण विगत छह महीने के लिए डीजीएमएस द्वारा रोके गए अमालाई खुली खदान खान में उत्पादन पुनः शुरू कराया। 1999 में उन्होंने चुर्चा ईस्ट अंडरग्राउण्ड माइन में ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने हार्ड रूफ मैनेजमेंट के लिए हाइड्रोफ्रेक्चरिंग पर प्रयोग किया तथा स्ट्राटा बंकरों का निर्माण कराया जिससे बेल्ट कन्वेयर के ब्रेकडाउन में कमी और बिजली की बचत हुई।

उन्होंने एलएचडी सहित रूपांतरित कंटीन्यूअस माइनर वाले बेहराबंध भूमिगत खान के सब–एरिया मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया और खान को उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एसईसीएल के ग्रुप 'ए' में समग्र रूप से सर्वोत्तम खान घोषित किया गया। उन्हें आरएंडआर की समस्या तथा खराब जियोमिट्री का पता लगाने के लिए बलराम ओसीपी में परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया। खान को सफलता के दो वर्ष पूरे करने के लिए समग्र वार्षिक सुरक्षा सप्ताह में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। 2007 में उन्हें महाप्रबंधक, भरतपुर क्षेत्र के रूप में पदस्थापित किया गया जहाँ उन्होंने आरएंडआर समस्या का निराकरण किया तथा पर्याप्त भूमि पोसेसन हाथ में रखकर खान को इच्छानुरूप आकार दिया। तब उन्हें एनसीएल के सबसे कठिन क्षेत्र अर्थात् हिंगुला क्षेत्र में पदस्थापित किया गया जहाँ प्रति दिन उत्पादन 21000टीपीडी था, जब उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ा तब प्रतिदिन उत्पादन 62000 टीपीडी था। उनके विजन, ज्ञान, स्ट्रेटेजी पर विचार करते हुए उन्हें एमसीएल मुख्यालय में कारपोरेट प्लानिंग और परियोजना के महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया गया, जहाँ उन्होंने पिट हेड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2X800 मेगावाट), जिसके लिए एमबीपीएल कंपनी का निर्माण किया गया में एमसीएल के कार्यों में विविध लाने में सहयोगी रहे तथा 9.04.2012 के तत्काल प्रभाव से उन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, उनमें अन्य विविधिकरण में सोलर, पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस भी रहा।

झारसुगुड़ा बारापल्ली रेल लिंग को पेपर से जमीन पर उतारने और इसे 2016 तक पूरा करने में जो एमसीएल की वृद्धि/उन्नति के लिए लाइफ लाइन है, प्रमुख भूमिका उनकी रही। 122 मी.ट. के स्तर से 322 मी.ट.(पीक) की कुल क्षमता वाली परियोजना का अनुमोदन उनके कार्यकाल में मिला। उन्होंने रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, सीएचपी, सिलो जैसे विभिन्न इंस्ट्रमेंटल क्रिया–कलापों की योजना बनाई तथा मॉनीटरिंग किया और जंगल, आरएंडआर तथा कानून एवं व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार की बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

उन्होंने चीन का दौरा किया और सेमिनारों में अनेक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए। वे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तथा आईटी बोटिंग क्लब, बीएचयू के कप्तान भी थे। उन्होंने 1981 में बीएचयू से काठमांडू, नेपाल तक साइकिल से यात्रा की ।

वे सीएमपीडीआई में 01.10.2015 से निदेशक (तकनीकी) (कोल रिसोर्स डेवलपमेंट) हैं।

श्री बिनय दयाल (54): सीएमपीडीआई के निदेशक तकनीकी (अभियांत्रिकी सेवाएँ) है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीरियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है। उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और

उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौंदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया। सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआई का प्रभार ग्रहण किया।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेशण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया तथा वे छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाइट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 01.12.2015 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी, (प्लानिंग एंड डिजाइन) हैं।

श्री नागेन्द्र कुमार (58)ः ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से में माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया। श्री नागेन्द्र कुमार ने कनीय कार्यकारी प्रशिक्षु (जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी) के रूप में वर्ष 1980 में सीसीएल में ज्वाइन किया। सीसीएल में कार्यरत रहते हुए प्रथम 20 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर तथा 7 वर्ष परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2001 में इनका स्थानांतरण इसी पद पर ईसीएल में कर दिया गया और वर्ष 2004 में महाप्रबंधक तथा 2007 में मुख्य महाप्रबंधक का पद सम्हाला। श्री कुमार ने अपने कैरियर का अधिकांश समय कठिन भूमिगत और खुली खदानों के पुनर्जीवन में बिताया और लगभग सभी प्रकार के भूमिगत और खुली खदान खान में मेकनाइजेशन के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। वे सक्रिय रूप से लांगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा म झांझरा एरिया मैरिंग वर्ल्ड स्टेंडर्ड में कंटीन्यूअस माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का शौक है। उन्होंने दिनांक 01.02.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है। और तब से वे कोल

इंडिया लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा के अध्यक्ष होने के साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड और सीएमपीडीआई में निदेशक का पद सम्हाल रहे हैं। इसके अलावा वे बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सम्हाले हुए हैं। वे 20.02.2012 से सीएमपीडीआई में सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं।

श्री डी.एन.प्रसाद (59)**:** ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास किये हुए हैं, (खनन अभियंता, स्नातक) तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32 वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड में कोयला खानों के परिचालन और प्रबंधन का 11 वर्षों का अनुभव तथा योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के ऊर्जा विभाग में एनर्जी फियूएल कोल एवं लिग्नाइट के लिए विकास नीति के आयोजन का लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके व्यापक अनुभव में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला एवं लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम आदि के लिए गवेषण कैपिटल बजटिंग, पर्यावरणिक प्रभाव, मूल्यांकन क्लाइमेंट चेंज से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए भावी योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग, कोयला गैसीकरण, यूसीजी सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला निर्गमन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है। कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों पर योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रोफेशनल कार्य से उन्होंने आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, तुर्की, स्वीटजरलैंड आदि देशों का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला सेक्टर के मुद्दों और नीति पर अनेकों पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स, मेटल एवं जियोलॉजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एनएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों के सदस्य भी है। साथ ही वे सिंगरैली कोलियरीज कंपनी लि. में डायरेक्टर भी है।

वे 27.01.2010 से सीएमपीडीआई के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।

श्री राकेश कुमार मित्तल (66) **:** श्री राकेश कुमार मित्तल का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर पुरकाजी, जिला– मुजफ्फरनगर में रक्षा बंधन के दिन अगस्त, 1949 में हुआ था। वर्ष 1970 में रूढ़की विश्वविद्यालय (वर्तमान में आईआईटी) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के पूर्व उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृह नगर तथा जिला, मुख्यालय में हुई। अंतिम परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्हें विभिन्न खेल–कूदों तथा अन्य गतिविधियों में भी रूचि थी। परिणामस्वरूप सत्र 1969–70 के दौरान सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम छात्र के लिए अनेकों अन्य पुरस्कारों के साथ–साथ इन्हें चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया।

कुछ वर्षों तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नाम करने के बाद श्री मित्तल ने 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन कर यूपी कैडर प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सेवा के लंबे कैरियर के अनेक पदों पर कार्य किया तथा सेवा के उच्च स्तर के पद तक पहुँचे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं :

जिला मजिस्ट्रेट बस्ती, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी, प्रबंध निदेशक, यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन, प्रबंधक निदेशक, यूपी, एक्सपोर्ट कारपोरेशन, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स यूपी के निदेशक, सचिव, पंचायती राज, सचिव, चिकित्सा शिक्षा, हाउसिंग कमीशनर यूपी, सचिव, हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेरिंग, प्रिसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरिएट एडमिनिस्टेशन, प्रिंन्सिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड

हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी(वन), प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिजन्स, लखनऊ डिवीजन के आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडूकेशन, सामाजिक कल्याण आयुक्त तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमीशनर। श्री मित्तल ने स्टील मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में पाँच वर्षों तक कार्य भी किया। इन सभी पदों पर श्री मित्तल ने काफी समर्पित भाव से कार्य किया तथा ईमानदारी के साथ–साथ अपनी योग्यता के लिए नाम कमाया है। श्री मित्तल 31 जुलाई, 2009 को आईएएस से सेवा–निवृत हुए।

श्री मित्तल अपने सेवा के प्रारंभिक वर्षों में आध्यात्म के जिज्ञासु रहे। यह आध्यात्म का गुण उन्हें विभिन्न प्रकार की अच्छी पुस्तकों को पढ़ने तथा व्यक्तियों एवं संगठनों के संपर्क में आने के कारण मिला। वर्ष 1991 में वे केरल के स्वामी भूमानन्दा तीर्था के सम्पर्क में आये और उनके अनुयायी बन गये। इसके परिणामस्वरूप उनमें दूरदर्शिता का व्यापक विस्तार हुआ और उनकी सोच बहुत ही स्पष्टवादी रही। यथासमय उन्होंने अपने आप को भारतीय विद्या भवन, सर्वेन्ट आफ द पिपुल सोसायटी, बह्मा कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, द आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, भारत विकास परिषद्, चिन्मय मिशन आदि जैसे बहुत सारे बेहतर संस्थानों से जोड़ा। सेक्यूलर सोच होने के कारण वे अन्य धर्मों के विभिन्न संगठनों से काफी निकट से जुड़े रहे। वे घुमक्कड़ प्रकृति के हैं तथा विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के दौरे के साथ–साथ भारत के भीतर भी व्यापक रूप से यात्राएँ की हैं। वे अगस्त, 2000 में यूएनओ द्वारा न्यूर्याक में आयोजित ''वर्ल्ड पीस समीट'' में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में भी भाग लिया।

वे संत कबीर, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से काफी प्रभावित रहे। श्री मित्तल ने अपने जैसे सोच रखने वाले दोस्तों की सहायता से वर्ष 1990 में ''कबीर पीस मिशन'' की स्थापना की। यह संस्था वर्तमान में भारत तथा विदेश में 35 से अधिक केंद्रों में 2200 से अधिक आजीवन सदस्यों सहित व्यापक रूप से फैला है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससें शांति और सदभाव कायम रहे। अपने अनुभवों को अन्य के साथ बांटने के लिए श्री मित्तल ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में लगभग 16 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ हैं– पोजिटिव थौट्स, पोजिटिव माइण्ड पावर, पाजिटिव माइंड थेरापी, 21 लॉ आफ पोजिटिव लिविंग, थिंक पोजिटिव एंड थिक्स विल गो राईट, द पावर आफ पोजिटिव मैनेजमेंट, द पावर आफ पोजिटिव वर्डस, द पावर आफ पोजिटिव एनेक्डाट्स एंड नूगेट्स आफ विजिडम। इनमें से अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी गई हैं। इनमें से कुछ पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

श्री मित्तल को द आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, भारत विकास परिषद्, भारतीय ज्योति जैसे अनेक अन्य संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यूपी के तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकांत मित्तल शास्त्री द्वारा अक्टूबर, 2002 में आल इंडिया कांफ्रेंस आफ इन्टीलेक्च्यूयल्स द्वारा ''उत्तर प्रदेश रत्न'' से नवाजा जा चुका है। आईएएस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री मित्तल बहुत सारे कल्याणकारी गतिविधियों में विशेषकर ''कबीर पीस मिशन'' के जरिए लगे हुए हैं। वे बहुत सारे शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों के बोर्ड में भी हैं। अपने व्याख्याानों, पुस्तकों और विचार–विमर्शों के द्वारा दूसरे को प्रेरित करना उनका शौक है। सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा है तथा वे उन्हें नम्रता के साथ–साथ बड़ी सादगी से स्वीकार भी करते हैं। वे अच्छे लोगों, खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने और समस्याओं का एक संजाल (नेटवर्क) बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। श्री मित्तल वर्ष 2012 तथा 2013 में लखनऊ मैनेजमेंट असोसियेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एलएमए टॉप मैनेजमेंट असोसियेशनों में से एक है, जो आल इंडिया मैनेजमेंट असोसियेशन से सम्बद्ध है।

उनकी नियुक्ति 01.11.2013 से सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के

रूप में की गई।

श्री राजेन्दर प्रसाद (66) **वर्षः** 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त, 1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एव बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्श 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हाइयर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03.3009 तक आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्हेंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी। अपनी जस्टिस, आनेस्टी और इम्पर्शियली 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में सेवा दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरियाणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। अपने सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रशंसा–पत्र मिला है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिलल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनोलॉजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। पंचकुला में दिनांक– 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश ए.के.सिवरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

डा. देबाशीष गुप्ता (63) कलकता विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्सटाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किए। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स.प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीशनर, झारखंड सरकार के पद से सेवा–निवृत हुए। सेवा–निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक अध्यक्ष झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रहे।

सीएमपीडीआईएल बोर्ड में उनकी नियुक्ति दिनांकः 17.11.2015 को गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में हुई है।

श्री पीयूष कुमार (43) ने 1993 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद से रजत पदक के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है। इन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और आईटी, बीएचयू से खान में रॉक मैकेनिक्स एवं पर्यावरण प्रबंधन में शॉट–टर्म पाठ्यक्रम भी किया है। अभी

ये आईएसएम, धनबाद में पार्ट टाइम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सीसीएल के विविध खुली खदान तथा भूमिगत कोयला खान में कार्य किया है। वे सीबीएम, सीएमएम, वीएएम तकनीक अध्ययन हेतु यूएसए के लिए सीआईएल प्रतिनिधि–मण्डल के हिस्सा थे। ये जापान में वाशरी टेक्नोलॉजी एवं लॉग–वाल माइनिंग और जेनेवा, स्वीजरलैंड में कोयला संसाधन के यूएनएफसी वर्गीकरण पर प्रशिक्षण भी लिया है। ये जापान, ईयू, रूस, बेलारूस, यूएस के साथ विविध कार्य समूह बैठकों और ऑस्ट्रेलिया में जी–20 बैठक में भारतीय दल के हिस्सा थे।

अभी ये कोयला मंत्रालय में निदेशक तकनीकी के पद पर हैं, जो कोल माइनिंग के सभी तकनीकी मामलों और संबंधित नीतियों के लिए जिम्मेवार हैं तथा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

ये 06.05.2016 में सीएमपीडीआई के बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

(छ) सेक्शन 149 की उप–धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणा पर विवरण

श्री राकेश मित्तल, श्री राजेन्दर प्रसाद तथा डा. देबाशीष गुप्ता कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। सभी स्वतंत्र निदेशक अपनी डयूटि करते हैं तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

1.5.3 (क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, संविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

(ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा संविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

(ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का

प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।

2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।

3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।

4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

    (क) कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड 2 ए (ए) की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

    (ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।

    (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टी (इन्ट्री)।

    (घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

    (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।

    (च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

    (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल हेडिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो, तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षक एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समित एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी

ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाए तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्श के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

18. डिपोजिटर्स, डिवेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।

19. पब्लिक अडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।

20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

(घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

(ङ) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगीः

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

(च) गठन :

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

1.	अध्यक्ष	श्री आर. के. मित्तल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
2	सदस्य	श्री आर. प्रसाद	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (30.12.2015 से)
3.	सदस्य	डॉ. देबाशीष गुप्ता	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (30.12.2015 से)
4.	सदस्य	श्री डी. एन. प्रसाद	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5.	सदस्य	श्री एन. कुमार	निदेशक (तकनीकी)
6.	सदस्य	श्री आर. के. चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)(30.09.2015 तक)
7.	सदस्य	श्री वी. के. सिन्हा	निदेशक (तकनीकी) (29.10.2015 से)

महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण) तथा सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

(छ) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान छह बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें क्रमशः दिनांक : 22.05.2015, 30.07.2015, 11.09.2015, 29.10. 2015, .02.02.2016 तथा 18.3.2016 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र. सं.	अंकेक्षण समिति के सदस्यगण	स्थिति	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष	6	6
2.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	6	4
3.	श्री एन.कुमार	सदस्य	6	4
4.	श्री आर. प्रसाद	सदस्य	6	2
5.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य	6	2
6.	श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	6	3
7.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य	6	2

1.5.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

(क) गठन

नोमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमिटि में निम्नलिखित सदस्य हैं तथा इसके प्रमुख गैर–सरकारी सदस्य हैं तथा इसके प्रमुख गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) होते हैं।

1.	अध्यक्ष	श्री आर. प्रसाद	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	श्री डी.एन.प्रसाद	सरकारी अंशकालिक सदस्य
3.	सदस्य	श्री एन.कुमार	सरकारी अंशकालिक सदस्य
4.	सदस्य	श्री राकेश कुमार मित्तल	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	सदस्य	डा. देबाशीष गुप्ता	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
6.	सदस्य	श्री विनय दयाल	निदेशक तकनीकी
7.	कंपनी सचिव	श्री पी. लाजर	17.02.2016 तक
8.	कंपनी सचिव	श्री अभिषेक मुँधड़ा	18.02.2016 से

श्री बिमलेन्दु कुमार, विभागाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासन) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी हैं।

(ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांकः 8.2.2016 को केवल एक बैठक आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा उपस्थिति, नामिनेशन एवं रीमूनरेशन कमिटि की बैठक में इस प्रकार रही है।

क्र. सं.	आडिट कमिटि के सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	1	–
3.	श्री एन.कुमार	सदस्य	1	1
4.	श्री राकेश कुमार मित्तल	सदस्य	1	–
5.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य	1	1
6.	श्री विनय दयाल	सदस्य	1	1

1.5.5 सीएसआर कमिटी :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों

में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, ग्राहक, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटि कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

1.	अध्यक्ष	श्री आर.के.मित्तल	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी/ईएस) (30.11.2015 तक)
3.	सदस्य	श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) (30.9.2015 तक)
4.	सदस्य	श्री बी.एन.शुक्ला	निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) (30.12.2015 से)
5.	सदस्य	श्री विनय दयाल	निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) (30.12.2015 से)

बैठक एवं उपस्थिति

वर्ष 2015–16 में दिनांक 30.07.2015 तथा 2.2.2016 को दो बैठकें आयोजित की गईं। स्टेटेनेबुल डेवलापमेंट कमिटि की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही :

क्र.सं.	सीएसआर कमिटि के सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री डी.के.घोष	सदस्य	2	1
3.	श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	2	1
4.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य	2	1
5.	श्री विनय दयाल	सदस्य	2	1

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(क) कार्यकारी निदेशक : कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

आकड़े (रूपये में)

नाम	पदनाम	छूट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्रीए.के.देबनाथ	भूतपूर्व अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक	1531103.00	341223.00	0.00	183317.00	237033.00	2292678.00	108453.00
श्री षेखर सरन	अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक (तकनीकी)	2116150.00	450785.00	0.00	253433.00	37175.00	2857543.00	147977.00

नाम	पदनाम	छूट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी)	1568243.20	268832.00	0.00	187818.00	423700.00	2448593.20	0.00
श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)	1210035.00	204750.00	0.00	144927.00	467377.00	2027089.00	77089.00
श्री वी.के.सिन्हा	निदेशक (तकनीकी)	2170858.00	395761.00	0.00	259998.00	63855.00	2890472.00	207063.00
श्री बी.एन.शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)	946277.00	199254.00	0.00	113288.00	68974.00	1327794.00	11433.00
श्री विनय दयाल	निदेशक (तकनीकी)	695165.00	136500.00	60,000.00	76059.00	78174.00	1045898	28622.00

(ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक तथा श्री एन. कुमार, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनीत निदेशक हैं एवं उनका पारिश्रमिक का भुगतान क्रमशः भारत सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड से किया जा रहा है।

(ग) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया सीटिंग फिस		कुल रूपये
		बोर्ड की बैठक (रूपये)	समिति की बैठक (रूपये)	
1.	श्री आर.के.मित्तल	120000.00	120000.00	240000.00
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	45000.00	45000.00	90000.00
3.	डा. देबाशीष गुप्ता	45000.00	45000.00	90000.00

1.5.7 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2012–13 38 वीं एजीएम	वर्ष 2013–2014 39 वीं एजीएम	वर्ष 2014–2015 40 वीं एजीएम
तिथि	22.05.2013	10.6.2014	22.6.2015
समय	10.30 पूर्वाह्न	11.00 पूर्वाह्न	11.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.7 (2) असाधारण आम बैठक :

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
तिथि		27.3.2015	
समय		11.00 पूर्वाह्न	
स्थान	शून्य	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031	शून्य
विषेश संकल्प		नहीं	

1.5.7 (3) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक के पूर्णस्ट्रेंथ के अभाव के कारण कोई बैठक आयोजित नहीं हो सकी। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आने वाले अगले साल में की जाएगी।

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) :

- **संबंधित पार्टी से लेन–देन सम्बंधी नीति**

  कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से (मेटेरियली सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

  सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

  संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधी नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच ट्रांजेक्शन में छूट है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण**

  कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच**

  यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

  व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहूँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेस पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुशंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआई द्वार भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है। दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एमओसी द्वारा किया जाना है। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया/एमओसी को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति की स्थिति से अवगत करा दिया है। उपर्युक्त के आलोक में निदेशकों से संबंधित प्रावधान निगमित शासन के दिशा–निर्देश तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार (दोनों), इसे लागू नहीं किया जा सका।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापार ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट

कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियेां के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का व्यौरा**

  बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है तथा किसी भी वैसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश**

  वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न**

  वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक रिटर्न आरओसी के पास दिनांक 17.02.2016 को भरा गया तथा वर्तमान वर्ष 2015–16 का आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। फार्म नंबर एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

1.5.9 संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका ''संपदा'' माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध कर दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.1.10 अंकेक्षण योग्यता

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दी गई है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी इसके साथ संलग्न की गई है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक मंडल

को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रेजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्वतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2011 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी अपेक्षा (रिक्वायरमेंट) प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहूँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन योजना

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में किया गया है।

सीएमपीडीआई में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए संरचना/फ्रेमवर्क निम्नलखित है :

1. जोखिम प्रबंधन कमिटि (आरएमसी)
   - क) श्री वी.के.सिन्हा, निदेशक (तकनीकी–आरडीएंडटी), अध्यक्ष, आरएमसी
   - ख) श्री डी.के.राव, महाप्रबंधक (वित्त), सदस्य
   - ग) श्री शशिकांत, महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), सदस्य
   - घ) श्री बी. भट्टाचार्जी, विभागाध्यक्ष (प्रबंधन प्रणाली), पदेन
   - ड.) श्री बी.कुमार, विभागाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासन), सदस्य और सदस्य सचिव
   - च) श्री ए. मुँधड़ा, कंपनी सचिव, सदस्य

सीएमपीडीआई के जोखिम प्रबंधन कमिटि की प्रथम बैठक दिनांक : 09.03.2016 को निदेशक (तकनीकी आरडीएंडटी), सीएमपीडीआई के ऑफिस में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री वी.के.सिन्हा, निदेशक (तकनीकी–आरडीएंडटी), चेयरमैन आरएमसी द्वारा की गई। सब कमिटि के गठन को अंतिम रूप देने के लिए बैठक में उपस्थित अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. मुख्य जोखिम अधिकारी :

श्री पराग मजुमदार, महाप्रबंधक (ईएंडएम)

2. जोखिम उप–समिति (आरएससी) अर्थात्–सीआरओ का दल :

क) श्री बी. भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष (एमएसडी)

ख) श्री आरंद जी प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (खनन/यूएमडी)

ग) श्रीमती सुचन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम)

घ) श्री यू.चटर्जी, वरीय प्रबंधक (वित्त) और

ङ) श्रीमती स्वाति, वरीय अधिकारी (कार्मिक/पीएंडए)

1.5.14 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोड :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिंग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोटिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 की–मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की–मैनेजेरियल पर्सनल हैं :

श्री शेखर सरन, सीईओ

श्री डी.के.राव, मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अभिषेक मुँधड़ा, कंपनी सचिव

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर इनिसियेटिव

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबको की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 135 तथा उसके तहत बने नियम तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए निर्मित सीएसआर नीति का कंपनी अनुसरण करती है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएमपीडीआई दैनिक कार्य व्यापार में सामाजिक तथा पर्यावरणिक चिन्ताओं को शामिल कर सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.–9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट की परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट–।।।)

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट–।)

1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य–निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा– 134 (3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 19.04 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के तीन महीने से अधिक की अवधि तक नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हलाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.0.1 सीएमपीडीआई ने वर्ष 2015–16 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कंपनियों की परियोजना आयोजन/उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में गवेषण कार्य कैप्टिव खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.1.2 सीएमपीडीआई ने XI (ग्यारहवीं) तथा XII (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबले वर्ष 2011–12 में 4.98 लाख मीटर तथा वर्ष 2012–13 में 5.63 तथा 13–14 में 6.97 लाख मीटर और 2014–15 (19 प्रतिशत वृद्धि) में लगभग 8.28 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2015–16 में (वृद्धि–20 प्रतिशत) 9.94 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया है। विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता बढ़ाने हेतु 39 नए मैकेनिकल ड्रिल तथा 12 हाई–टेक हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल को 2008–09 में प्राप्त किया जा चुका है, जिनमें से अतिरिक्त ड्रिलों के रूप में 12 ड्रिलों को लगाया गया है, 39 को रिप्लेसमेंट ड्रिलों के रूप में लगाया गया है। सीएमपीडीआई ने विगत 7 वर्षों में 57 मड पम्प तथा 74 ट्रकों तथा 17 मल्टीयूटिलिटी क्रू कैब को बदला है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 में 7 हाईटेक हाईड्रोस्टेटिक ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया, जिसे 2016–17 में प्राप्त कर लिया जाएगा।

बढ़े हुए कार्य भार को पूरा करने के लिए कैम्पस साक्षात्कार/खुली परीक्षा के माध्यम से भर्ती शुरू की जा चुकी है। वर्ष 2008–09 से आज तक ड्रिलिंग के लिए 240 भू–वैज्ञानिक, 34 भूभौतिक तथा 20 यांत्रिकी अभियंता ने सीएमपीडीआई में अपना योगदान दिया है। लगभग 1226 कर्मचारियों को भी गवेषण कार्य में लगाया गया है।

1.1.3 वर्ष 2008–09 से आउटसोर्सिंग के द्वारा अब तक टेंडरिंग के जरिए 24.44 लाख मीटर सहित 65 खनिखंडों का कार्य दिया गया है, जिसमें से 29 ब्लॉकों में ड्रिलिंग कार्य किया गया। स्थानीय (कानून एवं व्यवस्था) समस्याओं के कारण 2 ब्लॉकों में कार्य शुरू नहीं किया जा सका तथा 6 चालू ब्लॉकों में काम रोक दिया गया। वन–स्वीकृति न मिलने के कारण 11 ब्लॉकों का कार्य स्थगित है। वन–स्वीकृति की कमी तथा कानून एवं व्यवस्था के कारण वर्ष 2015–16 में विभागीय तथा आउट सोर्स ब्लॉकों में लगभग 4.85 लाख मीटर ड्रिलिंग नहीं किया जा सका है।

2015–16 में आउट सोर्सिंग के जरिए लगभग 5.857 लाख मीटर (वृद्धि– 24 प्रतिशत) वेधन किया गया, जिसमें से टेंडरिंग के जरिए 2.332 लाख मीटर, एमईसीएल के साथ एमओयू के जरिए 2.472 लाख मीटर तथा राज्य सरकार के जरिए 0.053 लाख मीटर वेधन किया गया।

1.1 वर्ष 2015–16 में ड्रिलिंग कार्य निष्पादन:

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉक का विस्तृत गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में भी अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड/गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए आठ (8) अन्य संवदित्मक एजेंसियों में अपना संसाधन लगाया। वर्ष 2015–16 में कुल 140 से 160 ड्रिल लगाए गए हैं, जिनमें से 62 विभागीय ड्रिल थे।

सीएमपीडीआई 7 ब्लाकों में कोल सेक्टर (सीआईएल एवं एससीसीएल क्षेत्र) में एमईसीएल द्वारा शुरू किए गए प्रोमोशनल गवेषण के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी रखा । इसके

अतिरिक्त जीएसआई ने 9 ब्लॉकों में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन तथा एमओसी की ओर से डीजीएम (नागालैंड) में कोल इंडिया सेक्टर–1 ब्लॉक में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन का कार्य जारी रखा। लिग्नाइट सेक्टर एमईसीएल द्वारा शुरू किए गए प्रमोशनल गवेषण का कार्य आठ (8) ब्लॉकों में तथा जीएसआई ने चार (4) ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 2015–16 में कोल (0.52 लाख मी.) एवं लिग्नाइट (0.60 लाख मी.) में कुल 1.12 लाख मी. प्रमोशनल ड्रिलिंग किया गया।

1.1.2 वर्ष 2015–16 में सीएमपीडीआई ने 6 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्रों के 113 ब्लाकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग अपने संविदात्मक एजेंसियों के साथ शुरू किया। 113 ब्लॉकों/खानों में से, 35 गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉक तथा 78 सीएआईएल ब्लॉक/माइन्स थे। ये कोयला क्षेत्र है :

रानीगंज (10 ब्लाक/खान), राजमहल (2), झरिया (2 ब्लाक), औरंगा (2), ईस्ट बोकारो (1), वेस्ट बोकारो (2), रामगढ़ (1), साउथ कर्णपुरा (2) नार्थ कर्णपुरा (5) काम्पटी (5), वर्धा वैली (6), पेंचकान्हा (2), सोहागपुर (12), मांद रायगढ़ (17), कोरबा (4), विश्रामपुर (7), सोनहाट (2), टाटापानी–रामकोला (4), सिंगरौली (6), तालचर (14), ईब वैली (5) एवं गोदाबरी घाटी (2)। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा 50 ब्लॉक/खदानों में गवेषणात्मक कार्य शुरू गया है, जिसमें से संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 63 ब्लॉकों/खानों में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 अंडर प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 6 कोयला खनिखंडों (मांद रायगढ़ 3, बंदेर–1 एवं सिंगरौली–2) में प्रमोशनल ड्रिलिंग शुरू किया है। जीएसआई ने प्रमोशनल ड्रिलिंग के लिए 19 ब्लॉकों (रानीगंज कोयला क्षेत्र–1, तालचर–1, ईब वैली–3 एवं सोहागपुर–4 में कार्य किया है। डीजीएम (नागालैंड) ने कोल सेक्टर में प्रमोशनल ड्रिलिंग के लिए एक (1) ब्लॉक में भी कार्य शुरू किया है।

वर्ष 2015–.2016 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है:

(आकड़े लाख मी. में)

एजेंसी	2015–16 का लक्ष्य	वर्ष 2015–16 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2014–15 में प्राप्त उपलब्धि	वृद्धि%
		उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/–		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा शुरू किया गया विस्तृत वेधन कार्य						
(1) विभागीय	4.00	4.08	102%	0.08	3.56	14%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.10	0.05	53%	–0.05	0.07	–23%
एमईसीएल(एमओयू)	4.00	2.47	102%	–1.53	2.20	12%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	4.30	2.21	51%	–2.09	1.59	38%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लाक)	2.61	1.13	43%	–1.48	0.85	32%
कुल आउटसोर्सिंग	11.00	5.86	53%	–5.14	4.72	24%
सकल योग (क)	15.00	9.94	66%	–5.06	8.28	20%
(ख) एमईसीएल, जीएसआई तथा डीजीएम (नागालैंड) एवं डीजीएम (असम) द्वारा किया गया प्रोमोशनल ड्रिलिंग कार्य						
1. कोयला क्षेत्र						
जीएसआई	0.190	0.161	85%	–0.029	0.189	–15%
एमईसीएल	0.755	0.352	47%	–0.403	0.503	–30%
डीजीएम, नागालैंड	0.008	0.008	94%	–0.000	0.004	76%
डीजीएम, असम	0.005	0.000	0%	0.005	0.000	0%
सीएमपीडीआई	0.030	0.000	0%	–0.030	0.011	–100%
कुल कोयला	0.988	0.521	53%	–0.467	0.707	–26%
2 लिग्नाईट क्षेत्र						
जीएसआई	0.082	0.079	97%	–0.003	0.085	–6%
एमईसीएल	0.680	0.523	77%	–0.156	0.603	–13%
कुल लिग्नाईट	0.762	0.602	79%	–0.159	0.688	–12%
सकल योग (ख)	1.750	1.123	64%	–0.626	1.395	–19%

***वर्ष 2015–16 में सीआईएल ब्लॉकों में 7.07 लाख मीटर तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 2.87 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया।**

वर्ष 2015–16 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 102 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत हासिल की है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 14 प्रतिशत बेहतर रही तथा औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता 549 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई। जंगल वाले क्षेत्रों में दोहन की अनुमति नहीं मिलने तथा स्थानीय समस्या (कानून एवं व्यवस्था) के कारण आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। एमईसीएल में जंगल क्षेत्र की समस्या तथा संसाधन का कम उपयोग के कारण कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा सीएमपीडीआई ने विस्तृत ड्रिलिंग में प्राथमिकता के कारण प्रोमोशनल ड्रिलिंग को नहीं प्राप्त कर सका।

1.1.4 गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

विभागीय संसाधन और आउटसोर्सिंग के जरिए 974.69 करोड़ रूपये की आवश्यक निधि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रीकरण के लिए ''कोयला एवं लिग्नाईट'' के वर्किंग ग्रुप द्वारा कोयला में विस्तृत वेधन के 20.13 लाख मीटर (एनईआर) की एक योजना बनाई गई है। वर्ष 2015–16 में गैर सीआईएल ब्लॉकों (विभागीय 0.65 लाख मीटर एवं आउटसोर्सिंग द्वारा 3.51 मीटर) में ड्रिलिंग का कुल 4.82 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तुलना में कुल 2.87 लाख मी. ड्रिलिंग लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिसमें से सीएमपीडीआई का विभागीय वेधन गवेषणात्मक ड्रिलिंग का 0.56 लाख मीटर किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2.31 लाख मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से वर्तमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिकी सूचना एमओसी को उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य के भुगतान पर आवंटियों को मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।

कोयला मंत्रालय द्वारा दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई ने एलोकेट्स द्वारा पेश योजना तथा खनन योजना में तैयारी में प्रयुक्त भू–वैज्ञानिक को–आर्डिनेट्स खनन योजना में शामिल वेस्टींग आर्डर एवं भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह कोई भी अन्य एडजसेट ब्लॉक को इनक्रॉच नहीं करता है।

1.2 जल भू–विज्ञान :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्यिरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन' तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं/खानों का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल तथा एमसीएल, में 29 खनन परियोजना/खानों/कलस्टर आफ माइन्स के लिए भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 सीएमपीडीआई बीसीसीएल क्षेत्र में खानों के 15 कलस्टर तथा डब्ल्यूसीएल क्षेत्र के 77 खानों (एमओईएफ द्वारा क्लीयर परियोजना) भूगर्भ जल के मॉनीटरंग का कार्य कर रहा है। ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में जल स्तर की मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।

1.2.3 विवेच्य वर्ष के दौरान 18 डब्ल्यूसीएल, 16 एसईसीएल, 6 एमसीएल, 2 ईसीएल, 3 बीसीसीएल, 5 एनसीएल तथा 4 विविध परियोजनाओं सहित जीआर/पीआर/पीजोमीटर तथा अन्य पर कुल 54 जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया जा चुका है।

1.2.4 खदानों, कॉलोनियों तथा गाँवों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल तथा एमसीएल की 10 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.5 सीजीडब्ल्यूबी और सीएमपीडीआई डाटा का उपयोग कर सीआईएल के कोयला क्षेत्र में भू–जल प्रणाली पर कोयला खनन के प्रभाव का मूल्यांकन।

1.3 भू–वैज्ञानिकी रिपोर्ट

1.3.1 वर्ष 2015–16 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 17 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अतिरिक्त 5 अंतरिम भू–वैज्ञानिक रिपोर्टें/भू–वैज्ञानिक टिप्पणी तैयार की गई। एडिशनल कोल रिर्सोस का लगभग 6.1 बिलियन टन वाला तैयार भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट को ''प्रमाणित'' क्षेणी में अपग्रेड किया गया है।

1.3.2 कोल इंडिया अफ्रिकाना एलडीए के सुपरविजन के तहत सीएमपीडीआई एवं सीआईएल द्वारा पेश लाइसेंस एरिया नम्बर 3450एल एवं 3451एल, मोएटिज कोलफील्ड, टेटे प्रोविस, मोजाम्बिक पर एक जीआर पेश किया गया।

1.1.3 प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के तहत जीएसआई और एमईसीएल ने स्पेसिफिक थिकनेस से ऊपर इन्डीकेटेड एवं इंफर्ड कैटेगरी में कोयला संसाधनों का स्थापित कुल 1.03 मिलियन टन वाले कोयला ब्लॉकों पर 3 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

1.4 भू–भौतिकी सर्वेक्षण

1.4.1 भू–भौतिकीय लागिंग

गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलों में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थाने (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लौग किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू–भौतिकी लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 175503 गहराई मीटर तक भू–भौतिक लॉगिंग की जा चुकी है। इसमें से 5 विभागीय जियोफिजिकल यूनिट के द्वारा 81035 मीटर गहराई तक लागिंग किया गया तथा संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 94468 मी. लॉगिंग किया गया।

1.4.2 भू–तल भू–भौतिकी सर्वेक्षण

सीएमपीडीआई द्वारा डाइक के डिलीनिएशन और भू–जल अन्वेशण, कोल सीमों के इन–क्रॉप डिलीनिएशन के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटि एवं मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। कुल 329 लाइन कि.मी. रेसिसटीविटि प्रोफाइलिंग, 238 वर्टिकल इलेक्ट्रीकल साउण्डिंग (वीईएस) तथा 7565 स्टेशनों का 2015–16 के दौरान मैगनेटिक सर्वेक्षण किया गया। हाई रिजॉल्यूशन शैलों सिस्मिक सर्वेक्षण का कुल 57.8 लाइन कि.मी. वन सर्वेक्षण मोहनपुर साउथ एंड उससे सटे ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र, पतरातू एबीसी ब्लॉक, साउथ कर्णपूरा कोयला क्षेत्र, चेन्दबिला ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र तथा मकरी बरका (ई) ब्लॉक सिंगरौली कोयला क्षेत्र के भाग के रूप में किया गया।

1.4.3 वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 24 भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है। इसमें से जियोफिजिकल लॉगिंग पर नौ रिपोर्ट, रेसिसटीविटि/मैग्नेटिक सर्वेक्षण पर ग्यारह तथा एचआरएसएस सर्वेक्षण पर चार रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू–प्रणाली :

वन/कानून के मुद्दों के कारण कुछ कोयला क्षेत्रों को छोड़कर, एसओआई से प्राप्त नए टोप्पोषीट पर ब्लॉक बाउण्ड्री मुद्दे को पता लगाने हेतु बड़े/प्रमुख कोयला क्षेत्र हेतु जीपीएस सर्वेक्षण/डब्ल्यूजीएस–84 पूरा कर लिया गया है। विभिन्न कोयला क्षेत्रों के डब्ल्यूजीएस कनवर्टेज ब्लॉक पर भू–वैज्ञानिक फीचर शामिल करने हेतु एक्सरसाइज शुरू कर दिया गया है। ब्लॉक बाउण्ड्री को–आर्डीनेट्स, ओवर लैपिंग इश्यू आदि जैसे मुद्दों के समाधान के क्रम में डाटा तथा मैप के विभिन्न प्रकार की जरूरतों के संदर्भ में अन्य विभागों के लिए सहायता। दिसम्बर, 2015 में आईसीआरआईएस पर क्लोजर रिपोर्ट एमओसी को सौंप दिया गया है।

जीसीवी के अनुसार क्वालिटि इश्यू के एड्रेस के लिए इन हाउस इंटरएक्टिव ग्राफिक साफ्टवेयर सीईएमपीजीईओडीओसी को मोडिफाई किया गया है। इन हाउस साफ्टवेयर सासलिंट के जरिए क्वालिटि और लिथोलॉजी के लिए

जियोफिजिकल के इंटर प्रिटेंशन तथा प्रोसेसिंग में सहायता में वृद्धि करना।

1.6 एडिशनल एमओयू पारामीटर के मुकाबले कार्य निष्पादन :

1. ड्रिल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिलों (हाइड्रोस्टेटिक एवं नई मेकेनिकल ड्रिल) का एडिशन/बदलाव। 3 ड्रिल के एमओयू लक्ष्य की तुलना में सीएमपीडीआई द्वारा 6 हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल मशीन को चालू किया गया है।

2. नेशनल प्रोडक्टीविटि काउंसिल, जैसे ख्यातिप्राप्त कुछ संस्थान द्वारा सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग उत्पादकता का बेंच मार्किंगः 1 मार्च, 2016 के एमओयू लक्ष्य की तुलना में सीएमपीडीआई के लिए ड्रिलिंग उत्पादकता के बेंच मार्किंग पर रिपोर्ट नेशनल प्रोडक्टीविटि काउंसिल के पत्रांक 5105/131, दिनांक 26.02.2016 द्वारा सौंप दिया गया है।

1.7 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/ कोल माइन मिथेन (सीएमएम)

1.7.1 कोल इण्डिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार ने सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए मनोनयन के आधार पर ओएनजीसी एवं कोल इंडिया के कंसोर्टियम को मुख्यतः झरिया कोयला क्षेत्र में झरिया सीबीएम ब्लॉक तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक को 2002 में आवंटित किया है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया की तरफ से परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ओएनजीसी दोनों सीबीएम ब्लॉकों का आपरेटर है तथा सरकार के साथ हुए संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है। दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए आपरेटर (ओएनजीसी) द्वारा सीएमपीडीआई के मिनिमम वर्क प्रोग्राम सीआईएल के पार्ट के पूरा होने पर ओएनजीसी द्वारा पायलट एप्रेजल एक्टिविटि फील्ड डेवलपमेंट एक्टिविटि फार्मूलेट की गई। जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपी को अनुमोदित किया गया। झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए जुलाई, 2015 में पेट्रोलियम माइनिंग लीज को झारखंड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। तथापि, झरिया सीबीएम ब्लॉक में फील्ड डेवलपमेंट फेज का कार्य पर्यावरणिक स्वीकृति न मिलने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक में भी पीएनएल तथा ईसी की अनुमति न मिलने के कारण फील्ड डेवलपमेंट फेज का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के एसेस्ड एरिया में कुछ कोल ब्लॉक एवं बेंगाल एयरोट्रोपीलिस प्रोजेक्ट लि. के ओवरलैप के कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे के समाधान के लिए मामले को उचित स्तर पर शुरू किया गया है।

1.7.2 12वीं योजना के दौरान उन्नयक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम तथा शेल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

1.7.2.1 सीबीएम से सम्बन्धित अध्ययन

सीएमपीडीआई और जीएसआई प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन के तहत ड्रिल किए जा रहे चयनित बोरहोल में ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों का कोलबेड मीथेन गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन संपन्न किया गया है। 12वीं योजना के दौरान सीबीएम स्पेसिफिक डाटा जेनरेशन के लिए कुल 60 बोरहोल (सीएमपीडीआई द्वारा 40 तथा जीएसआई द्वारा 20) शुरू किया जाएगा। सीएमपीडीआई द्वारा 18 बोरहोल में तथा जीएसआई द्वारा 18 बोरहोल में अध्ययन किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के दौरान जीएसआई द्वारा 7 बोरहोल तथा सीएमपीडीआई द्वारा 8 बोरहोल में अध्ययन किए जा चुके हैं। सीएमपीडीआई और जीएसआई ने कार्य की शुरूआत से अब तक 121 बोलहोल (सीएमपीडीआई द्वारा 83 और जीएसआई द्वारा 38) में विशिष्ट अध्ययन किया है।

सीएमपीडीआई द्वारा अप्रैल, 2007 से अब तक कुल 21 रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा सीबीएम से संबंधित अध्ययन

पर आधारित निम्नलिखित तीन रिपोर्ट पेश की गई है।

क) सुभद्रा वेस्ट ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र

ख) डोलेसारा ब्लॉक, मांद–रायगढ़, कोयला क्षेत्र

ग) ब्राह्मनबिल ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र

1.7.2.2 शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

कोयला मंत्रालय के पीआरई के कोष के तहत 12वीं योजना अवधि से अब तक प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन के अधीन किए जा रहे बोरहोलों की ड्रिलिंग के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के शेल गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित अध्ययन किया गया। यह अध्ययन शेल गैस की संभावना का निर्धारण करने के लिए डाटा बेस का सृजन करेगा तथा शेल गैस डेवलपमेंट हेतु अधिकाधिक ब्लॉकों के डिलिनिएशन को सुविधाजनक बनाएगा।

सीएमपीडीआई ने पीआरई फंडिंग के तहत 12वीं योजना अवधि के दौरान 25 बोरहोल में शेल गैस स्पेशिफिक डाटा जेनरेशन किया है। योजना अवधि के लिए 20 बोरहोल में सीएमपीडीआई द्वारा शेल गैस अध्ययन किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा पाँच बोरहोल में अध्ययन पूरा कर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

1.7.3 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास

सीएमएम का व्यावसायिक विकास सरकार और कोयला उद्योग स्तर दोनों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। एमओसी ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है। बीसीसीएल, झरिया कोयला क्षेत्र की मूनीडीह खान में प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ने भारतीय जियो–माइनिंग कंडीशन प्रक्रिया दक्षता को पहले ही प्रमाणित किया है तथा कोल इंडिया खनन लीज होल्ड एरिया के भीतर पाँच उचित क्षेत्र की पहचान की गई है। कोल इंडिया वाले क्षेत्रों में सीबीएम के विकास की संभावना को विस्तार देने के लिए ''कोल इंडिया कमांड क्षेत्र में सीएमएम संभावना का निर्धारण'' के लिए अध्ययन शुरू किया जा चुका है। ईसीएल में सीएमएम की रिकवरी, जिसके लिए 57 वर्ग कि.मी. के एरिया को डिलिनिएट किया जा चुका है, के लिए वर्तमान में विस्तृत एक्सरसाइज की शुरूआत की जा चुकी है।

कोयला मंत्रालय ने अपने कोल माइनिंग लीज होल्ड एरिया से सीबीएम के गवेषण एवं दोहन के लिए ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा कोल इंडिया को स्वीकृति दे दी है। एमओपी एवं एनजी ने अपने दिनांक 3 नवम्बर, 2015 को जारी नोटिफिकेशन के द्वारा कोल इंडिया के कोल माइनिंग लीज होल्ड क्षेत्र में पीएमएल के आपरेशनलाइजेन/ग्रांट के मेकेनिज्म को जारी किया है। तथापि, लीज की अनुमति से संबंधित कुछ मामलों पर अभी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जिसे समुचित स्तर पर कोल इंडिया द्वारा मामले को उठाया जाए।

1.7.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस

कोयला मंत्रालय और यूसेपा के तत्वाधान में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना राँची में दिनांक–17 नवम्बर, 2008 को हुई। क्लियरिंग हाउस पब्लिक/प्राइवेट सहभागिता, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा वित्तीय निवेश अवसर लाकर भारत में सीएमएम परियोजनाओं के व्यावसायिक विकास में सहायता एवं देश के सीएमएम/सीबीएम संबंधित डाटा पर सूचना का आदान–प्रदान तथा एकत्रीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

क्लियरिंग हाउस की स्थापना कोयला मंत्रालय तथा यूएस ईपीए की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड से वित्तीय सपोर्ट के साथ की गई है। इंडिया क्लियरिंग हाउस का वेबसाइट http.\\ www.cmm clearinghouse cmpdi.co.in में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ अर्थात् ईओआई नोटिफिकेशन, सीएमएम, वीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसरों से संबंधित सूचना के अलावे न्यूज लेटर, आदि शामिल है। आरंभिक तीन वर्षों

की समापन के बाद इसे और तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। यूसेपा ने अतिरिक्त अवधि अर्थात् तीन वर्षों (2015–17) के विस्तार की अनुमति दे दी है।

जीएमआई की पहल के तहत (ए) स्वांग भू.ग. खान, 2014 में ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र (बी) तथा चिनाकुरी भू.ग. खान, रानीगंज के लिए प्री–माइन मीथेन ड्रेनेज फिजिबिलिटि पर पूर्व संभाव्यता अध्ययन की शुरूआत की गई है। 2016 में रानीगंज कोयला क्षेत्र को कोल बेड मीथेन आउट बीच प्रोग्राम (सीएमओपी) के तहत यूसेवा कंसलटेंट द्वारा शुरू किया गया है तथा 9 फरवरी, 2016 को यूसेपा अधिकारियों के दौरे के दौरान खान अधिकरियों के साथ चिनाकुरी खान (ईसीएल) में सीएमएम ड्रेनेज पर प्री संभाव्यता अध्ययन किया गया। श्री क्रेग एल हॉल, कांसुल जेनरल, यूएस कांसुलेट, कोलकाता ने दिनांक–26 फरवरी, 2016 को इंडिया सीएमएम/सीबीएम का भी दौरा किया तथा इसकी प्रषंसा की।

1.7.5 ''सीबीएम, यूसीजी एंड कोल एक्सट्रेंक्षन मेथेडालॉजी पर एक्सपेरिएन्स शेयरिंग सार्क वर्कषॉप प्रोग्राम

कोयला मंत्रालय के एफएन 34011/1/2015 सीआरसी–II दिनांक 26 मई, 2015 के आलोक में ''एक्सपेरिएंश शेयरिंग ऑन सीबीएम, यूसीजी तथा कोल एक्सट्रेक्शन मेथेडालॉजी'' पर सार्क ट्रेनिंग वर्कशॉप दिल्ली में दिनांक 26 से 27 नवम्बर, 2015 को आयोजित की गई। यह सार्क एनर्जी सेंटर, इस्लामाबाद और सीएमपीडीआई के सहयोग से आयोजित किया गया था, जहाँ प्रोग्राम में सार्क सदस्यों देशों के छह प्रतिनिधि उपस्थित थे। सहभागी देशों द्वारा इसकी खूब प्रशंसा की गई ।

1.1.6 सीआईएल कमांड एरिया के भीतर भूमिगत कोल गैसीकरण का व्यावसायिक विकास

सीबीएम विकास की वर्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु कोयला मंत्रालय ने अंतर मिनिस्ट्रीयल कमिटि का गठन किया है। स्पेशल सेक्रेटरी (कोल) की अध्यक्षता में आईएमसी की दो बैठक हुई। द्वितीय आईएमसी की बैठक में यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए कोयला और लिग्नाइट के संभावित ब्लॉकों की पहचान की गई।

1.7.7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा परियोजनाएँ

कोल बेड मिथेन पर परियोजनाएँ

1.7.7.1 ''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार का आकलन'' पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार के आकलन'' से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को कोयला मंत्रालय के पत्रांक 34012/1/2014–सीआरसी–I] दिनांक 25 फरवरी, 2014 के द्वारा कोयला एसएंडटी परियोजना को ईओआई के तहत अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना 24 मार्च, 2014 के प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि के लिए है। आईआई ईएसटी (बेसु), शिबपुर मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है और एनजीआरआई, हैदराबाद, टीसीई, कोलकाता तथा सीएमपीडीआई सह–कार्यान्वयन एजेंसी है। 2 डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण करने के लिए एनजीआरआई द्वारा साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के एरिया को फाइनलाइज किया गया है।

1.7.7.2 ''सीआईएल कमांड क्षेत्र में सीएमएम के कर्षण के लिए क्षमता निर्माण'' पर एसएंडटी परियोजना

''सीएमपीडीआई और सीएसआईआरओ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित'' कोल इंडिया के कमांड क्षेत्र के भीतर सीएमएम संसाधन के कर्षण के लिए क्षमता निर्माण'' से संबंधित एक एसएंडटी परियोजना को कोल एसएंडटी प्रोजेक्ट के तहत कोयला मंत्रालय के पत्रांक 34012/2016 सीआरसी–1 दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना 23 मार्च, 2016 के तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि तक की है।

1.7.7.3 शेल गैस पर परियोजना

''भारत के दामोदर घाटी बेसिन के शेल गैस की संभावना'' शीर्षक वाली एसएंडटी परियोजना

''भारत के दामोदर बेसिन का शेल गैस की संभाव्यता'' से संबंधित एक एसएंडटी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनजीआरआई, हैदराबाद परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है तथा सीएमपीडीआई, राँची एवं सीआईएमएफआर, धनबाद इसका सब–इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। परियोजना के समापन का कार्यक्रम 2038.09 लाख रू की कुल परियोजना लागत के साथ मई, 2017 तक संशोधित किया गया। इंटीग्रेटेड जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल तथा पेट्रो–फिजिकल इन्वेस्टीगेशन के जरिए दामोदर बेसिन में शेल गेस की संभावना का मूल्यांकन करना परियोजना का उद्देश्य है। आरंभिक अध्ययन रानीगंज कोयला क्षेत्र का रंगामाटी बी ब्लॉक (टुमनी एवं कंचनपुर सेक्टर) में किया जा रहा है, जहाँ एनजीआरआई 3डी सिस्मिक सर्वे तथा 2डी सिस्मिक सर्वे करेगा, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट आथरिटि ने एनजीआरआई को सहायता में वृद्धि के लिए बीडीओ को सलाह दी है। एनजीआरआई टीम ने अध्ययन शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि शुरू कर दी है क्योंकि सीएमईआरआई, दुर्गापुर में उपकरण भी है। सिस्मिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सीएमपीडीआई कमिटेड एक्टिविटि जैसे आँकड़ा के सृजन के लिए बोरहोल का वेधन का कार्य शुरू करेगा।

1.7.7.4 वीएएम पर परियोजना

सीआएल (आर एण्ड डी) तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एन सी ई एफ) के तहत सी एस आई आर ओ, अस्ट्रेलिया तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में सीएमपीडीआई तथा उप कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में बीसीसीएल के साथ मुनिडीह (झरिया कोयला फील्ड) में वेन्टीलेशन एयर मिथेन (वीएएम) की प्रशमन/उपयोग का एक परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना कोल इंडिया (आरएंडडी) बोर्ड द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित की जा चुकी है तथा सरकार से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पन:

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार न्यू/एक्सेंपशन/री–आग्रेनाइजेशन खान के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी 96 मी.ट.प्र. के अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के लिए वर्ष 2015–16 के लिए किया गया। नई परियोजना रिपोर्ट सहित परियोजनाओं के लिए परियाजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का पुनरीक्षण भी किया गया। 12वीं योजना परियोजना रिपोर्टों के चिन्हित् परियोजनाओं के रिपोर्टों की तैयारी पर प्रमुख जोर दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए :

- कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान
- कोयला वाशरियों के लिए डाक बोली दस्तावेज का कस्टमाइजेशन तथा आरएफपी दस्तावेज एवं आरएफक्यू का मूल्यांकन एवं तैयारी तथा संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी
- खुली खदान खानों के लिए परिचालन योजनाएं
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली खदान तथा भूमिगत खदानों की खनन योजनाएं एवं माइन क्लोजर प्लान
- कोल इण्डिया की भूमिगत एवं खुली खदान खानों का खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली खदान एवं भूमिगत खदानों के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इण्डिया की खुली खदान खानों में एचईएमएम संचालन का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- कोल इण्डिया की भूमिगत खानों के लिए वैश्विक डाक बोली दस्तावेजों की तैयारी

- एफबीसी पर आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा जॉच आदि

वर्ष 2015–16 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं इलेक्ट्रिकल), डीजल एवं इलेक्ट्रिकल खपत की बेंच मार्किंग डीजल तथा इलेक्ट्रिकल खपत का निर्धारण, खुली खदान और भूमिगत खानों का मापदंड, रॉक और कोल नमूनों पर फिजिको मेकेनिकल परीक्षण, धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन तथा एक्सप्लोसिव यूटिलाइजेशन, भूमिगत खान का संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोग्राफी तथा कोयले के नमूनों पर क्लीट अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, मिट्टी क्षरण अध्ययन, स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी मुहैया कराई गई।

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए कुल 260 रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं।

तैयार रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	17
परियोजना रिपोर्ट	26
अन्य अध्ययन	167´
ड्राफ्ट ईएमपी (16 फॉर्म– I सहित)	50
कुल	260

इसमे एनसीएल के साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र एवं बीजी एरिया के लिए मास्टर प्लान की तैयारी तथा खुली खदान के 3 परिचालानात्मक योजनाओं की तैयारी भी शामिल है।

2015–16 के दौरान तौयार रिपोर्टों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है : पूरी की गई रिपोर्टों की सूची (2015–16)

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
भू–वैज्ञानिक रिपोर्टें		
क्षे.सं.–I	1	नारायणकुरी
	2	झांझरा (संशोधित जीआर)
क्षे.सं.–III	1	हिन्देगीर
क्षे.सं.–IV	1	साओनेर प एवं पप
क्षे.सं.–V	1	स्यांग, स्यांग एन डब्ल्यू, स्यांग सेन्ट्रल–ए, स्यांग ईस्ट–ए, स्यांग ईस्ट–बी (संयुक्त) हेतु संशोधित जीआर
	2	रेन्की
	3	चिरा नॉर्थ, चिरा एनई–ए एवं चिरा एन ई–बी (संयुक्त) हेतु संशोधित जीआर
क्षे.सं.–VI	1	गन्दबहेरा उझेनी
	2	ब्लॉक बी वि.– फेज–2
क्षे.सं.–VII	1	फलझरी ईस्ट एवं वेस्ट
	2	छेन्दीपाड़ा ओसीपी वि. (बैतरनी ईस्ट)
मुख्या0 (कन्ट्रैक्चुएल)	1	राहम
	2	बनाइ (गैर–सीआईएल)
	3	सिलेवारा डिप
	4	तेतरवारा
	5	तेंतुलोई
	6	घुघरा (वेस्ट)
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे.सं.–I	1	नकराकोन्डा कुमारडीह बी ओसी
	2	झांझरा भू.ग. हेतु संयुक्त पीआर
	3	तिलाबोनी भू.ग. (रिकास्ट पीआर)
	4	सिद्ली भू.ग./ओसी (रिकास्ट पीआर)
	5	बेलबैद परसिया भू.ग.
	6	मोहनपुर ओसीपी
क्षे.सं.–III	1	कोनार वि. ओसी
	2	आम्रपाली वि. ओसी
	3	रेलिगरा ओसीपी
	4	जरिडिह ओसीपी
	5	भुरकुण्डा ओसीपी
क्षे.सं.–IV	1	पउनी II – III अमलगमेटेड ओसी हेतु पीआर
	2	शारदा भू.ग. का रिकास्ट पीआर
	3	गांधीग्राम भू.ग.का रिकास्ट पीआर
	4	कुम्भरखानी ओसी
	5	सओनेर–1 भू.ग. से ओसी
	6	सओनेर–2 से 3 भू.ग. से ओसी
क्षे.सं.–V	1	गेवरा वि. ओसी (35 से 70 मि.ट.प.व.)
	2	चिड़िमिरी ओसी आरपीआर
	3	वेस्ट झरिया ओसी
क्षे.सं.–VI	1	निगाही ओसीपी हेतु आरसीई
	2	ब्लॉक बी ओसीपी का ईपीआर
क्षे.सं.–VII	1	भरतपुर ओसीपी का विस्तार
मुख्यालय	1	समलेश्वरी ओसीपी वि. (रिकास्ट पीआर)
	2	असनापानी ईस्ट साइड भू.ग. खदान सीसीएल
	3	क्यादा–चौधर–गरियापानी, ईसीएल

संचालन योजना		
क्षे.सं.–II	1	ओबी डॅम्प आप्टीमाइजेशन सहित अमलगमेटेड केशलपुर वेस्ट मूदीडीह ओपेनकास्ट ।
क्षे.सं.–III	1	राजहारा ओसीपी
क्षे.सं.–V	1	गरे पेलमा IV/I
अन्य रिपोर्टें		
क्षे.सं.–I	1	दामोदर में रिभरबेड बालू खनन हेतु खनन योजना
	2	अजोय रिभरबेड में बालू खनन हेतु खनन योजना
	3	भनोरा वेस्ट ओसी हेतु योजना
	4	नॉर्थ सियरसोल ओसी में विस्फोटन इनडयूस्ड प्रकम्पन अध्ययन।
	5	बंसरा ओसी में विस्फोटन इनड्यूस्ड प्रकम्पन अध्ययन
	6	चुपरभिता ओसी का यूसीई
	7	निमचा कोलियरी के अमृतनगर कोलियरी और अमकोला यूनिट में बेकफिलींग तकनीक सहित पीएसएलडब्ल्यू को लागू करने की योजना।
	8	मधेपुर ओसी पैच हेतु आरसीई
	9	निमचा कोलियरी के अमृतनगर कोलियरी और अमकोला यूनिट में बेकफिलींग तकनीक सहित पीएसएलडब्ल्यू को लागू करने की योजना।
	10	कलस्टर सं. 11 के लिए खनन योजना
	11	कोटाडीह ओसीपी में कम्पन अध्ययन
	12	डाबोर ओसीपी में ब्लास्ट इंडयूस्ट कंपन अध्ययन
	13	नारायणकुरी ओसीपी में कम्पन अध्ययन।
क्षे.सं.–II	1	दबोरी ओसीपी में खनन योजना प्रस्तावित।
	2	कतरास चोइटिडिह कोलियरी, सलानपुर कोलियरी एवं एएआर कोलियरी में खनन योजना
	3	गैसटलिटांड़ कोलियरी मे खनन योजना
	4	डबोरी ओसीपी में माइन क्लोजर प्लान
	5	एकेडब्ल्यूएम कोलियरी मे खनन योजना की तैयारी
	6	ब्लॉक–2 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	7	ब्लॉक–2 ओसीपी का उर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	8	चन्द्रपुरा ओसीपी के लिए पीआर हेतु जीआर
क्षे.सं.–III	1	जीवनधारा ओसीपी में यूसीई
	2	एसकेसीएफ में मास्टर प्लानिंग
	3	के डी हेसालांग ओसीपी में यूसीई
	4	नार्थ उरीमारी ओसीपी में यूसीई
	5	स्वांग पीपराडीह में यूसीई
	6	कारो ईपीआर ओसी के लिए यूसीई
	7	अशोका ओसीपी के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	8	गोविंदपुर चरण –2 ओसीपी का यूसीई
	9	गिद्दी–ए ओसीपी में कार्य हेतु योजना
	10	करगली ओसीपी के लिए योजना
क्षे.सं.–IV	1	सिंघोरी ओसी में यूसीई
	2	यकोना संयुक्त में यूसीई
	3	पिट पैच में ड्रैगलाइन के डिप्लोयमेन्ट के लए घुघुस ओसी हेतु योजना ।
	4	भाकरा और हराडोल यू.जी में यूसीई
	5	घोंसा आरपीआर में यूसीई
	6	तावा–2 भू.ग. में कन्टीन्यूअस कटिंग तकनीक का डिप्लाएमेन्ट हेतु स्कीम।
	7	गोन्दगांव गतरोहना ओसी में यूसीई
	8	पीआर लिमिट पार जूना–कूनादा ओसी माइन में योजना।
	9	भाटडीह वि. ओसी में यूसीई
	10	कम्पटी डीप ओसी एवं मंगोली नीरगुड़ा वि. ओसी में यूसीई
	11	शिवानी ओसी और जमुनिया भू.ग. में यूसीई
	12	छतरपुर भू.ग. खान सं.–2, पाथरखेरा क्षेत्र मे मेनुएल लोडिंग हटाने हेतु 3 नं. कम उंचाई वाला एसडीएल लगाने की योजना ।
	13	उरधान ओसी पेंच क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में एसिडिक माइन डिस्चार्ज का रेमिडियल मेजर पर योजना।
	14	मुंगोली ओसी के लिए बेंच मार्किंग सहित डीजल उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट।
	15	निलजई ओसी के लिए बेंच मार्किंग सहित डीजल उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	16	कोंडा हरडोल के लिए अंतरिम जीआर
	17	डब्ल्यूसीएल के लिए पेंच कन्हां कोयला क्षेत्र/कोल इवाक्यूएशन योजना हेतु मास्टर योजना
	18	नहेरिया भू.ग. के लिए बेंचमार्किंग सहित इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट
	19	दुर्गापुर ओसी के लिए बेंचमार्किंग सहित इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट
	20	राजुर माणिकगढ़ के लिए अंतरिम जीआर
	21	भामनी पालसागांव के लिए अंतरिम जीआर
क्षे.सं.–V	1	मलाचुआ ओसी का यूसीई
	2	बतुरा वेस्ट ओसी का यूसीई
	3	गायत्री भू.ग. का योजना।
	4	आमगांव ओसी का आरसीई
	5	आमगांव ओसीएम में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	6	मीरा इन्क्लाइन भू.ग. हेतु धंसान पुर्वानुमान अध्ययन
	7	अम्बिका ओसी का आरसीई
	8	विजय वेस्ट ओसी का यूसीई
	9	बरौद ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	10	खैराहा भू.ग. के लिए मैन राइडिंग स्कीम
	11	गेवरा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	12	वेस्ट चिरिमीरी ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	13	मीरा भू.ग. खान के सतह का कम्पन अध्ययन
	14	पांडवपुरा भू.ग. का संवातन अध्ययन
	15	जगन्नाथपुर आरसीई
	16	रेहार परियोजना का संशोधित परियोजना रिपोर्ट अध्ययन हेतु योजना
	17	बिरसिंगपुर भू.ग. का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट
	18	अमलाई ओसी में कम्पन अध्ययन
क्षे.सं.–VI	1	अमलोहरी ओसीपी एवं खादिया ओसीपी में खनन योजना
	2	एनसीएल में एग्जिस्टिंग सीएचपी हेतु 100 एमएम कोल के लिए योजना।
	3	जयंत ओसीपी का यूसीई
	4	जयंत ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
क्षे.सं.–VII	1	कुल्दा ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	2	लिंगराज ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	3	गोपालजी कनिहा वि. ओसीपी में यूसीई
	4	बी जी एरिया एमसीएल में सरफेस मास्टर प्लान
	5	लिंगराज ओसीपी में टॉप स्वाएल प्रबंधन योजना
	6	एकीकृत लखनपुर – बेलपहाड़–लिलारी ओसीपी का यूसीई
	7	कनिहा ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	8	बलराम ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	9	बेलपहार ओसीपी का खनन योजना
	10	पतले सीम में कंटीन्यूअस माइनर के नियोजन पर अध्ययन रिपोर्ट

	11	लिलारी ओसीपी का संयुक्त खनन योजना/माइन क्लोजर प्लान
	12	बेलपहार ओसीपी का संयुक्त खनन योजना/ माइन क्लोजर प्लान
मुख्यालय	1	ईसीएल के श्यामपुर 'बी' कोलियरी (गोपिनाथपुर सीम), गौरांगडीह बेगुनिया कोलियरी (बी–प्ट सीम) और बारमोंदिया (ए) कोलियरी (लोअर धदका आर–टप्) सीम का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	2	गेवरा ओसीपी, एसईसीएल का स्लोप स्टेबीलीटी अध्ययन
	3	अमलो ओसीपी, सीसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	4	उमरेर ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	5	अशोका ओसीपी, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल उर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
	6	केएचडी ओसीपी, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल उर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
	7	बिरसा ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन।
	8	गरजानबहल ओसीपी, एमसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/ भू–आच्छादन मानचित्रण।
	9	एमसीएल के अनंता ओसीपी, का स्लोप स्टेबीलिटी अध्ययन
	10	पिपरवार और मंगरदाहा भू.ग. योजना का यूसीई ।
	11	मगध ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन
	12	ढ़ोरी ओसीपी, सीसीएल में ईडी का प्रयोग कर नियंत्रित विस्फोटन
	13	ईसीएल के पीट नं. 8, बंकोला कोलियरी (बोनबहल सीम), नं. 2 इन्कलाइन, बंकोला कोलियरी (बंकोला सीम) एवं संकल्प खानी, बंकोला कोलियरी (आर–7 सीम) के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	14	एमसीएल के धानपुरी ओसीपी एवं बसुन्धरा ओसीपी के बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	15	सीसीएल के चयनित ढ़ोरी ओसीपी एवं अशोका वि. ओसीपी के बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	16	दमगोरिया ओसीपी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन
	17	सीसीएल के राजहरा ओसीपी एवं तोपा ओसीपी के बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	18	एसईसीएल के गोविन्दा भू.ग. के बफर जोन का भू–उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण
	19	एमसीएल के ककुदी सेन्ड माइन के बफर जोन का भू–उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण
	20	लेखापानी ओसीपी एनईसीएल में यूसीई
	21	लिलारी ओसीपी, एमसीएल में स्लोप स्टेबीलिटी अध्ययन
	22	कथारा ओसीपी, सीसीएल में स्लोप स्टेबीलिटी अध्ययन
	23	झीलीमीली खान, एसईसीएल हेतु सीम–5 का क्षमता आकलन रिपोर्ट एवं 4.8 मि. चोड़ी सीम को सही विधी से पुरी तरह निकालना।
	24	एमडीओ/पीपीपी आधार पर सीआईएल के खुली खदान/भूमीगत खदान हेतु आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेजों की तैयारी के लिए माइन ऑपरेटर का चयन।
	25	विकास एवं भू.ग. खानों के परियोजना हेतु मॉडल दस्तावेज
	26	कुसमुण्डा वाशरी एसईसीएल हेतु पूर्वसंभाव्यता रिपोर्ट
	27	भू.ग.खानों का माइन क्षमता आकलन
	28	खनन उपकरण हेतु मानक मूल्य सूची
	29	खैराहा कोलियरी, एसईसीएल के सीम –6 बी का गैस सर्वे ।
	30	सयाल ओसीपी, सीसीएल में भूमि क्षरण अध्ययन।
	31	कारो ओसीपी और कोनार ओसीपी, सीसीएल में भू–उपयोग/आच्छादन मानिचित्रण
	32	2015–16 के दौरान खान क्षमता आकलन एवं क्षमता का उपयोग
	33	सीआईएल के एचईएमएम का कार्य निष्पादन विष्लेषण (सहायक कम्पनी वाइज)
	34	कारो वाशरी का वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
	35	लखनपुर वाशरी, एमसीएल हेतु टीईएफआर की तैयारी।
	36	एक्सकेवेटर, डम्पर एवं समरी ऑफ सीआईएल का कार्य निष्पादन विश्लेषण
	37	ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र का वनस्पति आच्छादन मानचित्रण
	38	सिंगरौली कोयला क्षेत्र के एक्पेंसन परियोजना के लीज वाले क्षेत्र में अनअधिकृत निर्माण के पहचान पर रिपोर्ट
	39	सीम–1 इन्क्लाइन, आकास किनारी कोलियरी, बीसीसीएल में मैन–राइडिंग सिस्टम की स्थापना की योजना की तैयारी
	40	भनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियरी (आर–5 तथा आर–6 सीम) श्रीपुर सीम इन्क्लाइन कोलियरी (आर–6सीम) तथा नरसामुण्डा कोलियरी (आर–10 सीम), ईसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	41	कुसमुण्डा वाशरी के लिए एफआर की तैयारी
	42	सिरका ओसीपी, सीसीएल का मिट्टी क्षारण अध्ययन
	43	चिरीमिरी ओसपी, एसईसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	44	बरौद वाशरी के लिए संशोधित वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
	45	सोनेपुर–बाजारी ओसीपी, ईसीएल के लिए एसटीपी की योजना
	46	कोल इंडिया के सभी खुली खदान खानों में विस्फोटकों, डीजल एवं इलेक्ट्रिक पावर की विशिष्ट खपत
	47	बल्लारपुर पिट सं. 3 एवं 4, बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का संवातन अध्ययन।
	48	मनिकपुर ओसी, डब्ल्यूसीएल में वेस्टर्न क्वारी में सुरक्षा पहलु का पता लगाने के लिए न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वैज्ञानिक अध्ययन।
	49	अमृतनगर कोलियरी, बंसरा कोलियरी तथा जामबाद कोलियरी, ईसीएल में मैन राइडिंग सिस्टम की स्थापना के लिए विस्तृत तकनीक विनिर्देशन एवं योजना की तैयारी
	50	सरपी परियोजना, श्यामसुन्दर कोलियरी, ईसीएल में चाप सर्वेक्षण
	51	कनिहा ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्टेविलिटि अध्ययन
	52	कनिहा ओसीपी, एमसीएल का मिट्टी क्षरण अध्ययन
	53	दामागोरिया ओसीपी, बीसीसीएल में कोयला के लिए नियंत्रित विस्फोटन
	54	कनिहा ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन
	55	मूनीडीह परियोजना, बीसीसीएल में लोकोमोटिव मैन राइडिंग प्रणाली के सप्लाई, संस्थापन एवं संचालन के लिए ग्लोबल बिड डाक्यूमेन्ट।
	56	सारूबेरा ईस्ट कोलियरी (सीम–1), सीसीएल का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	57	सीसीएल द्वारा चिन्हित 11 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग ।
	58	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग
	59	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 17 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग
	60	केडीएच ओसीपी का विस्तृत डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	61	एसईसीएल द्वार चिन्हित 3 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग

	62	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 16 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग
	63	एनसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग
	64	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग
	65	छापापुर–II कोलियरी, कालिमाटि सीम, ईसीएल का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	66	डकरा ओसीपी, सीसीएल के हायर्ड पेच में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	67	तिरॉप ओसीपी, एनईसी के रिकास्ट का यूसीई
	68	सभी खुली खदान खानों (01.04.2016 प्रोजेक्सन के अनुसार) की क्षमता का मूल्यांकन
	69	बंदेर कोयला क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का वनाच्छादन मापन चित्रण
	70	एसईसीएल के कोरबा कोयला क्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण
	71	एनसीएल के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण
	72	सीसीएल के कर्णपुरा, वेस्ट बोकारो एवं ईस्ट बोकारो कोलफील्ड्स का वनाच्छादन मानचित्रण
	73	खादिया ओसीपी, एनसीएल के लिए आईडब्ल्यूएसएस के आगुमेंटेशन के लिए योजना
	74	गेरबी खान, एनसीएल के लिए एसिड माइन ड्रेनेज के लिए योजना
	75	भरतपुर और लखनपुर ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्टेबिलिटि अध्ययन
	76	खादिया ओसीपी, एनसीएल का स्लोप स्टेबिलिटि अध्ययन
	77	अशोक ओसीपी, सीसीएल का टॉप स्वायल मैनेजमेंट
	78	निगाही ओसीपी, का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
पर्यावरण प्रबंधन योजना		
फार्म–1		
क्षे.सं.–III	1	सयाल 'डी' ओसीपी
	2	कारो ओसीपी एवं वाशरी
	3	कोनार वि. ओसीपी और वाशरी
	4	कारो वाशरी
	5	कोनार वाशरी
क्षे.सं.–IV	1	एकीकृत येकोना 1 एव 2
	2	एकीकृत पउनी 2 एव 3
	3	अडासा भू.ग. से ओसी
	4	न्यू सेठिया ओसी
क्षे.सं.–VI	1	जयंत ओसीपी
क्षे.सं.–VII	1	जगन्नाथ रिओरगनाईज ओसीपी
	2	कुल्दा ओसीपी
	3	कलस्टर कंसेप्ट के तहत जगन्नाथ ओसीपी–भरतपुर ओसीपी रिआर्गेनाइजेशन
मुख्यालय	1	एमसीएल के लखनपुर में आईबी वैली वाशरी
	2	बसुंधरा वाशरी (संशोधित), एमसीएल
	3	बरौद वाशरी, एसईसीएल
मसौदा ईएमपी		
क्षे.सं.–I	1	रंगामाटी 'बी' ब्लॉक भू.ग. (कंचनपुर सेक्टर)
	2	क्लस्टर सं.2 का फार्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी
	3	क्लस्टर सं. 12 का फार्म–1 एवं परिशिष्ट ईएमपी
क्षे.सं.–II	1	दुग्दा एनएलडब्ल्यू कोयला वाशरी

	2	भोजुडीह एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी
	3	कलस्टर – 16 (संशोधित)
	4	महुदा वाशरी
क्षे.सं.–III	1	पुन्डी ओसीपी एवं वाशरी
	2	पिचरी ओसीपी
	3	राजहरा ओसीपी
	4	कोनार एक्स. ओसीपी एण्ड वाशरी
क्षे.सं.–IV	1	मकरधोकरा–1 वि. ओसी का फार्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी
	2	गोकुल ओसी
	3	दिनेश (एमकेडी–3) ओसी
	4	नहेरिया भू.ग.
	5	भानेगांव ओसी
क्षे.सं.–V	1	मनिकपुर ओसी
	2	बरौद ओसी
	3	हल्दीबारी भू0.ग0
	4	नौरोजाबाद भू.ग.
	5	बिरसिंगपुर भू.ग.
	6	मीरा भू.ग.
	7	धानपुरी भू.ग.
क्षे.सं.–VI	1	कृष्णशिला ओसी का फॉर्म–1 एवं एडेन्डम ईएमपी
क्षे.सं.–VII	1	जगन्नाथ ओसी वि. का फार्म–1 एवं अडेन्डम ईएमपी (6/9 मि.ट.प्र.व)
	2	गर्जनबहल ओसी वि.
	3	सियारमल ओसीपी (40/50 मी.ट.प्र.व.)
	4	काकुदी सैण्ड माइन (0.25 मि.घ.मी.)
मुख्यालय	1	जगन्नाथ वाशरी
	2	लखनपुर में ईब वेली वाशरी
	3	कुसमुन्डा वाशरी
	4	कारो ओसीपी एण्ड वाशरी
	5	बरौद वाशरी एसईसीएल
	6	बसुंधरा वाशरी (संशोधित)

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र के लिए तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करता है। इन सेवाओं में सर्वागीन प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया–कलापों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हैं। सीएमपीडीआई लेबोरेटरी स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है। इससे पहले से ही खुले बाजार के कठिन मुकाबले में कोयला एवं

अन्य खनिजों के परिष्करण के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित कार्य किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

i. ''सीमेंट उद्योग के लिए कोयला वाशरियों के तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना और

ii. ''भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन'' नामक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना।

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए हैं :

ए. रिपोर्ट/अध्ययन

1. पीआरएस माइन के लिए वाशरी पर आधारित रिपोर्ट की तैयारी :

क) आम्रपाली विस्तार (एक्सपेंशन) (15.0 एमटीवाई), सीसीएल

ख) कारो (7.0एमटीवाई), सीसीएल

ग) गोविन्दपुर चरण–II ओसी (लागत अद्यतन) के स्वांग पिपराडीह (4.0 एमटीवाई)

घ) लाजकुरा ओरिएन्ट, एमसीएल

2. पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी :

क) कुसमुण्डा (25.0एमटीवाई), एसईसीएल

ख) न्यू पिपरवार (3.5 एमटीवाई), सीसीएल

बी. (ई–टेंडरिंग मोड पर) निविदा दस्तावेज की तैयारी

क) जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल (संशोधित)

ख) लखनपुर वाशरी (10.0 एमटीवाई), एनसीएल

ग) दुग्धा वाशरी(आरएफक्यू एवं आरएफपी) (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल

घ) कुसमुण्डा वाशरी (25.0 एमटीवाई), एईसीएल

ङ) कोनार वाशरी (आरएफक्यू एवं आरएफपी) (7.0 एमटीवाई), सीसीएल

च) कोटा वाशरी (आरएफक्यू एवं आर एफपी) (3.5 एमटीवाई), सीसीएल

छ) बरौद वाशरी(आरएफक्यू एवं आरएफपी) (10.0 एमटीवाई), एसईसीएल

सी. वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी

क) बरौद वाशरी(10.0 एमटीवाई), एसईसीएल

ख) कारो वाशरी (3.5 एमटीवाई), सीसीएल

ग) दुग्धा वाशरी (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल (लागत प्रक्कलन का संशोधन)

डी. संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी

क) लखनपुर वाशरी (20.0 एमटीवाई), एमसीएल

ख) कुसमुण्डा वाशरी (25.0 एमटीवाई), एसईसीएल

ई. निविदा संवीक्षा (जाँच)

क) जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल

ख) लखनपुर वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल

एफ. संरचनात्मक आरेखण (कन्सट्रक्सशन ड्राईंग) का अनुमोदन

क) मधुबंद वाशरी (5.0 एमटीवाई), बीसीसीएल अनुमोदित ड्राईंग्स की कुल संख्याः 140

ख) दहीबारी वाशरी (1.6 एमटीवाई), बीसीसीएल अनुमोदित ड्राईंग्स की कुल संख्याः 475

जी. अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

क) हाई ऐश तथा हाई सल्फर भारतीय कोयले से क्लीन कोयला का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास

हेतु संभाव्यता रिपोर्ट।

ख) मधुबन्द वाशरी, बीसीसीएल में कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत ''रेडियो मैट्रिक तकनीक (आरडी शॉट) का प्रयोग कर कोयले का शुष्क परिष्करण कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है तथा इसे जल्द ही चालू कर दिए जाने की संभावना है।

एच. अन्य कार्य

क) सीसीएल के नार्थ कर्णपुरा में लगाये गए लोड ट्रायल रन–ऑफ न्यू वाशरी के दौरान कार्य निष्पादन गारंटी जाँच (पीजीटी) के मूल्यांकन में पीएसईबी हेतु सहायता

ख) बीसीसीएल के लिए कच्चे कोयले के फीड का आपटीमम ग्रेड मिक्स का पता लगाना

ग) सोनेपुर बाजारी के लिए एसटीपी हेतु योजना के लिए इलेक्ट्रीकल स्पेसिफिकेशन तथा इस्टीमेट की तैयारी

2.2. परियोजना मूल्यांकन

1. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पहले उनकी प्रस्तुति तथा दिशा निर्देश के लिए समन्वयन तथा 2015–16 के दौरान 17 ड्राफ्ट पीआरएस/आरपीआरएस/ईपीआरएस की संवीक्षा तथा मूल्यांकन
2. ड्राफ्ट पीआर/आरपीआर/ईपीआर तैयारी के पहले मुख्य तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए उनके निर्धारण हेतु 13 वैचारिक टिप्पणी तथा समन्वयन की संवीक्षा तथा मूल्यांकन
3. 500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतन
4. वर्ष 2010–20 में कोल इंडिया की 12वीं योजना की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों के निर्माण की स्थिति का अद्यतन

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खनन

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी है।

3.1 भूमिगत खनन

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी है।

क. बाह्य परामर्शी कार्य (पूर्ण)

1. भूमिगत परियोजना, आईएसपी, सेल का संशोधित लागत प्राक्कलन (आईएस)
2. गुम गाँव भूमिगत खान, एमओआईएल के लिए माइनिंग प्लान तथा एक्सपेंसन रिपोर्ट की तैयारी हेतु परामर्शी सेवाएँ
3. गुम गाँव भूमिगत माइन, एमओआईएल में वर्टिकल शाफ्ट के लिए प्रारंभिक डिजाइन, निविदा दस्तावेज (टेंडर डाकुमेंट) तथा तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट।

बाह्य परामर्शी कार्य (जारी)

1. इन्डीकट्टा–रमणगोरे ब्लॉक, आईएलपी, सेल के लिए डीपीआर तथा माईनिंग प्लान की तैयारी
2. नावापारा माइन : यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के लिए स्थाई हेड फ्रेम का स्टेविलिटी विश्लेषण
3. बालाघाट, एमओआईएल में हाई स्पीड शाफ्ट के लिए टीईएफआर लागत प्राक्कलन, निविदा दस्तावेज की तैयारी का अद्यतनीकरण

ख. कोल इंडिया के कार्य (पूरे किए गए)

1. नटराज भूमिगत माइन, एमसीएल के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट।
2. सतग्राम एरिया, ईसीएल के जे.के. नगर कोलियरी के बोगरा (आर–अप) सीम के लिए वाटर डैम की डिजाइन

3. सीसीएल के पिपरवार तथा मंगदाहा भूमिगत परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट का अद्यतनीकरण लागत प्राक्कलन (यूजीई)
4. झिलीमिली माइन, बैकुण्ठपुर क्षेत्र, एसईसीएल के लिए सीम अर्थात् 4.90 एम फुल थिकनेस सीम को पूर्ण निष्कर्षण की उपयुक्त पद्धति तथा केविलिटी विश्लेषण रिपोर्ट सीम–5
5. माइन ऑपरेटर के माध्यम से कोल इंडिया की भूमितगत खानों का विकास एवं संचालन के लिए मोडल टेंडर डाक्यूमेंट
6. माइन ऑपरेटर (एमओ) के माध्यम से कोल इंडिया की ओपेन कास्ट माइन का विकास तथा संचालन के लिए मोडल टेंडर डॉक्यूमेंट (आरएफक्यू/आरएफपी)
7. खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची
8. सोहागपुर एरिया, एसईसीएल के खेरिहा कोलियरी के सीम–6 बी का गैस सर्वे पर रिपोर्ट
9. कोल इंडिया के भूमिगत खानों का खान क्षमता मूल्यांकन पर रिपोर्ट
10. तालचर पिट संख्या– 2, एमसीएल में वर्तमान वाइन्डर के विद्युत ड्राइव के लिए स्टीम वाइन्डर के कन्वर्सन हेतु निविदा दस्तावेज की तैयारी
11. सीम–1 इक्लाइन, न्यू आकाशकिनारी कोलियरी, गोबिन्दपुर एरिया में मेनराइडिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन के लिए योजना की तैयारी
12. पाण्डवेश्वर एरिया, ईसीएल में हेतु फ्रेम संरचना की स्थिरता विश्लेषण पर रिपोर्ट
13. बल्लारपुर एरिया, डब्ल्यूसीएल के बल्लारपुर पिट संख्या–3 एवं 4 के संवातन अध्ययन पर रिपोर्ट
14. तीन खानों (अमृतनगर, बंसरा, जामबाद कोलियरी) के लिए मैनराइडिंग प्रणाली के प्रतिष्ठापन हेतु योजना एवं विस्तृत तकनीकी विनिर्देशन की तैयारी
15. कोरबा एरिया के मानिकपुर ओसी में वेस्टर्न क्वारी के सुरक्षा पहलू को सुनिश्चित करने के लिए न्यूमेरिकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन पर रिपोर्ट।
16. तालचर कोलियरी पिट संख्या–1 एवं 2, एमसीएल के स्थाई फ्रेम की स्थिरता विश्लेषण पर रिपोर्ट
17. मुनीडीह परियोजना, डब्ल्यू जे एरिया, बीसीसीएल में लोकोमोटिव मैनराइडिंग प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज ।
18. अशनापानी ईस्ट भूमिगत खान, सीसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट।

कोल इंडिया के कार्य (जारी)

1. कोयला मंत्रालय (एमओसी) के निर्देशानुसार कुल वर्तमान मूल्य (एमपीपी) की गणना तथा माइन डोजियर की तैयारी
2. बंकोला एरिया, ईसीएल के सारपी परियोजना, श्याम सुंदरपुर कोलियरी में संवातन अध्ययन पर प्रेसर सर्वे एवं रिपोर्ट
3. चूरी भूमिगत खान, नार्थ कर्णपूरा एरिया, सीसीएल के इन्क्लाइन सं–6 के लिए इन्क्लाइन माउथ की डिजाइन
4. बगदेवा कोलियरी, कोरबा एरिया, एसईसीएल के गैस सर्वेक्षण पर रिपोर्ट
5. ढेलवाडीह कोलियरी, कोरबा एरिया, एसईसीएल के गैस सर्वेक्षण पर रिपोर्ट। बेहराबन्द भूमिगत खान, हसदेव एरिया एसईसीएल के संपूर्ण वर्तमान वर्किंग एरिया के लिए विकास एवं डिपलरिंग दोनों के लिए कोल सीम–5 (टॉप) तथा 5 (वॉटम) हेतु खनन का वैज्ञानिक अध्ययन डिवाइस उपयुक्त प्रणाली

3.2 खुली खदान खनन (ओपेनकास्ट माइनिंग)

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी है :

1. एमओयू पारामीटर्स 2015–16 के लिए कार्य निश्पादन रिपोट

30 जून, 2015 के टारगेट डेट के एगेंस्ट में पत्र संख्या– सीएमपीडीआई/टीएस/2015/40/624 दिनांक– 28.5.2015 के अनुसार कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों के लिए एचईएमएम मशीन यूटिलाइजेशन मानको का पुनरीक्षण संबंधी रिपोर्ट कोल इंडिया को सुपुर्द कर दिया गया है।

2. पूरे किए गए प्रमुख (बेड) कार्य

i. मेसर्स टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो कोलियरी में सीम।।। एवं 4 के खनन के लिए तकनीकी संभाव्यता अध्ययन

ii. राम नगर – इन्डीकाट ओसी (1.3 एमटीवाई) सेल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (सितम्बर, 2015 को मसौदा सुपुर्द तथा टिप्पणी की प्रतीक्षा।

iii. एनएमडीसी के मुख्य एचईएमएम के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण

iv. कोल विदेश के लिए मोजाम्बिक में 3450 एल तथा 3451 एल लाइसेंस एरिया (प्रारम्भिक मूल्यांकन) के लिए खदान योग्यता अध्ययन

v. मेसर्स पीएफ, सीसीएल के प्रथम प्लांट का सीओडी से 5 वर्षीय लैन्ड रिक्वायरमेंट प्लान (मिनाक्षी के लिए माइनिंग प्लान एसाइनमेंट) सुपुर्द

3. कोल इंडिया के लिए प्रमुख आंतरिक परामर्शी सेवाएँ (कार्य पूर्ण)

1. सामलेश्वरी एक्सपेंसन ओसी (20एमटीवाई) रिकास्ट–एमसीएल का एफआर
2. ईसीएल के कयादा चौधर गारी पानी का पीआर (अंतिम) सुपुर्द।
3. तिराप ओसीपी, एनईसी के रिकास्ट का यूसीई
4. वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया के ओपेन कास्ट माइन्स का क्षमता एवं क्षमता यूटिलाइजेशन का मूल्यांकन
5. वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया कें ओपेनकास्ट माइन्स के एचईएमएम का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
6. वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया के उत्खनन एवं डम्प का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
7. वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया के ओपेनकास्ट माइन्स का विस्फोटक, डीजल, विद्युत की विशिष्ट खपत का विश्लेषण
8. 01.04.2016 के अनुसार कोल इंडिया प्रोजेक्शन के ओपेनकास्ट माइन्स की क्षमता का मूल्यांकन
9. लेखापानी ओसी 0.25 एमटीवाई, एनईसी के लिए आरसीइ (संदर्भः सीएमडी मीट)
10. एसईसीएल, गेवरा ओसी के 42 सीयूएम+240टी शॉवेल–डम्पर संयोजन पर अध्ययन टिप्पणी
11. एनईसी के अधिकार वाले क्षेत्र में खनन की संभावना पर अध्ययन टिप्पणी (संदर्भः सीएमपीडी मीट)
12. सतही खनन के 9 माडलों की तकनीकी आर्थिक तुलना

4. माइनिंग प्लान तथा एमओसी/सीएजी (केग) ऑडिटरों के अन्य कार्यों पर त्वरित टिप्पणी

1. कोयला ब्लॉक के मूल्यांकन पर केग अंकेक्षकों का प्रमाणीकरण
2. एमओसी के लिए मोहरे/डिप साइड मोहरे– अमलोरी ब्लॉक कोयला गुणवत्ता का स्पष्टीकरण
3. कोयला ब्लॉक ऑक्सन पर ऑडिट टीम द्वारा भेजे गए 24 ब्लॉकों के ऑडिट माँग पत्र का उत्तर
4. कोयला ब्लॉक ऑक्सन पर ऑडिट टीम द्वारा 11 प्रारंभिक ऑडिट क्वेरीज का उत्तर
5. 20 एमटीवाई से 16 एमटीवाई तक (एमओसी) से प्राप्त शेषण पावर लिमिटेड के एमपी का डाउन वार्ड संशोधन पर टिप्पणी

6. एमओसी के लिए नार्थ अरकाहा कोयला ब्लॉक हेतु लागत–लाभ के विश्लेषण पर टिप्पणी
7. छह जियोलाजिकल ब्लॉकों के भू.ग./ओसी की संभावना
8. एमओसी द्वारा प्रस्तुत किए गए माइनिंग प्लान पर त्वरित टिप्पणियाँ (संख्या–12)

5. ड्राफ्ट पीआर/एफआर/आरपीआर/ईपीआरएस /वैचारिक टिप्पणी इत्यादि के अन्य तकनीकी कार्य / तकनीकी विचार–विमर्श / तकनीकी संवीक्षा

क) 14 वैचारिक रिपोर्ट/टिप्पणियों पर तकनीकी विश्लेषण

ख) 16 ड्राफ्ट पीआर/ईपीआर/आरपीआरएस का तकनीकी एप्राइजल

4. अभियंत्रण सेवाएँ

4.1 सिविल इंजीनियरिंग

परियोजना आयोजन कार्य

1. परियोजना रिपोर्ट की तैयारी/लागत अद्यतनीकरण
2. वर्षांत तक परियोजना मूल्यांकन विभाग द्वारा तकनीकी जाँच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की जाँच

विस्तृत अभिकल्पन कार्य

क) कोल इंडिया के लिए न्यू टाउन राजघाट, कोलकाता में आवासीय परिसर में प्रस्तावित ''सी'' टाइप, डी–टाइप क्वाटरों, हॉस्पीटल, पार्क इत्यादि के निर्माण के लिए योजना

ख) वेस्टर्न झरिया एरिया में मास्टर प्लान के तहत टाउनशिप के लिए ''बी'',''सी'', ''डी'' टाइप के क्वाटरों, कार्यालय भवन की संरचनात्मक डिजाइन एवं ड्राईंग

ग) आनन्द बिहार, एमसीएल में कल्याण मंडप की डिजाइन

घ) बीसीसीएल में मास्टर प्लान के अंतर्गत 40000 गैलन ओवर हेड टैंक के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग

ड.) बेलपहार प्रशिक्षण संस्थान की प्लानिंग, डिजाइनिंग, तकनीकी संवीक्षा विस्तृत नवीकरण सह आधुनिकीकरण

च) अमलोहरी परियोजना, एमसीएल में मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय की प्लानिंग, डिजाइन/ड्राईंग इस्टेमिटिंग तथा निर्माण।

छ) अमलोहरी परियोजना, एनसीएल में कल्याण मंडप की प्लानिंग डिजाइन/ ड्राईंग तथा निर्माण

ज) एमसीएल के हिंगुला एरिया तथा वसुन्धरा, गरजनबहल के प्रस्तावित स्टेडियम तथा शापिंग कम्पलेक्स के लिए वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग्स की तैयारी

झ) सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के लिए कार्यालय भवन की प्लानिंग, डिजाइन, ड्राईंग्स, इस्टीमेंटिंग तथा निर्माण

ञ) सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली के लिए कार्यालय भवन की प्लानिंग डिजाइन/ड्राईग्स, इस्टीमेटिंग तथा संरचना (निर्माण)

ट) बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में माइनर्स क्वार्टरों के 4020 यूनिट के लिए वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग्स की तैयारी

वास्तुशिल्पीय कार्य

क) एमसीएल के वसुन्धरा, गरजन बहल तथा हिंगुला क्षेत्र के लिए टाउन प्लानिंग तथा एमसीएल के स्टेण्डर्ड क्वाटरों हेतु वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग्स की तैयारी

निविदा मूल्यांकन

क) खादिया सीएचपी फेज–।। (6 एमपीटीए इन्क्रीमेंटल) की संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण

ख) निगाही सीएचपी, फेज–।। तथा सस्पेंसन

की डिजाइन, ड्राईंग तथा संवीक्षा

निविदा दस्तावेज की तैयारी

क) जयंत इन्क्रीमेंटल सीएचपी (10 एमटीवाई), एनसीएल

ख) बीना–ककरी अमलगमेशन (5.5 एमटीवाई), एनसीएल

योजना रिपोर्ट की तैयारी

क) झरिया पुनर्वास परियोजना के लिए तुलनात्मक अध्ययन

ख) पिपरवार वाशरी, सीसीएल कोलियरी की विभिन्न संरचनाओं के संरचानात्मक स्थिरता जाँच की आवश्यकता पर प्रीप्रेयरिंग इन्सपेक्सन रिपोर्ट

ग) आईआईसीएम के सभा कक्ष की मरम्मती तथा रख–रखाव से संबंधित निरीक्षण पर संक्षिप्त रिपोर्ट

घ) रायगढ़ एरिया के महाप्रबन्धक परिसर (कम्पलेक्स) तथा कॉलोनी के सेटिंग–अप के लिए विस्तृत योजना

ङ) बेकफिल्ड ओपेनकास्ट कोल माइन्स पर कन्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर पर आरएंडडी परियोजना के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल

च) सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–4 नागपुर के लिए कार्यालय भवन की प्रारंभिक डिजाइन तथा इस्टीमेंट

छ) डब्ल्यू जे एरिया में मास्टर प्लान के अंतर्गत टाउनशिप के लिए योजना की तैयारी

संरचनात्मक /उपयुक्तता/रिपोर्ट

क) एसईसीएल के अंतर्गत कुसमुण्डा प्रोजेक्ट, चिरीमिरी एरिया के विभिन्न सीएचपीएस का संरचात्मक अध्ययन

ख) पाथरखेड़ा एरिया, डब्ल्यूसीएल के शोभापुर, सरणी तथा तवा–।। कोल हैंडलिंग बंकर्स का संरचनात्मक स्थिरता अध्ययन

ग) एनसीएल के निगाही एवं झिंगुरदा सीएचपी का संरचनात्मक उपयुक्तता अध्ययन

डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा

क) निगाही सीएचपी–।।। (5 एमटीवाई) एनसीएल के लिए डिजाइन, ड्राईंग तथा संवीक्षा

ख) खादिया फेज–।। सीएचपी (6एमटीवाई) एनसीएल के लिए डिजाइन/ड्राईंग की समीक्षा

ग) बीसीसीएल में मधुबंद द्रुत लदान सिस्टम के लिए ड्राईंग की संवीक्षा

घ) निविदा दस्तावेज कुसमुण्डा वर्कशॉप का सिस्टम डिजाइन प्रिप्रेरेशन

ड.) कृष्णशीला मुख्य सीएचपी (4एमपीटीए), एनसीएल के डिजाइन ड्राईंग की संवीक्षा तथा संरचना का आवार्ड, टेंडरिंग

च) ब्लॉक बी सीएचपी (3.5 एमपीटीए) एनसीएल के लिए टेंडरिंग कार्य का आवंटन तथा डिजाइन एवं ड्राईंग का अनुमोदन तथा संरचना की मॉनीटरिंग

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएचपी खादिया फेज–।। (6.0 एमटीपीए) साइट प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स

सिलो 4 स्लेव कास्टिंग पूर्ण

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएचपी खादिया फेज–।। (6.0 एमटीपीए) साइट प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स

रिसिविंग पिट एंड टीएच 01 : सटरिंग ऑफ टीएच वाम्स प्रगति में है।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएचपी निगाही फेज–।।। (5.0 एमटीपीए) साइट प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स

सेंट्रल सेक्शन :।। स्लेब के लिए शटरिंग कर कार्य जारी है।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएचपी खादिया फेज–।। (6.0 एमटीपीए) साइट प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स

ग्राउण्ड बंकर : हायर वॉल कास्टिंग प्रगति में है

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएचपी निगाही फेज–।।। (5.0 एमटीपीए) साइट प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स

वेर्स्टन सेक्शन : रिसिविंग पिट तथा टीएच – टीएच वाल की कॉनक्रिटिंग प्रगति में है।

क्षेत्रीय संस्थान–2

1. **परियोजना रिपोर्ट**

   क) 4 परियोजनाओं में सिविल जगह (पोरशन) के लिए बढ़ा हुआ सपोर्ट

2. **पूँजीगत कार्य**

   क) क्षेत्रीय संस्थान–।। के कार्यालय में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना

3. **राजस्व कार्य**

   क) क्षेत्रीय संस्थान।। में कार्यालय की मरम्मती तथा रख–रखाव एवं आवासीय भवनों में अनुमोदित बजट का यूटिलाइजेशन

4. **विविध कार्य**

   क) झरिया पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत प्लानिंग की ओर जेआरडीए को व्यापक सपोर्ट

क्षेत्रीय संस्थान– 3

1. सीसीएल के अन्तर्गत 9 परियोजना के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए व्यापक सपोर्ट
2. साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के लिए मास्टर प्लानिंग
3. निर्माण कार्य

   क) क्षेत्रीय संस्थान–3 के अन्तर्गत ओरला ड्रिलिंग कैम्प में मरम्मती, रख–रखाव कार्य

4. निविदा दस्तावेज की तैयारी

क) तापिन सीओसीपी में उत्खनन तथा ईएंडएम वर्कशॉप के लिए मसौदा निविदा दस्तावेज

ख) पुरणडीह ओसीपी में उत्खनन तथा ईएंडएम वर्कशॉप के लिए मसौदा निविदा दस्तावेज

ग) नार्थ उरीमारी एक्सपें ओसी में सीएचपी के लिए विस्तृत डिजाइन तथा निविदा दस्तावेज

घ) कोनार ओसीपी में सीएचपी के लिए विस्तृत डिजाइन एवं निविदा दस्तावेज

ड.) कोनार ओसीपी में सब–स्टेशन के लिए विस्तृत डिजाइन एवं निविदा दस्तावेज

च) पुराणडीह ओसीपी में सब–स्टेशन के लिए विस्तृत डिजाइन एवं निविदा दस्तावेज

5. सीएसआर की गतिविधियों की ओर व्यापक सपोर्ट

6. वास्तुशिल्पीय कार्य

क) दानकुनी कोयला कम्पलेक्स में अतिथिशाला के नवीकरण (रिनोवेशन) के लिए योजना

ख) न्यू कोल इंडिया कम्पलेक्स, राजघाट में सीएंडडी टाइप क्वार्टस तथा स्वास्थ केंद्र (हेल्थ सेंटर) के लिए वास्तुशिल्पीय डिजाइन

ग) सम्बलपुर में कल्याण मंडप तथा एमटी हॉस्टल के लिए वास्तुशिल्पीय डिजाइन

घ) राजघाट में न्यू कोल इंडिया ऑफिस–सह–आवासीय कम्पलेक्स के कमीशनिंग के लिए सहायता

क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर

1. **निर्माण कार्य**

क) स्वीकृत राजस्व बजट (145.15 लाख) का उपयोग (यूटिलाइजेशन)

ख) बाल मुकुंज स्कूल बिल्डिंग के लिए पूँजीगत बजट (22.3 लाख) का यूटिलाइजेशन

ग) दुर्गापुर एवं मुरारपुर कैम्प में गवेश कैम्प के निर्माण कार्य के लिए व्यापक सपोर्ट

घ) 3 सीएसआर के कार्यों का कार्यान्वयन

2. **योजना कार्य (प्लानिंग वर्क्स)**

क) डब्ल्यूसीएल के अंतर्गत 18 परियोजना के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग को व्यापक सपोर्ट

3. **निविदा दस्तावेज की तैयारी**

क) ओ/सी तथा गौरी ओ/सीपीएचपी में बदलने के लिए दिनेश ओ/सीन्यू माजरी ओसी को व्यापक सिविल सपोर्ट

4. **विस्तृत अभिकल्पन कार्य**

क) वेगन लोडिंग हाउस के लिए सिविल संरचना

क्षेत्रीय संस्थान–5

1. **परियोजना रिपोर्ट**

क) वार्षिक एक्शन प्लान विशेषकर गेवरा ओसीपी (70 एमटीवाई) के प्रतिपादन में निर्धारित प्रोजेक्ट प्लानिंग की ओर व्यापक सपोर्ट

2. निर्माण कार्य

क) ऑफिस बिल्डिंग कार्य का कार्यान्वयन (जारी)

ख) कोरबा कैम्प निर्माण का कार्यान्वयन (जारी)

ग) सिविल कार्यों के लिए स्वीकृत पूँजी एवं राजस्व बजट का यूटिलाइजेशन

घ) सीएसआर की गतिविधियों के अन्तर्गत चक्रभाटा एवं लिंगीयाडिक विद्यालय, नागपुर में टॉयलेट का निर्माण

3. ड्राईंग की संवीक्षा

क) गेवरा मून–पिट स्ट्रक्चर, गेवरा सिलो तथा कुसमुण्डा फेज–I सीएचपी की डिजाइन एवं ड्राईंग्स की संवीक्षा

4. एनआईटी की तैयारी

क) गेवरा, दिपिका तथा कुसमुण्डा के लिए 33 केवी स्टेशन, कुसमुण्डा वाशरी के लिए सब स्टेशन, कुसमुण्डा फेज–2 सीएचपी के लिए एनआईटी की तैयारी सिविल भाग में व्यापक सहायता

क्षेत्रीय संस्थान–6

1. परियोजना रिपोर्ट

क) निगाही ओसीपी, ब्लॉक 'बी' ओसीपी, दुधिचुआ ओसीपी जयंत ओसीपी तथा झिंगुरदा ओसीपी के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग वर्क्स की ओर व्यापक सपोर्ट

ख) सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान की तैयारी

2. प्लानिंग (योजना) कार्य

क) एनसीएल के वर्तमान सीएचपी में सेकेंडरी साइजर के प्रतिष्ठापन के लिए (सिविल भाग) हेतु योजना की तैयारी

3. निर्माण कार्य

क) क्षेत्रीय संस्थान–6 के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (जारी)

ख) क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली में अस्थाई कार्यालय, टाउनशिप तथा ड्रिलिंग कैम्प का सिविल मेंटनेन्स तथा मरम्मती का कार्य

क्षेत्रीय संस्थान–7

1. परियोजना रिपोर्ट

क) 4 ओसीपी के परियोजना प्लानिंग (सिविल भाग) में व्यापक सपोर्ट

2. निविदा दस्तावेज

क) लखनपुर, वसुन्धरा, कानिहा तथा भुवनेश्वरी सीएचपी के लिए निविदा दस्तावेज (सिविल भाग) की तैयारी

ख) लिंगराज फिल्ड वर्कशॉप तथा बैतरनी ओ/सी वर्कशॉप के लिए निविदा दस्तावेज (सिविल भाग) की तैयारी

3. निर्माण कार्य

क) क्षेत्रीय संस्थान–7 के अंतर्गत कॉलोनी कार्यालय भवन, ड्रिलिंग कैम्पों में डेवलपमेंट वर्क्स

4. डिजाइन की संवीक्षा

क) लिंगराज ओसीपी में सीएचपी के लिए डिजाइन ड्राईंग की संवीक्षा

ख) नन्दिरा में सब–स्टेशन के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा

4.2 विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवाएँ

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित सेवाएँ उपलबध कराई गई है।

4.2.1 खान योजना (आधारभूत संरचना)

1. कोल इंडिया की परियोजनाएँ
2. गैर–कोल इंडिया की परियोजनाएँ
3. राम नागोर इन्डीकाटा 1.3 एमटीवाई, सेल

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट

- सीएचपी का निविदा दस्तावेज

4.2.3 वर्कशॉप एवं स्टोर

- कुसमुण्डा वर्कशॉप, एसईसीएल का निविदा दस्तावेज।

4.2.4 एफपीबी आधारित विद्युत संयंत्र पर रिपोर्ट

- कुसमुण्डा वर्कशॉप, एसइसीएल का निविदा दस्तावेज

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग

- कोल इंडिया लिमिटेड की 76 खानों के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खुली खान परियोजनाओं के लिए उपकरण के अनुसार डीजल खपत मानक का निर्धारण तथा विस्तृत डीजल बेंचमार्किंग
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खानों के लिए ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग

4.2.6 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

- 33/6.6 के वी झांझरा सब–स्टेशन का एगुमेंटेशन (संवृद्धि)
- शामलेश्वरी ओसीपी, एनसीएल में 2x4 एमवीए, 33/3.3 केवी सब–स्टेशन
- ब्लॉक–'बी' ओसीपी, एनसीएल में 2x5 एमवीए, 33/6.6 केवी सब–स्टेशन
- जोरबागा, लखनपुर एरिया में 4x20 एमवीए, 132/33 केवी सेंट्रल सब–स्टेशन के लिए फायर डिटेक्शन, अलार्म की घोषणा तथा फायर फाइटिंग सिस्टम
- प्रस्तावित सब–स्टेशन, एनसीएल के 132 केवी मशौली सब–स्टेशन तथा एगुमेंन्टेशन की शिफ्टिंग

4.2.7 सौर ऊर्जा की शुरूआत

- सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–1 कार्यालय भवन, आसनसोल में माइक्रो–ग्रिड प्रणाली के साथ 80 के डब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट
- क्षेत्रीय संस्थान–2, सीएमपीडीआई, कार्यालय भवन धनबाद में माइक्रोग्रिड सिस्टम के साथ 30 के डब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट
- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय सं.–6 कार्यालय भवन, सिंगरौली में माइक्रो ग्रिड सिस्टम के साथ 50 के डब्ल्यू की रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट

4.2.8 अन्य अध्ययन

- एमसीएल हॉस्पीटल, जयंत, एनसीएल के लिए, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम हेतु योजना एवं एनआईटी
- बीजी एरिया, एमसीएल में सब स्टेशन के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम हेतु योजना की तैयारी
- सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–6 कार्यालय भवन के लिए सेंटरलाइज्ड एयर कंडिशनिंग प्रणाली
- अमलोरी ओसीपी, एनसीएल तथा निगाही ओसीपी एनसीएल का इल्यूमाइनेशन सर्वे
- तालचर भू.ग. में इलेक्ट्रीकल वाइन्डर के लिए यूएमपीएस योजना का परीक्षण

4.2.9 निरीक्षण सेवाएँ

- मैन्यूफ्रेक्चरर्स वर्क्स पर कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों द्वारा खरीदे गए प्लांट एवं मशीनरी के लिए प्री–डिस्पैच इन्सपेक्सन सेवाएँ
- वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा सेवाओं से अर्जित राजस्व लगभग 3.44 करोड़ रूपये है

4.2.10 एनडीटी (गैर विध्वंषक परीक्षण) कार्य

- भू.ग. खान, वाइन्डर्स, हेड गीयर शाफ्ट केज, स्कीप, लॉगवाल पावर्ड सपोर्ट तथा डीवाटरिंग पाइप रेंज का मेजरमेंट थिकनेस
- ओपेनकास्ट माइन्स, ड्रैगलाइन्स, शॉवेल उत्खनन, डम्पर्स, ईओटी फ्रेम तथा ड्रील मशीन
- सीएचपी गेट री कॉन्वेयर की संरचना फीडर ब्रेकर्स, ट्रासंफर प्वाईंट्स, ड्राइव हाउस तथा क्रशर हाउस

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ

वर्ष भर के दौरान उपलब्ध कराई गई इसमें सम्मिलित है :

1. भवनों का रख–रखाव यथा : कार्यालय भवन तथा आवासीय स्टाफ क्वार्टर स्वच्छता का रख–रखाव, आवश्यक बागवानी कार्यों के साथ हरा–भरा पर्यावरण तथा इस तरह सारे कार्यों का रख रखाव
2. सभी प्रकार के विद्युत, इलेंक्ट्रानिक्स कार्यालय से संबंधित यांत्रिक उपकरण का रख–रखाव तथा इस प्रकार के सभी प्रकार के सभी इन्वेन्टरी का रख–रखाव

3. कार्यालय के सभी फर्नीचरों का रख–रखाव
4. आवश्यक कदम उठाते हुए जल आपूर्ति का प्रबंधन
5. विद्युत का संरक्षण तथा बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए विद्युत का प्रबंधन
6. बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, वाटर बिल तथा अन्य सांविधिक भुगतान इत्यादि के लिए प्रस्तावों का रिसिप्ट चेकिंग तथा सुपुर्दगी सुनिश्चित करना
7. नगर निगम जैसे स्थानीय संविधिक निकायों के साथ जुड़े हुए कार्य
8. रद्दी कागज रिसाइकलिंग प्लांट का संचालन (ऑपरेशन)

सीएमपीडीआई (मु) के टीई तथा सीएम विभाग में 2014–15 के दौरान विशेष मरम्मती कार्य तथा सीएसआर का कार्य, चालू कार्य तथा पूँजीगत कार्य के अंतर्गत पूरे किए गए कार्य तथा चालू कार्यों की निम्नलिखित सूची इस प्रकार है :

क्र. सं.	कार्यों की सूची	कार्यों का मूल्य (लाख रू. में)
	पूरे किए गए कार्य	
1.	सीएमपीडीआई (मु) राँची में मौसमी प्लांट (इनडोर एवं आउट डोर) के रख–रखाव सहित गार्डेन के लिए वार्षिक अनुरक्षण कॉन्ट्रेक्ट	30.35
	सीएमपीडीआईएल की सीएसआर योजना के अंतर्गत तीन कमरों का निर्माण पतरागोंदा ग्राम में कंक्रीट रोड का निर्माण, तथा बिरसा स्कूल तथा हथिया गोंदा में वर्तमान भवनों का डिसटेंपरिंग तथा पेन्टिंग एवं खिड़की दरबाजे के लिए मरम्मती का कार्य, लड़के एवं लड़कियों के लिए टॉयलेट	48.54
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर राँची का अपकीय कार्य	72.94
4.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा एनटीएस बरकाकाना हेतु सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुरक्षण कॉन्ट्रेक्ट	116.43
5.	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में फ्रांट वरंडा के लिए दो क्लास रूम प्रोफाइल शीट रूफिंग का निर्माण	18.40
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में आरएंडडी भवन के बचे हुए भाग तथा पुराने कार्यालय भवन के ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ फ्लोर में प्रलेखन, सुरक्षा, ईएंडएम, सीआईएल सेल, तथा गवेषण विभाग का रखाव तथा विशेष मरम्मती का कार्य	162.00
7.	सीएमपीडीआई की सीएसआर गतिविधियों के अन्तर्गत हथियागोंदा ग्राम तथा बिरसा उच्च विद्यालयपरिसर में दो क्लास रूम का निर्माण	15.54
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर राँची में स्पोर्ट्स ग्राउण्ड का डेबलपमेंट	14.39
9.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में एक वर्ष के लिए पम्पों का अनुरक्षण तथा संचालन सहित गंदे जल उपचार संयंत्र का अनुरक्षण एवं संचालन	6.14
10.	ण्क वर्श के लिए सीएमपीडीआई मुख्यालय परिसर राँची में (आवासीय तथा गैर–आवासीय) का विद्युत कार्यों के लिए वर्ष 2014–15 हेतु अनुरक्षण कॉन्ट्रेक्ट	59.25
	चालू (जारी) कार्य	
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में मौसमी पेड़–पौधों (इनडोर एंड आउटडोर) का रख–रखाव सहित गार्डेन के लिए वार्षिक अनुरक्षण कॉन्ट्रेक्ट	30.51
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर, राँची में रख–रखाव कार्य	76.98
3.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची तथा एनटीएस बरकाकाना के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्यों हेतु रख–रखाव कॉन्ट्रेक्ट	94.55
4.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में एक वर्श के लिए पम्पों का रख–रखाव तथा संचालन सहित गंदा जल उपचार संयंत्रों का संचालन एवं रख–रखाव	6.54
5.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई कम्पलेक्स राँची (आवासीय तथा गैर–आवासीय) के विद्युत कार्यों के लिए वर्ष 2014–15 हेतु मेन्टेंनेस कॉन्ट्रेक्ट	64.91
6.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई कैम्पस में आवासीय क्वार्टरों तथा कार्यालय भवनों के लए मच्छड़ नियंत्रण तथा दीमक रोधी ट्रीटमेंट के लिए रख–रखाव का ठेका	12.70
7.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में आवासीय बहु मंजली भवन आरसीसी, छज्जा, इन्टेल बीम की मरम्मती	28.03

8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची परिसर में अभिलेखागार भवन का निर्माण	141
9.	धनबाद में क्षेत्रीय संस्थान–II के सीएमपीडीआई कार्यालय का नवीकरण एवं नवीनीकरण	142
10.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर में सीएमपीडीआई कैम्पस के अंदर खतरनाक सड़कों पर मरम्मती सहित प्रीमिक्स कारपेट सर्फेसिंग	20.70
11.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में 6 डिजिटल टाइमर 24 घंटे की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1.51
12.	9 वर्षों के लिए आईसीटी प्रभाग तथा एएमसी में पूरे वर्तमान एसी प्रणाली की डिसमेंटलिंग सहित मे मैचिंग क्षमता की सांविधिक के साथ–साथ 40 टन क्षमता वाली एयर कंडिशनिंग की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन एवं चालू करना	एएमसी
13.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में रद्दी कागजों का ऑपरेषन(संचालन)	विभागीय तौर पर
14.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची परिसर में 'बी' टाइप क्वार्टर ब्लॉक संख्या : बी–1 से बी–36 तक (36) की रिवारिंग	पार्ट–II ओपेंड
15.	250 केवीए डीजी सेट सं. 1 का ओवर हाउलिंग	3.44
16.	250 केवीए डीजी सेट सं. 3 का ओवर हाउलिंग	5.57

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

5.1 कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

1. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करना है।

2. एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुनरूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव पर भी कार्य करता है।

3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

   शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या– 390 (31.03.2016 तक) पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2016 तक)– 314

4. वर्ष 2015–16 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन।

(अ) भौतिक कार्य निष्पादन : वर्ष 2015–16 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2015 के अनुसार चालू परियोजनाएँ–	12
वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ– परिशिष्ट–ए)	07
वर्ष 2015–16 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ– (परिशिष्ट–बी)	01
1.4.2016 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	18

ब.) वित्तीय स्थितिः बजट प्रावधान और वास्तविक खर्च नीचे दर्शाया जा रहा है:

(करोड़ रूपये में)

2014–15		2015–16	
आरई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
17.95 (ईएक्स एनईआर–2.05)	16.16	18.0 (ईएक्स एनईआर–2.25)	17.59

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है।

अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 73 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 58 परियोजनाएँ मार्च, 2016 तक पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :

(i) 1.4.2015 के अनुसार जारी परियोजनाएँ– 15

(ii) 2015–16 के दौरान सीआईएल के आरएंडडी– 03

बोर्ड द्वारा सिद्धांतः परियोजना अनुमोदित किया गया

(परिशिष्ट–सी)

(ii) 2015–16 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ–05

(परिशिष्ट–डी)

(iii) 1.4.2016 के अनुसार चालू परियोजनाएँ–10

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राशि 4.88 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

परिशिष्ट–ए

वर्ष 2015–16 के दौरान स्वीकृत कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रूपये में)
1.	बैकफील्ड ओपेन कास्ट कोल माइन्स पर कन्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर व्यवहार्य प्रणाली विज्ञान के सुझाव के लिए प्रयास	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, (आईएसएम), धनबाद एवं सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई, राँची	338.32

2.	लैब स्केल कोल विन्नोविंग प्रणाली (फेज–।।) के विभिनन पारा मीटरों का अनुकूलन	सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एंड फियूल रिसर्च (सीआईएमएफआर), नागपुर यूनिट–II, नागपुर तथा सीएमपीडीआई, राँची	18.55
3.	तकनीकी आर्थिक सेल्फ एंड कन्सिंग (मोबाइल) गोलएज सपोर्ट(एसएजीईएस) फेज–।। का सेल्फ विहेवियर कार्य निश्पादन एवं मूल्यांकन	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, (आईएसएम) धनबाद तथा मेसर्स जय भारत इक्वीपमेंट प्रा. लि. (जेबीईएल), हैदराबाद	73.27
4.	ओपेन कास्ट माइन्स के लिए आन लाइन कोल डस्ट संप्रेषण प्रणाली	सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटरिंग (सीडीएसी) तिरूअनन्तपुनम तथा सीएमपीडीआई, राँची	421.04
5.	कार्मिकों के फेफड़े की बीमारी पर कोल माइन डस्ट में वायोवाएबुल आयरन का यथासंभव इम्प्लीकेशन	नेषनल इन्स्टीच्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (एमआईएमएच), नागपुर प्रियदर्शनी इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (पीआईईटी), नागपुर, सेंट्रल इंडिया इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स (सीआईएमएस), नागपुरय वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. पिटेड (डब्ल्यूसीएल) नागपुर	96.54
6.	मुख्य बारहमासी नदी से सटे ऑपेनकास्ट खानो में नॉन–कोहेसिव ग्रेनुलर मिट्टी/बालू को स्टेबलाइज करने के लिए जियोलॉजिकल तथा हाइड्रोलॉजिकल पहलू से संबंधित जाँच	क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई, नागपुर, इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) मुम्बई तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	495.03
7.	कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सीएमएम संसाधनों के निष्कर्षण के लिए केपेसिटी बिल्डिंग	सीएमपीडीआई, राँची तथा कॉमन वेल्थ साइनटिफिक तथा इन्डस्ट्रियल रिसर्च ऑरगोनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया	2392.79

परिषिश्ट–बी

वर्श 2015–16 के दौरान पूरे किए गए कोयला मंत्रालय द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रूपये में)
1.	ओपेनकास्ट माइन्स ईई/43 में एयर बोर्न डस्ट का मॉडलिंग	एनआईटीके, सुरतकाल	77.04

परिषिश्ट–सी

वर्श 2015–16 के दौरान कोल इंडिया के आरएंडडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रूपये में)
1.	पुनर्प्रवेश प्रोटोकॉल तथा खान आपात उत्खनन पर आधारित जोखिम को शामिल करते हुए भारतीय कोयल की विस्फोटकता का निर्धारण तथा जोखिम मूल्यांकन द्वारा विस्फोटक संकट को रोकने तथा न्यूनतम करने के लिए दिशा–निर्देशों का डेवलपमेंट	आईएसएम, धनबाद सीआईएमएफआर, धनबाद, एसएंडआर डिविजन, कोल इंडिया तथा एसआईएमटीएआरएस, आस्ट्रेलिया	1629.72
2.	सतही निरीक्षण तथा सेटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करते हुए कोल फिल्ड एरिया में क्षेत्रीय एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली विज्ञान का विकास (डेवलपमेंट)	सीएमपीडीआई, रांची तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद	709.82
3.	भारत में वर्किंग अंडर ग्राउंड डिग्री–III कोल माइन से प्राप्त भेन्टीलेषन एयर मिथेन का यूरिलाईजेषन तथा एवेटमेंट	सीएमपीडीआई, राँची तथा कॉमनवेल्थ साइनटिफिक तथा इन्डस्ट्रीयल रिसर्च आर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया	2565.76

परिषिश्ट–डी

वर्श 2015–16 के दौरान पूरे किए गए कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रूपये में)
1.	फोम एजेन्ट के विस्तार का इस्तेमाल करते हुए भू.ग. खान में आग की स्थिति में त्वरित सेटिंग स्टॉपिंग का निर्माण परियोजना कोडः सीआईएल/आरएंडडी/1/48/11	एसएंडआर डिविजन कोल इंडिया (भु.) कोलकाता, एनआईटी, राउरकेला तथा मेसर्स ट्रान्स मार्केटिंग, कोलकाता	51.34
2.	(जीएचजीजेडई) ऊर्जा का संरक्षण के लिए कोल माइन्स तथा कोल बेडों से प्राप्त ग्रीन हाउस गैस रिकवरी परियोजना कोडः सीआईएल/आरएंडडी/1/49/2012	सीबीएम सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची तथा यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीषन लंदन	106.81
3.	अंडर ग्राउण्ड माइनिंग मशीन के ट्रेलिंग केबुल्स के लिए रबर कम्पाउण्ड तथा रिपेयर टेकनिक्स का विकास (डवलपमेंट)। परियोजना कोडः सीआईएल/आरएण्डडी/1154/2013	आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल	204.07
4.	पर्यावरण प्रबंधन एप्रोच पर आधारित आसम आईसीटी में कोयला खनन के विस्तार तथा निरंतरता के प्रसंग में एसिड माइन ड्रेज का मानीटरिंग तथा भूमि सुधार तथा नियंत्रण का डायनेमिक जीआईएस इनहान्स्ड फोरवार्ड कास्ट मॉडलिंग (एफसीएम) का विकास, परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/4/07/2013	बिरला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, कोलकाता कैम्पस साउर्थन कॉनक्लेव कोलकाता	95.68
5.	विद्युत आपूर्ति के मल्टीपल सोर्स का नियंत्रण तथा अनुकूलन के लिए डिजाइन डवलप तथा डिमांस्ट्रेट माइक्रोग्रीड सिस्टम परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/56/2013 कार्यान्वयन एजेंसी	ईएंडएम डवलपमेंट सीएमपीडीआईएल, रांची तथा गुजरात इनर्जी रिसर्च तथा मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (जीईआरएमआई) गांधी नगर, गुजरात	351.10

5.3 समझौता संलेख (एमओयू) 2015–16

सीएमपीडीआई के 2015–16 के समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत निम्नलिखित दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ रखी गई :

1. विद्युत आपूर्ति के मल्टीपल सोर्स का अनुकूलन तथा नियंत्रण के लिए डिमान्स्ट्रेट माइक्रो ग्रीड प्रणाली तथा डिजाइन एवं विकास– सोलर प्लांट के उत्कृष्ट रेटिंग कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 31 जुलाई, 2015 तक सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था।

उपलब्धि

सोलर फोटोवोलेटिक प्लांट सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के छत पर खड़ा कर चालू कर दिया गया है। इस प्लांट की कुल प्रतिष्ठापन क्षमता लगभग 191 किलो वाट है। इस प्लांट के प्रतिष्ठापन में दो प्रकार की प्रौद्योगिकी यथाः स्ट्रिंग इनवर्टर के साथ एक अन्य माइक्रो इनवर्टर के साथ अपनाई गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत सोलर पीवी सिस्टम के क्लब्ड (यूटिलिटी सप्लाई) पारंपरिक ग्रीड तथा आंतरिक ग्रीड (सीएमपीडीआई) को फीड करने के लिए ग्रीड इन्ट्राक्टिव इनवर्टर के माध्यम से ग्रीड डीजी सेट, जब कभी यूटिलिटी ग्रीड (जेएसईबी) की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है।

ईएंडएम डिवीजन द्वारा सोलर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन पर रिपार्ट सौंप दी गई है।

2. ड्रैगलाइन डम्प और शॉवेल डम्पर डम्प दोनों की सुरक्षा तथा मितव्ययी डिजाइन विचार–विमर्श के साथ ड्रैगलाइन डम्प तथा शॉवेल डम्पर डम्प के बीच दूरी का पूर्वानुमान करने के लिए दिशा–निर्देशों का विकास – शॉवेल डम्पर डम्प तथा 8 ड्रैगलाइन माइन्स के बीच अनुकूलतम दूरी का निर्धारण तथा उत्कृष्टता के लिए 15 नवम्बर, 2015 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था।

उपलब्धि

- शॉवेल डम्पर डम्प तथा ड्रैगलाइन डम्प के बीच अनुकूलतम दूरी निर्धारित करने के लिए दिशा–निर्देशों के विकास हेतु जियो इंजीनियरिंग पारा मीटर्स के निर्धारण हेतु कोल इंडिया के निम्नलिखित 8 ओपेनकास्ट माइन्स यथाः सस्ती ओसीपी, दुधिचुआ ओसीपी, खादिया ओसीपी, जयंत ओसीपी, वीणा ओसीपी, निगाही ओसीपी, अमलोरी ओसीपी, घुघुस ओसीपी में अब तक अध्ययन किए जा चुके हैं।

  उपर्युक्त खानों में जियो इंजीनियरिंग विश्लेषण के आधार पर डाटा प्रतिपादित किया गया।

  जयंत, वीणा, निगाही, दुधिचुआ, खादिया तथा एमसीएल का अमलोरी तथा डब्ल्यूसीएल घुघुस ओपेनकास्ट परियोजना के लिए ''8 ड्रैगलाइन माइन्स के ड्रेग लाइन डमप और शॉवेल डम्पर डम्प के बीच अनुकूलतम दूरी के निर्धारण'' पर विस्तृत रिपोर्ट पत्र संख्या–सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग/ 30 दिनांक : 16.10.2015 के अनुसार बीआईटी मेसरा द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है। अगले अध्ययन के लिए कोल इंडिया शेष ओपेनकास्ट परियोजना से प्राप्त जियो–इंजीनियरिंग डाटा एकत्रीकरण का कार्य जारी है।

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ

6.1 रसायनिक प्रयोगशाला

वर्ष 2015–16 के दौरान 15 कोयला क्षेत्रों के उप कोयला ब्लॉकों में बोर होल कोयला कोर के कोयले का गुण–निर्धारण किया गया। मार्च, 2016 तक कुल 9426 मी. कोयला कोर संसाधित किया गया 30975 कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें नार्दर्न खार ब्लॉक मोको चुंग, डिस्ट्रिक्ट नागालैंड (डीजीएम, नागालैंड) से प्राप्त कोयले का नमूना शामिल है।

25 जीआर के लिए रासायनिक विश्लेषण का मॉनीटर किया गया तथा जीआर की तैयारी के लिए परिणाम सुपुर्द कर दिया गया।

सेम्पलिंग शेड के नवीकरण तथा उपकरण प्राप्ति की स्थिति

- सेम्पलिंग शेड का नवीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है।
- 1 नं. जाव क्रशर तथा पुल मराइजर की आपूर्ति कर दी गई है तथा इसे प्रतिष्ठापित किया जाना है।
- 2 नं. प्रोक्सीमेट एनलाइजर तथा बोम्ब केलोमीटर (क्षे.सं.–5 तथा क्षे.सं.–7 में नई प्रयोगशाला के लिए) की आपूर्ति की जा चुकी है तथा इसे लगाया (प्रतिष्ठापित) किया जाना है।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला

वर्ष 2015–16 के दौरान 19 कोयला क्षेत्रों के 20 ब्लॉकों का बोर होल कोयला कोर का गुण–निर्धारण किया गया। नार्दर्न खार ब्लॉक मोकोचुईंग, डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड (डीजीएम नागालैंड) से प्रापत कोयला नमूनों सहित मेसरल निर्धारण तथा रिफ्लेक्टेंस अध्ययन के लिए कुल 637 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

कोयला तथा आर्गेनिक पेट्रोग्राफी (ओसीपी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इस प्रयोगशाला के एक पेट्रोग्राफर को मान्यता दे दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार के पेट्रोग्राफिक विश्लेषण करने के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय के पेट्रोग्राफी की इस प्रमाण–पत्र से योग्यता हासिल कर ली है।

उपकरण प्राप्ति की स्थिति

1. स्क्रेनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप की स्थापना की जा चुकी है।
2. एडवान्स्ड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप की स्थापना की जा चुकी है।
3. प्वाईंट काउन्टर प्रतिष्ठापित किया जा चुका है।

4. एक्स–रे डिफ्रेक्टो मीटर की प्राप्ति के लिए पुनः निविदा अगस्त में जारी कर दी गई है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट सामग्री प्रबंधन विभाग (एमएम डिपार्टमेंट) को सौंप दी गई है।

6.3 कोयला विनिर्माण प्रयोगशाला

सीएमपी प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग तथा नन–कोकिंग कोयला नमूनों दोनों के लिए (प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवीएचजीआई, कोकिंग विश्लेषण इत्यादि सहित) वाशेबलिटी अध्ययन में संलग्न है। बोर कोर कोयला नमूनों तथा रोम कोयला नमूनों के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है। कुछ कोयला नमूनों, जिसकी जाँच की गई है उसे नीचे दी जा रही है, जो निम्नलिखित है :

क) बोर कोर कोयला नमूने–40

ख) आरओएम कोयला नमूने–5

ग) रासायनिक प्रयोगशाला से प्राप्त–49 नमूने के स्वेलिंग इन्डेक्स का निर्धारण

6.4 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला

सीएमपीडीआई में स्थापित सीबीएम प्रयोगशाला ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है तथा सीबीएम की रिकवरी पर डाटा सृजित करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोसिमीटर–सह–परामीटर (मेक वीआईएमसीआई प्रौद्योगिकी वित्त की) अतिरिक्त सुविधा को बढ़ाया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 5 बोर होल में शेल गैस स्पेसिफिक डाटा जेनरेशन तथा 8 बोर होल में सीबीएम स्पेस्फिक डाटा जेनरेशन को सीबीएम सृजित किया है। 29 कोयला नमूनों के लिए एडसोरपियम एसीथेलेम (ए) अध्ययन 116 शेल नमूनों के लिए कुल आर्गनिक कार्बन (टीओसी) विश्लेषण पूरा किया जा चुका है। आगे सीसीएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों से प्राप्त 969 माइन एयर नमूनों का विश्लेषण तथा एसईसीएल के 29 माइन सर्वे नमूने के विश्लेषण का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा परिणाम सुपुर्द कर दिया गया है।

6.5 खनन प्रयोगशाला सेवाएं

रॉक मेकेनिक्स/रॉक टेस्टिंग

1. 3120 एमएम के ड्रिल कोर नमूने पर भौतिक–यांत्रिक प्रोपर्टीज के पर जाँच किया जा चुका है।

2. घुघरा ब्लॉक, सोनाघाट, कोयला क्षेत्र, एसईसीएल के एक बोर होल का भौतिक–यांत्रिक प्रोपर्टीज का परिणाम पर रिपोर्ट।

संस्तर नियंत्रण अध्ययन

1. 12 खानों/सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)/स्पेसिफिक ग्रेविटी/केवेबिलिटी के अध्ययन पर रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई।

2. आरएमआर अध्ययन के लिए स्ट्रेंथ प्रोपर्टीज, स्लेक डयूरेबिलिटी तथा घनत्व के निर्धारण के लिए (21) रूफ रॉक नमूने पर रॉक टेस्ट।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

7.1 ईआईए/ईएमपीएस

2015–16 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 16 फार्म–। तैयार किया है तथा 34 ईएमपी मसौदा तैयार किया है।

7.2 वायु, जल और ध्वनि का पर्यावणिक मॉनीटरिंग

एमओईएफ द्वारा खनन परियोजनाओं के लिए जब एक बार पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी जाती है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है।

विवेच्य वर्ष 2015–16 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर, ईव वैली तथा राँची में स्थित ग्यारह पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम

से कोल इंडिया (ईसीएल–107, बीसीसीएल–86, सीसीएल–72, डब्ल्यूसीएल–81, एसईसीएल–83, एनसीएल–13 तथा एमसीएल–25) का 467 परियोजना/संस्थापन का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग किया गया है।

पर्यावरण प्रयोगशाला में जल–नमूनों का विश्लेषण।

7.3 ईआईए परामर्षी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता

सीएमपीडीआई को वर्ष 2015–16 में खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र, थर्मल कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मानद एजेंसी) द्वारा ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में पुनः मान्यता दे दी गई है।

7.4 एनएबीएल द्वारा सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगषाला को मान्यता

NABL
National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
Department of Science & Technology, India

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

ENVIRONMENT LABORATORY, CENTRAL MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LIMITED

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand

in the discipline of

CHEMICAL TESTING

Certificate Number T-2945
Issue Date 19/05/2014 Valid Until 18/05/2016

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the additional requirements of NABL.

Signed for and on behalf of NABL

Manoj Kumar Tiwari, Convenor — Anil Relia, Director — Prof. K. VijayRaghavan, Chairman

रा.प्र.प्र.बो.
राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत

प्रत्यायन प्रमाण–पत्र

पर्यावरण प्रयोगशाला, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005

रांची, झारखंड

रासायनिक परीक्षण

पर्यावरणिक प्रयोगशाला, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची की मान्यता का प्रमाण–पत्र

विवेच्य वर्ष के दौरान प्रयोगशाला के परीक्षण तथा अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला (एमएबीएल) सर्विलांस मूल्यांकन के परीक्षण तथा अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय क्षेत्रीय संस्थान–IV एवं क्षेत्रीय संस्थान–V में स्थित सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला को मान्यता दे दी गई है।

7.5 सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला के ओएचएसएएस–18001–2007 हेतु रजिस्ट्रेशन

Certificate of Registration

Environment Laboratory, Environment Department, Central Mine Planning & Design Institute Ltd.

Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi – 834031, Jharkhand India

OHSAS 18001:2007

www.cert-int.com

ओएचएसएएस 18001–2007 के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र

सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल (सीआई) द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआई को ओएचएसएएस–18001–2007 के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र दे दिया गया है।

7.6 पर्यावरणिक प्रयोगशाला का संस्थापन/उन्नयन (अपग्रेडेशन)

वर्ष 2015–16 में पर्यावरणिक प्रयोगशाला क्षेत्रीय संस्थान–II धनबाद में स्थापित किया गया है।

सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में पर्यावरणिक प्रयोगशाला का दृष्टिकोण

7.7 कोयला परियोजना के लिए एसटीपी/एएमडी/आईडब्ल्यूएसएस

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित योजनाएँ तैयार की गईं।

1. ईसीएल के सोनपुर–बजारी ओसीपी के लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हेतु एक योजना
2. एनसीएल के गौरवी माइन के लिए एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) हेतु एक योजना
3. एनसीएल के खादिया ओसीपी के लिए समेकित जल आपूर्ति के लिए एक योजना

7.8 कोयला मंत्रालय द्वारा सीएमपीडीआई को भेजे गए कोयला खनिखंडो हेतु माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी

विवेच्य वर्ष के दौरान 28 माइन क्लोजर पर टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई।

7.9 स्लोप स्थायित्व तथा मृदा क्षरण नियंत्रण की स्थिति

खुली खनन के लिए ढाल स्थायित्व अध्ययन और मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी पर्यावर्णिक तथा वन स्वीकृति की शर्तों में से एक है। तद्नुसार 9 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हई वाल के अल्टीमेट स्लोप एंगल का निर्धारण पूरा कर लिया गया है।

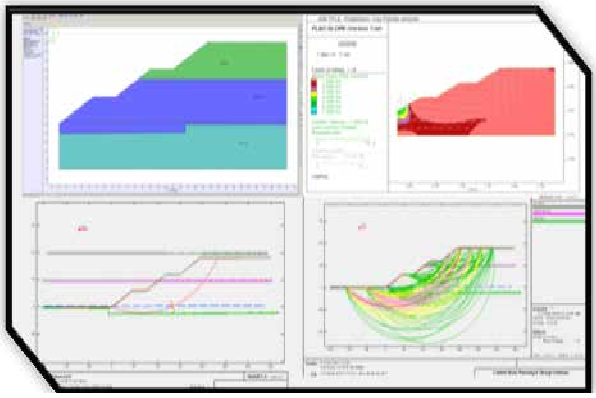

एफएलएसी तथा जीएएलईएनए का इस्तेमाल करते हुए पिम्पली गाँव ओसीपी में ओबी डम्प का ढाल स्थायित्व का विश्लेषण

इसके अतिरिक्त 3 मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा कोयला परियोजना के 1 टॉप प्रबंधन भी पूरा कर लिया गया।

7.10 पेरिस कॉन्वेन्सन के लिए आईएनडीसी (इन्टेन्डेड नेशनली डिटरमाइन्ड कॉन्ट्रीव्यूशन) की तैयारी

सीएमपीडीआई ने कोयला सेक्टर के लिए इन्टेन्डेड नेशनली डिटरमाइन्ड कान्ट्रीव्यूशन (आईएनडीसी) की तैयारी में कोयला मंत्रालय को सहायता दी। नवंबर–दिसम्बर, 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी–21 की सुपुर्दगी के लिए पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्त्तन (एमओईएफ तथा सीसी) मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया कुल आईएनडीसी रिपोर्ट का यह निवेश एक भाग था। सीएमपीडीआई ने भारत सरकार द्वारा बाइमल अपडेटेड रिपोर्ट (बीयूआर) तैयार कर सुपुर्दगी के लिए इनपुट देने कोयला

मंत्रालय को सहायता प्रदान की। सीएमपीडीआई जीएचजी उत्सर्जन घटाने के लिए सीबीएम/सीएमएम के विकास पर कार्रवाई कर रहा है।

7.11 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

विश्व पर्यावरण दिवस सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान में 5 जून, 2015 को मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अतिथि भाषण, वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा बच्चों के लिए ड्राईंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई।

5 जून, 2015 को बच्चों के लिए आयोजित ड्राईंग की प्रतियोगिता

8. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई सीटी डिवीजन कोल इंडिया और अन्य सहायक अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को नीचे दिया जा रहा है :

1. वेब आधारित ऑनलाइन कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा अधिकारियों एवं स्वीकृति के माध्यम से आनॅ लाइन इन्ट्री गोल सेटिंग के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली अधिकारियों द्वारा उपलब्धि पर की गई रिपोर्ट पर आधारित तथा वार्षिक समीक्षा को सुविधा जनक बनाएगा निजी गुण और विशेष उपलब्धि के लिए रेटिंग सहित गोल के लिए रेटिंग करने तथा अधिकारियों के कार्य निष्पादन के फाइनल स्कोर के निर्धारण के लिए उपयोग किया जायेगा।

2. कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए विकास एवं कार्यान्वयन जिसमें ईआईएस के अलावे, आनलाइन ट्रांसफर अप्लीकेशन, मेन्टोर–मेंटी, के–माइनिंग, कर्मचारियों का सुझाव, पारिवारिक विवरण, सीएमपीएफ, सीएमपीएस, ग्रेच्यूटी शेयर का विवरण, अनुभव एवं दक्षता सेट शिक्षा का मोडयूल शामिल है तथा जिसे पहले से ही विकसित एवं कार्यान्वित किया जा चुका है।

   वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ईआईएस का प्रयोग कर श्रमशक्ति रिपोर्ट (कंपनीवार) अनुभागवार, श्रेणीवार, स्वीकृति क्षमता, कार्य क्षमता, वेकेन्सी की स्थिति) कोल इंडिया द्वारा रिपोर्टिंग मेकनिज्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ रिटायरमेंट प्रोफाईल का उपयोग कोल इंडिया में मैन पावर प्लानिंग एक्सरसाइज करने के लिए किया जा रहा है।

3. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) सकतोड़िया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), राँची, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) बिलासपुर के लिए वेबसमर्थित ऑन लाइन भर्ती अप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसी प्रकार के पोर्टल का विस्तार सीएमपीडीआईएल के लिए भी किया गया है। एनसीडब्ल्यूए द्वारा शासित गैर–अधिकरी कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने हेतु भर्त्ती डिवीजन के लिए यह एक उपकरण भी है।

   ऑनलाइन भर्ती, ई–रिक्रुटमेंट या वेब आधारित भर्ती, उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन प्रौद्योगिकी अथवा इन्टरनेट का प्रयोग, प्रतिभावान उम्मीदवारों

की खोज करने तथा भर्ती प्रक्रिया में सहायता के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

4. कोल इंडिया तथा अनुषंगी कंपनियों के लिए सतर्कता क्लीयरेंस सिस्टम/सतर्कता मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है तथा कार्यान्वित किया गया है।

5. वर्ष 2015 के लिए कोल इंडिया के सभी अधिकारियों के लिए ऑनलाइन वेब समर्थित वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न प्रणाली का विकास तथा कार्यान्वयन। इस सुविधा को गैर–अधिकारियों के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट के तहत बढ़ाया गया है।

6. सीएमपीडीआई, के सर्वर पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का वेब साइट मेनटेन कर रहा है।

7. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटैड के लिए पावर कन्ज्यूमर (एफएसए) हेतु कोयला आवंटन के लिए पोर्टल सृजित किया गया है।

8. कोल इंडिया के लिए ऑन लाइन बैंक कार्ड रेट प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली को कोल इंडिया की सिक्यूरिटी के लिए डिपॉजिट हेतु कोटेड ब्याज दर को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है।

9. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ऑन लाइन फीड बैक पोर्टल

10. सीएमपीडीआई में पायलट के आधार पर (एमआईजी द्वारा विकसित) ई–ऑन लाइन सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है।

सीएमपीडीआई के आधारभूत संरचना की वृद्धि

1. इन्टरनेट लीज्ड लाइन बैण्डविद्थ क्षमता 34 एमबीपीएस से 100 एमपीएस बढाई गई है।

2. एमपीएलएस बैण्डविद्थ मुख्यालय में 2 एमबीपीएस से 10 एमपीएस तक तथा क्षेत्रीय संस्थानों में 1 एमबीपीएस से 4 एमपीएस तक की वृद्धि की गई है।

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली

प्रकाशन विभाग से संबंधित निम्नलिखित क्रिया–कलाप किए गए :

1. माइनटेक तथा देशकाल संपदा का प्रकाशन–माइनटेक एवं देशकाल संपदा का प्रकाशन विवेच्य वर्ष के दौरान हमारे घरेलू मैगजीन के (4 लक्षित अंक के साथ अतिरिक्त 1 अंक) कुल 5 अंक प्रकाशित किए गए है। इसमें संपादन डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।

2. मैगजीन का प्रेषण – कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया अनुषंगी कंपनी के मुख्यालयों और इकाइयों आदि जैसे स्थानों के लिए दोनों मैगजीनों के लगभग 18000 प्रतियाँ वितरित की गई हैं। प्रेषण में तेजी लाने का प्रयास किया गया है।

3. पुस्तक का प्रकाशन– 'भारत के भू–तल कोयला खनन के ड्रैगलाइन डमप प्रोफाइल पर पुस्तिका' का प्रकाशन किया गया है तथा 'कोल पेट्रोग्राफी पर पुस्तिका प्रक्रियाधीन है।

4. प्रींटिंग कार्य की आऊटसोर्सिंग – मैगजीनों की प्रिंट क्वालिटी तथा समस्त गेट–अप को इम्प्रुव करने के लिए प्रिंटिंग में विलंब को रोकने की दृष्टि से ई–टेंडर के माध्यम से सफलतापूर्वक किए माइनटेक एवं देशकाल–संपदा के 4 अंकों की प्रींटिंग उत्कृष्ट रही। प्रिंटिंग की लागत 22–24 लाख के (लगभग लागत) के मुकाबले वार्षिक के तौर पर 7,56,000 तक घटा दी गई है। जब विभागीय लागत (बी/डब्ल्यू प्रींटिंग) सीसीएल प्रेस में प्रिंटिंग की जाती है।

5. पुस्तकों की बिक्री – प्रकाशन विभाग के स्टोर में पड़े 34 लाख रूपये के किताबों की बिक्री के लिए कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके कोल इंडिया के अनुषंगियों के डीटीएस को निदेशक (टी/ईएस) के

हस्ताक्षर से पत्र भेज दिए गए हैं। इस संबंध में बिक्री हुई किताबों के मूल्य का अंतर–कंपनी ट्रांजेक्सन के लिए सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं ताकि बिक्री की प्रक्रिया को सरल किया जा सके।

6. कोल इंडिया के युवा अधिकारियों का ई–मेल प्राप्त किया जा रहा है ताकि उन्हें हमारी तकनीकी मैगजीन माइनटेक की साफ्ट कॉपी को देखने के लिए सूचित किया जा सके जो ई–लाइब्रेरी के तहत सीएमपीडीआई/कोल इंडिया के वेबसाइड पर अपलोड किया जाता है।

8.2 सतर्कता

1. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता तथा कार्मिकों के लिए क्वीज प्रतियोगिता आयोजित की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस वर्ष के थीम यथा– ''प्रिवेन्टिव विजीलेंस एज ए टूल ऑफ गुड गवर्नेन्स'' पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा भाषण दिया गया। इसके अतिरिक्त, इस अवसर के दौरान कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, काँके रोड, राँची में वाद–विवाद (डिवेट) आयोजित किया गया तथा बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा में भाषण (स्पीच) प्रतियोगिता आयोजित की गई।
2. सीएमपीडीआई में 9 औचक निरीक्षण किया गया है तथा मुख्यालय/क्षेत्रीय संस्थानों में 20 एमपीआरएस की संवीक्षा की गई है।

9.0 विशेशीकृत सेवाएँ (स्पोसलाइज्ड सर्विसेस)

9.1 जियोमेटिक्स

जियोमेटिक्स डिवीजन, भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग, ओबी मेजरमेंट, वेजीटेशन, कवर मैपिंग, डीजीपीएस सर्वे, लैंड यूज मैपिंग कोल माइन फयर मैपिंग, टोपोग्राफिकल, सर्वे, अंडरग्राउण्ड कोरीलेशन सर्वे इत्यादि के लिए रिमोटसेंसिंग तथा सर्वे के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध कराता है।

9.1.1 रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ओसी माइन्स की मॉनीटरिंग

2008–09 से सीएमपीडीआई में सभी ओपेनकास्ट माइन्स के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलान्स इन्ट्रोडयूस किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान हाई रिज्यूलेशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित 5 मिलियन सीयूएम से कम 37 ओसी प्रोजेक्ट प्रोडयूसिंग तथा 5 सीयूएम मिलियन क्षमता (कोयला+ओबी) अधिक क्षमता वाले 50 ओपेनकास्ट परियोजना के भूमि पुनरूद्धार पूरा कर लिया गया है। विस्तृत क्षमता वाले माइन्स (5 एमसीएम) में भूमि पुनरूद्धार का कार्य वार्षिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है तथा छोटे खानों (5 एसीयूएम) का 3 वर्ष के अंतराल (इन्टरवल) पर किया जाता है।

9.1.2 वनस्पति अच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2015–16 के दौरान कोयला क्षेत्रों में भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन पर कोयला खान के क्षेत्रीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

- कर्णपुरा
- ईस्ट बोकारो
- वेस्ट बोकारो
- कोरबा
- बन्देर
- सिंगरौली

9.1.3 भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण

पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए प्रतिपादित बेस लाइन सूचना सीसीएल, एमसीएल एवं डब्ल्यूसीएल 12 परियोजनाओं के कोर जोन तथा बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.1.4 हाई रिजोल्यूशन सैटलाइन डाटा पर आधारित सिंगरौली कोयला क्षेत्र में अनाधिकृत सेटलमेंट का मानचित्रण

हाई रिजोल्यूशन डाटा पर आधारित सिंगरौली कोयला क्षेत्र के जयन्त, दुधिचुआ, वीणा–ककरी तथा ब्लॉक–बी परियोजना में भूमि अधिग्रहण का

नोटिफिकेशन के पहले वर्तमान बिल्ट–अप–संरचना की पहचान।

9.1.5 कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मानचित्रण

सर्वे ऑफ इन्डिया के सहयोग से सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कंटूर अंतराल के साथ 1.50000 पैमाने पर 27 कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मानचित्रण का कार्य जारी है। सभी कोयला क्षेत्रों का एयरबोर्न डाटा प्राप्त कर लिया गया है तथा डाटा प्रोसेसिंग का कार्य जारी है।

9.1.6 ओबीआर मेजरमेंट

थर्ड पार्टी के रूप में कोल इंडिया की सभी आउटसोर्स पैचेज में ओबीआर चेकमेंट के साथ सीएमपीडीआई ने सुपुर्द कर दिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान अनुषंगी कंपनियों में 44 ओसीपीएस का ओबीआर मेजरमेंट तथा 134 पेजेज में आउटसोर्स ओबीआर मेजरमेंट का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.1.7 वन बाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण

एमओईएफ के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए खनन एवं अन्य उद्योगों के लिए प्राप्त की जाने वाली जमीन पर वन भूमि पर डीजीएमएस सर्वे किया जाना है तथा सुपुर्द किए गए एफआई चरण–I वन क्लीयरेंस अप्लीकेशन के साथ शेष फाइल सुपुर्द किया जाना है। वन क्लीयरेंस के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान 43 (सीसीएल में 14, ईसीएल में 4, एसईसीएल में 24, एनसीएल में 1) कोयला परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। रेलवे की दो परियोजनाओं के लिए वन–भूमि हेतु जियोरिफ्रेन्सिंग तथा एनईसी का एक सड़क पूरा किया गया।

9.1.8 काडास्ट्रल मानचित्रण एवं सेटेलाइट डाटा पर आधारित ओवर लेईंग एवं लीज होल्ड वाउण्डरी का जियोरिफ्रेसिंग

छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सभी लीजों के लिए जियोरिफ्रेन्डस कोल माइन लीज बाउण्डरी के लिए एसईसीएल को निर्देश दिया है। विवेच्य वर्ष 2015–16 के दौरान एसईसीएल के माइन लीजहोल्ड बाउण्ड्री का जियो–रिफ्रेन्सिंग तथा 6 माइनिंग लीज के लिए डिजीटल केडस्ट्रल मैप एवं एलआईएसएस–IV + सीएआरटीओएसएटी–II सेटेलाइट डाटा पर उसी प्रकार के ओवरलेईंग का कार्य पूरा कर लिया है।

9.1.9 विवेच्य वर्ष 2015–16 के दौरान खान जल के प्रभावी यूटिलाइजेशन के लिए कंपटी कोयला क्षेत्र में ''समेकित जल संसाधन प्रबंधन'' आधारित सेटेलाइट का कार्य पूरा कर लिया गया।

9.1.10. ओबी डम्प का सर्वेक्षण

विवेच्य वर्ष 2015–16 के दौरान डम्प की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए डम्प स्लोप तथा समस्त हाइट के निर्धारण के लिए सीएमपीडीआई द्वारा नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी ओसी कोल माइन्स के ओबी डम्प का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

- निगाही, दधिचुआ तथा कृष्णाशीला ओसी खानों में ड्रैग लाइन ओबी डम्प सर्वेक्षण तथा अमलोहरी के दो ओबी डम्प का स्लोप तथा समस्त हाइट का मेजरमेंट का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.2 विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के क्षेत्र में मूल्य संवर्धित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता तथा क्षमता को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन की समस्याओं को सुलझाने जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा का समावेशन तथा प्रयोग, कास्ट विस्फोटन, विस्फोटन द्वारा ईड्यूस्ड केविंग, गर्म संस्तर में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन आदि में तकनीकी विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त विस्फोटन डोमेन तथा कोल इंडिया लिमिटेड के आरएंडडी द्वारा वित्त प्रदत अनुसंधान एवं

विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

सीएमपीडीआई का विस्फोटन विभाग विस्फोटन एवं विस्फोटकों की जाँच करने के लिए स्टेट–आफ–आर्ट–प्रौद्योगिकी जैसे हाई स्पीड कैमरा, इन–दि–होल वीओडी माप के लिए डाटा ट्रैप–II, विपफ्रैग साफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जे.के. सीमब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन हाई सेम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलोस्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों को निम्नलिखित सेवाएँ दी गई

1. विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन – बीसीसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की 19 खानों में।
2. विस्फोटन पारामीटर का अनुकूलन तथा पाउडर फेक्टर स्टडी का इम्प्रुवमेंट – बीसीसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की 43 खानें।
3. सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल और एनईसी के खानों में विस्फोटन तथा सहायक सामग्रियों का रेण्डम सेम्पलिंग तथा परीक्षण।
4. नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की खानों के लिए विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों तथा सहायक सामग्रियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन।
5. बीएसआई, कारगली भू.ग. बीएंड के एरिया सीसीएल के ऊपर पड़े सतही संरचना पर भूमिगत विस्फोटन के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन।
6. सीसीएल, ईसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल की 9 (नौ) खानों में एसएमई की पहचान।

9.3 खनन इलेक्ट्रानिक्स

सीएमपीडीआई का इलेक्ट्रानिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावर्णिक पारामीटरों की टेली मॉनीटरिंग संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में अपनी सेवाएँ देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एव अंशशोधन के साथ–साथ आयातित/विदेशी, एचईएमएम कार्डों की मरम्मती में अनुषंगी कंपनियों के मूल्यवान सहायता प्रदान करती है। इस विभाग में खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आरडी एवं एसएण्डटी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए।

9.3.1 रिपोर्ट/स्कीम/एनआईटी की तैयारी

1. एमसीएल की ओपेनकास्ट क्षेत्र खान संख्या–4 के लिए पर्यावर्णिक टेली मॉनीटरिंग प्रणाली हेतु ड्राफ्ट सुपुर्द की जा चुकी है।
2. अशोका ओपेनकास्ट माइन, सीसीएल के लिए ''ओपेनकास्ट माइन हेतु ऑनलाइन कोल डस्ट संप्रेषण'' पर एमओसी, एसएंडटी रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है।
3. ''भू.ग. खान के लिए टेली रोबिटिक्स तथा रिमोट ऑपरेशन'' के डेवलपमेंट पर कोयला मंत्रालय ने एसएंडटी परियोजना अनुमोदित किया। ईसीएल के कोट्टाडीह भूमिगत खान में क्षेत्रीय परीक्षण का कार्य जारी है।
4. कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाह्य एजेंसियों के परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 17 भू.ग. तथा ओसीपी हेतु इलेक्ट्रानिक्स तथा टेलिकॉम्यूनिकेषन पर चैप्टर तैयार कर लिया गया।

9.3.2 मरम्मती/अंशशोधन/इलेक्ट्रॉनिक कार्डो का परीक्षण /गैस मॉनीटर्स

1. एचईएमएम कार्डो की मरम्मती – 228
2. मेथिनोमीटर्स की मरम्मती एव अंशशोधन–27

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी

सीटी तथा लैब डिवीजन का रासायनिक तथा

पेट्रोग्राफिक यूनिट कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयला के डाउन स्ट्रीम उपयोग के लिए संपूर्ण गुण–निर्धारण सम्पादित करने हेतु पारंपरिक तथा आयातित स्टेट आफ आर्ट उपकरण से सुसज्जित है।

भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के सहयोग से रूटिन के आधार पर गवेशण स्तर पर कोयला का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

कच्चा क्लीन कोयला नमूना (वाशरी प्रोडक्टस) का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण क्लीन कोयला का प्रोपर्टीज सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। सीबीएम तथा शेल गैस डाटा पैकेज के लिए शेष नमूनों के लिए कोयला नमूनों का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

एनएबीएल मान्यता

1. लैब ने एनएबीएल मान्यता के लिए अप्लीकेशन जमा किया है।
2. एनएबीएल की तैयारी में सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विशिष्ट उपलब्धि

''कोयला पेट्रोग्राफी की पुस्तिका'' नामक एक किताब प्रकाशन के अन्तर्गत है।

9.5 प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ

कोल इण्डिया तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्श सेवाएँ

सीएमपीडीआई ने वर्षों से विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9001– क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001–पर्यावर्णिक प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001–ओक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 27001–इन्फोरमेंशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 50001–इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 17025–जेनरल रिक्वायरमेंट के प्रमाणन में सहायता के लिए परामर्शी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

सीएमपीडीआई कोयला उद्योग को प्रबंधन प्रणाली का सृजन तथा प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है। और प्रशिक्षण एवं अंकेक्षण सपोर्ट, कार्यान्वयन, प्रमाणन सपोर्ट प्रमाणनोत्तर सपोर्ट इत्यादि की सुविधा देते हुए सभी प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

नॉडल एजेंसी होने के नाते कोल इंडिया के ऐसे सभी कार्यों के लिए सीएमपीडीआई ने इन प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने हेतु सभी अनुषंगी कंपनियों को सुविधा प्रदान की है। 31.3.2013 के अनुसार, कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों 105 यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे – आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 27001, आईएसओ 17025 तथा एसए 8000 के लिए प्रमाणन है। इन सबों के अतिरिक्त दो अनुषंगी कंपनियाँ एमसीएल तथा एनसीएल कंपनी वाइड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस इन्टीग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित है।

2015–16 के दौरान :

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई ने आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएस 18001 मानको को संपुष्टि का इमप्लेनिंग कंपनी वाइड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) में सीसीएल, बीसीसीएल तथा ईसीएल को सुविधा प्रदान की है। इस प्रसंग में आईएमएस मैन्युअल जैसे प्रबंधन, संचालन तथा अनुरक्षण मैन्यूअल्स सीएमपीडीआई द्वारा इन कंपनियों के लिए तैयार की गई। थर्ड पार्टी प्रमाणन् निकाय के चयन के लिए इन तीन अनुषंगी कंपनियों को ड्राफ्ट एनआईटी के रूप में सपोर्ट तथा दिशा–निर्देश उपलब्ध कराया गया। प्रमाणोत्तर सपोर्ट तथा दिशा–निर्देश कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2015–16 के लिए समझौता संलेख के पार्ट के रूप में क्षेत्रीय संस्थान–1, 2 एवं 3 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया तथा आईएसओ 27001–2013 इन्फोरमेंशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अस्थाई प्रमाणित किया गया। क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 बिलासपुर में हमारा दो पर्यावर्णिक

प्रयोगशाला ओएचएसएएस–18001 : 2007 के लिए प्रोविजनली प्रमाणित किया गया। मूल प्रमाण–पत्र कुछ दिनों के बाद प्राप्त कर लिया जायेगा।

भविष्य की योजनाएँ :

हमारे कॉरपोरेट मुख्यालय, राजरहाट, कोलकाता में आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) तथा आईएमएस 5000 (ईएनएमएस) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी कार्य प्रारंभ किया गया। मसौदा मैन्यूअल्स हमलोगों के द्वारा तैयार किया गया तथा उसे पुनरीक्षण तथा टिप्पणियों के लिए कोल इंडिया भेज दिया गया है। दो मानकों पर कोल इंडिया के मुख्यालय में दो प्रशिक्षण सत्रों के साथ कार्यक्रम पहले से ही प्रारंभ कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, 2015 में संशोधित किया गया तथा ओएचएसएएस 18001 को नये मानक अर्थात् आईएसओ 45001 के साथ अक्टूबर, 2016 में रिप्लेस किया जा रहा है। इन नए संशोधनों की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों के सभी मैन्यूअलों को पुनः लिखना होगा। यह कार्य जनवरी, 2017 से प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

10.0 सामग्री प्रबंधन विभाग :

क) सामग्री प्रबंधन विभाग की गतिविधियों को निम्नलिखित ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

क्र. सं.	विवरण	कुल मूल्य (लाख रू. में) 2014–15	कुल मूल्य (लाख रू.में) 2015–16	वृद्धि (% में)
1.	आपूर्ति आदेश का कुल मूल्य	4187.00	5397.25	28.90
2.	कैपिटल ग्रास के लिए आदेश	2935.00	4062.49	38.41
3.	पूँजीगत बजट का यूटिलाइजेशन	2685.00	3621.00	34.86
4.	निपटान	128.77	109.76	(–)14.76′

वास्तविक तथ्य के बावजूद वित्तीय वर्ष 2014–15 में निपटान महत्वपूर्ण था तब भी 1 करोड़ रू. का निपटान लक्ष्य बढ़ गया है।

ख) विशेष गतिविधियाँ :

1. वस्तुओं की उपलब्धि के लिए निविदा प्रक्रिया कोल इंडिया एनआईसी पोर्टल की नई प्रणाली के लिए सफलतापूर्वक स्वीच्ड ओवर कर दी गई है। निविदा मूल्य रूपये 1.00 करोड़ तथा उपर्युक्त के लिए रिवर्स बिडिंग की पहचान सफलतापूर्वक कर ली गई है।
2. गत मूल्य की अपेक्षा बहुत ही मितव्ययी निम्न प्राइस पर प्रतियोगितात्मक बिडिंग के माध्यम से हाइड्रोस्टेटिक ड्रील सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।
3. 6 टेरेस्ट्रीयल लेजर स्केनर प्रणाली की उपलब्धि मेटलाइज्ड कर दी गई है तथा जियोमेटिक्स विभाग द्वारा उपयोग के लिए उपकरण को सफलतार्वूक चालू कर दिया गया है।

10.1 ईप्रोक्यूरमेंट तथा कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ईपी तथा सीएम विभाग की उपलब्धियाँ

बीओएम/टर्न की के आधार पर कुसमुण्डा, बरौद (एजईसीएस), दुग्धा (बीसीसीएल) तथा कारो एवं कोनार जैसे उनके अधिकार वाले क्षेत्रों में वाशरियों के निर्माण से संबंधित बिड प्रलेखन को अंतिम रूप देने के लिए कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों यथाः एसईसीएल, सीसीएल तथा बीसीसीएल द्वारा सीएमपीडीआई को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रानिक्स मोड के माध्यम से निविदा को अंतिम रूप देने के लिए डेशालिंग मोड्यूल के लिए जनादेश (मेनडेट) था। बीओएम अथवा टर्न की के आधार पर कोल वाशरिओं के टेंडरिंग के लिए प्रणाली पर उपलब्ध वर्तमान मोडयूल कोई प्रावधान नहीं है। टेंडर्स द्वारा कोटेड दिए गए प्रतिशत पर आधारित स्ट्रक्चर्ड फोरमेट तथा कुल कैश आउट–फ्लो में सूचना प्राप्त करने के लिए सीएमपी डिवीजन के साथ निर्माण में विभाग द्वारा पारा मीटर सीट (पीटीएस) का तकनीक क्वालिटी (बीओक्यू) फोरमेट विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह मुख्य रूप से नोट करने की जरूरत

है कि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से टेंडर्स का ऐसा टाइप सीएमपीडीआई द्वारा पहली बार विकसित किया गया है। प्रतिनिधि कंपनियों से विचार–विमर्श करने के बाद मोड्यूल को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अगली कार्रवाई के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है।

- कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के लिए टीपीएस तथा बीओक्यू की तैयारी के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल ने टीपीएस, बीओक्यू के सृजन पर संबंधित कंपनियों के अधिकारियों के लिए ई–टेंडरिंग पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है तथा पहले से वर्णित वाशरियों से संबंधित टेंडर्स के सृजन तथा अपलोडिंग में सहायता प्रदान की है।
- व कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं को सूट करने के लिए बीओक्यू के नए वर्सन (वर्सन–3) के अनुसार पीसी तथा पेरफेरिटल, पैसेन्जर लिफ्ट, टेरेस्टेरियल लेजर स्कैनर्सडीजी सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स कुल स्टेशन, पायलटर्स तथा स्केनर्स इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के मशीनों तथा उपकरणों की प्राप्ति के लिए वर्तमान तकनीकी टेम्पलेट तथा बीओक्यू को कास्टमाइज्ड कर दिया गया है। ई–टेंडरिंग के माध्यम से अंडर ग्राउण्ड कोल माइन्स के अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं को हायरिंग करने हेतु टीपीएस तथा बीओक्यू तैयार किया जा चुका है।

मूल्य को मूल्यांकित करने के लिए सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु कास्टमाइजेशन आवश्यक या जिसमें डिस्काउन्टेड कैशफ्लो प्रणाली के माध्यम से विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण संविदा, बायबैंक, तथा एनपीवी की गणना शामिल है। इसमें कोट पर आधारित फर्म्स की स्थिति के साथ–साथ प्रणाली सृजित विस्तृत विवरण की तैयारी की सुविधा दी है।

- सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया के पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे टेंडर्स के लिए आन–लाइन रिसिप्ट, ऑटो रिफंड तथा अरनेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) का रिकान्सीलेशन इन्ट्रोडयूस किया है। यह नया मॉडल असफल बिडर्स को पेपर वर्क मिनीमाइज करने, नवीनतम मानव इन्टरवेन्सन सुनिश्चित करने, तथा ईएमडी तत्काल वापसी में सहायता करेगा।

11.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को जानकारी दी गई :

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाहरी	विदेश में	कुल
प्रबंधकीय	242	105	101	01	449
तकनीकी / कार्यकारी	422	15	128	10	575
क्रॉस फंक्शनल	114	07	19	00	140
कुल	778	127	248	11	1164

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई के एमओयू के अंतर्गत माइन प्लानिंग साफ्टवेयर में 20 अधिकारियों के लक्ष्य की अपेक्षा 75 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को विशेष जानकारी दी गई :

विदेशों में प्रशिक्षण

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई से कुल 11 अधिकारियों ने सेमिनार / कॉन्फ्रेस / प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेशों का दौरा किया।

बाहरी प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों / जगहों में भेजा जा रहा है। इस वर्ष 248 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है तथा अनुमोदन कंपनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

कुछ वैसे विषय जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया

है, की सूची नीचे दी गई है :

1. कार्यकारी सचिव, निजी सहायकों तथा ऑफिसर स्टाफ के लिए विकास कार्यक्रम (डवलपमेंट प्रोग्राम)
2. नए उपकरण–नये तकनीकी प्रबंधन पर जियोमेटिक्स संगोष्ठी
3. इनोवेशन तथा मोटिवेशन के माध्यम से ''इनहान्सिंग कोल प्रोड्क्शन'' पर नेशनल सेमिनार, ''एक्सीलेंस पर संकल्प कॉमिटेड,'' ''इवेन्ट डेलीगेशन,– चैलेन्जेज तथा रिमेडीज,'' ''खनन इन्डस्ट्री में रिसेंट प्रैक्टीस तथा इनोवेशन'' एवं ''एचिविंग आर्गनाइजेशनल एक्सीलेंस''
4. प्रबंधकीय नायकत्व तथा टीम बिल्डिंग प्रोग्राम
5. पर्यावर्णिक प्रभाव का मूल्यांकन : एमओईएफ तथा सीसी द्वारा संगठित भारत तथा वे फरवार्ड में चुनौतियाँ
6. ''इमर्जेंसी एवं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन उद्योग'' पर संगोष्ठी (सेमिनार) ''आईसीएआई के ईआईआरसी का आसनसोल शाखा'' तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी तथा ट्रेन एवे ट्रक में बल्क लोडिंग की चुनौतियाँ''
7. प्रभावी नियंत्रण के लिए आंतरीक अंकेक्षण (ऑडिट) पर आधारित जोखिम
8. बिजनेस एक्सीलेंस के लिए स्ट्रेटेजिक मेनेजमेंट
9. कम्पीटिशन लॉ में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
10. वेधन एवं विस्फोटन प्रौद्योगिकी एवं इसके अप्लीकेशन पर डवलपमेंट प्रोग्राम
11. ''सीएसआर'' सतर्कता की भूमिका कार्य एवं उत्तरदायित्व'' सोलर पावर प्रोफेशनल'' पर वर्कशॉप। रॉक ईवीएल, 6 एनलाइजर पर तकनीकी यूजर, ''कोयला पेट्रोग्राफी की भूमिका'' पावर तथा स्टील सेक्टर में विशेष रूप से कोयला का यूटिलाइजेशन'' महिलाओं की सहभागिता'' ''ऑफ ग्रिड सोलर फोटोमेंटिक इनर्जी प्रणाली'' कोयला उद्योग से संबंधित आईएफआरएस, ''ट्रेड यूनियन का उत्पादकता ओरिएन्टेशन तथा भारतीय उद्योग में स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण पर एपेक्स वर्कशॉप''
12. आईएसओ/आईईसी के प्रभावी कार्यान्वयन तथा आंतरिक अंकेक्षण पर प्रमाणित प्रशिक्षण
13. स्वीच गीयर्स : इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का साइलेंट सेंटीनेल्स
14. इन्वेन्टरी मैनेजमेंट का एएससीआई
15. इन्टीग्रेटिंग जलवायु फसल तथा पारिस्थितिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (कॉफ्रेंस)
16. ड्रिल मेक्स मॉडल के एसेम्बली पर सीएमपीडीआई के कर्मियों के लिए बेसिक ट्रेर्निंग
17. मेसर्स कोरस हाइड्रोस्टेटिक्स इन्डिया लिमिटेड पर प्रशिक्षण
18. 6वाँ अन्तर्राष्ट्रीय माइनिंग एक्सप्लोरेशन मिनरल्स प्रोसेसिंग टेकनोलॉजी मेटल्स एवं मशीनरी
19. कॉन्फ्रेंस कन्स्ट्रक्शन में ब्लेंडीड सिमेंट पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
20. क्यूसीआईस्कीम तथा एसएमएस वर्सन का 3 वर्सन
21. खान में उत्पादकता इम्प्रूव करने के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली पर सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस)
22. चार्टर्ड एकाउन्टेंट के लिए राष्ट्रीय सीए कॉन्फ्रेंस
23. अल्टीमेट पर्सनल असिस्टेंट ऑफिस सिक्रेटरी तथा ऑफिस स्टाफ के लिए डवलपमेंट प्रोग्राम
24. ''रॉक मेकनिक्स तथा ग्राउण्ड क्रंट्रोल'' तथा ''सर्फेस माइनिंग हाउल रोड तथा ऑफ हाइवे ट्रक्स'' पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम
25. कोयला प्रिपरेशन प्रिसिपल्स तथा प्रैक्टीसज पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
26. सतही जल संसाधन, प्राक्कलन, सतही जल

क्वालिटी, कॉन्टेमिनेशन तथा रेमिडेशन, सतही जल प्रणाली का गणितीय मॉडलिंग

27. आईएसओ 17025 के अनुसार लैब क्वालिटी एमजीटी तथा आंतरिक अंकेक्षण
28. उन्नत (एडवान्स) एमजीटी कार्यक्रम
29. एयर क्वालिटी असिसमेंट, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन तथा नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
30. 6वीं एशियन माइनिंग कॉफन्फ्रेंस में पेपर की प्रस्तुति
31. परिवेशी एयर तथा स्टेक इमिनेशन मानीटरिंग तथा एमजीटी
32. आधुनिक पुस्तकालयों के एमजीटी पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन
33. परियोजना मूल्यांकन परामर्शदाता
34. आईएसओ/आईएफसी/17025 लैब एमजीटी प्रणाली का आंतरिक अंकेक्षण
35. जेनरल एनएक्सटी मिशन 1 बिलियन टन की भूमिका
36. 37वाँ वार्षिक कॉन्वेन्शन सेमिनार तथा एक्जीविशन जियोफिजिक्स
37. बिस्फोटन प्रौद्योगिकी तथा माइन इकोनोमिक्स में प्रोन्नति एडवान्समेंट
38. सतर्कता प्रशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई
39. सस्टेनेबुल प्रतियोगात्मक एडवान्टेज के लिए रिवोल्यूनशरी आपूर्ति चेन नीति
40. बंगलोर इन्टरनेशनल एक्जीविशन सेंटर
41. सर्फेस माइनिंग हाउल रोड तथा हाइली ट्रक्स
42. परियोजना मूल्यांकन परामर्शदाता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
43. इन्डस्ट्री इन्स्टीच्यूट इन्ट्रेक्शन
44. रॉक मॉडलिंग तथा मॉनीटरिंग के लिए उन्नत भू भौतिकी प्रणाली
45. एमटी (सीडी) के लिए कार्यक्रम (प्रोग्राम)
46. 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तथा एक्सपोजिशन ''पेट्रोलियम तथा भू–भौतिकी इन्डिया के सोसाइटी का जयपुर 2015
47. रसायनिक विश्लेषण तथा फ्यूचर ट्रेन्डर्स के आधुनिक प्रणाली पर तीन दिवसीय संगोष्ठी–सह–कार्यशाला
48. 16वाँ ईएसआरआई इन्डिया यूएसईआर कॉन्फ्रेंस
49. इनफो–कॉम– 2015
50. इकोलॉजी तथा बायो डायवरसिटी तथा मृदा संरक्षण (एसजी) के ईआईए/ईएमपी की तैयारी
51. कंपनी सचिवों का 43वाँ राष्ट्रीय कॉन्वेशन
52. पावर एवं माइनिंग सेक्टर में वैल्यू एडिशन के लिए ''सीएमए'' पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस
53. 6वाँ वर्ल्ड पेट्रो कोल कॉग्रेस तथा एक्सपो
54. दो–दिवसीय वर्ल्ड इनर्जी काउन्सिल ग्लोबल वर्कशॉप
55. खनन तथा औद्योगिक एरिया के निकट जल संसाधनों का प्रबंधन तथा उपलबधता पर तीन–दिवसीय कार्यक्रम
56. जियोस्पाटियल प्रौद्योगिकी तथा इसके अप्लीकेशन पर 12 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम
57. ओक्यूपेसनल स्वास्थ, सुरक्षा तथा पर्यावरण
58. एमटी(सीडी)/कम्यूनिटी डेवलपमेंट डिसिप्लीन तीसरा बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
59. कार्यपालक डेवलपमेंट कार्यक्रम
60. हिन्दुस्तान प्रीताव लिमिटेड द्वारा सभी यूजिंग प्रीताब ऑपशन प्रीकास्ट आरओसी कन्स्ट्रक्शन के लिए हाउसिंग
61. कोस स्टडी (मेथडोलॉजी केस राइटिंग) पर प्रशिक्षण
62. ''माइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एडवांस'' पर अखिल भारतीय सेमनार
63. खनन परियोजना के लिए ईआईएईएमपी

64. मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम
65. छठा एशियन माइनिंग कॉग्रेस तथा एक्जीविशन
66. छठे एशियन माइनिंग कॉग्रेस तथा एक्जीविशन पर तकनीकी पेपर की प्रस्तुति एवं प्रकाशन
67. थर्मोमेकनिकल सिमुलेशन तथा स्टील के प्रोसेसिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस

आई आई सी एम में प्रशिक्षण

आई आई सी एम के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास प्रभाग आई आई सी एम में बड़ी संख्या में वरीय अधिकारियों तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करता है। कम्पनी तथा ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 के दौरान आई आई सी एम में 127 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण

गैर–अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सीएमपीडीआई के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन एसटीसी में किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान एसटीसी कुल 778 अधिकारियों, कर्मचारियों ने प्रशिक्षण तथा कार्यशाला इत्यादि में भाग लिया है। निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त कंपनी की आवश्यकता के अनुसार एसटीसी, सीएमपीडीआई में अधिकारियों के लिए माइनेक्स साफ्टवेयर'' पर विशेष तकनीकी प्रोग्राम, विभिन्न संकायों (खनन, गवेषण, भू भौतिकी, सिविल, ईएंडएम इत्यादि) के लिए तकनीकी दक्षता कार्यक्रम (टीएसडीपी) आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण / कार्यशाला के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे :

1. कोल इंडिया के प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्खनन) तथा ईएंडएम के लिए तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम
2. आर्गनाइजिंग कल्चर बिल्डिंग की शुरूआत
3. नव–नियुक्त स्टेनोग्राफर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी एस/डब्ल्यू ई–ऑफिसियल ट्रेनिंग
5. ईटीएस प्रशिक्षण, पहला चरण
6. ई–आफिस कार्यक्रम पर प्रशिक्षण
7. ऑन–लाइन रिसिप्ट पर प्रशिक्षण, एमसीएल के पोर्टल पर ईएमडी का ऑटोरिफण्ड तथा रीकॉन्सीलेशन
8. आईएसओ 27001, आईएसएमएस तथा आईएसओ 27001 के जागरूकता प्रोग्राम
9. माइनेक्स साफ्टवेयर
10. एचआईवी, एड्स
11. एमटी (एमएम) के लिए टैप पर्यावरण, सिविल फॉरमेट (जीईओ)
12. कॉन्ट्रेक्ट लेबर एमजीटी
13. माइनेक्स साफ्टवेयर
14. टेरेस्ट्रियल लेसर स्केनर तथा एलआईएस कैड पर प्रशिक्षण
15. गैर अधिकारी से अधिकारी में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण
16. एमटी (खनन) तथा एमटीएस (ईएंडटी) के लिए टीएसडीपी
17. सेवानिवृत्ति योजना
18. टॉपकॉम मेक ईटीएस पर दूसरे–।। चरण का प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण

निगमित सामाजिक दायित्व के अनुसार सीएमपीडीआई के विभिन्न विभागों में एचआरडी डिवीजन द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई में कुल 197 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2 महीने तक 7दिनों के लिए छात्र इन प्रशिक्षणों/परियोजनाओं में गए हुए हैं। प्रशिक्षण/परियोजना

की संपूर्णता के बाद एचआरडी डिवीजन ने प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति के प्रमाण–पत्र जारी कर दिया है।

12.0 कोल इंडिया से बाहर परामर्शी कार्य

विवेच्य अवधि वर्ष 2015 से मार्च, 2016 तक कोल इंडिया से 13 संगठनों के लिए 18 परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन, जिसके लिए सेवाएँ उपलबध कराई गई वे टाटा स्टील, एमओआईएल लिमिटेड, एनएमडीसी, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इत्यादि है।

वर्तमान में सेल, एमओआईएल, टाटा स्टील, आईडीसीओ, एनटीपीसी, ओडिसा कोयला एंड पावर लिमिटेड, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमटेड, एमपी पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, यूसीआईएल, एमएमडीसी इत्यादि जैसे 15 संगठनों के लिए 19 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

विवेच्य वर्ष 2015–16 के दौरान 28 संगठनों से 39.37 करोड़ रूपये का 33 बाह्य परामर्शी कार्य सीएमपीडीआई द्वारा प्राप्त किया गया। यह सबसे उच्चतम मूल्य का कार्य है जो इस वर्ष में सीएमपीडीआई द्वारा प्राप्त किया गया है।

समझौता संलेख (एमओयू) का कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं सीएमपीडीआई के बीच समझौता संलेख (एमओयू) के अनुसार ''प्रोसपेक्टिव प्लान/रोड मैप एचटू हाउ सीएमपीडीआई एस बिजनेस इनकम फ्रोम क्लाइन्ट्स आउट साइड सीआईएल एंड एमओसी क्रुड इनक्रीज इन फ्यूचर'' निर्धारित तिथि अर्थात् 30 अक्टूबर, 2015 के अनुसार तैयार कर सुपुर्द कर दिया गया।

13 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी क्रिया–कलाप

13.1 श्रमशक्ति की स्थिति

विवरण		31.3.2015 के अनुसार	31.3.2016 के अनुसार
अधिकारी		934	913
कर्मचारी	मासिक वेतन भोगी	1280	1280
	दैनिक वेतन भोगी	1415	1433
सकल योग		3629	3622

एसटी/एसटी आयोगके निदेशों के अनुसार, सीएमपीडीआई की वार्षिक रिपोर्ट में हर एक वर्ष एससी/एसटी/ओबीसी के संख्या को दर्शाते हुए सीएमपीडीआई के श्रमशक्ति में समाविष्ट किया जाता है।

01.04.2016 के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी श्रमशक्ति की कुल संख्या नीचे उल्लेख किया गया है।

ओबीसी श्रमषक्ति			
कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी की कुल संख्या	एसटी की कुल संख्या	ओबीसी की कुल संख्या
3622	427	264	643

13.2 कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

1. सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत–प्रतिशत संतुलित सहित 2500 क्वार्टर हैं।
2. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया है।
3. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार रोगियों को सुविख्यात संस्थानों में भेजा जाता है।
4. सीएमपीडीआई, डीएवी स्कूल, गाँधी नगर राँची को 1.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराता है।
5. कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भाड़े के छोटे वाहनों सहित 31 स्कूल बस हैं।
6. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने 2015 में आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत और

उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, को 52000 रू. (बावन हजार रू.) की नकद राशि पुरस्कार दी गई।

7. कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के अवसर पर उन्हें ग्रेच्यूटी चेक दिया जा रहा है।
8. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
9. परिवार मिलन समारोह आयोजित करने के लिए कस्तुरी महिला सभा को 25000/–रू. (पचीस हजार रूपये) का अनुदान दिया गया।
10. हसवैन्ड नाइट मनाने के लिए कस्तुरी महिला सभा को 20000/–रू. (बीस हजार रू.) कर अनुदान दिया गया।
11. अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए 13,000/–रू.(तेरह हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
12. नये वर्ष का समारोह मनाने के लिए रिक्रियेशन क्लब को 30,000/–रू. (तीस हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
13. ''होली मिलन'' मनाने के लिए गोंदवाना क्लब और रिक्रियेशन क्लब को 30,000/–(तीस हजार) रूपये का अनुदान दिया गया है।
14. कंपनी के गाइड लाइन के अनुसार कर्मचारियों के 18 बच्चों को 47,400/–(सैंतालीस हजार रू.) का कोल इंडिया मेरिट स्कालरशिप दिया गया तथा कर्मचारियों के 112 बच्चों को 1,22,820/–(एक लाख बाईस हजार आठ सौ बीस रू.) का कोल इंडिया जेनरल स्कालरशिप दिया गया।
15. वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार एनआईटी/आईआईटी में अध्ययन कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को 6,72,660/–रू. (छह लाख बहत्तर हजार छह सौ साठ रू.) दिया गया।
16. सीएमपीडीआई में कर्मचारियो के बच्चों के लिए दिनांक–25.09.2015 से 07.06.2015 तक समर कोचिंग कैम्प का आयोजन किया।

13.3 खेल–कूद से संबंधित क्रिया–कलाप

1. सीएमपीडीआई ने दिनांक 2.12.2015 से 4.12.2015 तक कोल इंडिया अंतर–कंपनी चेस टूर्नामेंट 2015–16 की मेजवानी की।
2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में बैडमिन्टन, टीटी, कैरम, चेस, अथेलेटिक्स मीट, फुटबॉल, वालीबॉल तथा ब्रिज के लिए इन्टर रिजनल इन्स्टीच्यूट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
3. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक– XI तथा निदेशक–XI के बीच 15 अगस्त, 2015 और 26 जनवरी, 2016 को फ्रेंडली कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
4. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक– XI तथा निदेशक– XI के बीच 10 अक्टूबर, 2015 को फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया।

13.4 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक

और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका ''देशकाल संपदा'' का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

सितम्बर माह 2015 को ''राजभाषा माह'' मनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक (राजभाषा) कोयला मंत्रालय भी मौजूद थे तथा उन्होंने कंपनी में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत (प्रमोट) करने के लिए कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार सितम्बर माह 2014 से ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रतिभागियों जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 से 5 तक स्थान प्राप्त किया, उन्हें क्रमशः 1500/–, 1300/–, 1200/–, 1100/– तथा 1000/–रू. के साथ उपर्युक्त राशि के बराबर उच्च स्तरीय साहित्यिक पुस्तकें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकगणों द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में दी गई।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय, राँची के दो विभागों तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों में से दो क्षेत्रीय संस्थानों, जिन्होंने हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, को क्रमशः विजेता एवं उप विजेता का राजभाषा अध्यक्षीय शील्ड प्रदान किया गया।

रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी को सुलभ एवं सरल बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (मानव संसाधन विकास प्रभाग) के तत्वावधान में वित्तीय वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। सभी हिन्दी कार्यशाला डेली रूटिन वर्क में राजभाषा हिन्दी के इस्तेमाल के क्षेत्र में कामगारों की हिचकिचाहट को दूर करने में काफी प्रभावशाली एवं सफल रही।

गृह– मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा निदेशों के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय संस्थानों में राजभाषा हिन्दी की तिमाही की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 (चार) तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। आपकी कंपनी सीसीएल द्वारा आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेती रही है।

13.5 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिसक्लोजर एवं सूचना

(निवारण, निषेध, रेडरेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत के तहत डिसक्लोजर एवं सूचना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई के कार्य स्थलों पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

क) विवेच्य वर्ष के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट के शिकायतों की संख्या– शून्य

ख) विवेच्य वर्ष के दौरान निपटाये गए शिकायतों की संख्या– शून्य

ग) 90 दिनों से अधिक पेंडिंग केसेज की संख्या– शून्य

घ) विवेच्य वर्ष के दौरान संचालित सेक्सुअल हरासमेंट के विरूद्ध वकशॉप की जागरूकता कार्यक्रम की संख्या– शून्य

ड़) मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी की गई कार्रवाई की संख्या– शून्य

14.0 सीएमपीडीआई (2015–16) का सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटी क्रिया–कलाप

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल विकास तथा अंतर्विष्ट विकास को प्रोन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। सस्टेनविलिटी मुद्दे का पता लगाने के लिए की गई पहल द्वारा विस्तृत स्तर पर स्टेक होल्डर्स एवं सोसाइटी द्वारा बड़े

पैमाने पर कारपोरेट को समझा जाता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसईएस) की महत्वपूर्ण भूमिका है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभ तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्ननेंस में सामाजिक पर्यावरणिक एकीकरण तथा नीतिपरक उत्तरदायित्व बढ़ाने में मदद करता है। सीएसआर तथा सामुदायिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने के लिए कॉरपोरेट हेतु यह अनिवार्य है, जिसमें वे संचालित होते हैं, बढ़ते है तथा बड़े पैमाने पर फलते–फूलते हैं।

क्षमता निर्माण, समुदाय का इमपावरमेंट, अंतर्विष्ट सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रीन एवं ऊर्जा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी, को बढ़ावा देने पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के हाशिए (अंडर प्रीभलेज्ड) समुदाय के उत्थान पर सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी का काफी दबाव है।

विकास एवं सुदृढ़ जीवन के लिए प्रभावित समुदाय की आवश्यकता का प्रबंध करने के लिए (जिसमें देश के 7 राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्पस शामिल हैं) ऑपरेशन के अंदर एवं चारो ओर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना चालू की गई है

सीएसआर नीति :

27.02.2014 को कारपोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना साथ–ही–साथ डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम–2013 के संयोगी विशेषताओं से गठित सीआईएल, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति को सीएमपीडीआई अनुसरण करता है।

उद्देश्य :

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य कोल कंपनियों के लिए दिशानिर्देश को तैयार, कर सीएसआर को मूल व्यवसाय प्रक्रिया में लाना ताकि समाज का सतत् विकास हो सके। इसका लक्ष्य, इसके गतिविधियों को तात्कालिक और दीर्घकालीन सामाजिक एवं पर्यावरणिक परिणाम संबंधित समाज के लिए कल्याणकारी कार्रवाही को बढ़ाने में सरकार के कर्तव्य को सहारा देना है। कार्यान्वयन के लिए ग्लॉबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों के समर्थन करना तथा अच्छे निगम नागरिक के रूप में कोल इंडिया लि. काम करेगी।

कबर्ड किए जाने वाले क्षेत्र

समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग जो भारत के अलग–अलग हिस्सों में रहते हैं उनको कबर्ड किया जाएगा। संपूर्ण आबादी हेतु विकास घटक के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्पेसल कॉपोरेट प्लान (एससीपी) और ट्राइबल सब प्लान के वर्तमान घटक को भी सीएसआर प्रोग्राम कवर करेगी।

सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु बजटेड राशि का 80 प्रतिशत परियोजनाओं/खानों के 25 कि.मी. रेडियस के अंतर्गत खर्च किया जाएगा और बजट का 20 प्रतिशत राज्य/राज्यों जिसमें सहायक कंपनियाँ कार्य कर रही है, के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।

स्कोप

न्यू कंपनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 के अनुसार निगमित समाजिक गतिविधियों के अन्तर्गत गतिविधियों का स्कोप निम्नलिखित होना चाहिए।

1. भूख, गरीबी एवं कुपोषण हटाने, निरोधक स्वास्थ्य देख–भाल एवं स्वच्छता और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना।
2. आजीविका वृद्धि परियोजना एवं बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ तथा निःशक्तजन के बीच में विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाला व्यावसायिक दक्षता सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।
3. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों एवं छात्रावासों की स्थापना एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की गई असमानताओं को कम करने के लिए उपाय तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड

एज होम, डे केयर सेंटर बनाने और इस तरह की अन्य सुविधाएँ देना।

4. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और प्राणी समूह (जीव) के संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा मिट्‌टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना।

5. राष्ट्रीय सम्पदा, कला एवं संस्कृति सहित भवनों की मरम्मत तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों एवं चित्रकला के कार्यों का संरक्षणः सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रोत्साहन एवं विकास।

6. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हित के लिए कार्यवाही।

7. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल एवं ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

8. समाजिक–आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा कोई अन्य कोष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को राहत एवं कल्याण में सहयोग प्रदान करना।

9. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान के अधिनस्थ प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों के लिए योगदान अथवा निधि प्रदान करना।

10. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

कार्यान्वयन :

सीएसआर का इन्भेस्टमेंट परियोजना आधारित हो ओर सभी परियोजना टाइम फ्रेम्ड माइल–स्टोन्स में समाप्त होना चाहिए। सीएसआर के अंतर्गत चिन्हित परियोजना क्रिया–कलाप का कार्यान्वयन स्पेसलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाए और समान्यतः संस्थान के स्टाफ द्वारा नहीं किया जाए।

मॉनिटरिंग

एक ई 8 स्तर का अधिकारी द्वारा सीएसआर प्रभाग की अध्यक्षता की जाए जो सीएसआर गतिविधि (क्रिया–कलाप) पर वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसी को सीएसआर एवं सतत् विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। भौतिक और आर्थिक प्रगति से संबंधित तथ्य सहित सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग/अध्याय सम्मिलित करना।

कोल इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण सीएसआर नीति https : www.coalindia.dulesèDocumentListèdocumentsèCIL_CSR_Policy_New_Companies_Act_2013_16062014.pdf में उपलब्ध है। सीएमपीडीआई (मुख्यालय) ने अपने व्यवसाय के विषेश स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 2015–16 के दौरान अपने सीएसआर एवं सतत् गतिविधियों की शुरूआत निम्नलखित क्षेत्रों में कर चुका है।

क) शिक्षा

अध्ययन सामग्रियों की आपूर्ति जैसे यूनिफार्म, वित्तीय सपोर्ट/सहायता जैसे शैक्षणिक सपोर्ट, कई विद्यालयों को स्कॉलरशिप के रूप में सीएमपीडीआई द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

1. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, काँके रोड, राँची में वार्षिक–दिवस, स्पोर्टस डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के लिए वित्तीय सहायता

2. बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची में वार्षिक दिवस, स्पोर्टस डे, स्वतंत्रता दिवस

तथा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता

3. आदिवासी बाल विकास विद्यालय, गधदीपा, सारसा, लापुंग, राँची, झारखंड के छात्रों के लिए डेस्क, बेंच, स्पोर्टस् सामग्री के साठ सेट तथा (25) सिलिंग पंखें की आपूर्ति

4. बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची, झारखंड के छात्रों (190 सेट) स्कूल ड्रेस का वितरण

5. भारत सेवाआश्रम संघ, टुपुदाना, राँची, झारखंड के छात्रों के लिए (20) सिलिंग पंखा तथा (5) अलमीरा का वितरण

6. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल तथा बिरसा हाई स्कूल, कांके रोड, रांची, झारखंड के छात्रों के लिए कारपेट

7. एक वर्ष के लिए गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, रांची के 24 गरीब एवं मेधावी छात्रों तथा बिरसा हाई स्कूल, रांची के 39 गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए स्कूल फीस का भुगतान

8. प्रमथनाथ विद्यालय, हिनू, रांची, झारखंड के छात्रों के लिए (1) अलमीरा तथा (2) बुक सेल्फ का वितरण

9. बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची, झारखंड 95 छात्राओं तथा 95 छात्रों के लिए (1) स्कूल ड्रेस का वितरण

10. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल तथा बिरसा हाई स्कूल, कांके रोड, रांची, झारखंड के लिए स्टील टेबुल तथा कुर्सियाँ (प्रत्येक 2) (50) डेस्क–बेंच का वितरण

11. सीएसआर के अंतर्गत आसनसोल ब्रेल एकैडमी, पं.बंगाल के 30 छात्रों को (2सेट) स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा।

12. सीएसआर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल, संथाल डांगा एफपी स्कूल, आर डंगा, जोरडंगा एफपी स्कूल एवं गोपालपुर एफपी स्कूल, आसनसोल, बीआईएसएस प्राइमरी स्कूल, कुल्टी, पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए 3–सीटर डेस्क–बेंच का वितरण

13. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत इथोरा शिरीष चन्द्र संस्थान के लिए (5 सीटर, स्टील फ्रेम) 50 सेट डेस्क एवं बेंच का वितरण

14. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत राजकृत प्राथमिक विद्यालय नूतनडीह, धनबाद के लिए (20) डेस्क–बेंच का वितरण तथा बुनियादी विद्यालय, जगजीवन नगर, धनबाद झारखंड में (50 सेट) डेस्क–बेंच का वितरण

15. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत उर्दू एवं हिन्दी विद्यालय, नया बाजार, धनबाद, झारखंड में (50 सेट) डेस्क–बेंच का वितरण

16. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत भागिया पंचायत, बालूमाथ, लातेहार, झारखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में (200) डेस्क बेंच का वितरण

17. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, ओरला, माण्डू रामगढ़ में (50 सेट) डेस्क–बेंच का वितरण तथा सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत यूएमएस जोबला, माण्डू, रामगढ़, झारखंड में (50) डेस्क बेंच का वितरण

18. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत बाल निकुंज प्राइमरी स्कूल, नागपुर, महाराष्ट्र में स्वेटर का वितरण।

19. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगुडी, सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए (145) तीन सीटर डेस्क बेंच (15) लकड़ी का टेबुल स्टील–अल्मीरा का वितरण

20. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमझार, सिंगरौली, मध्य प्रदेष के लिए (50) तीन सीटर लकड़ी का डेस्क–बेंच (14) लकड़ी का टेबुल (7) कुर्सियाँ तथा स्टील अलमीरा का वितरण

(ख) आधारभूत संरचनात्मक सपोर्ट

विभिन्न स्थानों (लोकेशनों) में सीएमपीडीआई द्वारा स्कूल क्लास रूम, सामुदायिक भवन, शेड तथा टॉयलेट के रूप में कई आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाएँ निर्मित की गई है।

1. (निर्माणाधीन) ब्रजकिशोर नेत्रहीन विद्यालय, बरियातु, रांची, झारखंड के नेत्रहीन छात्राओं के लिए छात्रावास–सह–कम्प्यूटर सेंटर का निर्माण

2. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत प्रमथनाथ मध्य विद्यालय, हिनू, राँची, झारखंड में छात्राओं के लिए टॉयलेट सहित बोरवेल का निर्माण

3. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत (2014–15 से स्पिल ओवर गतिविधियाँ) अरडंगा, जोरडंगा एफपीस्कूल, काला सेंट्रल हास्पीटल वर्द्धमान, पं. बंगाल के लिए गेट के साथ बाउण्डरी वाल का निर्माण

4. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत बालीटोला ग्राम, मधुकुन्द ब्लॉक, पुरलिया, पं.बंगाल में हैंड के साथ कल्चरल हॉल का निर्माण

5. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत ओरला ग्राम, रामगढ़ झारखंड में शेड–सह–प्लेटफार्म का निर्माण तथा धाविया ग्राम, बोकारो, झारखंड में शेड का निर्माण

6. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत जिला परिषद हायर प्राइमरी स्कूल, आनन्दवन, वरोरा चन्द्रपुर महाराष्ट्र में स्टेज के साथ मिड–डे मील शेड का निर्माण

7. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत जिला परिषद् हायर प्राइमरी स्कूल, आनन्द वन, वरोरा, चन्दरपुर, महाराष्ट्र में चहार दिवारी बाउण्डरी वॉल का निर्माण

8. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत जिला परिषद् हायर प्राइमरी स्कूल, बन्देर(सी), चिनपुर, चन्द्रपुर महाराष्ट्र में लाईब्रेरी रूम का निर्माण

9. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य खदान स्कूल, खपतारल ग्राम, छत्तीसगढ़ में बाउण्डरी वॉल (205.00 मीटर) का निर्माण

10. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत कोसला ग्राम, ओड़िसा में कल्याण मंडप का निर्माण

11. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत जिला परिषद् स्कूल, वागहोली, नागपुर महाराष्ट्र में टॉयलेट का निर्माण तथा जिला परिषद् स्कूल, राजुरा, नागपुर महाराष्ट्र में टॉयलेट का निर्माण

12. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत (निर्माणाधीन) सरकारी उच्च विद्यालय लिंगियाडीह छत्तीसगढ़ में 2 टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण

13. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत (सरकारी उच्च विद्यालय खरमताल, 2 सरकारी उच्च विद्यालय, नागपुर 3–गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक्रभाटा 4) गवर्मेंट छात्र हाइयर सकेंटरी स्कूल चकरभटा में चार टॉयलेट का निर्माण

ग. स्वास्थ्य जागरूकता

1. हेल्थ केयर अल्ट्रा साउंड मशीन के लिए के.सी.राय मेमोरियल चैरेटेबुल हॉस्पीटल को 10.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता

घ. स्पोर्ट्स

1. स्पोर्टस ग्रामीण उत्थान संस्थान, राँची, झारखंड में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता

2. बिरसा उच्च विद्यालय, काँके रोड, राँची, झारखंड में स्पोर्ट्स डे आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता

3. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, काँके रोड, राँची, झारखंड में स्पोर्ट्स डे आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता

4. आदिवासी बाल विकास विद्यालय गदछीपा, सरसा, लापुंग, रांची, झारखंड के छात्रों के लिए फूटबॉल, वॉलीबाल, हॉकी स्टिक्स, नेट तथा हॉकी बॉल इत्यादि जैसे खेल–कूद की सामग्रियाँ

ङ समाजिक विकास

कालुपादा घाट, दमाना, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर के निकट श्रीश्री माँ आनन्द आश्रम के लिए यूनिफार्म (76) जूता (76), कम्बल (10), बेडशीट (76) मेटरेस के साथ बेड (36), वाशिंग मशीन (1) फ्रिज (1), बुकशेल्फ (6), पुस्तक एवं खेल–कूद सामग्रियों का वितरण

च. दक्षता (स्किल) का विकास/महिला समर्थता (इमपावरमेंट)

समाज में अत्यंत पिछड़ी तथा उपेक्षित महिलाओं की प्रोसिडिंग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को दक्षता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराकर महिलाओं की समर्थता सीएमपीडीआई ने पहल की है।

1. एक साल की अवधि के लिए दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप)

2. हातमा ग्राम, रांची, झारखंड की महिला समिति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा के साथ (60) सीने वाली मशीन का वितरण (2014–15 से सीएसआर की गतिविधियाँ)

3. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं के विकास के लिए भार्गया पंचायत, लातेहार, झारखंड हेतु (6) सीने वाली मशीन का वितरण

छ. पेयजल

1. ओडिसा के कोसाला ग्राम तथा केथछापा के लिए ड्रिलिंग तथा (3) बोरवेल का प्रतिष्ठापन

2. सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत लाजरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पम्प सेट के साथ एक ट्युबवेल का कन्स्ट्रक्शन

ज. सस्टेनबिलिटी

सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–7 कॉलोनी, भुवनेश्वर, ओड़िसा में पारंपरिक लाइट को बदल कर एलईडी लाइट द्वारा ऊर्जा का संरक्षण

15.0 वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआईएल के समझौता संलेख (एमओयू) का कार्य निष्पादन

सीएमपीडीआई फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्यक वित्तीय कार्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू करता है। उपलब्धियाँ 1–5 के स्केल पर ग्रेडिड किया जाता है। एक्सीलेंट को 1.0 से 1.5 और खराब को 4.51 से 5.0 तक ग्रेडिगं किया जाता है। 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई को एक्सीलेंट (1.002) ग्रेड दिया गया है। यह रेटिंग सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोतम तथा इसके सिंडिकेट में सर्वोत्तम दिया गया है। जबकि वर्ष 2013–14 के लिए यह 1.395 था।

16.0 सीएमपीडीआईएल में मनाये गए कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह

सीएमपीडीआईएल, मिनी रत्न कंपनी ने 1'' तथा 6'' नवम्बर, 2015 को पूरे जोश के साथ कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल राजदान, आईएएस, भूतपूर्व सचिव (पावर) थे। ई–ऑफिस का उद्घाटन सीएमपीडीआई में किया गया, जिसके बल पर सीएमपीडीआई भारत का चौथा पीएसयू हो गया है। सीएमपीडीआई ने प्रतिवर्ष 70 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता के साथ भारत में सबसे बड़ी ओपेन कास्ट माइन (गेवरा) की योजना तैयार की है। ऑपरेशन के संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सीएमपीडीआई के कर्मियों को विभिन्न केटोगरियों में आवार्ड दिया गया। इस अवसर पर वेधन उत्पादकता पर आधारित विष्णुपुर कैंप ने वेस्ट ड्रिलिंग कैंप के लिए अवार्ड प्राप्त किया तथा यांत्रिक वेधन केटेगरी में सेकेंड बेस्ट ड्रिलिंग का सिंहपुर कैंप अवार्ड प्राप्त किया जबकि कुढुमकेला कैंप ने हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल केटोगरी में वेस्ट ड्रिलिंग कैंप के लिए आवार्ड प्राप्त किया। समारोह को मार्क करने के लिए सांस्कृत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर एस सरण, निदेशक (टीपीएंडडी) श्री वी. के.सिन्हा, निदेशक (टी/आरडीएंडटी),श्री बी.एन. शुक्ला, निदेशक, (टी/सीआरडी) मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएमपीडीआई श्री अरविन्द प्रसाद, कोल इंडिया परिवार के भूतपूर्व सीएमडी तथा निदेशकगण, जेसीसी के सदस्य सीएमओएआई के लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह की शुरूआत कोल इंडिया के कॉरपोरेट गीत तथा लैम्प के लाइटिंग के साथ की गई।

16.1 वर्ष 2015–16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीएमपीडीआईएल (विप्स) में महिला संघ (फोरम ऑफ वुमेन) के क्रिया–कलाप

विप्स, सीएमपीडीआई (स्कोप के तत्वावधान में) एक दशक से अधिक तक लगभग सुसुप्तावस्था में था। 2009 में इसको पुनर्जीवित करने के बाद 2010 में इसे फोरम के रूप में सीएमपीडीआई को कॉरपोरेट सदस्य के रूप में निबन्धित किया गया तथा श्रीमती सुचिन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम) को विप्स, सीएमपीडीआई के समन्वयक बनाने के बाद जून, 2012 से नई समिति कार्य करने लगी। सीएमपीडीआई प्रबंधन की निरंतर सहायता तथा सदस्यों के सकारात्मक सहयोग से इस फोरम ने कंपनी के संगठनात्मक लक्ष्य में योगदान देने में नई ऊँचाई प्राप्त की है।

वर्ष 2015–16 में विप्स, सीएमपीडीआई की मुख्य उपलब्धियाँ

1. सभी कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छया अपनाये जाने वाले ड्रेस कोड पर खास ध्यान देते हुए महिला कर्मियों के लिए आचार–व्यवहार के सामान्य नियम पर विचार–विमर्श किया गया। सदस्यों के लिए अपेक्षित कुछ मूलभूत साधनों जैसे साफ एवं स्वच्छ शौचालय, शौचालय के दरवाजे पर जरूरी लेवल लगाना, मौलिक सुविधाओं का अभाव कॉमन रूम तथा क्रेश के अभाव की चर्चा की गई है। इस प्रस्ताव से सीएमपीडीआई प्रबंधन तथा नगर अभियंत्रण विभाग, सीएमपीडीआई (मु), रांची को अवगत करा दिया गया है सीएमपीडीआई पुरूष एवं महिला दोनों तरह का ट्वायलेट उपलब्ध करा कर उस पर आवश्यक लेवल लगा दिया गया है तथा मूलभूत सफाई तथा स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है ।

2. नई समिति के 86 महिला कर्मचारियों, 22 अधिकारी 64 कर्मचारियों के साथ कार्यभार सम्हाला जो कुल महिला श्रमशक्ति का 5.5 प्रतिशत था। नये सदस्यता अभियान में 180 नये सदस्यों को शामिल किया गया इससे इसकी संख्या (72 अधिकारी 164 कर्मचारी) कुल 236 हो गई। काफी लम्बे अंतराल के बाद नये महिला कर्मियों को नियुक्ति के बावजूद यहाँ संख्या कुल महिला श्रमशक्ति का 6.37 है। कोलकाता में आयोजित विप्स की राष्ट्रीय बैठक में विप्स ईयर का सर्वाधिक सदस्यता पुरस्कार (हाईयेस्ट मेंबरशिप एवार्ड विप्स ने जीता जहाँ सीएमपीडीआई सबसे बड़ा कन्ट्रीब्यूटर था।

3. इस फोरम ने सीएसआर अनुमोदित परियोगिता ''परियोजना स्वाबलम्बी के तहत निम्नलिखित कार्य किया है जो इस प्रकार है : हातमा बस्ती काँके, रोड, राँची में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार सृजन, व्यस्क साक्षरता एवं शिशु विकास (सीएमपीडीआईएल विप्स सेल द्वारा सुविधा देने तथा किया जाने वाला) जनवरी, 2014 में इस परियोजना में सफलतापूर्वक (2) साल पूरा किया।

   - एक से दो घंटे तक शनिवार एवं रविवार को सीएमपीडीआई परिसर स्थित गोंदवाना प्राइमरी स्कूल की सुविधा का उपयोग कर सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा हातमा बस्ती के 40 सुविधाहीन बच्चों (जो विद्यालय में पढ़ते रहे हैं, परंतु प्राईवेट ट्यूशन फी देने में समर्थ नहीं हैं) के लिए रेमिडियल क्लासेस आयोजित करना। इस स्वैच्छिक सेवा के लिए विप्स ने

कंपनी के 20 कर्मचारियों को प्रेरित किया है। यह प्रयास जनवरी, 2014 में शुरू किया गया तथा विप्स के इस प्रयास से आज की तिथि तक यह कार्य अनवरत जारी है। पूरे वर्ष के दौरान निजी योगदान से स्वच्छता संबंधी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा पाठ्य सामग्री, खाद्य पदार्थ एवं दैनिक उपयोग के सामग्री भी वितरित किए जाते हैं।

- सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा ''हातमा महिला संघर्ष संस्था'' के निरक्षर महिलाओं के लिए वयस्क साक्षरता क्लास का आयोजन तथा साथ–ही–साथ निजी योगदान से मूलभूत अध्ययन सामग्री।
- सीएसआर टीम तथा विप्स टीम ने संस्थान के (4) चार महिलाओं के लिए उशा प्राधिकृत प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद दिनांक 9.11.15 को हतमा महिला संघर्ष संस्थान की सुविधाहीन महिलाओं के लिए 3 पूर्ण ऑटोमेटिक सीने वाली मशीन दी है।
- फोरम ने सीएमपीडीआई कार्यालय के परिसर में (4) चार महिलाओं के लिए स्टिचिंग तथा स्वीईंग में प्रशिक्षण, दक्षता विकास हेतु 3 माह के लिए सप्ताह में 5 दिन तथा अक्टूबर, 14 से अक्टूबर, 15 तक रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान की, उनका संचालन, मॉनीटर तथा प्राधिकृत एवं प्रमाणित प्रशिक्षण दिया। दिनांक 9.11.15 को इसका प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के अवसर पर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल, राँची में नियंत्रित किए जाने पर विप्स सदस्यों ने 11.3.16 को आयोजित सरवाईकल कैंसर पर स्वास्थ जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

5. फोरम के सदस्यों ने (सीएमपीडीआई प्रबंधन द्वारा संरक्षित) गोंदवाना स्कूल के शिशु छात्राओं को वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के लिए तथा समय–समय पर उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए बच्चों को स्वेच्छा से अपनाया है।

6. हिन्दी दिवस, सतर्कता जागरूकता, स्पोर्ट्स, अंतर क्षेत्रीय संस्थान तथा इंटर कोल कल्चरल मीट्स

   - हिन्दी माह सितम्बर, 2015 में आयोजित किया गया तथा विप्स के सदस्यों ने निबंध, लेखन, नारा लेखन तथा कविता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया।
   - सतर्कता जागरूकता सप्ताह अक्टूबर, 2015 के अंतिम सप्ताह में मनाया गया विप्स के सदस्यों ने नारा लेखन, एक्सटेंपर भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया
   - अंतर–क्षेत्रीय प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स एवार्ड जीता गया।
   - अप्रैल, 2014 एवं नवम्बर, 2015 में विप्स के सदस्यों द्वारा इन्टर आरआई तथा इन्टर कोल लेवल पर संगीत एवं नृत्य में सांस्कृतिक पुरस्कार प्राप्त किया गया।

7. नवम्बर, 2015 को आयोजित कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह

   - विप्स के समन्वयक ने फोरम के क्रिया–कलापों का वर्णन किया तथा सभी कार्मिकों को बधाई दी तथा उनके निरंतर सपोर्ट के लिए सीएमपीडीआई प्रबंधन को धन्यवाद दिया।
   - फोरम के सदस्यों ने कोयला परिष्करण पर्यावरण तथा कोयला पेट्रोग्राफी में इनोवेशन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार (एक्ससीलेंस एवार्ड) प्राप्त किया।

8. सीएमपीडीआई के विप्स के सदस्यों द्वारा सीएमपीडीआई से बाहर भाग लिए गए सेमिनार तथा बैठकों का चैप्टर इस प्रकार है :

   - 11 एवं 12 फरवरी को चैन्नई में आयोजित विप्स नेशनल मीट में 3 डेलीगेट ने भाग लिया।

- 28.11.2015 रिजनल मीट में 10 डेलीगेट ने भाग लिया
- समन्वयक, विप्स, सीएमपीडीआई द्वारा तीन अवसरों पर ईस्टर्न इन्डिया, कोलकाता में आयोजित सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विप्स (ईस्टर्न चैप्टर) की रिजनल एक्सक्यूटिव बाडी की बैठक में भाग लिया गया। दिनांक– 9.2.16 को चेन्नई मे आयोजित एपेक्स इलेक्सन तथा 28.3.2016 को कोलकाता में समन्वयक, विप्स, सीएमपीडीआई द्वारा भाग लिया गया।

9. वर्ष 2015–16 में सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान– की राउण्ड अप विप्स की गतिविधियाँ

फोरम संगठनात्मक लक्ष्य की रूचि में अपने अन्तर्निहित गुणों के इस्तेमाल हेतु सबों को संबोधित कर सकता है। विप्स के आरआई के प्रतिनिधियों ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के सृजनात्मक ढंग से विप्स के नेटवर्क को बल देने में सहायता की है, जिसने इन्टरेक्शन को बढ़ाया है। मुद्दे के शेयर तथा कम्यूनिकेशन गेट वेज खोल दिया है क्षेत्रीय संस्थानों से विप्स को सदस्यों ने सभी उपर्युक्त उल्लिखित मीट तथा सेमिनार में भाग लिया विप्स के प्रतिनिधियों ने विप्स सीएमपीडीआई के अंतर्गत सबलता से अपने सभी महिला कर्मचारियों को मेम्बरशिप ड्राइव पर लिया

17. निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

17.1 वार्षिक संख्या को तैयार करने के सामग्रियों के विचलन से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोग्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

17.2 निदेशकों ने ऐसा लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

17.3 निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमतताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

17.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कर्न्सन) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

17.5 निदेशकों ने संपुष्टि की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स के.सी.टॉक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट राँची को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया। इन्हें वर्ष 2015–16 के लिए झारखंड वेट अंकेक्षक के लिए भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके सम्पर्क में आपकी कंपनी में चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है। उसके प्रति आभारी हैं। हम अपने जिन्होंने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के तहत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत अपेक्षित सूचनाएँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तथा प्रबंधन के जवाब, कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर अंकेक्षक की रिपोर्ट, सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणन तथा 2015–16 के एमओयू पर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

ह/–
(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची
तिथि : 27.06.2016

परिशिष्ट–I

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन, तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित की सूचना।

ए. ऊर्जा संरक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में जिनका बैंचमार्किंग अध्ययन किया गया तथा डीजल की खपत के लिए निम्नलिखित बोर्ड हेतु अपनाये गए।

1. लगाये गए एचईएम के लिए लिंकेज की पहचान तथा उसे कम (न्यूनतम) करने के लिए प्रोवेटिव (निवारक) रख–रखाव का उपाय।
2. हाउल रोड की स्थिति पर विचार करते हुए एचईएमएम की गति का ऑप्टीमाईजेशन (अनुकूलतम)
3. एचईएमएम के अनावश्यक चालन पर रोक तथा आदर्श समय को न्यूनतम करने के लिए समय अध्ययन
4. इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/वीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लिए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे, को सीएमपीडीआई आयोजन एवं अभिकल्पन के नार्म्स (मानदंड) के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 'इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग' अध्ययन किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं विगत 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

1. डिमांड साइड मैनेजमेंट
2. संचरण एवं वितरण हानि में कमी
3. पावर फैक्टर में सुधार
4. इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम
5. ट्रांसफार्मर की पहचान कर ट्रांसफामेंशन हानि में कमी लाना
6. ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना
7. पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय
8. एचईएमएम के लिए ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण की पहल

क्र. सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रू.में)	प्रस्तावित बचत संभावना
2015–16 सीएमपीडीआई, (मु.) द्वारा किया गया ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग अध्ययन			
ए.	ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग		
1.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 14 खु.खा.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1924 किलो लीटर प्रति वर्ष
2.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2637 किलो लीटर प्रति वर्ष
3.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 8 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	4551 किलो लीटर प्रति वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2165 किलो लीटर प्रति वर्ष
5.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2050 किलो लीटर प्रति वर्ष
6.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1714 किलो लीटर प्रति वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 17 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	3526 किलो लीटर प्रति वर्ष
8.	पिपरवार ओसीपी, सीसीएल का ऑडिट डीजल तथा बैंच मार्किंग	–	53.96 किलो लीटर प्रति वर्ष
9.	पाथरडीह, ओसीपी, सीसीएल का डीजल अंकेक्षण तथा बैंच मार्किंग बेंचमार्किंग	–	146.12 किलो लीटर प्रति वर्ष
10.	के.डी.एच ओसीपी सीसीएल का डीजल ऑडिट तथा बेंचमार्किंग	–	164.94 किलो लीटर प्रति वर्ष
बी. इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग			
1.	कृष्णशीला ओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बैंच मार्किंग	42.6	9.32 लाख प्रति वर्ष
2.	जयंत ओसीपी एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा/एवं बेंचमार्किंग	87.54	274.52 लाख प्रति वर्ष
3.	उरीमारी, ओसीपी,सीसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	127.94	80.04 लाख प्रति वर्ष
4.	परेज ईस्ट, ओसीपी, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	109.20	24.08 लाख प्रति वर्ष
5.	तालचर भू.ग.माइन, एमसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	200.12	157.59 लाख प्रति वर्ष
6.	ओरियेन्ट माइन।।, भू.ग. एमसीएल का विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	17.50	31.16 लाख प्रति वर्ष

बी. टेक्नोलॉजी (एबजार्पसन)

1) रूफ/टॉप सोलर पावर प्लांट की शुरूआत

- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–1 कार्यालय भवन, आसनसोल में माइक्रोग्रिड प्रणाली के साथ 80 के.डब्ल्यू.पी. रूफ/टॉप सोलर पावर प्लांट।
- सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–3 के कार्यालय भवन, धनबाद में माइक्रो ग्रिड–सिस्टम के साथ 30 के.डब्ल्यू.पी. रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट
- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–6 के कार्यालय भवन सिंगरौली में माइक्रो ग्रिड सिस्टम के साथ 50 के.डब्ल्यू.पी. रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

2) सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थान में सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट फिटिंग की शुरूआत

सी. विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

क्र. सं	विवरण	2015–16
1.	निर्यात को बढ़ावा देने की पहल, उत्पाद और सेवाओं के नये निर्यात बाजार को विकास तथा निर्यात योजनाएँ, आयात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा क) अर्जित कुल विदेशी मुद्रा (करोड़ रू. में) ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी मुद्रा (करोड़ रू. में) (यात्रा व्यय 0.27 करोड़ रू.+अन्य 7.44 करोड़ रू)	 शून्य 7.71 करोड़

डी. अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी एमवेषन (एबजार्पसन)

i. सीएमपीडीआई, राँची तथा गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट (जर्मी), गुजरात के द्वारा'' विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोत का आप्टीमाइजेशन एवं नियंत्रण के लिए माइक्रो–ग्रिड सिस्टम का डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन'' शीर्षक वाली एक आरएंडडी परियोजना पूरी की गई है। परियोजना का अनुमोदित लागत 351.30 लाख रूपए है। (सीएमपीडीआई, राँची 33.80 लाख रू. तथा जरमी, गुजरात–317.50 लाख रूपए)

सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के छत पर सोलर फोटो वोलटैक संयंत्र को चालू कर दिया गया है। संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता लगभग 191 किलो वाट है, जिससे कुल स्थापित क्षमता का 30 प्रतिशत वर्तमान में ऊर्जा मिल रही है। संयंत्र की स्थापना में दो तरह के टेक्नोलॉजी, स्ट्रिंग इनर्वटर तथा दूसरा माइक्रो इनभर्टर के साथ की गई है। इस परियोजना के तहत जब कभी यूटिलिटी ग्रिड (जेएसईबी) से आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो इंटरनल ग्रिड (सीएमपीडीआई) को फिड करने के लिए ग्रिड इन्टर एक्टिव इन्भरटर्स के जरिए सोलर पीवी सिस्टम और डीजी सेट के साथ कन्वेशनल ग्रिड (परम्परागत) (यूटिलिटी सप्लाई) को क्लब (मिलाया गया) किया गया है।

जेरनेटर चलाने में होने वाली डीजल की खपत में पर्याप्त कमी भी की जा सकती है। आगे और इस स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण में कार्बन डायक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। संयंत्र की कुल जीवन अवधि लगभग 25 वर्षों की है और इसका रख–रखाव बहुत कम करना पड़ता है। सौर ऊर्जा के 1 यूनिट के लिए उत्पादन लागत लगभग 6.0 रू. है जो जेन सेटों से उत्पादित ऊर्जा से कहीं अधिक सस्ती है। इस परियोजना की सफलता को कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों में दुहराया जा सकता है।

ii. सीएमपीडीआई, राँची तथा सीआईएनएफआर, धनबाद द्वारा ''कोल–टू–लिक्विड (सीटीएल) कनवर्सन टेक्नोलॉजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी केटालिस्ट का विकास शीर्षक एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 860.44 लाख रू. है। (सीएमपीडीआई, राँची 116.90 लाख रू. तथा सीआईएमएसआर, धनबाद– 743.50 लाख रूपए) परियोजना का उद्देश्य कोयले का तरल में बदलने के लिए स्वदेशी काटालिस्ट का विकास करना है। 10 लीटर क्षमता वाला पायलट प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की गई और सीआईएमएफआर (डिग्वाडीह परिसर), धनबाद में चालू कर दिया गया। अब तक सीटीएल पायलट संयंत्र को 100 घंटे लगातार चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया जा चुका है। फिक्स्ड बेड रिएक्टर में 30 कि.ग्रा. कोबाल्ट आधारित काटालिस्ट के चार्जिंग द्वारा 1.25 लीटर लिक्विड हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया गया। पुनः 100 घंटे के परीक्षण के लिए प्रयोग का कार्य प्रगति पर है। परियोजना का आउटकम (परिणाम) कोयले से लिक्विड में बदलान के दौरान काटालिस्ट की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर निर्भरता को कम करेगा।

ई. प्रौद्योगिकी एब्जार्पसन

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन)/उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया–कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डाली है, जबकि कुछ अन्य, ने चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लिए जरूरी खान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान इस दिशा में, दो अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है तथा एक का कार्य जारी है। परियोजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

i भूमिगत खानों में आग के मामले में एक्सपेंशन फोम एजेट का उपयोग कर क्विट सेटिंग स्टॉपिंग का निर्माण इस परियोजना के तहत एनआईटी, राउरकेला एसएंडआर डिवीजन, कोल इंडिया तथा मेसर्स ट्रांस मार्केटिंग कोलकाता द्वारा विकसित नए कंपाउंड ''ब्लाकेज 52'' के साथ ओरिएंट खान–3 तथा हिराखंड बुंदिया खान, ओरिएंट क्षेत्र, एमसीएल (हीराखंड बुदिया में 2, तथा ओरिएंट खान संख्या–3 में 5) में कुल 7 स्टॉपिंग, जैसा कि परियोजना प्रस्ताव में उल्लेख है, का निर्माण किया गया है। यह पाया गया हे कि न्यू डेवलप कम्पाउंड सहित प्रिपरेटरी वर्कस के साथ स्टॉपिंग के निर्माण में 72 श्रम घंटे लगता है। एक शिफ्ट में व्यू डेवलप कम्पाडंड ''ब्लॉकेज 52'' के साथ आराम से एक स्टॉपिंग बनाया जा सकता है। इन स्टॉपिंग की दीर्घकालीन स्थायित्वता पर वायु संवातन विस्फोटन तथा अन्य खनन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कटीन्यूअस मॉनीटरिंग की गई। करिंग (पकाई) के बाद स्टॉपिंग का सतह मजबूत तथा स्थायी और भूमिगत खानों में आर्द्रता या जल लीकेज (बहाव) से पूरी तरह मुक्त है। इस नए विकसित कंपाउंड के साथ एक स्टॉपिंग के निर्माण (स्टॉपिंग की साइज 2 मी.ग 3 मी. ग 0.20 मी. है) की कुल लागत 1,20,000रू. पड़ा है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 51. 34 लाख रू. है।

ii रेडियोमेटिक टेकनीक का उपयोग कर कोल ड्राई बेनिफिसिएशन का प्रदर्शन

यह परियोजना सीएमपीडीआई, राँची आर्डी हाईटेक प्रा. लि. विसाखापत्तनम तथा बीसीसीएल, धनबाद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आंतरिक रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन तथा न्यूमेटिक रीमूवल टेक्नोलॉजी पर आधारित कोयले के ड्राई डिशेलिंग हेतु एक डेमोशट्रेशन संयंत्र पर का विकास परियोजना का उद्देश्य है।

प्रस्तावित ड्राई बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजी कोल तथा ऐश फार्मिंग मिनरल के विभिन्न गामा रे शोषण गुणों पर कार्य तथा कोयला स्ट्रीम से शेल एवं स्टोन के रीमूवल एवं रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन पर आधारित है। कोयले का मास एबजार्पसन को इफिशियेंट कोयले और शेल के रासायनिक गठन पर निर्भर है। यूडिमेट्रिक टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख लाभ यह है कि क्लीन कोयले के लिए लक्ष्य अथवा थ्रेसहोल्ड वैल्यू ऑफ रिजेक्शन को नियोजित (प्लान) तथा आवश्यकतानुसार सेट किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम, धूलरहित और ऊर्जा के अनुकूल भी है।

इस परियोजना के तहत डेमोट्रेशन स्केल पर इस प्रौद्योगिकी को शुरू करना प्रस्तावित है। 13 मी.मी.–50 मी.मी. (दो चरण में 13–25 मी.मी. एवं 25.50 मी.मी.) के साइज फ्रेक्शन में डिशेलिंग कोयले के लिए आर्डीसोर्ट के दो मॉड्यूल की स्थापना कर मधुबंध वाशरी में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट स्थल में निर्माण कार्य प्रारंभिक अवस्था में है और अनुमान किया जाता है कि संयंत्र निर्माण का संपूर्ण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उपकरण को चालू करने, परीक्षण परिचालन तथा पीजीटी दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2565. 70 लाख रूपए है।

iii. रानीगंज कोयला क्षेत्र के मोटे सीम में सुरक्षित तरलीकरण के कार्यविधि का पता लगाना : कोट्टडीह कोलियरी, ईसीएल में डिजाइन एवं डेवलपमेंट तथा शो–केसिंग डेमोस्ट्रेटिव परीक्षण यह परियोजना ईसीएल के सहायोग से सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कोट्टाडीह परियोजना रानीगंज कोयला क्षेत्र, ईसीएल में चयनित खान स्थल को वेलीडेट करने तथा सीम

के कर्षण के लिए वर्तमान विधि से अलग मोटे सीमों में सुरक्षित तरलीकरण के लिए आप्टीमल एवं संभाव्य डिजाइन बनाना है। डिजाइनिंग और शोकेसिंग डिमांस्ट्रेटिव परीक्षण के समय दो महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् ग्राउंड कंट्रोल और फायर–प्रोपेंसिटि एसपेक्ट्स पर कोल पिलर्स एक्सट्रेक्शन की संख्या को बढ़ाने के क्रम में, विचार किया गया है। कोट्टाडीह परियोजना में लगे कंटीन्यूअस माइनर के साथ भी और सेमी मेकनाइज्ड खान (एसडीएल या एलएचडी) के परीक्षण पैनल में अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावित अध्ययन के तहत एक सामान्य दिशा–निर्देश तैयार करना होगा ताकि एक संभाव्य विधि का विकास किया जा सके, जो सपोर्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट सहित जियो–माइनिंग कंडीशन के वाइड स्पेक्ट्रम में एप्लीकेबल है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 41. 066 लाख रूपए है।

iv शॉवेल–डम्पर डम्प तथा ड्रेगलाइन डम्प दोनों के सुरक्षा तथा व्यवहार्य डिजाइन पर विचार के साथ ड्रैगलाइन डम्प के तथा शॉवेल डम्पर डम्प के टो के बीच अनुमानित दूरी के लिए दिशा–निर्देश का विकास।

बीआईटी, मेसरा, राँची द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक जेनरल मॉडल का विकास करना है जो कोल इंडिया की अन्य खुली खदान खानों के लिए प्रयोज्य होगा तथा साथ ही खुली खदान के उत्खनन में बाह्य डम्पिग के लिए एक निश्चित सीमा तक भूमि की जरूरत को कम करना तथा सुरक्षा पर विचार करने के साथ शॉवेल और ड्रैगलाइन डम्प वर्तमान है।

प्रस्तावित अध्ययन के दौरान, डम्प मेटेरियल, माइन फ्लोर इनक्लाइनेशन, डम्प मास के भीतर वाटर टेबल, क्षेत्र का सिस्मिसिटि, ड्रेगलाइन तथा शॉवेल डम्प आदि का जियोमेट्रिक्स जैसे विभिन्न जियो माइनिंग पारामीटरों पर आधारित शॉवेल–डम्पर डम्प और ड्रैगलाइन डम्प के टो के बीच अनुमानित दूरी के विकास के लिए सामान्य दिशा–निर्देश विकसित करने होंगे। प्रस्तावित दिशा–निर्देश का विकास करने के दौरान ड्रैगलाइन डम्प के स्लोप एंगल को भी आप्टीमाइज करना होगा।

परियोजना के तहत कोल इंडिया की आठ खुली खदान खानों अर्थात्

i. सस्ती ओसीपी, डब्ल्यूसीएल,

ii. दुधिचुआ ओसीपी, एनसीएल

iii. खादिया ओसीपी, एनसीएल

iv. जयंत ओसीपी, एनसीएल

v. बिना ओसीपी, एनसीएल

vi. निगाही ओसीपी, एनसीएल

vii. अमलोरी ओसीपी, एनसीएल

viii. सोनेपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल

में ड्रैगलान डम्प तथा शावेल–डम्पर–डम्प के टो के बीच आप्टीमम दूरी का निर्धारण करने के लिए दिशा–निर्देश के विकास हेतु जियो–इंजीनियरिंग के निर्धारण के लिए अध्ययन किया गया। उपर्युक्त खानों से प्रतिपादित किए गए जियो–इंजीनियरिंग आँकड़े के विश्लेषण के आधार पर बीआईटी मेसरा ने जयंत, बिना, निगाही, दुधीचुआ, खादिया, एनसीएल के अमलोरी खुली खदान खानो के लिए एक अंतरिम मसौदा रिपोर्ट तैयार किया है। सस्ती ओपेककास्ट परियोजना, डब्ल्यूसीएल तथा सोनेपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल के लिए मसौदा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आगे और अध्ययन के लिए कोल इंडिया के शेष बचे खुली खदान परियोजनाओं से जियो इंजीनियरिंग डाटा कलेक्शन का कार्य जारी है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 26. 58 लाख रू. है।

v भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबोटिक्स और रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास यह परियोजना सीएमपीडीआई, राँची, सीएमपीडीआई, सीएमईआरआई, दुर्गापुर तथा सीआईएमएफआई, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भूमिगत खान पर्यावरण तथा रूफ स्ट्राटा से संबंधित विभिन्न खान के लिए टेली–रोबोट ऑनलाइन कंटीन्यूअस मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास करना ही इस परियोजना का उद्देश्य है। रोबेट का प्रस्तावित मॉडल का विकास सीएमआरआई, दुर्गापुर द्वारा पहले ही किया जा चुका है। तथा लैब–स्केल का परीक्षण किया जा चुका है। ईसीएल के कोट्टाडीह खान में क्षेत्र परीखण किया गया है तथापि, रोबोट डिजाइन में आवश्यक संशोधनों के बाद आगे क्षेत्र परीक्षण किया जाएगा।

vi सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट (एसएजीईएस) का टेक्नो–इकोनोमिक इवाल्यूशन और परफार्मेंस विहेवियर इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद तथा मेसर्स जया भारत इक्वीपमेंट प्रा. लि. (जेवीईपीएल) हैदराबाद के द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य छह साजेज (एसएजीईएस) जिसे पूर्व के एसएंडटी परियोजना के तहत तथा उनके टेक्नोफिजिबिलिटि अध्ययन के लिए एससीसीएल के भूमिगत कोयला खानों में उनके परफार्मेंस बिहेवियर के अध्ययन के लिए डिजाइन तथा फेब्रिकेटेड किया गया है।

इस परियोजना के तहत, एसआरपी क्षेत्र, एससीसीएल के आर के एनटी माइन/आर के–5 माइन में क्षेत्र परीक्षण के बाद ही आवश्यक रूपांतरण करना होगा, जहाँ टेक्नों–इकोनोमिक फिजिबिलटि अध्ययन करने के लिए तथा ग्राउंड मूवमेंट पर इसके प्रभाव एवं परफारमेंस विहेवियर अध्ययन के लिए शेलॅसैंडस्टोन ही तत्काल रूफ है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 73.27 लाख है।

vii रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इंसटॉट कोल ऐष एवं मोआइचर एनालाइजर के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल कोल सैम्पलर की डिजाइन एवं विकास परियोजना का कार्यान्वयन सीआईएमएसआर, धनबाद एवं मेसर्स प्रणय इंटर प्राइजेज प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंस्टांट कोल ऐश तथा नमी के विश्लेषण के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन एवं विकास तथा राख एवं नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु ड्यूअल गामा रे सहित न्यूक्लियर टेक्नीक मेथड की स्थापना करना है।

परियोजना के चरण–। के तहत राख और नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु निक्लियर टेकनीक मेथड की संभावना का पता लगाना है। चरण–।। में प्रोटो टाइप मोबाइल कोल सैम्पलर का विकास किया गया है। फूल स्केल ट्रक माउंटेड कोल सैम्पलर का फेब्रिकेशन अंतिम अवस्था में है।

परियोजना की कुल अनुमोदत लागत 167.60 लाख रू. है।

परिशिष्ट ॥

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

हम शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं डी.के.राव, महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

  i. इन विवरणों में न तो कोई भी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

  ii. एकत्रित रूप से ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

  i. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

  ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

  iii. किसी बड़े धोखाधड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

ह. / –	ह. / –
(डी.के.राव)	(शेखर सरन)
महाप्रबंधक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट III

फार्म संख्या एमजीटी–9

31.3.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 92 (3) तथा कंपनी के नियम 12 (1) के संदर्भ में (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

1. रजिस्ट्रेशन एवं अन्य विवरण :

i. सीआईएन : यू 14292 जेएच 1975 जीओआई 001223

ii. रजिस्ट्रेशन की तिथि : 1.11.1975

iii. कंपनी का नाम : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

iv. कंपनी की कैटेगरी / उप–कैटेगरी : मिनी रत्न

v. पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण : गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834008

vi. कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं हाँ / नहीं : नहीं

vii. रजिस्टर तथा ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण–एन.ए

2. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक क्रिया–कलाप

कंपनी के कुल टर्न ओवर (उत्पादन) जो 10 प्रतिशत या उससे अधिक का व्यावसायिक क्रिया–कलापों को नीचे दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	प्रमुख उत्पाद / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्न ओवर का प्रतिशतः)
1.	माइन प्लानिंग एंड डिजाइन	लागू नहीं	30
2.	भूवैज्ञानिक एवं वेधन	लागू नहीं	65
3.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं क्षेत्र सेवाएँ	लागू नहीं	5

3. धारक (नियंत्रक), अनुशंगी तथा सम्बद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्रक / अनुशंगी / सम्बद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत (%)	लागू सेक्शन
1.	कोल इंडिया लि.	एल 23109 डब्ल्यूबी 1973 जीओआई 028844	नियंत्रक	100 प्रतिषत	92(1) (ए)

4. शेयर धारक के तरीके (पैटर्न) (कुल इक्विटी का प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक–अप)

i. कैटेगरीवाईज शेयर होल्डिंग

शेयर धारक की कैटगरी	वर्षारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्षांत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रमोटर्स									
1. भारतीय									
(ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी) केंद्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी). राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी) निकाय कार्पोरेशन	शून्य	190400	190400	100%	शून्य	190400	190400	100%	शून्य
(ई) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ) कोई अन्य.........	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ए) (1)	शून्य	190400	190400	100%	शून्य	190400	190400	100%	शून्य
2. विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ए) एनआरआई– व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी) अन्य व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) निकाय कारपोरेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई) अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ए) (2)									
कुल प्रोमेटर का कुल शेयरहोल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए) (2)	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**
बी. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1.संस्थान									
क. मियूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ए) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी) केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी) वेंचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई) पूंजीगत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ) बिमा कंपनी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) एफआईआईएस	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि फण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अन्य (उल्लेख करे)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (बी) (1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गैर संस्थान									

(ए) निकाय कार्पोरेशन									
1. भारतीय									
2. ओवर्सिज									
(बी) इंडिविजुअल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1. एक लाख तक के नाममात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग									
2. एक लाख से अधिक तक के नाममात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी) अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (बी) (2):–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग **(बी)** = **(बी)** (1) + **(बी)** (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए कस्टोडियम द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समग्र योग **(ए+बी+सी)**	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**

टिप्पणी : वर्ष के अंत में बॉडी कारपोरेट कोल इंडिया द्वारा धारित 190400 शेयर हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ii. प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयर की%	कुल शेयर का शेयर प्लेज्ड/इनकम्बर्ड का%	शेयर की संख्या	कंपनी की कुल शेयर की%	कुल शेयर का शेयर प्लेज्ड/इनकम्बर्ड का%	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का %
1.	कोल इंडिया लि.	190400	100 %	–	190400	100 %	–	परिवर्तन नहीं
	कुल	190400	100 %	–	190400	100 %		परिवर्तन नहीं

iii. प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) में परिवर्तन

क्र.सं	शेयर धारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	190400	100%	190400	100%
2.	वर्ष के दौरान पोमोटर शेयर होल्डिंग तिथिवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (अर्थात आवंटन/ हस्तातंरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि) के लिए कारण का उल्लेख करें इक्विटी इत्यादि	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं
3.	वर्ष के अंत में	190400	100%	190400	100%

iv. टॉप 10 शेयर होल्डरों (डायरेक्टर, प्रोमोटर तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के होल्डर के अलावे) के शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

क्र. सं		वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	टॉप 10 शेयर होल्डरों के प्रत्येक के लिए	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का%	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का%
1.	वर्ष के आरंभ में	–	–	–	–
2.	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (अथवा आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के लिए कारण का उल्लेख करें	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में	–	–	–	–

v. निदेशकों तथा की–मैनेजरियल पर्सेनल का शेयर होल्डिंग :

क्र.सं.		वर्ष की शुरूआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का%
1.	वर्ष के प्रारंभ में	1	0	1	0
2.	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के लिए कारण का उल्लेख करें (आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
3.	वर्ष के अंत में	1	0	1	0

5. ऋण भार (इनडेब्टनेस)

बाकाया/प्राप्त ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं है सहित कंपनी का ऋण भार

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण भार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) प्रधान राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) प्राप्त ब्याज किन्तु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्त्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
–जोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
–घटाकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण भार				
i. मुख्य राशि				
ii. बकाया ब्याज लेकिन देय नहीं				
iii. प्राप्त ब्याज किन्तु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vi. निदेशकों तथा की–मैनेजेरियल पर्सनल का पारिश्रमिक

ए. प्रबंधक निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम							कुल राशि
		श्री अमल कुमार देबनाथ	श्री डी. के.घोष	श्री राजेश कुमार चोपडा	श्री शेखर सरन	श्री वी.के. सिन्हा	श्री बिनय दयाल	श्री बी.एन. शुक्ला	
1.	सकल वेतन	2109359	2260775	1882162	2604110	2630474	969839	1214505	13671224
	क. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	1768136	1991943	1677412	2153325	2234713	773339	1015251	11614119
	ख. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों / परिलब्धि का मूल्य	341223	268832	204750	450785	395761	196500	199254	2057105
	ग. आयकर अधिनियम 1981 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन लाभ का % के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ कर्मचारी का सहयोग)	183317	187818	144927	253433	259998	76059	113289	1218841
	कुल (ए)	2292676	2448593	2027089	2857543	2890472	1045898	1327794	14890065
	अधिनियम के अनुसार सिलिंग								31320000

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
		श्री राकेश कुमार मित्तल	श्री राजेन्दर प्रसाद	श्री देबाशीष गुप्ता	श्री डी.एन. प्रसाद	श्री एन.कुमार	
1.	स्वतन्त्र निदेशक						
	बोर्ड कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	240000	90000	90000			420000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	कुल (1)	240000	90000	90000			420000
2.	अन्य गैर–सरकारी						
	बोर्ड कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य			420000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	कुल बी =(1) + (2)	240000	90000	90000			420000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य			15310065
	अधिनियम के अनुसार समग्र सिलिंग	शून्य	शून्य	शून्य			31320000

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावे की–मैनेजरियल पर्सनल की पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	की–मैनेजरियल पर्सनल			
		कंपनी सचिव (17.2.2016 तक)	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
		श्री पी. लाजर	श्री अभिषेक मुंधड़ा	श्री डी.के.राव	
1.	सकल वेतन	2200338.8	1059891	2827266.24	6087496
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	1860097.8	928540	2428686.24	5217324
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत लाभ का मूल्य	340241	131351	398580	8701723
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक ऑप्सन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन –लाभ का % के अनुसार –अन्य उल्लेख करें	शून्य		शून्य	शून्य
5.	अन्य कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ कर्मचारियों का अंशदान)	216895	85894	284372	587161
	कुल	2417233.8	1145785	3111638.24	6674657

vii. अपराध के लिए जुर्माना/दण्ड/कम्पाऊडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनाल्टी / पनिशमेंट / कम्पाउडिंग के लिए लगाया गया शुल्क का विवरण	प्राधिकारी(आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	किया गया अपील यदि हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
पेनाल्टी	–	–	–	–	–
पनिशमेंट	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–
बी. निदेशक					
पेनाल्टी	–	–	–	–	–
पनिशमेंट	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–
सी. डिफाल्टर में अन्य अधिकारी					
पेनाल्टी	–	–	–	–	–
पनिशमेंट	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV

निगमित शासन प्रमाण पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	U14292JH1975GOI001223
नोमिनल पूंजी	:	500,000,000.00 (**पाँच कारोड़ रू. मात्र**)
प्रदत्त पूँची	:	190,400,000.00 (**उन्नीस करोड़ चार लाख रू. मात्र**)

सेवा में,

सदस्यगण,

सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

गोंदवाना प्लेस : काँके रोड, राँची: 834008

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (लोक) उद्यम के लिए निगमित शासन के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देश 2010 में दिए गए अनुबंध के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (दि कम्पनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

हमारी जाँच संक्षिप्त रूप से नीचे दी जा रही हैं :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी की जिम्मेवारी है। मेरे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निगमित शासन (सर्वोत्कृष्ट कार्य–व्यवहार) के अनुरूप है तथा निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा उसके अनुपालन तक ही सीमित थी यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण पर। हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वो सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जो प्रमाणीकरण के उद्‌देश्य से आवश्यक थे, तथा जैसा कि हमारे द्वारा अपेक्षित थे, वे सभी अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाण–पत्र आदि उपलबध कराये गये हैं।

2. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमणित करते हैं कि निदेशक मंडल तथा अंकेक्षण समिति, मूलतः स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम– 2013 के प्रावधानों के अनुसार अच्छी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानून तथा मानक एवं इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी विभिन्न मान–दण्ड एवं मानक के अनुपालन की समीक्षा हेतु कदम उठाया है।

3. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता एवं प्रभावकारिता का जिसके अनुसार प्रबंधन से कंपनी मामले को कार्यान्वित किया है और न ही उसका आश्वासन है।

वास्ते सतीश कुमार एंड एसोसियेट्स

ह/–
सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएस नं.: 8423
सीपी नं.: 9788

स्थान : राँची
दिनांक: 02.06.2016

परिशिष्ट V

के.सी.टॉक एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउटेंट, न्यू अनन्तपुर, राँची–2, झारखंड
स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,

सदस्यगण,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

यह रिपोर्ट दिनांक : 25.05.2016 की पहली रिपोर्ट के बदले में (सुपरसीड) है तथा व्यावसायिक अंकेक्षक के उपनिदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड– II के पत्रांक : तृतीय चरण लेखा परीक्षा 20.15.16, सीएमपीडीआई, राँची, दिनांक : 02.06.2016 के निर्देश के अनुसार संषोधित किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट :

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा एवं नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति ओर अन्य विवरणात्मक जानकारी/सूचनाओं का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 134(5) में दी गई सामग्री का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है, जो हमें कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित लेखा मानक सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा नीति मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन तथा नकद प्रवाह कैशफ्लो के बारे में सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखा नीति के चयन एवं उपयोग, युक्तिसंगत तथा उपयुत निर्णय लेने तथा आकलन करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं मेनटेनेंस, जो वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुति से संबंधित लेखा रिकार्ड की परिशुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूलवश।

अंकेक्षकों (लेखा–परीक्षकों) का दायित्व :

हमारा दायित्व अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणें पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम (दि एक्ट) के प्रावधान, लेखा एवं अंकेक्षण मानकों एवं अधिनियम (दि एक्ट) के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों (मामलों) पर ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 143(10) के तहत विहित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, इसके बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाए तथा अंकेक्षण करें।

इस अंकेक्षण में वित्तीय विवरण में दिए गए स्पष्टीकरण तथा रकम के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के

लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। प्रक्रिया का चयन अंकेक्षणों के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरण के विषय में भौतिक गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूलवश, की जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिम मूल्यांकन तैयार करने में अंकेक्षक वित्तीय विवरण, जो परिस्थिति के अनुसार उचित अंकेक्षण प्रक्रिया डिजाइन करने के उद्देश्य से सत्य एवं सही विचार देना है, तो तेयार करने के विषय में कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है। अंकेक्षण में प्रयुक्त लेखा नीति की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशक–मंडल द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलन (एकाउन्टिंग इस्टीमेट्स) की तकसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरण पर हमारे अंकेक्षण पर राय देने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

विचार/राय :

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सर्वोतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित ढंग से जानकारी देता है तथा 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी के क्रिया–कलापों और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं नकद प्रवाह (कैशफ्लो) की सत्य एवं सही जानकारी देता है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृति लेखा नीति के अनुकूल है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट।

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, अंकेक्षण के लिए सुझाए गए कार्यप्रणाली, उस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखे तथा वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव को अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देषों/अतिरिक्त निर्देशें पर एक विवरण परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न करते हैं।
2. अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (अंकेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (दि एक्ट) द्वारा यथा अपेक्षित हम परिशिष्ट 2 में इस आदेश के अनुच्छेद 3 तथा 4 में विहित मामले पर एक विवरण संलग्न करते हैं।
3. इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा कि अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं।

   (क) हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार में कंपनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की जाँच से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

   (घ) हमारी राय में वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा), 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार है।

   (ड.) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए 31 मार्च, 2016 के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस कानून की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2016 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर निदेशक अयोग्य (डिसक्वालिफायड) नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस तरह के नियंत्रण की

संचालनात्मक प्रभावकारिता की उपयुक्ता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट परिशिष्ट 3 की ओर ध्यान दिया जाए। तथा

(छ) कंपनी नियमावली (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) 2014 के नियम ।। के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के बारे में हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति लंबित विवाद के प्रभाव को प्रकट किया है–संदर्भ वित्तीय विवरण की अनुसूची 34

ii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी के पास ब्युत्पन्न संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि था।

iii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी द्वारा इन्वेस्ट एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के स्थानांतरित करने लायक कोई अपेक्षित रकम थी।

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट–2

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित परिशिष्ट, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. अचल परिसम्पत्ति के मामले में :

(क) यह पाया गया कि कंपनी ने सामान्यतः अचल परिसंपत्ति की स्थिति तथा मात्रात्मक विवरण सहित पूरा ब्यौरा दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्य की अचल परिसंपत्तियों के बड़े भाग का भौतिक सत्यापन किया है। यह पाया गया कि कंपनी ने 1.00 लाख रूपए से अधिक मूल्य की अचल परिसंपत्तियों की जाँच के लिए विधिवत् गठित टीम को प्रतनियुक्त किया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार इस प्रकार की जाँच में कोई विसंगति नहीं पाई गई। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समयावधि में कम–से–कम 1 लाख रूपए से कम मूल्य वाली सभी परिसंपित्तयों तक जाँच दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।। 1 लाख से कम मूल्य वाली ऐसी परिसंपत्तियों के बारे में हम इस स्थिति में नहीं है कि यदि कोई कमी या विसंगति हो, तो उस पर टिप्पणी कर सकें।

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर अचल परिसंपित्तयों का डीड कंपनी के नाम पर है।

2. वस्तु–सूची के संबंध में

(क) यह पाया गया कि 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी ने स्टोर तथा स्पेयर पार्ट आदि की जाँच के लिए बाहरी एजेंसी को प्रतिनियुक्त किया है। हमारी राय में जाँच की आवृति यथोचित है। हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण इस प्रकार की गई जाँच पर नोट की गई विसंगति जो महत्वपूर्ण नहीं थे, को वर्ष के अंत में लेखे में उचित ढंग से विचार किया गया है।

3. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकण के अनुसार इस कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता, साझेदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी स्पष्टीकरण के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारें द्वारा की गई जाँच के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 2 (अ) लागू नहीं होता है।

6. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा दी गई सेवा/उत्पाद के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 148(।) के तहत लागत अभिलेख के रख–रखाव विहितर निर्धारित नहीं किया है।

7. संवैधानिक बकाया के संबंध में

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर कंपनी द्वारा भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर मूल्य सवंर्धित कर, सीमा–शुल्क, सेवा कर सेस तथा महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तिका में काटी गई/एक्यूर्ड रकम प्रायः नियमित रूप से सक्षम प्रधिकारी के पास जमा कराया जाता रहा है।

हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक जब से ये देय हुए हैं, तब से 6 माह से अधिक अवधि के लिए भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य सवंर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई अविवादित रकम बकाया नहीं था।

क्र.सं.	विवरण	31.3.2016 के अनुसार (करोड़ रू. में)	31.3.2016 के अनुसार (करोड़ रू. में)
1.	**आयकर** वर्ष 1993–94 से 2007–08 मूल्यांकन (असेसमेंट) वर्ष के लिए आईटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील	2.45	2.45
2.	**आयकर** 2008–09 से 2012–13 तक सीआईटी (अपील) के समक्ष दाय अपील	20.61	20.61
3.	सेवा कर–झारखंड उच्च न्यायालय में कम्पनी द्वारा दायर रिट याचिका	5.46	5.46
4.	सेवा कर–वित्तीय वर्ष 2003–04 के संबंध में, विभाग ने सीआईटी के समक्ष अपील दायर किया है।	0.49	0.49
5.	सेवा कर– सेवा कर विभाग, भुवनेश्वर के संबंध में	0.58	0.58
6.	सेवा कर– ओएसएच की भुवनेश्वर द्वारा दावा किया गया सेवा कर	0.13	0.22
7.	प्रवेश शुल्क वित्तीय वर्ष 2002–03 के बारे में वाणिज्य कर आयुक्त के समक्ष अपील	0.17	0.17

8. विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी के किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिवेन्चर होल्डर से कोई ऋण नहीं लिया है या कंपनी के पास कोई बकाया नहीं है। तद्नुसार इस आदेश का अनुच्छेद 3 (vii) लागू नहीं होता है।

9. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेब्ट इन्स्ट्रमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में कोई धन नहीं उगाहा (रेज किया) है। तद्नुसार, इस आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) लागू नहीं होता है।

10. प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन तथा इसे दी गई जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार की बड़ी धोखाधड़ी नहीं पाया था रिपोर्ट किया गया है।

11. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा कंपनी के लेखे की हमारी जाँच के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची–अ के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान द्वारा बाध्यकारी अपेक्षित अनुरोध के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया गया है।

12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (vii) लागू नहीं होता है।

13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यमों होने के कारण संबंधित पार्टी के साथ अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंध के रूप में छूट दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में संबंधित पार्टियों से लेन–देन तथा उसका ब्यौरा प्रयोज्य लेखा मानक, जहाँ लागू हो, द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में स्पष्ट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का प्रेफेरेन्सियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट पूर्णतःया अंशतः परिवर्तनीय डिवेन्चर नहीं दिया (किया) है।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ नन कैश ट्रान्जक्सन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं होता है।

16. कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 45–। ए के तहत निबंधित होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते– के. सी. टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 000216सी

ह0/–
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या –079005

तिथि– 03.06.2016
स्थान– कोलकाता

परिशिष्ट VI

सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल्ल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्धव बाबू लेन, थरपकना
राँची 834001
फोन:. 09334606570, 0651–2212943, 0651–6571423
ई–मेल:- cssatish26@gmail.com • csservices26@gmail.com
पीएन : बीजीओपीके 8640 एम
एसटीबीजीओपीके 8640एमएसडी001

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा प्रबंधकीय कार्मियों के पारिश्रमिक तथा कंपनीज अप्वाइन्टमेंट नियम सं. 9] के नियम, 2014 के आलोक में

सेवा में,

सदस्यगण,

सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

गोंदवाना प्लेस : काँके रोड

राँची – 834008

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मेसर्स सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (दी कंपनी) के रजिस्टर, रिकार्ड, हिसाब–किताब तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तक इसके तहत बनाए गए नियम
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के ओएम नं. 18(8)/2005 जीएम दिनांक 14 मई 2010 द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश
4. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून

सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग से किया गया है कि वह हमें कम्पनी के निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन को मूल्यांकित करने तथा उस पर अपनी राय देने का तर्क संगत आधार प्रदान करता है।

I. हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी सचिव तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा पेश की गई सूचना के अनुसार हमारी राय में निम्नलिखित के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा उसके तहत बनाए गए नियम, कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, प्रावधान, जैसा कि खास कर इसमें उल्लिखित प्रावधान के अनुसार है, का पालन किया है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म में दिए गए निदेश के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण जैसा की भाग 2 में उल्लेख है, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. संविदा, कॉमन शील, निबंधित कार्यालय तथा कंपनी के नाम का प्रकाशन।
4. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के तहत निर्धारित समय के भीतर, कंपनी निबंधक (रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी) के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न भरना।
5. निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की बैठक आयोजित करवाना।
6. 22 जून, 2015 सोमवार को 40वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करवाना।
7. लूज लिफ फार्म में विधिवत् दर्ज वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पर बुक फार्म (पुस्तक के स्वरूप) में बनाया जा रहा है।
8. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान।
9. अंकेक्षकों तथा कास्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
10. अंकेक्षण समिति तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि कमेटी का संगठन एवं विचारार्थ विषय।
11. अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों पर कंपनी द्वारा प्रलेखन की व्यवस्था (सर्विस)।
12. कर्मचारियों तथा नियोक्तओं दोनों के भविष्य निधि से संबंधित भविष्य अंशदान को इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के पास जमा करना।
13. कंपनी अधिनियम (दि एक्ट) तथा इस अधिनियम के तहत बने नियमों के सामान्यतः अन्य सभी लागू प्रावधान

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने अपने शेयरों तथा अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशीप तथा इन्टीटीज में अपनी रूचि को, जब और जहाँ आवश्यक हुआ है, स्पष्ट (प्रकट) किया है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट कर दर्ज कर लिया गया है।
2. निदेशकों ने नियुक्ति संबंधी अपनी योजना, अपने को स्वतंत्र होने एवं निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कर्मियों के आचार संहिता के पालन के संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यताओं का पालन किया है।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों एवं अधिकारियों पर कोई अभियोग नहीं लगाया गया है और न ही कोई जुर्माना लगाया गया है तथा न ही उन्हें कोई दंड दिया गया है।
4. कंपनी ने निदेशक–मंडल के गठन तथा कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान के अनुसार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज, 2010 के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है।

प्रबंधन का दायित्व

1. सेक्रेटेरियल रिकार्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण

पर आधारित सेक्रेटेरियल रिकार्ड पर अपना विचार व्यक्त करना है।

2. हमने सेक्रेटेरियल रिकार्ड के कंटेन्ट की सत्यता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट प्रैक्टिस तथा प्रोसेसे को सही पाया है और उसी का अनुसरण किया है। सेक्रेटेरियल रिकार्ड में प्रतिबिम्बित सही तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर वेरिफिकेशन (जाँच) किया है। हम प्रोसेस और प्रैक्टिस पर विश्वास कर हमारे विचार के लिए उसे यथोचित आधार मान कर अनुसरण किया है।

3. हमने कंपनी के बुक ऑफ एकाउंट तथा वित्तीय रिकार्ड के करेक्टनेस तथा एप्रोप्रिएटनेस की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ हमने कानून, नियम और अधिनियम, घटना आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित शासन और अन्य प्रयोज्य कानून, नियम, अधिनियम, मानकों के प्रावधान के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा परीक्षण टेस्ट के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन की सीमा थी।

6. सेक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट कंपनी के भावी व्यवहार्यता का न ही आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता जिसे प्रबंधन कंपनी के मामले प्रभावकारिता जिसे प्रबंधन कंपनी के मामले में व्यवहार्य करती है। अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियम के प्रावधान का अनुपालन किया है।

परिशिष्ट में वर्णित पर्यवेक्षण के लिए दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है।

वास्ते सतीश कुमार एंड एसोसियेट्स

ह/–
सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएस नं.: 8423
सीपी नं.: 9788

स्थान : राँची
दिनांक: 02.06.2016

परिशिष्ट

सचिवीय अंकेक्षकों की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन का स्पष्टीकरण

आबजर्वेशन	स्पष्टीकरण
कंपनी को एक महिला निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट की तिथि तक इसके बोर्ड में केवल तीन स्वतंत्र निदेशक हैं और किसी महिला निदेशक और किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।	कंपनी ने महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय के साथ कई पत्राचार किए हैं। हालाँकि हमें दी गई सूचना के अनुसार इस संबंध में अनुपालन हेतु कोयला मंत्रालय के पास लंबित है।

परिशिष्ट VII

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

गोंदवाना प्लेस : काँके रोड : राँची– 834 008

विषयः 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के महा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इ सपत्र की प्राप्ति की सूचना से अवगत कराया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0 / –

(प्रवीण कुमार)

व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान

निदेशक एवं लेखा परीक्षक बोर्ड–।।

के पदेन सदस्य

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 22.06.2016

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 03.06.2016 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

ह0/–
(प्रवीण कुमार)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षक बोर्ड–।।
के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22.06.2016

परिशिष्ट VIII

अनुच्छेद 188 (1). फार्म एओसी.–2 के तहत संबंधित पक्षों के साथ संविदा या करार फार्म सं. एओसी.–2

(इस नियम की धारा–134 की उप धारा के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

तृतीय उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/ व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण हेतु फार्म।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**आर्म लेन्थ आधार पर नहीं किए गए संविदा या व्यवस्था या लेन–देन का विस्तृत ब्यौरा**	
क.	संबंधित पार्टी का नाम एवं संबंध की प्रकृति	शून्य
ख	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की प्रकृति	एनए
ग.	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की अवधि	एनए
घ.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त	एनए
ड़.	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने का औचित्य	एनए
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ)	एनए
छ.	अग्रिम रूप में भुगतान की गई रकम, यदि कोई हो,	एनए
ज.	धारा 188 की पहली शर्त के तहत अपेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	एनए
2.	**आर्म्स लेन्थ आधार पर किए गए महत्वपूर्ण (मैटेरियल) संविदा या व्यवस्था या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का ब्यौरा**	
क.	संबंधित पार्टी का नाम संबंध की प्रकृति	शून्य
ख	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की प्रकृति	एनए
ग.	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की अवधि	एनए
घ.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त	एनए
ड़.	बोर्ड द्वार अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	एनए
च.	अग्रिम रूप में भुगतान की गई रकम, यदि कोई हो	एनए

ह0/–

तिथि : 27.06.2016

(शेखर सरन)

स्थान : राँची

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट IX

समझौता संलेख : 2015–16

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य की तुलना के साथ–साथ वित्तीय पारा मीटर और गैर–वित्तीय पारामीटर के वास्तवित कार्यनिश्पादन का विवर.ा

अनुषंगी कंपनी : सीएमपीडीआई

क्र.			मूल्यांकन मानदंड	इकाई	माप (% में)	एम ओ यू लक्ष्य: उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	खराब (1)	दस्तावेजी साक्ष्य और स्रोत/ दस्तावेज का स्रोत (मूल) स्कोर	कार्य–निष्पादन	रॉ स्कोर	प्रस्तावित भारित रॉ स्कोर
1	स्टेटिक/वित्तीय पारामीटर										वास्तविक रिपोर्ट			
			अनिवार्य पारामीटर											
	(i)	वृद्धि/आकार/क्रिया–कलाप												
		(क)	बिक्री टर्न ओवर (निबल बिक्री)	करोड़ रू.	10	852.38	800.93	760.88	722.84	686.70		759.27	2.96	29.58
		(ख)	सकल परिचालन मार्जिन रेट	अनुपात	10	0.1227	0.1143	0.1086	0.1032	0.0980		0.1205	4.74	47.38
	(ii)	लाभप्रदता												
		(क)	पीएटी/नेट वर्थ	अनुपात	5	0.1212	0.1165	0.1107	0.1051	0.0999		0.1447	5.00	25.00
		(ख)	ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	अनुपात	7	0.4089	0.3930	0.3734	0.3547	0.3369		0.5066	5.00	35.00
	(iii)	लागत एवं आउटपुट दक्षता												
		(क)	बिक्री टर्न ओवर/नेट ब्लॉक	अनुपात	10	6.4830	6.0917	5.7871	5.4978	5.2229		7.5935	5.00	50.00
			वैकल्पिक पारामीटर											
	(iv)	उपयोग किए गए परिसंपत्ति की दक्षता												
		(क)	डेब्टर टर्नओवर रेसियो (एवरेज कलेक्शन अवधि)	दिनों की संख्या	8	162.31	176.26	185.07	194.33	204.04		100.83	5.00	40.00
			उपयोग		50									
	टिप्पणी :													
	1. सकल परिचालन मार्जिन की गणना के लिए लेखा शीर्ष पर विचार किया गया है और परिशिष्ट–1 में दिया गया है तथा समान विधि मूल्यांकन के समय अपनाया जाएगा।													
2	क्रियाशील/गैर–वित्तीय पारामीटर													
	(i)	अनुसंधान एवं विकास			4						स्वतन्त्र विशेषज्ञ रिपोर्ट/वार्षिक			
	(क)	विद्युत आपूर्ति के आप्टिमाइजेशन तथा नियंत्रण के लिए एक माइक्रो ग्रिड सिस्टम का विकास का डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन												
		निम्न द्वारा सोर संयंत्र का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट		दिनांक	2	31 जुलाई, 15	15 अगस्त, 15	31 अगस्त, 16	15 सितम्बर, 15	30 सितम्बर, 15		29 जून, 15	5.00	10.00
	(ख)	शॉवेल–डम्पर डम्प और ड्रैगलाईन डम्प दोनों की सुरक्षा और व्यवहार्य डिजाइन पर सहित शॉवेल डम्प और ड्रैगलाईन डम्प के टो के बीच की अनुमानित दूरी के दिशा–निर्देश का विकास												
		निम्न द्वारा पूरी की गई 8 ड्रैगलाइन खानों के शॉवेल डम्पर डमप तथा ड्रैगलाइन डम्प के बीच अनुकूलतम दूरी का निर्धारण		दिनांक	2	15 नवम्बर, 15	30 नवम्बर, 15	15 दिसम्बर, 15	31 दिसम्बर, 15	15 जनवरी, 16		16 अक्टूबर, 15	5.00	10.00

	(iii)	वृद्धि के लिए पहल									वार्षिक रिपोर्ट			
	(क)	भौतिक लक्ष्य/आउटपुट			10									
	(i)	वेधन		000 मीटर		986.00	858.00	808.85	755.91	714.11		993.76		
		(क)	विभागीय	000 मीटर	4	400.00	375.00	350.00	320.00	300.00		408.07	5.00	20.00
		(ख)	आउट सोर्स	000 मीटर	2	586.00	483.00	458.85	435.91	414.11		585.69	5.00	9.99
	(ii)	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट		संख्या	4	14	13	12	11	10		17	5.00	20.00
	(iv)	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन												
	(क)	क्षमता वृद्धि			8									
	(i)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी		संख्या	8	26	24	22	20	18		26	5.00	40.00
	(v)	उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रिया												
	(ग)	श्रमशक्ति/संसाधनों की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने के के उठाए गए उपाय			10									
	i)	ड्रिल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिलों (हाइड्रोस्टेटिक एवं न्यू मैकेनिकल ड्रिल) में वृद्धि/बदलाव		संख्या	4	3	2	1	.	.		6	5.00	20.00
	ii)	राष्ट्रीय उत्पादकता काउसिंल जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग उत्पादकता का बेचमार्किंग		समाप्ति की तिथि	2	1 मार्च, 2016	9 मार्च, 2016	17 मार्च, 2016	24 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016		26 फरवरी, 2016	5.00	10.00
	iii)	सीआईएल के सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए एचईएमएम मशीन यूटिलाइजेशन नार्म्स की समीक्षा		समाप्ति की तिथि	4	30 जून, 2015	15 जुलाई, 2015	31 जुलाई, 2015	14 अगस्त, 2015	31 अगस्त, 2015		28 मई, 2015	5.00	20.00
	(vi)	प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस									वास्तविक रिपोर्ट			
	(क)	न्यू टेक्नोलॉजी/इमप्रूविंग एग्जिस्टिंग वन/अन्य इनोवेटिव प्रैक्टिसेस			4									
	i)	सीएमपीडीआई के दो क्षेत्रीय संस्थानों के लिए आईएसओ 27001 का कार्यान्वयन (सूचना सुरक्षा प्रणाली)		समाप्ति की तिथि	4	31 जनवरी, 2016	15 फरवरी, 2016	29 फरवरी, 2016	10 मार्च, 2016	20 मार्च, 2016		30 जनवरी, 2016	5.00	20.00
	(vii)	मानव संसाधन प्रबंधन			4						स्वतन्त्र एचआर अंकेक्षक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट			
		(प)	माइन प्लानिंग साफ्टवेयर में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	20	16	12	8	4		75	5.00	20.00
			उप योग		40									
3	सेक्टर स्पेसिफिक पारामीटर													
	(i)	ईआईए/ईएमपी (फार्म–1 सहित)		संख्या	4	32	31	29	27	25	वास्तविक रिपोर्ट	50	5.00	20.00
	(ii)	परियालय योजनाओं सहित अन्य रिपोर्ट		संख्या	4	124	118	112	106	101		167	5.00	20.00
	(iii)	भविष्य में कोल इंडिया एवं एमओसी के बाहर ग्राहकों से सीएमपीडीआई का बिजनेस आय जैसे बढ़ाया जाए, के लिए संभावित योजना/रोड मैप की तैयारी		समाप्ति की तिथि	2	30 अक्टूबर, 2015	15 नवम्बर, 2015	30 नवम्बर, 2015	15 दिसम्बर, 2015	31 दिसम्बर, 2015		30 अक्टूबर, 2015	5.00	10.00
			उप योग		10									476.95
			समग्र योग		100								स्कोर	95.39

अभियुक्ति :

1. प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति तथा वन क्लियरेंस नहीं मिलने (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बाधा) के कारण आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली ड्रिलिंग में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 में आउटसोर्सिंग ब्लॉक में 5.14 लाख मीटर की कमी आई। बहुत अच्छा लक्ष्य के लिए कॉरेसपोडिंग नुकसान 4.42 मी. हुआ है। 2015–16 के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएल के बीच एमओयू (संदर्भ नीचे दिए गए फूट नोट क्र.सं.–1) में यह शर्त है कि एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की बाधा नहीं हटने के कारण ड्रिलिंग लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसे पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट।। ए के रूप में संलग्न) से जाना जाएगा तथा उसी अनुसार वित्तीय एवं गैर–वित्तीय पारामीटर का मूल्यांकन किया जाएगा। तद्नुसार आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग लक्ष्य को संशोधित कर 586 हजार मीटर (उत्कृष्ट) तथा 483 हजार मीटर (बहुत अच्छा) किया गया है।

	2. आउटसोर्सिंग द्वारा की जानी वाली ड्रिलिंग लक्ष्य में वृद्धि यानि उत्कृष्ट के लिए 586 हजार मीटर तथा बहुत अच्छा के लिए 483 मी. के आधार पर वित्तीय पारा मीटर का लक्ष्य भी तद्नुसार संशोधित किया गया है।
	3. ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन रेट के लक्ष्य को संशोधित कर 0.1227 (उत्कृष्ट), 0.1143 (बहुत अच्छा) कर दिया गया है और उसी के अनुसार निम्नलिखित को ध्यान में रखकर लक्ष्य 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है। (1) टंकन में भूलवश सीएसआर व्यय 75 लाख रू. की जगह 75 करोड़ हो जाने के कारण (एमओयू के आय–व्यय विवरण का क्रमांक 3.1) सीएसआर सहित प्रशासनिक खर्च 53.06 करोड़ रू. से बढ़कर 127.31 करोड़ रू. तथा 42.33 करोड़ रू. से बढ़कर 116.58 हो गया। (2) आउटसोर्सिंग से ड्रिलिंग लक्ष्य में ऑफसेट उत्कृष्ट के 5.14 लाख मीटर तथा बहुत अच्छा। ग्रॉस आपरेटिंग मार्जिन रेट का एमओयू लक्ष्य में शुद्धिकरण शामिल करने के लिए पत्रांक : सीएमपीडीआई : टीएस : 2015 : 71 :ई– 3612, दिनांक : 26.12.2015 द्वारा निदेशक (एमओयू), डीपीई तथा सलाहकार (आर्थिक) से अनुरोध किया है।
टिप्पणी :	
	1. एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर के अवरोध दूर नही होने के कारण ड्रिलिंग लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट–2ए के रूप में संलग्न कोयला ब्लॉक से संबंधित पर्ट चार्ट) में चिन्हित किया जाएगा तथा तद्नुसार वित्तीय तथा गैर–वित्तीय पारामीटर का मूल्यांकन किया जाएगा।
	2. निगमित शासन के अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंकः डीपीई ने 14 मई, 2010 के पत्रांक : ओएम संख्या : 18(8)/2005–जी एम के अनुसार निगमित शासन पर दिशा–निर्देश किया है। निगमित शासन के अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंक मिलेगा तथा एमओयू स्कोर घटा दिया जाएगा। यदि समय–सीमा के भीतर कोई सीपीएसई निगमित शासन की स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या सीधे डीपीई को नहीं सुपुर्द करता है, तो सीपीएसई को अनुपालन न करने वाला ग्रेड में रखा जाएगा तथा उसे खराब रेटिंग माना जाएगा।
	3. अन्य दिशा–निर्देश/विनियमन का अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंक
	क) एमएसएमई से प्राप्तिः सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (एमएसएमईएस) के लिए सीपीएसई को 25 अप्रैल, 2012 के पत्रांक डीओ सं. 21 (1)/2011/–एमए द्वारा जारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनुसरण करना होगा। उक्त आदेश का अनुपालन न करने पर 1 नवम्बर तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	ख) डीपीई के दिशा–निर्देश का अनुपालन न करनाः 28 जून, 2011 तथा 15 सितम्बर, 2014 के ओएम सं. डीपीई/14(38)/10 दिन में दिए गए विवरण के अनुसार सीपीएसई को अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के जरिए निर्धारित समय–सीमा के भीतर तथा विहित फार्मेट में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के कार्यान्वयन संबंधी एक प्रमाण–पत्र देना होगा। डीपीई के दिशा–निर्देश का निर्धाण प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर किया जाएगा तथा दिशा–निर्देश के अनुपालन न करने पर 1 अंक तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	ग) सीएसआर दिशा–निर्देश का गैर–अनुपालनः सीपीएसई को डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी अधिनियम, नियम तथा दिशा–निर्देश के अनुपालन के बारे में एक प्रमाण–पत्र सौंपना होगा। इसका अनुपालन न करने पर एमओयू के मूल्यांकन के समय 1 अंक तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	घ) अन्य का गैर अनुपालनः पब्लिक इंटर सर्वे, एमओएसपीआई डाटा का वेबसाइट पर अपडेटेशन आदि के लिए आँकड़े की सुपुर्दगी सहित सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन न करने तथा गंभीर मामले में नियामक की अपेक्षाओं गैर–अनुपालन न करने की स्थिति में गैर–अनुपालन की डिग्री तथा गंभीरता के आधर पर 1 अंक तक जुर्माना लागया जाएगा। सीपीएसई को सरकार के निर्देशों तथा नियामकों की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी प्रमाण (परिशिष्ट viii) देना होगा।
	ङ) आंतरिक दस्तावेजों पर बोर्ड के कम–से–कम एक कार्यकारी निदेशक का हस्ताक्षर होना चाहिए।

समझौता संलेख 2015–16

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य की तुलना के साथ–साथ वित्तीय पारा मीटर और गैर–वित्तीय पारामीटर के वास्तवित कार्यनिष्पादन का विवरण

अनुषंगी : सीएमपीडीआई

		मूल्यांकन मानदंड	इकाई	माप (% में)	एम ओ यू लक्ष्य					दस्तावेजी साक्ष्य और स्रोत / दस्तावेज का स्रोत	कार्य–निष्पादन	रॉ स्कोर	भारित रॉ स्कोर
					उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	खराब (1)				
1	**स्टेटिक/वित्तीय पारामीटर**									वास्तविक रिपोर्ट			
		अनिवार्य पारामीटर											
	(i)	वृद्धि / आकार / क्रिया–कलाप											
		(क) बिक्री टर्न ओवर (निबल बिक्री)	करोड़ रू.	10	1030.95	949.25	883.74	839.55	797.58		759.27	1.00	10.00
		(ख) सकल परिचालन मार्जिन रेट	अनुपात	10	0.1068	0.1005	0.0955	0.0907	0.0862		0.1205	5.00	50.00
	(ii)	लाभप्रदता											
		(क) पीएटी / नेट वर्थ	अनुपात	5	0.1374	0.1277	0.1092	0.1037	0.0986		0.1447	5.00	25.00
		(ख) ईबीआईटीडीए / नेट ब्लॉक	अनुपात	7	0.4508	0.4218	0.3820	0.3629	0.3448		0.5066	5.00	35.00
	(iii)	लागत एवं आउटपुट दक्षता											
		(क) बिक्री टर्न ओवर / नेट ब्लॉक	अनुपात	10	7.8411	7.2197	6.6927	6.3581	6.0402		7.5935	4.60	46.02
		वैकल्पिक पारामीटर											
	(iv)	उपयोग किए गए परिसंपत्ति की दक्षता											
		डेब्टर टर्नओवर रेसियो (एवरेज कलेक्शन अवधि)	दिनों की संख्या	8	146.92	161.49	179.46	188.43	197.85		100.83	5.00	40.00
		उप योग		50									
	टिप्पणी :												
	1. सकल परिचालन मार्जिन की गणना के लिए लेखा शीर्ष पर विचार किया गया है और परिशिष्ट–1 में दिया गया है तथा समान विधि मूल्यांकन के समय अपनाया जाएगा।												
2	**क्रियाशील/गैर–वित्तीय पारामीटर**												
	(i)	अनुसंधान एवं विकास		4						स्वतन्त्र विशेषज्ञ रिपोर्ट / वार्षिक			
	(क)	विद्युत आपूर्ति के आप्टिमाइजेशन तथा नियंत्रण के लिए एक माइक्रो ग्रिड सिस्टम का विकास का डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन											
		निम्न द्वारा सोर संयंत्र का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट	दिनांक	2	31 जुलाई, 2015	15 अगस्त, 2015	31 अगस्त, 2016	15 सितम्बर, 2015	30 सितम्बर, 2015		29 जून, 2015	5.00	10.00
	(ख)	शॉवेल–डम्पर डम्प और ड्रैगलाईन डम्प दोनों की सुरक्षा और व्यवहार्य डिजाइन पर सहित षॉवेल डम्प और ड्रैगलाईन डम्प के टो के बीच की अनुमानित दूरी के दिशा–निर्देश का विकास											
		निम्न द्वारा पूरी की गई 8 ड्रैगलाइन खानों के शॉवेल डम्पर डमप तथा ड्रैगलाइन डम्प के बीच अनुकूलतम दूरी का निर्धारण	दिनांक	2	15 नवम्बर, 2015	30 नवम्बर, 2015	15 दिसम्बर, 2015	31 दिसम्बर, 2015	15 जनवरी, 2016		16 अक्टूबर, 2015	5.00	10.00

	(iii)	वृद्धि के लिए पहल								वास्तविक रिपोर्ट			
	(क)	भौतिक लक्ष्य/आउटपुट		10									
	(i)	वेधन	000 मीटर		1500.00	1300.00	1100.00	1000.00	900.00		993.76		
		(क) विभागीय	000 मीटर	4	400.00	375.00	350.00	320.00	300.00		408.07	5.00	20.00
		(ख) आउट सोर्स	000 मीटर	2	1100.00	925.00	750.00	680.00	600.00		585.69	1.00	2.00
	(ii)	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	संख्या	4	14	13	12	11	10		17	5.00	20.00
	(iv)	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन											
	(क)	क्षमता वृद्धि		8									
	(i)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	संख्या	8	26	24	22	20	18		26	5.00	40.00
	(v)	उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रिया											
	(ग)	श्रमशक्ति/संसाधनों की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने के के उठाए गए उपाय		10									
	i)	ड्रिल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिलों (हाइड्रोस्टेटिक एवं न्यू मैकेनिकल ड्रिल) में वृद्धि/बदलाव	संख्या	4	3	2	1	.	.		6	5.00	20.00
	ii)	राष्ट्रीय उत्पादकता काउसिंल जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग उत्पादकता का बेचमार्किंग	समाप्ति की तिथि	2	1 मार्च, 2016	9 मार्च, 2016	17 मार्च, 2016	24 मार्च, 2016	31 मार्च, 2016		26 फरवरी, 2016	5.00	10.00
	iii)	सीआईएल के सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए एचईएमएम मशीन यूटिलाइजेशन नार्म्स की समीक्षा	समाप्ति की तिथि	4	30 जून, 2015	15 जुलाई, 2015	31 जुलाई, 2015	14 अगस्त, 2015	31 अगस्त, 2015		28 मई, 2015	5.00	20.00
	(vi)	प्रौद्योगिकी,गुणवत्ता, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस								वार्षिक रिपोर्ट			
	(क)	न्यू टेक्नोलॉजी/इमप्रूविंग एग्जिस्टिंग वन/अन्य इनोवेटिव प्रैक्टिसेस		4									
	i)	सीएमपीडीआई के दो क्षेत्रीय संस्थानों के लिए आईएसओ 27001 का कार्यान्वयन (सूचना सुरक्षा प्रणाली)	समाप्ति की तिथि	4	31 जनवरी, 2016	15 फरवरी, 2016	29 फरवरी, 2016	10 मार्च, 2016	20 मार्च, 2016		30 जनवरी, 2016	5.00	20.00
	(vii)	मानव संसाधन प्रबंधन		4									
		(i) माइन प्लानिंग साफ्टवेयर में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	20	16	12	8	4	स्वतन्त्र एचआर अंकेक्षक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट	75	5.00	20.00
		उप योग		40									
3	**सेक्टर स्पेसिफिक पारामीटर**												
	(i)	ईआईए/ईएमपी (फार्म–1 सहित)	संख्या	4	32	31	29	27	25	वास्तविक रिपोर्ट	50	5.00	20.00
	(ii)	परियालय योजनाओं सहित अन्य रिपोर्ट	संख्या	4	124	118	112	106	101		167	5.00	20.00
	(iii)	भविष्य में कोल इंडिया एवं एमओसी के बाहर ग्राहकों से सीएमपीडीआई का बिजनेस आय कैसे बढ़ाया जाए, के लिए संभावित योजना/रोड मैप की तैयारी	समाप्ति की तिथि	2	30 अक्टूबर, 2015	15 नवम्बर, 2015	30 नवम्बर, 2015	15 दिसम्बर, 2015	31 दिसम्बर, 2015		30 अक्टूबर, 2015	5.00	10.00
		उप योग		10									448.02
		समग्र योग		100								स्कोर	89.60

अभियुक्ति :

1. प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति तथा वन क्लियरेंस नहीं मिलने (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बाधा) के कारण आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली ड्रिलिंग में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 में आउटसोर्सिंग ब्लॉक में 5.14 लाख मीटर की कमी आई। 4.42 लाख मीटर के नुकसान को 'बहुत अच्छा' के तहत रखा जाएगा।

	2. ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन रेट के लक्ष्य को संशोधित कर 0.1789 से 0.1038 (उत्कृष्ट), 0.1787 से 0.1005 (बहुत अच्छा) कर दिया गया है और उसी के अनुसार लक्ष्य 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह टंकन में भूलवश हुआ जिसमें सीएसआर व्यय 75 लाक्ष रू. की जगह 75 करोड़ हो जाने के कारण (एमओयू के आय–व्यय विवरण का क्रमांक 3.1) सीएसआर सहित प्रशासनिक खर्च 53.06 करोड़ रू. से बढ़कर 127.31 करोड़ रू. तथा 42.33 करोड़ रू. से बढ़कर 116.58 हो गया। आउटसोर्सिंग से ड्रिलिंग लक्ष्य में ऑफसेट उत्कृष्ट के 5.14 लाख मीटर तथा बहुत अच्छा। इस लिए ग्रास आपरेटिंग मार्जिन रेट का एमओयू लक्ष्य में संकुचन हो गया। इस शुद्धिकरण को शामिल करने के लिए पत्रांक : सीएमपीडीआई : टीएस : 2015 : 71 :ई– 3612, दिनांक : 26.12.2015 द्वारा निदेशक (एमओयू), डीपीई तथा सलाहकार (आर्थिक) से अनुरोध किया है।
टिप्पणी :	
	1. एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर के अवरोध दूर नही होने के कारण ड्रिलिंग लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट–2ए के रूप में संलग्न कोयला ब्लॉक से संबंधित पर्ट चार्ट) में चिह्नत किया जाएगा तथा तद्नुसार वित्तीय तथा गैर–वित्तीय पारामीटर का मूल्यांकन किया जाएगा।
	2. निगमित शासन के अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंकः डीपीई ने 14 मई, 2010 के पत्रांक : ओएम संख्या : 18(8)/2005–जी एम के अनुसार निगमितज शासन पर दिशा–निर्देश किया है। निगमित शासन के अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंत मिलेगा तथा एमओयू स्कोर घटा दिया जाएगा। यदि समय–सीमा के भीतर कोई सीपीएसई निगमित शासन की स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या सीधे डीपीई को नहीं सुपुर्द करता है, तो सीपीएसई को अनुपालन न करने वाला ग्रेड में रखा जाएगा तथा उसे खराब रेटिंग माना जाएगा।
	3. अन्य दिशा–निर्देश/विनियमन का अनुपालन न करने पर नकारात्मक अंक
	क) एमएसएमई से प्राप्तिः सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (एमएसएमईएस) के लिए सीपीएसई को 25 अप्रैल, 2012 के पत्रांक डीओ सं. 21 (1)/2011/–एमए द्वारा जारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनुसरण करना होगा। उक्त आदश का अनुपालन न करने पर 1 नवम्बर तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	ख) डीपीई के दिशा–निर्देश का अनुपालन न करनाः 28 जून, 2011 तथा 15 सितम्बर, 2014 के ओएम सं. डीपीई/14(38)/10 दिन में दिए गए विवरण के अनुसार सीपीएसई को अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के जरिए निर्धारित समय–सीमा के भीतर तथा विहित फार्मेट में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के कार्यान्वयन संबंधी एक प्रमाण–पत्र देना होगा। डीपीई के दिशा–निर्देश का निर्धाण प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर किया जाएगा तथा दिशा–निर्देश के अनुपालन न करने पर 1 अंक तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	ग) सीएसआर दिशा–निर्देश का गैर–अनुपालनः सीपीएसई को डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी अधिनियम, नियम तथा दिशा–निर्देश के अनुपालन के बारे में एक प्रमाण–पत्र सौंपना होगा। इसका अनुपालन न करने पर एमओयू के मूल्यांकन के समय 1 अंक तक जुर्माना लगाया जाएगा।
	घ) अन्य का गैर अनुपालनः पब्लिक इंटर सर्वे, एमओएसपीआई डाटा का वेबसाइट पर अपडेटेशन आदि के लिए आँकड़े की सुपुर्दगी सहित सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन न करने तथा गंभीर मामले में नियामक की अपेक्षाओं गैर–अनुपालन न करने की स्थिति में गैर–अनुपालन की डिग्री तथा गंभीरता के आधार पर 1 अंक तक जुर्माना लागया जाएगा। सीपीएसई को सरकार के निर्देशों तथा नियामकों की अपेक्षाओं के अनुपालन संबधी प्रमाण (परिशिष्ट viii) देना होगा।
	ङ) आंतरिक दस्तावेजों पर बोर्ड के कम–से–कम एक कार्यकारी निदेशक का हस्ताक्षर होना चाहिए।

परिशिष्ट X

31.3.2016 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना

क्र. सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2015 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटीशेयर का प्रतिशत (%)	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00000/–रू. से कम नहीं था। .... शून्य										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00000/–रू. से कम नहीं था। .... शून्य										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। .... शून्य										

परिशिष्ट XI

सीएसआर रिपोर्ट का परिशिष्ट
सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि एकाउन्ट (2015–16) पर हुआ व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान 200 लाख रू. के कुल बजट की तुलना में 200.72 लाख रू. सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटि पर खर्च हुआ। वर्ष 2014–15 में 180.92 लाख रू. था।

कंपनी के एवरेज नेट प्राफिट के 2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर बजट एवं व्यय केवल 46.44 लाख रू. होता है। सीएमपीडीआई बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि क्रिया–कलाप के लिए आवंटित राशि 200 लाख रू. थी।

ईकाई	बजट (लाख रू. में)	सीएसआर एवं एसडी कार्यो पर किया गया व्यय (लाख रू. में)	सीएसआर पर किया गया खर्च (लाख रू. में)
मुख्यालय	44.94	50.72	50.72
आरआई-I	23.89	23.74	23.74
आरआई-II	3.00	3.01	3.01
आरआई-III	16.34	15.87	15.87
आरआई-IV	33.79	27.01	27.01
आरआई-V	48.02	44.18	44.18
आरआई-VI	13.45	12.40	12.40
आरआई-VII	24.25	23.79	22.64
कुल	**210.68**	**200.72**	**199.57**

* सीएसआर बजट 200 लाख रू. मात्र तक ही सीमित है।

वर्श 2015–16 के लिए कार्यानुसार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कार्य	सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि पर खर्च (लाख रू. में)	सीएसआर पर व्यय (लाख रू. में)
1	शिक्षा	36.78	36.78
2	आधारभूत संरचना	143.04	143.04
3	जलापूर्ति	3.39	3.39
4	स्वास्थ्य सेवा	10	10
5	सस्टेनेबिलिटी	1.15	–
6	कौशल विकास / महिला सशक्तिकरण	2.07	2.07
7	सामाजिक विकास	2.97	2.97
8	खेल	0.53	0.53
9	अन्य	0.79	0.79
	कुल	200.72	199.57

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्य तथा नीति के अनुरूप ही है

ह0/–
अध्यक्ष
सीएसआर समिति

ह0/–
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक
सीएमपीडीआई

वार्षिक प्रतिवेदन
2015–16

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रू.में

		टिप्पणी		31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
I	इक्विटी एवं देयताएँ					
(1)	अंशधारकों की निधि					
	क) शेयर पूँजी	1	19.04		19.04	
	ख) आरक्षित एवं अधिशेश	2	195.94	214.98	159.02	178.06
(2)	आवंटन के लिए लंबित शेयर अप्लिकेशन मनी					
(3)	गैर चालू देयताएँ					
	क) दीर्घकालीन उधारी	3	–		–	
	ख) आस्थगित कर देयताएँ(निबल)		–		–	
	ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	4	–		–	
	घ) दीर्घकालीन प्रावधान	5	195.92	195.92	225.74	225.74
(4)	अल्पसंख्यक अंश(माइनोरिटी इंटरेस्ट)			–		–
(5)	चालू देयताएँ					
	क) अल्पकालीन ऋण	6	–		–	
	ख) पेशागत देय	7	0.99		0.77	
	ग) अन्य चालू देयताएँ	8	236.72		195.63	
	घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	312.56		309.41	
				550.27		505.81
	कुल			961.17		909.61
II	परिसम्पत्तियाँ					
(1)	गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) अचल परिसम्पत्तियाँ	10 अ				
	1) वास्तविक परिसम्पत्तियाँ– सकल ब्लॉक		225.21		195.92	
	घटाकर : मूल्यहा्स, क्षति एवं प्रावधान		128.07		119.62	
	निबल वहनीय मूल्य			97.14		76.30
	2) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ–सकल ब्लॉक	10 अ	7.84		7.55	
	घटाकर : मूल्य हास, क्षति एवं प्रावधान		4.99		3.02	
	निबल वहनीय मूल्य			2.85		4.53
	3) पूंजीगत कार्य–प्रगति में	10 ब		61.44		29.44
	4) परिवृद्धि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10 स		–		–
	ख) गैर चालू निवेश	11		–		–
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ(निबल)			100.47		106.43
	घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12		11.02		4.07
	ड.) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	13		0.02		0.02
(2)	चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) चालू निवेश	14	–		–	
	ख) वस्तु सूची	15	7.41		6.10	

	ग) व्यवसायिक प्राप्य	16	248.24		236.36	
	घ) नकद एवं तुल्यमान नकद	17	124.30		85.92	
	ड.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	308.23		360.39	
	च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	0.05		0.05	
	साथर्क लेखा नीति	33		688.23		688.82
	लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी	34				
	उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग है।					
	कुल			961.17		909.61

महत्वपूर्ण लेखा नीति 33

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी 34

उपर्युक्त फार्म उल्लेखित टिप्पणी लाभ एवं हानि लेखे का अभिन्न भाग है

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(ए. मुँधरा)	(डी.के.राव)	(वी.के.सिन्हा)	(शेखर सरन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		DIN-06793778	DIN-06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह0/–
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 25 मई, 2016
स्थान : कोलकाता

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण

करोड़ रू.में

	आय	टिप्पणी	31.3.2016 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)		31.3.2015 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	
I	परिचालन से राजस्व					
	क) सेवाओं की बिक्री		877.13		816.54	
	घटाकर : उत्पाद शुल्क		–		–	
	अन्य उगाहियाँ		117.86		89.82	
	निबल बिक्री			759.27		726.72
	ख) अन्य प्रचालन आय (नेट)			–		–
	पद्व परिचालन से प्राप्त राजस्व(क+ख)	20		759.27		726.72
II	पपद्व अन्य आय	21		5.08		5.48
III	सकल राजस्व (I+II)			764.35		732.20
IV	व्यय					
	सामग्री खपत की लागत	22		21.92		21.43
	ट्रेड में स्टाक तथा चालू फिनिश्ड गुडस की वस्तु सूची में तथा ट्रेड के स्टाक में परिवर्त्तन	23		–		–
	कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	24		412.40		402.73
	विद्युत एवं ईंधन			3.55		2.97
	सीएसआर व्यय	25		2.01		1.68
	मरम्मती	26		19.90		15.22
	संविदात्मक व्यय	27		205.09		191.09
	वित्तीय लागतें	28		0.24		0.24
	मूल्य ह्रास/ऋण/क्षति			12.66		10.32
	प्रावधान	29		(0.11)		(0.07)
	बट्टे खाते में डालना	30		–		–
	अधिभार निराकरण समायोजन			–		–
	अन्य–व्यय	31		48.93		47.25
	कुल व्यय			726.59		692.86
V	आपवादात्मक एवं असाधारण आइटम के पहले लाभ, हानि			37.76		39.34
	एवं कर					
VI	समय पूर्व समायोजन {(शुल्क/(आय)}	32		(4.78)		0.01
VII	आपवादिक मद			–		–
VIII	विशेष मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)(V-VI-VII)			42.54		39.33
IX	असाधारण मद (शुल्क/(आय)			–		–
X	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VIII-IX)			42.54		39.33
X	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VIII-IX)			42.54		39.33
XI	घटाकर : कर व्यय					
	–चालू वर्ष			8.10		19.13

	–आस्थगित कर			5.96		(4.84)
	–पूर्व वर्ष			.		.
XII	कंटिन्यूईंग आपरेशन(X-XI) से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			28.48		25.04
XIII	डिसकंटिन्यूईंग आपरेशन से लाभ			.		.
XIV	डिसकंटिन्यूईंग आपरेशन का कर खर्च			.		.
XV	डिसकंटिन्यूईंग आपरेशन (टैक्स बाद) से लाभ (XIII-XIV)			.		.
XVI	वर्ष के लिए लाभ (XII+XV))			28.48		25.04
	प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रू. में)					
	(प्रति शेयर 1000 रू. के अंकित मूल्य पर)					
	1. बेसिक (रूपये में)			1496.00		1315.00
	2. मंदी (रूपये में)			1496.00		1315.00

महत्वपूर्ण लेखा नीति 33
लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी 34
उपर्युक्त फार्म उल्लेखित टिप्पणी लाभ एवं हानि लेखे का अभिन्न भाग है

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(ए. मुँधरा)	(डी.के.राव)	(वी.के.सिन्हा)	(शेखर सरन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन–06793778	डीआईएन–06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह0/–
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 25 मई, 2016
स्थान : कोलकाता

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–1

करोड़ रू.में

	शेयरपूँजी	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	1000/–प्रति इक्विटी शेयर वाले 500000 इक्विटी शेयर	50.00	50.00
		–	–
		50.00	50.00
	निर्गमित अभिदत्त एवं चूकता पूँजी		
	(कोल इंडिया लिमिटेड नियंत्रक कंपनी तथा इनके नौमनी)	–	–
	पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष		
	प्रदत्त के 8 इक्विटी शेयर)	–	–
	नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक		
	1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष के 85392 इक्विटी शेयर)	8.54	8.54
	ऋण से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चूकता के		
	आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. 105000 इक्विटी शेयर	10.50	10.50
		19.04	19.04
टिप्पणी–			
1.1	प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर		
	शेयर होल्डरों के नाम	शेयर धारक की संख्या(1000प्रति अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का प्रतिशत (%)
	कोल इंडिया लिमिटेड	190400	100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–2

करोड़ रू.में

	आरक्षित एवं अधिशेष	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)
	आरक्षित		
क)	पूंजीगत रिजर्व		
	गत तुलन पत्र के अनुसार	9.73	12.59
	जोड़कर : वर्ष कें दौरान वृद्धि	10.04	0.27
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	1.60	3.13
	कुल (क)	18.17	9.73
ख)	पूंजीगत क्षतिपूर्ति रिजर्व		
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार		
	जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि		
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	.	.
	कुल(ख)	.	.
ग)	विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व		
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	.	.
	जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	.	.
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	.	.
	कुल(ग)	.	.
घ)	सीएसआर रिजर्व		
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	.	.
	जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	.	.
	घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	.	.
	कुल(घ)	.	.
ङ)	सतत् विकास रिजर्व		
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	.	0.03
	जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	.	.
	घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	.	0.03
	कुल(ङ)	.	.
च)	सामान्य रिजर्व		
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	5.77	5.74
	जोड़कर : सीएसआर रिजर्व से स्थानान्तरण	.	0.03
	जोड़कर/घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	.	.
	कुल(च)	5.77	5.77
छ)	लाभ एवं हानि लेखे में सरप्लस		

	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	143.52	118.48
	वर्ष के दौरान कर के उपरांत लाभ / (हानि)	28.48	25.04
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ / (हानि)	172.00	143.52
	घटाकर : विनियोग		
	विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व	–	–
	सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	–	–
	सीएसआर रिजर्व में स्थानान्तरण	–	–
	अंतरिम लाभांश	–	–
	इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	–	–
	कारपोरेट लाभांश कर	–	–
	कुल(छ)	172.00	143.52
	विविध खर्च		
	(बट्टे खाते में नहीं डाला गया		
	प्रारंभिक व्यय	–	–
	पूर्व परिचालन व्यय	–	–
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	195.94	159.02

	तुलन पत्र पर टिप्पणी जारी.....								
					टिप्पणी–2 जारी........				
	आरक्षित एवं अधिशेष जारी........								
	पूंजीगत आरक्षित : कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान / निधि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त, को पूंजीगत आरक्षित माना जाता है तथा मूल्यह्रास को पूंजीगत आरक्षित लेखे के लिए डेबिट किया जाता है। जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है उस प्राधिकारी को सृजित परिसंपत्ति का मालिक होता है। पूंजीगत रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :								
							करोड़ रू. में		
	विवरण	**वि.एवं प्रो. अनुदान**	**यूएनडीपी अनुदान**	**सीसीडीए अनुदान**	**इएमएससी अनुदान**	**कोल इंडिया अनु.एवं वि. अनुदान**	**पीआरई अनुदान**	**सीएमएम/ सीबीएम क्लियरिंग हाऊस अनुदान**	**कुल**
	गत लेखे के अनुसार	2.55	0.05	0.07	–	6.16	0.83	0.07	9.73
	जोड़कर	1.46				8.36	0.22		10.04
		4.01	0.05	0.07	–	14.52	1.05	0.07	19.77
	घटाकर : मूल्यह्रास एवं समायोजन	0.49		0.01		0.54	0.54	0.02	1.60
	कुल 31.03.2016 के अनुसार	3.52	0.05	0.06	–	13.98	0.51	0.05	18.17
	कुल 31.03.2015 के अनुसार	2.55	0.05	0.07	–	6.16	0.83	0.07	9.73

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–3

करोड़ रू.में

	दीर्घकालीन कर्ज	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
क)	टर्म लोन		
ख)	कोल इंडिया से ऋण		
	कुल (क+ख)	–	–
	वर्गीकरण 1		
	प्रतिभूत	–	–
	अप्रतिभूत	–	–
	वर्गीकरण 2		
	निदेशकों तथा अन्य द्वारा ऋण गारंटी		
	ऋण के विवरण	करोड़ रू. में धनराशि	गारंटी की प्रकृति
		शून्य	शून्य

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–4

करोड़ रू.में

	अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि		
	अथ शेष	–	–
	जोड़कर : निधि के निवेश से लाभ	–	–
	जोड़कर : प्राप्त अंशदान	–	–
	घटाकर : उपयोग की गई राशि	–	–
		–	–
	पेशागत देय		
	प्रतिभूति जमा	–	–
	अन्य (व्यौरेवार प्रकृति)	–	–
	कुल	–	–

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–5

करोड़ रू.में

	दीर्घकालीन प्रावधान			31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कर्मचारियों के लिए लाभ				
	–ग्रेच्यूटी			66.49	98.22
	–छुट्टी नकदीकरण			70.40	70.15
	–अन्य कर्मचारी लाभ			59.03	57.37
	विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए (मार्क्ड टू मार्केट)			–	–
	ओबीआर समायोजन लेखा			–	–
	खान बन्दी			–	–
	अन्य के लिए			–	–
	कुल			195.92	225.74
5.1	विभिन्न प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है :				
	प्रावधान	अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/वापस लाया गया	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायो–जन	इतिशेष
		01.04.2015			31.03.2016
i	ग्रैच्यूटि के लिए	98.22	–	31.73	66.49
ii	छुट्टी नकदीकरण के लिए	70.15	0.25	–	70.40
iii	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए	57.37	1.66	–	59.03
iv	ओबीआर समायोजन लेखा के लिए	–	–	–	–
v	खान बन्दी योजना के लिए	–	–	–	–
5.2	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में कर्मचारियों के लिए बेसिक एवं डीए का क्रमशः 3.00%, 6.84 % की दर से पेंशन और वार्धक्य सेवानिवृति लाभ शामिल है।				

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–6

करोड़ रू.में

	अल्पकालीन ऋण	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	बैंक से ऋण	–	–
	मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण		
	कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य अनुशंगियों के साथ शेष		–
	नियत तिथि पर जमा की गई गिरवी के विरूद्ध ओवर ड्राफ्ट	–	–
	अन्य ऋण एवं अग्रिम		
	आस्थगित क्रेडिट	–	–
	कुल	–	–
	वर्गीकरण 1		
	प्रतिभूत	–	–
	अप्रतिभूत	–	–
	वर्गीकरण 2		
टिप्पणी			
6.1	निदेशक तथा अन्य के द्वारा प्रत्याभूत ऋण		
	ऋण के विवरण	करोड़ रू. में धनराशि	गारंटी की प्रकृति
		शून्य	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा में शेष राशि : शून्य		

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–7

करोड़ रू.में

	पेशागत देय	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	सुक्ष्म तथा लघु उद्योगों का आउटस्टैडिंग डयूज	0.20	0.34
	सुक्ष्म तथा लघु उद्योगों के अलावे आउटस्टैडिंग डयूज	0.79	0.43
	कुल	0.99	0.77
टिप्पणी			

7.1	सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा–22 के द्वारा यथा अपेक्षित कंपनी मे उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित सूचना दी गई। एमएसएमई के संबंध में :		
क)	प्रत्येक लेखा–जोखा वर्ष के अंत मे किसी आपूर्तिकर्त्ता को मूल रकम तथा उस परदेय जिसका भुगतान नहीं किया गया है।	–	–
ख)	प्रत्येक लेखा–जोखा वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकर्त्ता के भुगतान की गई रकम के साथ–साथ सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम–2006 की धारा 16 के संदर्भ में विक्रेता भुगतान किया गया व्याज की रकम	–	–
ग)	सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के तहत विहित व्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देर (विवेच्य वर्ष के दौरान) जिसका भुगतान कर दिया गया परंतु निर्धारित तिथि के बाद की अवधि के लिए बकाया एवं देय व्याज की रकम।		
घ)	प्रत्येक लेखा–जोखा के अंत तक प्राप्त व्याज तथा अनपेड रह गया हो, कि राशि	–	–
ङ)	सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम ड़्योग की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए परवर्ती वर्ष में भी बकाया तथा देय व्याज की राशि, जब तक कि ऐसी स्थिति को जब उपयुक्त बकाया व्याज लघु उद्यम को वस्तुतः भुगतान नहीं किया गया हो।	–	–
	कुल	–	–

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–8

करोड़ रू.में

	अन्य चालू देयताएँ जारी............	**31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)**	**31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**
	दीर्घकालीन उधारियों की चालू परिपक्वता		
	कोल इंडिया लिमिटेड से लोन	–	–
	कोल इंडिया से अधिशेष निधि	–	–
	पूंजी के लिए (स्टोरों सहित)	–	–
	व्यय के लिए		
	वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	33.92	33.24
	विद्युत एवं ईंधन	1.24	0.84
	अन्य	79.76	70.41
		114.92	104.49
	सांविधिक देय		
	विक्रय कर/वैट	–	–
	भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	0.35	0.68

	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	–	–
	कोयला पर उपकर तथा राजस्व	–	–
	स्टोविंग उत्पाद शुल्क	–	–
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	–	–
	अन्य सांविधिक उगाहियाँ	1.92	1.50
		2.27	2.18
	स्रोत पर आयकर कटौती	0.40	0.42
	प्रतिभूति जमा	4.61	4.05
	पेशगी राशि	2.75	2.38
	ग्राहक एवं अन्य से अग्रिम तथा जमा	3.15	5.30
	ब्याज प्राप्ति तथा ऋणों पर देय	–	–
	ब्याज प्राप्ति लेकिन ऋणों पर देय नहीं	–	–
	उपकर समकरण लेखा	–	
	आईआईसीएम के पास चालू लेखा	–	–
	अनपेड लाभांश	–	–
	राष्ट्रीयकरण से पूर्व अन्य अग्रिम जमा	–	–
	अन्य देयताएँ	108.62	76.81
	कुल	236.72	195.63

विवेच्य अवधि के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीआरई, विस्तृत वेधन, अनुसंधान एवं विकास आदि के तहत प्राप्त अनुदान/निधि तथा उसका वितरण इस प्रकार हैः

करोड़ रू. में

विवरण	वि.एवं प्रो. अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर–सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रालय	सीआईएल आरएंडडी निधि
1.4.2015 के अनुसार अथशेष	3.64	0.40	0.21	40.64	0.26	5.83
जोड़कर						
1. कोयला मंत्रालय	18.00	105.27	0.00	151.20	0.00	0.00
2. इस्पात मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सीआईएल कोलकाता	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	6.25
4. समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.02
5. निधि पर बैंक ब्याज	0.32	1.11	0.02	3.00	0.00	0.42
	21.96	106.78	0.43	194.84	0.26	12.48
घटाकर : वितरण/उपयोग	17.60	104.37	0.20	138.40	0.00	4.89
31.3.2016 के अनुसार इतिशेष	4.36	2.41	0.23	56.44	0.26	7.59

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–9

करोड़ रू.में

	अल्पकालीन प्रावधान			31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कर्मचारियों के लिए लाभ				
	–ग्रेच्यूटी			24.32	23.84
	–छुट्टी नकदीकरण			15.06	15.58
	–पीपीएलबी			13.39	9.33
	–पीआरपी			181.14	192.50
	–अन्य कर्मचारी लाभ			78.63	68.14
	प्रस्तावित लाभांष के लिए			.	.
	कॉरपोरेट लाभांष कर के लिए			.	.
	कोयले की समाप्त भंडार पर उत्पाद षुल्क के लिए			.	.
	अन्य देयताएँ			0.02	0.02
	कुल			312.56	309.41
टिप्पणी–					
9.1	31.3.2016 के अनुसार 9.84 प्रतिषत की दर से सुपरएन्यूएषन के लिए उपलब्ध कराए गए 70.81 रू. कर्मचारी लाभ सहित अन्य के लिए अल्पकालीन प्रावधान				
9.2	विभिन्न प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है :				
	प्रावधान	अथषेश	अवधि के दौरान जोड़कर/ वापस लाया गया	अवधि के दौरान देय/समायोजन	इतिषेश
		01.04.2015			31.03.2016
i	ग्रैच्यूटी क लिए	23.84	11.96	11.48	24.32
ii	छुट्टी नकदीकरण के लिए	15.58	19.66	20.18	15.06
iii	पीएलआरएस के लिए	9.33	14.98	10.92	13.39
iv	पीआरपी के लिए	192.50	12.43	23.79	181.14
v	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए	68.14	48.90	38.41	78.63
vi	प्रस्तावित लाभांष के लिए				
vii	निगमित लाभांष के लिए				
viii	आयकर के लिए प्रावधान हेतु				
ix	उत्पाद कर के लिए				
x	अन्य के लिए	0.02			0.02
9.3	कार्य–निश्पादन से संबंधित भंगतान(पीआरपी)				
	बनाए गए प्रावधान के अनुसार कार्य–निश्पादन से संबंधित भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में 14.34 करोड़ रू. का समायोजन किया गया।				

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–10 (अ)

अचल परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू.में

	विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस					निबल ब्लॉक	
		1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ विक्री	31.3..2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ विक्री	31.3.2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ विक्री	31.3.2016 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	31.3.2016 के अनुसार	31.3.2015 के अनुसार
अ.	वास्तविक परिसम्पतियाँ															
	जमीन															
	(क) पूर्ण स्वामित्व	1.15	–	–	1.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15	1.15
	(ख) पट्टेदार	2.19	–	–	2.19	0.85	0.03		0.88	–	–	–	–	0.88	1.31	1.34
	भवन/जल आपूर्ति/रोड एवं पुलिया	42.71	3.81	(0.01)	46.51	16.88	1.31	.	18.19	–	–	–	–	18.19	28.32	25.83
	संयंत्र एवं मशीनरी	118.67	22.92	(2.18)	139.41	82.89	7.93	(2.04)	88.78	–	–	–	–	88.78	50.63	35.78
	दूर संचार	–			–	–			–	–	–	–	–	–	–	–
	रेलवे साइडिंग	–			–	–			–	–	–	–	–	–	–	–
	फर्निचर तथा फिटिंग/कार्यालय साधन एवं उपकरण/विद्युतीय फिटिंग/अग्निशामक यंत्र	15.62	4.00	(0.37)	19.25	11.07	1.50	(1.02)	11.55	–	–	–	–	11.55	7.70	4.55
	वाहन	14.90	1.94	(0.85)	15.99	7.93	1.51	(0.77)	8.67	–	–	–	–	8.67	7.32	6.97
	एयरक्राफ्ट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	राष्ट्रीयकरण के बाद ली गई परिसम्पत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल–अ	195.24	32.67	(3.41)	224.50	119.62	12.28	(3.83)	128.07	–	–	–	–	128.07	96.43	75.62

टिप्पणी–10 (अ) जारी...
अचल परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू.में

	विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस					निबल ब्लॉक	
		1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3.2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3.2016 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	31.3.2016 के अनुसार	31.3.2015 के अनुसार
ब.	सर्वेड आफ परिसंपत्तियाँ	0.68	0.32	(0.29)	0.71		–	–	–	–	–	–	–	–	0.71	0.68
	कुल–ब	0.68	0.32	(0.29)	0.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.71	0.68
	समग्र योग (अ+ब)	195.92	32.99	(3.70)	225.21	119.62	12.28	(3.83)	128.07	–	–	–	–	128.07	97.14	76.30
	सर्वेड आफ परिसंपत्तियाँ (31.3.2015 के अनुसार)	0.66	0.39	(0.37)	0.68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.68	0.66
	इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.15के अनुसार)	180.94	16.57	(2.27)	195.24	109.49	12.13	(2.00)	119.62	–	–	–	–	125.81	75.62	71.45
	समग्र योग (31.3.15 के अनुसार)	181.60	16.96	(2.64)	195.92	109.49	12.13	(2.00)	119.62	–	–	–	–	125.81	76.30	72.11
स.	इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ															
	कम्प्यूटर साफ्ठवेयर	7.55	0.29		7.84	3.02	1.97	–	4.99	–	–	–	–	4.99	2.85	4.53
	विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल–सी	7.55	0.29		7.84	3.02	1.97		4.99	–	–	–	–	4.99	2.85	4.53
	इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.15 के अनुसार)	2.21	5.85	(0.51)	7.55	2.21	1.32	(0.51)	3.02	–	–	–	–	3.02	4.53	4.53

करोड़ रू.में

टिप्पणी सं.10 अ के अनुसार परिसंपत्तियों का विवरण										
(अ) अचल परिसंपत्ति एवं सॉफ्टवेयर (एसएण्डटी, सीसीडीए, ईएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल, आरएण्डडी आदि के परिसंपत्ति को छोडकर)										
	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ विक्री	31.3..2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ विक्री	31.3..2016 के अनुसार	31.3..2016 के अनुसार	31.3..2015 के अनुसार
जमीन										
(क) पूर्ण स्वामित्व	1.15			1.15		–	–		1.15	1.15
(ख) पट्टेदार	2.19			2.19	0.85	0.03		0.88	1.31	1.34
भवन	42.40	3.81	(0.01)	46.20	16.82	1.31	–	18.13	28.07	25.58
संयंत्र एवं मशीनरी	83.61	20.28	(1.92)	101.97	52.03	6.93	(1.78)	57.18	44.79	31.58
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/कार्यालय उपकरण आदि	14.68	4.00	(0.37)	18.31	10.49	1.42	(1.02)	10.89	7.42	4.19
वाहन	14.85	1.94	(0.85)	15.94	7.89	1.51	(0.77)	8.63	7.31	6.96
सर्वेड आफ परिसंपत्तियाँ	0.68	0.32	(0.29)	0.71					0.71	0.68
कुल (अ) अचल परिसंपत्तियाँ	159.56	30.35	(3.44)	186.47	88.08	11.20	(3.57)	95.71	90.76	71.48
साफ्टवेयर	5.38	0.28	–	5.66	1.46	1.45	–	2.91	2.75	
(ब) अचल परिसंपत्ति एवं सॉफ्टवेयर (एसएण्डटी, सीसीडीए, ईएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल, आरएण्डडी आदि को छोडकर)										
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	–	–	–	–	–		–	–
(ख) पट्टेदार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन	0.31			0.31	0.06	–	–	0.06	0.25	0.25
संयंत्र एवं मशीनरी	35.06	2.64	(0.26)	37.44	30.86	1.00	(0.26)	31.60	5.84	4.20
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/कार्यालय उपकरण आदि	0.94	–	–	0.94	0.58	0.08	–	0.66	0.28	0.36
वाहन	0.05		–	0.05	0.04			0.04	0.01	0.01
कुल (ब)–अचल परिसंपत्तियाँ	36.36	2.64	(0.26)	38.74	31.54	1.08	(0.26)	32.36	6.38	4.82
साफ्टवेयर	2.17	–	0.01	2.18	1.56	0.52		2.08	0.10	
कुल (अ+ब) अचल परिसंपत्तियाँ	195.92	32.99	(3.70)	225.21	119.62	12.28	(3.83)	128.07	97.14	76.30
कुल (अ+ब) साफ्टवेयर	7.55	0.28	0.01	7.84	3.02	1.97	–	4.99	2.85	4.53

टिप्पणी–10 (ब)
चालू पूँजीगत कार्य

करोड़ रू.में

विवरण	लागत				प्रावधान				इम्पेयमेंट हानि					निबल ब्लॉक	
	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/बिक्री	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3.2016 के अनुसार	कुल मूल्य हास/क्षतिपूर्ति घाटा	31.3.2016 के अनुसार	31.3.2015 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ															
भवन / जलापूर्ति / रोड एवं पुलिया	12.71	15.39	(6.38)	21.72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.72	12.71
														–	
संयंत्र एवं मशीनरी	16.73	29.27	(6.28)	39.72	–		–	–	–	–	–	–	–	39.72	16.73
रेलवे साईडिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
														–	
अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	29.44	44.66	(12.66)	61.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.44	29.44
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ (31.3.15 के अनुसार)	24.93	19.27	(14.76)	29.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.44	24.93

टिप्पणी–10 (स)
विकासाधीन इंटेन्जबल परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू.में

विवरण	लागत				प्रावधान				इम्पेयमेंट हानि					निबल ब्लॉक	
	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	1.4.2015 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	31.3..2015 के अनुसार	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	2015–16 के दौरान समायोजन/ बिक्री	31.3..2016 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	31.3..2016 के अनुसार	31.3..2015 के अनुसार
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ															
विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्ववेक्षण एवं वेधन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.3.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार															
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–11

करोड़ रू.में

गैर चालू निवेश–लागत पर अनुद्धित				
	शेयरों/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति/चालू वर्ष/(विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य/ अनुबंध पत्र/प्रतिभूति चालू वर्ष (विगत वर्ष)	31.3.16 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.15 के अनुसार (अंकेक्षित)
व्यवसाय			–	–
अव्यवसाय			–	–
कुल :			–	–
उद्धत निवेश का संकलन			–	–
अनुद्धत निवेश का संकलन			–	–
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			–	–
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान			–	–

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–12

करोड़ रू.में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण				
अग्रिम				
पूंजी के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य		10.26		3.28
–संदिग्ध		–		–
		10.26		3.28
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		10.26		3.28
राजस्व के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य		–		–
–संदिग्ध		–		–
		–		–
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		–		–
प्रतिभूति जमा		–		–

–प्रतिभूत वसूली योग्य		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य		0.12		0.13
–संदिग्ध		–		–
		0.12		0.13
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		0.12		0.13
पीएंडटी बिजली इत्यादि के लिए जमा				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.61		0.60
–संदिग्ध		–		–
		0.61		0.60
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध ऋण प्राप्ति योग्य व्यवसाय हेतु प्रावधान		–		–
		0.61		0.60
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण				
भवन के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.03		0.06
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–संदिग्ध		–		–
		0.03		0.06
मोटर कार तथा अन्य वाहन के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–संदिग्ध		–		–
		–		–
अन्य के लिए		–		–
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–संदिग्ध		–		–
		–		–
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		–		–
सहायक कंपनियों को ऋण		–		–
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–संदिग्ध		–		–
		–		–
कुल		**11.02**		**4.07**
टिप्पणी : 12.1				
	इतिशेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
			2015–16	2014–15
समरूप प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–13

करोड़ रू.में

	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	प्राप्ति योग्य दीर्घकालीन व्यवसाय				
	–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
	–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
	–संदिग्ध		–		–
			–		–
	घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		–		–
			–		–
	गवेशणात्मक ड्रिलिंग कार्य				
	–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
	–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
	–संदिग्ध		–		–
			–		–
	घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		–		–
			–		–
	अन्य प्राप्ति योग्य				
	–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
	–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.02		0.02
	–संदिग्ध		–		–
			0.02		0.02
	घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		–		–
			0.02		0.02
	कुल		0.02		0.02
1311		इति शेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
		31.3.16 के अनुसार	31.3.15 के अनुसार	2015–16	2014–15
	समरूप प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–14

चालू निवेश में उद्धृत/ अनुद्धृत लागत पर

करोड़ रू.में

		चालू वर्ष में शेयर/बांड/ सिक्यूरिटी संख्या/(गत वर्ष)	चालू वर्ष में प्रति शेयर/बांड सिक्यूरिटी अंकित मूल्य (गत वर्ष)	31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	अव्यावसायिक				
क)	म्यूचूअल फंड निवेश	–	–	–	–
	कुल (क)				
ख)	व्यवसाय				
	कुल (ख)				
	कुल (क+ख)			–	–
	उद्धरित निवेश का पूर्ण योग			–	–
	अनुद्धरित निवेश का पूर्ण योग			–	–
	उद्धरित निवेश का बाजार मूल्य			–	–
	अनुद्धरित निवेश का बाजार मूल्य			–	–
	निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित प्रावधान			–	–

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–15

वस्तु सूची

(लेखा नीति संख्या 4.1 टिप्पणी–33 के अनुसार मूल्य निर्धारण)

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
क.	कोल एवं कोक आदि का नेट स्टॉक (लागत)	–	–
	कोयले का भंडार		
	विकास के अधीन कोयला	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल (क)	–	–
ख.	स्टोर एवं अतिरिक्त पूर्जों का नेट स्टॉक		
	स्टोरों का भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों (लागत पर)	7.57	6.42
	स्टोर : मार्गस्थ	0.41	0.09

	घटाकर : प्रावधान	0.57	0.41
	कुल (ख)	7.41	6.10
ग.	वर्कशॉप जॉब का नेट स्टॉक		
	वर्कशॉप जॉब :		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल (ग)	–	–
घ.	प्रेस		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	–	–
	स्टोर/एसेट की हानि	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल (घ)	–	–
ड.	सेंट्रल अस्पताल में दवाइयों का भंडार		
	वर्कशॉप जॉब :	–	–
	कार्य प्रगति में	–	–
	निर्यित आईटम/कार्य प्रगती में	–	–
	फिनिस्ड गुड	–	–
	निर्यित गुड	–	–
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल (ड़.)		
च.	पर्ववेक्षण एवं वेधन/विकास विस्तार/बिक्री के लिए तैयार कोल ब्लॉक	–	–
	कुल (च)		
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)	7.41	6.10

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–16

व्यावसायिक प्राप्य

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
भुगतान तिथि से छह माह से अधिक समय का बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		104.79		67.94
–संदिग्ध		2.39		2.78
		107.18		70.72
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		2.39		2.78
		104.79		67.94
अन्य बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–

–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		143.45		168.42
–संदिग्ध		–		–
		143.45		168.42
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		–		–
		143.45		168.42
कुल		248.24		236.36
	इतिशेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
	31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	**31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**	**2015–16**	**2014–15**
एक ही प्रबधंन के अंतर्गत कंपनियों से बकाया				
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	4.06	13.42	23.72	48.72
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	40.27	42.93	51.92	71.44
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	14.97	20.89	66.23	82.19
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	3.07	4.50	17.75	23.37
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	61.02	32.82	91.19	44.86
नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड	31.09	23.27	41.25	42.35
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	22.31	20.50	30.02	32.96
नार्थ ईस्ट कोलफील्डस	0.54	0.59	0.88	0.74
ककरी सीएचपी (एनसीएल)	0.14	0.14	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	0.00	0.02	0.00	0.02
भरतपुर सीएचपी (एमसीएल)	0.00	0.01	0.00	0.01
कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	0.29	0.97	1.12	0.97
सीआईएल, कोलकाता	24.93	37.44	37.44	37.44
एमजेएसजे कोल कंपनी लि0	0.24	0.24	0.24	0.24
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.12	0.29	0.29	0.40
कुल	203.05	198.03	362.19	385.85
पार्टियों से बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक (को) सम्बद्ध है (हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–17

नकद एवं तुल्यमान नकद

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	नकद एवं तुल्यमान नकद		
	अधिसूचित बैंक के पास शेष		
	–एसबीआई लाभांश लेखा (अदेय/दावारहित/अस्वाभाविक लाभांश लेखा)	–	–
	–तीन महीने से भुगतान तिथि तक के साथ जमा खाते में	–	–
	–चालू खाते में	123.66	82.61

	–नकद जमा खाते में	–	–
	गैर अधिसूचित बैंक के पास शेष	–	–
	भारत से बाहर के बैंक के पास खाते में	–	–
	मार्गस्थ भेजी गई रकम	–	–
	चेक ड्राफ्ट एवं टिकट हाथ में	0.09	0.01
	नकद हाथे में	0.09	0.09
	पुनः स्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अधिसूचित बैंक के पास जमा 3 महीने से परिपक्वता तिथि तय		
	निधि योजना	–	–
	अन्य बैंक शेष जारी...		
	अधिसूचित बैंक के पास शेष		
	–तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि के साथ जमा खाते में	0.46	3.21
	पुनःस्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अधिसूचित बैक के पास जमा तीन महीने से अधिक परिपक्वता तिथि तक निधि योजना	–	–
	माइन क्लोजर प्लान योजना के तहत अधिसूचित बैंक के पास जमा	–	–
	कुल	124.30	85.92
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिसूचित बैंक के आलावा अन्य बैंकों के साथ बकाया	–	–
टिप्पणी :			
1	उधारी, गारंटी, अन्य वचनबद्धता, अन्य इयर मार्क्ड बैलेस के अगेंस्ट मार्जिन मनी अथवा सुरक्षा के रूप में रखे गए बैंक के पास शेष को अलग से दर्शाया जाएगा	शून्य	शून्य
2	नकद तथा बैंक बैलेंस के संदर्भ में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध यदि कोई हो, तो अलग से नियत किए जाएंगें	शून्य	शून्य
3	बारह (12) महीने से अधिक के परिपक्वता तिथि (मिच्यूरिटी) सहित बैंक जमा	शून्य	शून्य
4	इस्क्रो खाले में	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–18

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण				
अग्रिम				
(नकद वसूली योग्य या उसी रूप में या प्राप्ति योग्य मूल्य)				
आपूर्तिकर्त्ता को पेशगी				
राजस्व के लिए				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		.		.
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.75		0.67
–संदिग्ध		.		.
		0.75		0.67
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		.		.
		0.75		0.67
		0.75		0.67

सांविधिक बकाया या अग्रिम भुगतान				
विक्रय कर				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.41		3.72
–संदिग्ध		–		–
		0.41		3.72
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		–		–
		0.41		3.72
स्रोत पर काटा गया कर (अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट के रूप में 22.31 करोड़. रू. सहित)		256.58		207.44
घटाकर : आयकर के लिए प्रावधान		111.71		103.61
		144.87		103.83
अन्य				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.79		0.23
–संदिग्ध		–		–
		0.79		0.23
घटाकर : डुबंत एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		–		–
		0.79		0.23
		146.07		107.78
कर्मचारियों के लिए अग्रिम				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		25.02		38.90
–संदिग्ध		–		–
		25.02		38.90
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		–		–
		25.02		38.90
कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुशंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा		127.32		192.41
अनुशंगियों के साथ ऋण लेखा				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–संदिग्ध		–		–
		–		–
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		–		–
प्राप्ति योग्य दावे				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		–		–
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		9.07		20.03
–संदिग्ध		0.12		0.08
		9.19		20.11
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		0.12		0.08
		9.07		20.03
पूर्व प्रदत्त व्यय		–		0.60
		161.41		251.94
कुल		308.23		360.39
	इति शेष		**किसी समय पर देय अधिकतम राशि**	
	31.3.16 के अनुसार	**31.3.15 के अनुसार**	**2015–16**	**2014–15**
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	127.32	192.41	192.41	192.41
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–19

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	ब्याज उपार्जित		
	–निवेश	–	–
	–बैंकों में जमा	–	–
	–अन्य	–	–
	पूर्व स्वामी का खाता	–	–
	अन्य अग्रिम	–	–
	घटाकर : प्रावधान		
	जमा		
	सीमा शुल्क के लिए जमा, पत्तन देय इत्यादि	–	–
	कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	–	–
	रॉयल्टी के लिए जमा, उपकर तथा विक्रयकर	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	अन्य	0.05	0.05
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	भूतपूर्व कोल बोर्ड की ओर से लेन–देन हेतु भारत सरकार से प्राप्य रकम	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	अन्य प्राप्ति	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल	0.05	0.05

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–20

प्रचालन से राजस्व

करोड़ रू.में

			31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)			31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	
क)	सेवाओं की बिक्री		877.13			816.54	
	घटाकर : उत्पाद कर		–	877.13		–	816.54
	घटाकर : अन्य उगाहियाँ						
	रायल्टी		–			–	
	कोयला पर उपकर		–			–	

	बालू भराई उत्पाद शुल्क		–			–	
	केंद्रीय विक्रय कर		–			–	
	शुद्ध ऊर्जा उपकर						
	राज्य विक्रय कर / वैट						
	अन्य उगाहियाँ(सेवाकर)		117.86	117.86		89.82	89.82
	कुल उगाहियाँ						
	निबल बिक्री (क)			759.27			726.72
ख)	कोयले के आयात हेतु सुविधा शुल्क						
	बालू भराईयाँ बचाव कार्य हेतु सहायता		–			–	
	लदान एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क		–			–	
	घटाकर : उत्पाद शुल्क		–			–	
	घटाकर : अन्य उगाहियाँ		–			–	
	अन्य परिचालन राजस्व (ख)			–			–
ग)	प्रचालनों से राजस्व(क+ख)			759.27			726.72
	टिप्पणी :						
1	गवेषण विभाग द्वारा बिल के वास्तविक अनुमोदन के आधार पर भू–भौतिकीय व्यय को माना गया हे।						

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–21

अन्य आय

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार	31.3.2016 के अनुसार
	दीर्घकालीन निवेष से आय		
	संयुक्त जोखिम से लाभांश	–	–
	अनुशंगियों से लाभांश	–	–
	सरकारी प्रतिभूति से ब्याज	–	–
	दीर्घकालीन निवेश से आय		
	म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	–	–
	सरकारी प्रतिभूति से ब्याज	–	–
	7.55 प्रतिशत अविनिमेय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम (अव्यवसायिक)		
	अन्य से आय		
	ब्याज (सकल)		
	बैंक के पास जमा से	0.87	0.52
	कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.01	–
	आयकर प्रत्यपर्ण से	–	–

	कोल इंडिया से	–	–
	अन्य	–	–
	शीर्ष शुल्क		
	बालू भराई तथा बचाव कार्य के लिए आर्थिक सहायता	–	–
	परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	0.35	0.22
	परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	–	–
	विदेशी विनियम मामलों से प्राप्ति	–	–
	विनिमय दर विविधता	–	–
	पट्टा (लीज) किराया	–	–
	देयताओं से सही समय पर वापसी	–	–
	अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	–	–
	अन्य अप्रचालनीय आय	3.85	4.74
	कुल	5.08	5.48
टिप्पणी			
	वापस लाया गया :		
1	विवेच्य अवधि के दौरान अवधि के अन्त में 3 वर्षों से ज्यादा के पुराने चेक, 400.10 करोड़ (गत वर्ष 0.01 करोड़) वापस लाया गया। कोर्ट/आर्विट्रेशन के समक्ष लंबित विवादित मामले को छोड़कर वर्ष के दौरान 5 वर्षों से अधिक के अर्नेस्ट मनी तथा सिक्यूरीटि डिपॉजिट एवं कंट्रेक्टर कीप बैक वापस लाया गया। 0.02 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.44 करोड़ रू.)		

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–22

उपभोग की गई सामग्री की लागत

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	विस्फोटक	–	–
	इमारती लकड़ी	–	–
	पीओएल	7.42	7.95
	एचईएमएम पार्ट पुर्जे	–	–
	अन्य उपभोग्य भंडार एवं पार्ट पूर्जे	14.50	13.48
	कुल	21.92	21.43

तुलन–पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी–23
तैयार मालों की सूची में परिवर्त्तन, चालू कार्य तथा व्यवसायिक स्टाक

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
क.	कोयले की वस्तु–सूची में परिवर्त्तन		
	कोयला/ का ओपनिंग स्टॉक	–	–
	जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	–	–
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	–	–
		–	–
	घटाकर :		
	कोक/ कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	–	–
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	–	–
	कुल (क)	–	–
ख.	वर्कशॉप की वस्तुसूची में परिवर्त्तन		
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
		–	–
	घटाकर :		
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक	–	–
	घटाकर : प्रावधान	–	–
	कुल (ख)	–	–
ग.	प्रेस के कार्यो द्वारा तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्त्तन		
	प्रेस ओपनिंग जॉब		
	i) तैयार माल	–	–
	ii) कार्य जारी है	–	–
		–	–
	घटाकर :		
	प्रेस क्लोजिंग जॉब		
	i) तैयार माल	–	–
	ii) कार्य जारी है	–	–
	कुल (ग)	–	–
	स्टॉक आफ ट्रेड की सूची में परिवर्त्तन		
	(क+ख+ग [अवमूल्यन/(अभिवृद्धिद्ध]	–	–

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–24

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	वेतन, मजदूरी, यात्रा, बोनस एवं सुविधाएँ	257.39	237.04
	कृपानुदान	14.98	10.75
	पीआरपी	12.43	27.02
	भविश्य निधि में अंशदान एवं अन्य निधि	32.30	32.84
	ग्रेच्यूटी	11.96	16.25
	छुट्टी नकदवीकरण	19.66	23.41
	स्वैच्छिक सेवा–निवृत्त	–	–
	कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	0.14	0.02
	वर्त्तमान कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	8.36	7.47
	संवा निवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	2.01	0.04
	विद्यालय एवं संस्थानों के अनुदान	0.09	0.09
	खेलकूद एवं मनोरंजन	0.76	0.51
	कैंटीन एवं क्रेच	0.23	0.21
	विद्युत टाऊनशिप	2.68	2.31
	बस अम्बुलेंस आदि का भाड़ा शुल्क	0.51	0.40
	अन्य कर्मचारी सुविधाएँ	48.90	44.37
	कुल	412.40	402.73

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–25

निगमित सामाजिक दायित्व का खर्च

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	सीएसआर खर्चे	2.01	1.68
	कुल	2.01	1.68
टिप्पणीः	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर से संबंधित क्रिया–कलाप के लिए 0.46 करोड़ रूपए की राशि (तीन तत्काल प्रेसिडिंग वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा औसत निबल लाभ का 2 प्रतिशत) खर्च करने की आवश्यकता थी और कंपनी ने 2.01 करोड़ रूपए खर्च किए।		

तुलन–पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी–26
मरम्मती

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार	31.3.2015 के अनुसार
	भवन	7.26	5.73
	संयंत्र एवं मशीनरी	4.30	2.69
	अन्य	8.34	6.80
	कुल	19.90	15.22

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन–पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी–27
संविदात्मक व्यय

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	परिवहन शुल्क		
	–बालू	–	–
	–कोयला तथा कोक	–	–
	–स्टोर एवं अन्य इत्यादि	–	–
	–वैगन लदाई	–	–
	–पी एण्ड एम को किराये पर लेना	–	–
	–अन्य संविदात्मक कार्य	205.09	191.09
	कुल	205.09	191.09

तुलन–पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी–28
वित्तीय लागत

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
क)	ब्याज		
	आस्थगित भुगतान	–	–
	बैंक ओवर ड्राफ्ट/नकद जमा	–	–
	सीआईएल निधि ब्याज ऋण	–	–

	अनुषंगियों से ब्याज	–	–
	अन्य	0.24	0.24
	कुल (क)	0.24	0.24
	अन्य व्यय/बैंक शुल्क	–	–
	कुल (ख)	–	–
	कुल (क+ख)	0.24	0.24

तुलन–पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी–29

करोड़ रू.में

	प्रावधान	31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
क)	निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधान		
	संदिग्ध ऋण	–	–
	संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	–	–
	विदेशी विनिमय मामले	–	–
	भंडार एवं अतिरिक्त	–	–
	भूमि पुनरूद्धार/खदान बंदी व्यय	–	–
	स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	–	–
	अन्य	0.20	–
	कुल (क)	0.20	–
ख)	प्रावधान वापस लाया गया		
	संदिग्ध ऋण	0.31	0.06
	संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	–	–
	भंडार एवं अतिरिक्त	–	0.01
	भूमि का उद्धार	–	–
	स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	–	–
	अन्य	–	–
	कुल (ख)	0.31	0.07
	कुल (क–ख)	(0.11)	(0.07)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–30

बट्टे खाते डालना

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	संदिग्ध ऋण	–	–
	संदिग्ध अग्रिम	–	–
	अन्य	–	–
	कुल	–	–

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–31

अन्य व्यय

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	यात्रा व्यय		
	–घरेलू (देश के अंदर)	17.50	15.72
	–विदेशी	0.61	0.47
	प्रशिक्षण व्यय	0.60	0.62
	दूरभाष एवं डाक–खर्च	2.21	1.13
	विज्ञापन एवं प्रचार	2.19	1.95
	चन्दा/अंशदान	–	–
	सुरक्षा व्यय	8.29	6.80
	सीआईएल का सर्विस शुल्क	–	–
	किराया शुल्क	4.55	3.92
	वैधानिक खर्च	0.18	0.29
	बैंक शुल्क	0.06	0.05
	अतिथि गृह व्यय	0.63	0.13
	परामर्श शुल्क	1.41	2.58
	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
	अंकेक्षक शुल्क के लिए	0.02	0.02
	काराधान मामलों के लिए	0.01	0.01
	कंपनी के विधि विषयों के लिए	–	–
	प्रबंधन सेवाओं के लिए	–	–
	अन्य सेवाओं के लिए	0.25	0.14
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	–	–
	आंतरिक अंकेक्षण व्यय	0.47	0.41
	पुनः स्थापना शुल्क	–	–
	रॉयलटी तथा उपकर	–	–
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	–	–

	किराया	0.82	0.80
	दर एवं कर	0.79	0.62
	बीमा	–	–
	लीज किराया	–	–
	बचाव/सुरक्षा खर्चे	–	–
	भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.01	.
	पर्यावरण एवं वृक्षारोपण	0.44	0.28
	विविध व्यय	7.89	11.31
	कुल	48.93	47.25

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी–32

अपवादात्मक मद

करोड़ रू.में

		31.3.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	पूर्व अवधि समायोजन		
(क)	**व्यय**		
	मूल्यह्रास	(0.75)	.
	निर्माणाधीन भवन	(4.35)	.
	ओबीआर समायोजन		
	कुल (क)	(5.10द्ध	.
(ख)	आय		
	सेवाओं की बिक्री	(0.32)	(0.01)
	कुल (ख)	(0.32)	(0.01)
	कुल (क–ख [चार्ज (आय)]	(4.78)	0.01

कैश फ्लो स्टेटमेंट

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

करोड़ रू.में

		समाप्त अवधि के लिए	
		31.03.2016	31.03.2015
क)	परिचालित क्रिया–कलाप से कैश फ्लो		
	कर के पूर्व निबल लाभ	42.54	39.33
	निम्नलिखित के लिए एमायोजन		
	अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)	10.42	10.94
	इंटरेस्ट इनकम	(0.88)	(0.52)
	म्यूचुअल निधि निवेश से लाभांश	0.00	0.00
	इन्टरेस्ट एक्चेंज	0.24	0.24
	ओबीआर समायोजन	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (नेट)	(0.35)	(0.22)
	अन्य गैर परिचालन आय	(3.85)	(4.74)
	ऐस्ट्रा आर्डिनरी आइटम	0.00	0.00
	एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन	0.00	0.00
	चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओ के पूर्व परिचालन लाभ	48.12	45.03
	निम्नलिखित के लिए एमायोजन		
	प्राप्य व्यवसाय	(11.88)	(38.02)
	वस्तु सूची	(1.31)	(0.33)
	अल्प/दीर्घाकालीन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	58.12	(48.72)
	अल्प/दीर्घाकालीन देयताएँ एवं प्रावधान	14.64	56.91
	परिचालन से उत्पन्न नकद	107.69	14.87
	आयकर प्रदत्त/वापसी	(14.06)	(14.29)
	प्रदत्त ब्याज	(0.24)	(0.24)
	परिचालन क्रिया–कलाप से निबल कैशफ्लो (क)	93.39	0.34
ख)	निवेश क्रिया–कलाप से कैशफ्लो		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(61.71)	(24.25)
	अचल परिसंपत्ति से प्रॉसीड	0.47	0.30
	स्थाई जमा और म्यूचुअल फंड सहित निवेश का प्रोसीड/(खरीद)	0.00	0.00
	म्यूचुअल फंड निधि निवेश से लाभांश		
	अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (पूंजीगत अग्रिम)	(6.95)	(2.05)
	अनुशंगी के लिए स्थाई–जमा/ऋण पर प्राप्त ब्याज	0.88	0.52
	अन्य गैर–परिचालन आय	3.85	4.74
	निवेश से संबंधित ब्याज	0.00	0.00
	म्यूचुअल फंड के निवेश से प्राप्त लाभांश	0.00	0.00
	निवेश क्रिया–कलाप से निबल कैशफ्लो (ख)	(63.46)	(20.74)
ग)	वित्तीय क्रिया–कलाप से कैशफ्लो		

	दीर्घकालीन उधारी/सरकारी अनुदान से से प्राप्ति	8.44	0.00
	उधारी का पुनःभुगतान	0.00	(2.86द्ध
	वित्तीय क्रिया–कलाप से संबंधित इंटरेस्ट एवं वित्तीय लागत	0.00	0.00
	प्रदत लाभांश	0.00	0.00
	प्रदत कर लाभांश	0.00	0.00
	वित्तीय क्रिया–कलाप में प्रयुक्त निबल नकद (ग)	8.44	(2.86)
	नकद एवं बैंक शेष के निबल ह्रास/कमी (क+ख+ग)	38.38	(23.26)
	नकद एवं नकद समतुल्य (अधशेष)	85.92	109.18
	नकद एवं नकद समतुल्य (इतिशेष)	124.30	85.92
	(ब्रेकेट के सभी आँकड़े आउटफ्लो को दर्शाता है)		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(ए. मुँधड़ा)	(डी.के.राव)	(वी.के.सिन्हा)	(शेखर सरन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन–06793778	डीआईएन–06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह0/–
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 25 मई, 2016
स्थान : कोलकाता

टिप्पणी– 33

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीति

(31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे का भाग है)

1.0 लेखागत परिपाटी :

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो, तो वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासांगिक (सम्बद्ध) प्रावधान के साथ–साथ उनके तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखा के वास्तविक (एक्यूरल) आधार तथा चालू संस्थागत अवधारणा (गोईंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया जाता है।

1.1 आकलन का उपयोग :

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा नीति के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कभी–कभी आकलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि विवेच्य अवधि में किए गए खर्च और राजस्व की मात्रा तथा वित्तीय विवरण की तिथि के कारण आकस्मिक देयता के डिसक्लोजर (प्रकटन) तथा देयताओं एवं परिसंपत्तियों की उल्लेखित राशि पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकता है। इस प्रकार के आकलन में किसी भी प्रकार का संशोधन की पहचान इसे निर्धारित करने वाली अवधि में की जाती है।

2.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

2.1 पूँजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित है। अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया जाता है अप्रयुक्त रकम, यदि कोई है, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.3 कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान :

2.3.1 कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसम्मपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यहास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है।

2.3.2 नोडल/कार्यान्वयक एजंसी के रूप में प्राप्त अनुदान/फंड की गणना प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर की जाती है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण की लागत, नकद पुर्नवास खर्च, पुर्नवास की लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के नियोजन के बदले दी गई क्षतिपूर्ति शामिल है।

3.2 संयंत्र एवं मशीनरी

3.3.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभिष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किये गये अन्य खर्च शामिल है।

4.0 वस्तु सूची

4.1 भंडार एवं पार्टपुर्जे

4.1.1 सेंट्रल स्टोर के मूल्यांकित स्टोर लेजर में दर्ज शेष के अनुसार तथा कोलियरी/इकाई में पड़े भंडारों के प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर लेखे में स्टोर तथा पार्ट–पूर्जों के इतिशेष भंडार पर विचार किया गया है।

4.1.2 सेंट्रल तथा एरिया स्टोर के स्टोरों तथा पुर्जों के भंडार को भारित औसत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया गया है। कोलियरी/सब स्टोर/ड्रिलिंग कैम्प/उपभोग करने वाले केंद्र पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट–पुर्जों जिन्हें शुरूआत में प्रभार रहित (चाटर्ड ऑफ) कर दिया गया था, को एरिया स्टोर के निर्गम मूल्य, लागत/प्राक्कलित लागत पर मूल्यांकित किया गया है। प्रिटिंग प्रेस के स्टेशनरी स्टॉक तथा दवावों को इसी प्रकार लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

4.1.3 स्टेशनरी और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु–सूची में नहीं माना गया है।

4.1.4 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

5.0 मूल्य ह्रास

5.1 निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित दर पर एवं ढंग से सरल रेखा प्रणाली पर किया गया है। इसके लिए मूल्य ह्रास की दर को अधिक वास्तवित तथा सही रूप से निरूपित करने के लिए कंपनी अधिनियम की अनुसूची पप के अनुसार विचार किया गया है से कम है जिसके लिए तकनीकी रूप से आकलित उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर मूल्य ह्यस का प्रावधान किया है।:

दूर संचार उपकरण	:	6 वर्ष
फोटो कापी मशीन	:	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:	3 वर्ष
कम्प्यूटर	:	3 वर्ष
मोबाइल फोन	:	3 वर्ष
डीजीटली इनहास कोर्डलेस टेलीफोन	:	3 वर्ष
प्रिंटर एवं स्कैनर	:	3 वर्ष
अर्थ साईंस म्यूजियम	:	19 वर्ष
हाई वाल्यूम रेसपरेटरी डस्ट सैम्पलर्स	:	3 वर्ष

5.2 मूल्य ह्रास के उद्देश्य के लिए सभी परिसंपत्तियों की रिसिडूअल मूल्य को परिसंप्पतियों के मूल (आरिजिनल) लागत के 5 प्रतिशत पर विचार किया गया है।

5.3 वर्ष के दौरान सवंर्धित/डिस्पोज्ड परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास वृद्धि/डिस्पोजल वाले माह के साथ प्रो–राटा बेसिस पर उपलब्ध कराया गया है।

5.4 साफ्टवेयर जिसे इंटेनजिबुल परिसंपत्ति माना गया है, की लागत को तीन वर्ष या उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि तक, जो कम हो, शून्य रिसिड्यूअल मूल्य के साथ परिशोधित किया गया है।

6.0 परिसम्पत्तियों की क्षति

इमपेयरमेंट हानि की वहाँ पहचान की जाती है, जहाँ परिसम्पत्तियों की कैरिंग रकम वसूली योग्य रकम से अधिक हो तथा इसकी पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों के कैरिंग रकम को वसूली योग्य रकम में से घटा दिया जाता है।

पूर्व के वर्षों में पहचान की गई इम्पेयरमेंट हानि की उत्क्रमण/निराकरण को तब दर्ज किया जाता है, जब वहाँ एक संकेत हो कि परिसम्पत्तियों के लिए पहचान की गई इमपेयरमेंट क्षति लम्बे समय तक विद्यमान नहीं रहे या समाप्त हो चुका हो।

7.0 विदेशी मुद्रा में विनिमय

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन के शेष को पूरे किए गए लेन–देन (ट्रांजेक्शन) को वास्तविक आधार पर समायोजित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) में व्यक्त मौद्रिक आइटम को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रिवेलिंग एक्सचेज दर पर ट्रांसलेटेड (रूपान्तरण) (बताया) किया जाता है।

विदेशी मुद्रा (जैसे निवेश, स्थाई संपत्ति आदि) में बताए गए गैर–मौद्रिक आइटम को लेन–देन की तिथि को किए गए एक्चेंज दर पर मूल्यांकित किया जाता है।

विवेच्य अवधि के दौरान अथवा गत वर्ष के वित्तीय विवरण में दर्ज किए गए हों, से विभिन्न दर में मौद्रिक आइटम की रिपोर्टिंग अथवा मौद्रिक आइटम के निपटारे से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विनिमय की दर को जिस अवधि में पड़े उस अवधि के खर्च के रूप या आय में माना गया है।

7.2 आगामी तिथि में निपटाए जाने (सेटल) वाले क्रास कन्ट्रीस्वैप आप्शन कान्ट्रेक्ट्स के तहत आने वाले अन्डर लेईंग फारेन करेंसी के लेन–देन की पहचान तुलन पत्र की तिथि के प्रचलित दर पर की गई है। इस प्रकार के संविदा के कारण पड़ने वाले प्रभाव की गणना निपटाए जाने की तिथि पर की गई है।

8.0 सेवा–निवृत्ति लाभ/कर्मचारियों के अन्य लाभ

8.1 अल्पकालीन लाभः सभी अल्पकालीन कर्मचारी के लाभ को, उस अवधि जिसमें पड़ता है, माना जाता है।

8.2 पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ :

क) निर्धारित (परिभाषित) अंशदान योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भविष्य–निधि तथा पेंशन फंड लाभ के लिए अंशदान योजना निर्धारित की है। इस तरह के भविष्य–निधि कोष तथा पेंशन कोष का रख–रखाव तथा संचालन कोयला खान भविष्य–निधि (सीएमपीएफ) प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

इस योजना के नियम के अनुसार इस लाभ के फंड के लिए कंपनी को सीएमपीएफ प्राधिकारियों को पे–रोल कास्ट का एक विहित (निर्धारित) प्रतिशत योगदान करना अपेक्षित है।

ख) निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्यूटी तथा छुट्टी नकदीकरण के कारण तुलन पत्र तिथि पर देयता को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को लागू करते हुए एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। आगे कंपनी ने लाइफ इंस्यूरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए फंडेड ग्रुप ग्रेच्युटि (कैश एक्यूमूलेशन) योजना

की स्थापना के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर कथित कोष के लिए कंट्रीब्यूशन किया गया है।

ग) कर्मचारियों के अन्य लाभ

कर्मचारियों के अन्य लाभ जैसे एलटीसी/एलएलटीसी के कारण होने वाले लाभ, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट एलाउएन्स, सेवा–निवृत अधिकारियों का चिकित्सा लाभ तथा खान दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति आदि को तुलन पत्र की तिथि पर देयताओं को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड प्रयोग कर वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

9.0 राजस्व की पहचान

9.1 बिक्री

(क) बिक्री से संबंधित राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है, जहाँ माल (गुड्स) के रूप में सम्पत्ति के साथ–साथ मालिक के जोखिम तथा प्रतिफल क्रेताओं को हस्तांतरित किया जाता है। इसकी वसूली के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता नहीं है।

सीएमपीडीआईएल द्वारा परामर्शी सेवाओं से राजस्व :

गवेषण, खान आयोजन/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए परामर्शी सेवाओं की प्राइसिंग (मूल्य निर्धारण करना) ग्राहकों की केटेगरी (श्रेणी) के आधार पर किया गया है। कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं का मूल्य निर्धारण पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत तथा विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क के साथ–साथ एक समान लागत पर किया जाता है। बाह्य एजेंसियों द्वारा किए गए ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से सेवा–शुल्क लिया जाता है। पर्यावरणिक मॉनीटरिंग का 90 प्रतिशत कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से किया जाता है।

10.0 कराधान

चालू आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाया गया है। एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय तथा लेखा आय में अंतर होने से समय अवधि के आधार पर प्रुडेंस पर किए गए विचार के अनुसार आस्थगित कर देयता तथा परिसम्पत्तियों की पहचान यथोचित ढंग से इन्टेक्टेड टैक्स रेट पर की गई है।

11.0 प्रावधान

वित्तीय प्रावधान की पहचान (रिकोगनाइज) तब की जाती है जब कोई उद्यम के पास विगत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व (ओब्लिगेशन) हो। यह हो सकता है कि आर्थिक लाभ सम्मिलित करने वाले संसाधन का आउटफ्लो को सेटल किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधान को वर्तमान मूल्य से काटा नहीं जाता है तथा इसे तुलन पत्र तिथि पर दायित्व (ओवेलेगेशन) को सेटल करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

12.0 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो किसी उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में न रह सकने वाले एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटना के होने या न होने से संपुष्ट किया जाएगा या वर्तमान दायित्व जो विगत की घटना से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी पहचान नहीं की गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि

आर्थिक लाभ स्वीकार करने वाले संसाधन के आउटफ्लो की आवश्यकता दायित्व के निराकरण करने की होगी या दायित्व के रकम को विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। आकस्मिक देयता को लेखे के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा टिप्पणी के जरिए प्रकट नहीं किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में न प्रकट और न ही रिकोगनाइज्ड किया जाता है।

13.0 प्रति शेयर अर्जन

विवेच्य अवधि के दौरान बकाए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से कर के पश्चात् निबल लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर अर्जन की गणना की जाती है। वैसे सभी डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटि शेयर के कनवर्सन पर जारी किए गए इक्विटि शेयर के भारित औसत संख्या तथा डिराइविंग बेसिक अर्निंग के लिए विचार किए गए इक्विटि शेयर के भारित औसत संख्या के द्वारा कर बाद लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर अर्जन की गणना की जाती है।

14.0 पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्वदत्त खर्च

पूर्व अवधि या पूर्वदत खर्च से संबंधित आय व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष का आय/व्यय माना जाएगा।

टिप्पणी– 34

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. **लेखा मानक की प्रयोज्यता :**

   क) **महत्वपूर्ण लेखा नीति :**

   कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखा नीति को स्पष्ट करने के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ गत वर्ष की महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी–33) को उपयुक्तता के अनुसार रूपांतरित/रि–ड्राफ्ट किया गया है।

   ख) **राजस्व की पहचान द्धएएस–90**

   i. राजस्व को कलेक्ट (एकत्र) करने की जहाँ पर्याप्त निश्चितता हो वहाँ राजस्व की पहचान की गई है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनिश्चितता की सीमा को देखकर राजस्व की पहचान को स्थगित की जाती है।

   ii. कर प्राधिकारी से प्राप्त रिफंड/समायोजन को अंतिम मूल्यांकन/सेटलमेंट के आधार पर गणना की जाती है।

   iii. तरलता क्षति तथा दंड की रिकवरी की गणना अंतिम सेटलमेंट के आधार पर की जाती है।

   ग) **कर्मचारी लाभ : मान्यता और माप (एएस–15)**

   i. ग्रेच्युटि, अर्नड लीव, जीवन बीमा योजना, भत्ता निपटारा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, लीव ट्रेवेल कंसेसन, सेवा–निवृत्त अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ, खान दुर्घटना मृत्यु के मामले में आश्रित का क्षतिपूर्ति जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की वर्षांत देयता को वास्तविक आधार पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। वास्तवित आधार पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि को कुल देयता जिसे नीचे दर्शाया गया है जो 259.56 करोड़ रूपए है।

2. **31.3.2016 के वास्तविक देयता :**

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	01.04.2015 को अथशेष वास्तविक देयता	इंक्रीमेंटल देयता	31.3.2016 को इतिशेष वास्तविक देयता
ग्रेच्यूटि	121.38	–9.57	111.81
अर्न्ड लीव	57.70	–0.16	57.54
हाल्फ पे लीव	23.47	0.12	23.35
लाइफ कवर स्कीम – अधिकारी	0.19	–0.01	0.18
लाइफ कवर स्कीम–गैर–अधिकारी	0.53	–0.03	0.50
सेटेलमेंट भत्ता–अधिकारी	0.62	1.22	1.84
सेटेलमेंट भत्ता–गैर–अधिकारी	2.09	–1.05	1.04
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंस्यूरेस स्कीम	0.05	0	0.05
लीव ट्रेवल कंसेशन–अधिकारी	4.08	1.12	5.20
लीव ट्रेवल कंसेशन–गैर–अधिकारी	7.36	1.22	8.58
चिकित्सा लाभ	49.84	–1.05	48.79
गैर–अधिकारी के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफीट	0.00	0.68	0.68
खान दुर्घटना मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00
कुल	**267.31**	**–7.51**	**259.56**

4. ग्रेच्यूटी : वास्तिविक खपत :

ग्रेच्यूटि के लिए निधित कार्मचारी लाभ के लिए एक्यूरीज प्रमाण पत्र के अनुसार स्पष्टीकरण नीचे दिया जा रहा है :

31.03.2016 को ग्रेच्युटि देयता का वास्तविक मूल्यांकन :

लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रमाण–पत्र

तालिका–1 प्रकट किया गया आइटम 120 (सी):

(करोड़ रू. में)

दायित्व भार का वर्तमान मूल्य	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
वर्षारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	121.38	122.72
अर्जन समायोजन	0.00	0.00
ब्याज की लागत	9.35	9.22
गत सेवा लागत	0.00	0.00
चालू सेवा लागत	10.63	7.94
करेटलमेंट लागत	0.00	0.00
सेटलमेंट लागत	0.00	0.00
देय लाभ	9.09	14.91
दायित्वों पर वास्तविक लाभ/हानि	–20.46	–3.59
31.03.2016 को दायित्वों के वर्तमान मूल्य	111.81	121.38

तालिका–2 प्रकट किया गया आइटम 120 (ई):

(करोड़ रू. में)

योजना परिसंपत्ति का उचित (फेयर) मूल्य	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
वर्षारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00
अर्जन समायोजन	0.00	0.00
योजना परिसंपत्ति पर स्वीकृति रिटर्न	0.00	0.00
कंट्रीब्यूशन	30.08	0.00
देय लाभ	9.08	0.00
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	2.22	0.00
31.3.2016 को योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	23.22	0.00

तालिका–3 प्रकट किया गया आइटम 120 (एफ):

(करोड़ रू. में)

दी गई निधि की स्थिति	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
31.3.2016 के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	111.81	0.00
31.3.2016 के अनुसार योजना परिसंपत्ति की वास्तविक मूल्य	23.22	0.00
निधि की स्थिति	–88.59	0.00
अवधि के अंत में नहीं पहचाने गए एक्चुरियल प्राप्ति/हानि	0.00	0.00
तुलन–पत्र में पहचाने गए निबल परिसंपत्ति (देयता)	–88.59	0.00

तालिका–4 प्रकट किया गया आइटम 120 (जी):

(करोड़ रू. में)

लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाने गए खर्च	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
चालू सेवा लागत	10.63	7.94
गत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज की लागत	9.35	9.22
योजना परिसंपति पर अनुमानित रिटर्न	0.00	0.00
करटेलमेंट लागत	0.00	0.00
सेटलमेंट लागत/देय लाभ	0.00	0.00
अवधि के दौरान पहचानी गई वास्तविक लाभ/हानि	–22.68	–3.59
लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाने गए खर्च	–2.71	13.57

तालिका–5 प्रकट किया गया आइटम 120 (आई):

वास्तविक खपत	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
मोर्टालिटि टेबल सुपरएनूएशन एज	आईएएलएम (2006–08) अलटीमेट 60 10 प्रति हजार पी.ए.	आईएएलएम (2006–08) अलटीमेट 60 10 प्रति हजार पी.ए.
अर्ली रिटायरमेंट एण्ड डिसएबलमेंट	45 से अधिक के उम्र के 6 29 तथा 45 उम्र के बीच के 3 29 वर्ष से कम के 1	45 से अधिक के उम्र के 6 29 तथा 45 उम्र के बीच के 3 29 वर्ष से कम के 1
डिस्काऊंट रेट	8.00:	8.00:
इंफ्लेशन रेट	6.25:	6.25:
परिसंपति पर रिटर्न	8.00:	8.00:
शेश कार्य जीवन	11 वर्ष	11 वर्ष
प्रयुक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका–6 प्रकट किया गया आइटम 120 (ओ):

(करोड़ रू. में)

तुलन पत्र में पहचाने गए देयता में मूवमेंट	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ओपनिंग नेट देयता	121.38	0.00
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	–2.71	13.57
अंशदान	30.08	0.00
क्लोजिंग नेट देयता	88.59	13.57
31.03.2016 के अनुसार क्लोजिंग फंड/प्रावधान	111.81	121.38

31.03.2016 को छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन
लेखा मानक 15 (संषोधित 2005) के अनुसार प्रमाण–पत्र

तालिका–1 : डिस्क्लोजर आईटम 120 (सी)

(करोड़ रू. में)

देयता का वर्तमान मूल्य	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
वर्श के आरंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	81.18	76.50
अर्जन समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	5.92	5.37
गत सेवा लागत	0.00	0.00
चालू सेवा लागत	6.95	5.43
करटेलमेंट लागत	0.00	0.00
सेटलमेंट लागत	0.00	0.00
देय लाभ	14.39	18.74
देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	1.24	12.61
31.03.2016 को देयता का वर्तमान मूल्य	80.89	81.17

तालिका–4 : डिस्क्लोजर आईटम 120 (जी)

(करोड़ रू. में)

लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित खर्च	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
चालू सेवा लागत	6.95	5.43
गत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज की लागत	5.92	5.37
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	0.00	0.00
करटेलमेंट लागत	0.00	0.00
सेटलमेंट लागत/देय लाभ	0.00	0.00
अवधि में पहचाने गए वास्तविक लाभ/हानि	1.23	12.61
लाभ/हानि के विवरण में पहचाने गए चिन्हित खर्च	14.10	23.41

तालिका–5 : डिस्क्लोजर आईटम 120 (आई)

वास्तविक खपत	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
मोर्टालिटि टेबल	आईएएलएम (2006–08) अलटीमेट	आईएएलएम (2006–08) अलटीमेट
सुपरएनूएशन एज	60 10 प्रति हजार पी.ए.	60 10 प्रति हजार पी.ए.
अर्ली रिटायरमेंट एण्ड डिसएबलमेंट	45 से अधिक के उम्र के 6 29 तथा 45 उम्र के बीच के 3 29 वर्ष के 1	45 से अधिक के उम्र के 6 29 तथा 45 उम्र के बीच के 3 29 वर्ष के 1
डिस्काऊंट रेट	8.00%	8.00%
इंफ्लेशन रेट	6.25%	6.25%
परिसंपति पर रिटर्न	8.00%	8.00%
शेष कार्य जीवन	11 वर्ष	11 वर्ष
प्रयुक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका–6 प्रकट किया गया आइटम 120 (ओ):

(करोड़ रू. में)

तुलन पत्र में पहचाने गए देयता में मूवमेंट	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ओपनिंग नेट देयता	0.00	0.00
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	14.10	23.41
अंशदान	0.00	0.00
क्लोजिंग नेट देयता	14.10	23.41
31.03.2016 के अनुसार क्लोजिंग फंड/प्रावधान	80.89	81.17

घ) सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस–17)

कंपनी मुख्यतः परामर्शी सेवा के एक मात्र सेगमेंट व्यवसाय में संलग्न है, इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखा मानक (एएस–17) के अनुसरण में रिपोर्ट करने लायक पहचानी गईं कोई प्राइमरी सेगमेंट नहीं है।

ङ) संबंधित पार्टी डिसक्लोजर (एएस–18)

अन्य स्टेट नियंत्रित उद्यमों के साथ पार्टी रिलेशनशिप के संबंध में राज्य नियंत्रित उद्यमों को छूट प्रदान करने के आलोक में अन्य संबंधित उद्यमों एवं पार्टियों से कोई लेन–देन नहीं रहा है, पार्टी से संबंधित डिसक्लोजर पर लेखा मानक (एएस–18) के तहत इस प्रकार का कोई डिसक्जोजर नहीं किया गया है।

च) प्रति शेयर अर्जन (एएस–20)

(करोड़ रू. में)

		31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
i.	कर के बाद लाभ (करोड़ रू.में)	28.48	25.04
ii.	इक्विटि शेयर होल्डर (करोड़ रू. में) को एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट	28.48	25.04
iii.	बेसिक एवं डयलूटेड ईपीएस के लिए इक्विटि शेयर की संख्या	190400	190400
iv.	इक्विटि शेयर की नॉमिनल वैल्यू (रू.)	1000.00	1000.00
v.	बेसिक एवं प्रति शेयर डायलूटेड अर्जन (रू.)	1496	1315

छ) आय (एएस–22) पर कर के लिए लेखा

(i) समान गवर्निंग टेक्सेशन नियम द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित होने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता को आफसेट किया गया है।

(ii) 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2015 को आस्थगित टैक्स परिसंपत्ति/(देयता) इस प्रकार हैः–

आस्थगित कर देयता

(करोड़ रू. में)

	31.03.2016 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
अचल परिसंपत्ति से संबंधित	7.61	6.22
आस्थगित कर परिसंपत्तिः		
संदेहपूर्ण ऋण, दावा आदि के लिए प्रावधन	0.87	0.97
कर्मचारी सेपरेशन एवं सेवानिवृत्ति	107.01	111.54
अन्य	0.20	0.14
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	108.08	112.65
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता)	100.47	106.43

ज) परिसम्पत्ति की हानि (एएस–28)

तुलन पत्र की तिथि पर सीएमपीडीआई की परिसंपत्तियों की हानि दर्शाने के लिए कोई बाह्य या आंतरिक इंडिकेटर नहीं है।

झ) आकस्मिक देयता, बचनबद्धता एवं आकस्मिक परिसंपत्ति (एएस–29)

1. आकस्मिक देयताएँ : विभिन्न फोरम में कंपनी के विरूद्ध निम्नलिखित सूइट (मुकदमा) लंबित है। वित्तीय प्रभाव, जहाँ भी उपलब्ध हो, को नीचे आकस्मिक देयताएँ के अंतर्गत लिया गया है, तथापि, अन्य मामलों में, प्रबंधन द्वारा कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई विचारणीय प्रभाव को पड़ते नहीं देखा गया है।

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	केंद्र सरकार	29.72	29.81
2.	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार	0.17	0.17
3.	सीपीएसई	0.00	0.00
4.	अन्य	4.44	4.40

2. तुलन पत्र के आधार पर देयता का बकाया शेष पत्रों की राशि शून्य करोड़ रू. में
3. कंपनी ने 0.14 करोड़ रू. (0.14 करोड़ रू.) का बैंक गारंटी दिया है। जिसके लिए कंपनी की चालू परिसंपत्ति पर फ्लोटिंग चार्ज है।

वचनबद्धता :

क) शेष राशि को पूंजीगत लेखे में माना गया है और इसे 25.48 करोड़ रू. (30.35 करोड़ रू.) के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।

चोरी के मामले

विवेच्य अवधि के दौरान 0.01 करोड़ रू. के चोरी के मामले को रिपोर्ट किया गया है।

1. क) सीआईएफ आधार पर आयतित सामानों का मूल्य

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त अवधि के लिए	31.3.2015 को समाप्त अवधि के लिए
भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे	0.27	1.08
पूंजीगत सामान	7.20	4.96

2. ख) भंडारों की कुल खपत (संदर्भ टिप्पणी संख्याः 22)

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि करोड़ रू. में	कुल खपत का प्रतिशत	राशि करोड़ रू. में	कुल खपत का प्रतिशत
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	21.92	100.00	21.43	100.00
कुल	21.92	100.00	21.43	100.00

2. ग) निम्नलिखित के कारण विदेशी मुद्रा में हुए खर्चः

करोड़ रू. में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त अवधि के लिए	31.3.2015 को समाप्त अवधि के लिए
यात्रा व्यय	0.27	0.16
अन्य	7.44	6.15

3. क) निदेशक/केएमपी का पारिश्रमिकः

(करोड़ रू. में)

केएमपी का नाम	वेतन	पीएफ	अन्य (चिकित्सा, एलई, पीआरपी, आदि)	सिटिंग शुल्क	कुल
ए.के.देबनाथ, (सीएमडी) (31.12.2015 तक)	0.15	0.02	0.07	0.00	0.24
डी.के.घोष, निदेशक तकनीकी (30.11.2015 तक)	0.13	0.02	0.11	0.00	0.26
आर.के.चोपड़ा, निदेशक तकनीकी (30.9.2015 तक)	0.09	0.01	0.10	0.00	0.20
शेखर सरन, सीएमडी (01.01.2016 से)	0.21	0.03	0.06	0.00	0.30
वी.के.सिन्हा, निदेशक तकनीकी	0.19	0.03	0.12	0.00	0.34
बिनय दयाल, निदेशक तकनीकी	0.07	0.01	0.03	0.00	0.11
बी.एन.शुक्ला, निदेशक तकनीकी	0.09	0.01	0.03	0.00	0.13
आर.के.मित्तल, स्वतन्त्र निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
राजेन्द्र प्रसाद, स्वतन्त्र निदेशक (17.11.2015 से)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
देबाशीष गुप्ता, स्वतन्त्र निदेशक (17.11.2015 से)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
पी. लार्जर, कम्पनी सचिव	0.15	0.02	0.07	0.00	0.24
अभिषेक मुँधड़ा, कम्पनी सचिव	0.09	0.01	0.01	0.00	0.11

(2014–15)

(करोड़ रू. में)

केएमपी का नाम	वेतन	पीएफ	अन्य (चिकित्सा, एलई, पीआरपी, आदि)	सिटिंग शुल्क	कुल
ए.के.देबनाथ, (सीएमडी)	0.19	0.03	0.08	0.00	0.30
डी.के.घोष, निदेशक तकनीकी	0.18	0.02	0.08	0.00	0.28
आर.के.चोपड़ा, निदेशक तकनीकी	0.08	0.02	0.07	0.00	0.27
शेखर सरन, निदेशक तकनीकी	0.18	0.02	0.07	0.00	0.27
वी.के.सिन्हा, निदेशक तकनीकी	0.16	0.02	0.12	0.00	0.30
आर.के.मित्तल, स्वतन्त्र निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
पी. लार्जर, कम्पनी सचिव	0.15	0.02	0.04	0.00	0.21

4. शेष की सम्पुष्टि :

शेश की सम्पुष्टि/सामंजस्य सभी बैंक अधिशेषों, सभी प्रमुख ऋण एवं अग्रिम, प्राप्य व्यवसाय, दीर्घकालीन देयताएँ तथा चालू देयताएँ के लिए किया गया है। सभी संदेहपूर्ण अपुष्ट अधिशेषों के विरूद्ध प्रावधान बनाया गया है।

5. प्राक्कलन का उपयोग :

भारत में सामान्यतः स्वीकृति लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने में कभी–कभी प्रबंधन को ऐसा प्राक्कलन तैयार करने एवं पूर्वानुमान करने की जरूरत पडती है, जो वित्तीय विवरण की तिथि तक आकस्मिक देयता के स्पष्टीकरण (प्रकटीकण) एवं परिसंपत्ति तथा देयता और विवेच्य अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की रकम को प्रभावित करता हो।

6. गत वर्ष के आँकड़ें :

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, गत वर्ष के आँकड़ें को पुनःव्यवस्थित/ पुनः समूहित किया गया हैं। गत वर्ष की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण एवं तुलन–पत्र के टिप्पणी/अतिरिक्त टिप्पणी के आँकड़ें कोष्ठक में दिए गए हैं।

31 मार्च, 2016 के तुलन–पत्र का टिप्पणी 1 से 19 तक का भाग तथा अतिरिक्त को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण का टिप्पणी 20 से 32 लेखे में टिप्पणी–33 महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा टिप्पणी–34 अतिरिक्त टिप्पणी को बतलाता है।

टिप्पणी 1 से 34 तक के लिए हस्ताक्षरित :

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(ए. मुँधड़ा)	(डी.के.राव)	(वी.के.सिन्हा)	(शेखर सरन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन–067937780189	डीआईएन–06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते– के. सी. टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 000216सी
ह0/–
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या –079005

तिथि– 25 मई, 2016
स्थान– कोलकाता